दशम माला, खंड 16, अंक 1

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1992
3 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

64
12-1-94

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 1, मंगलवार, 24 नवम्बर, 1992/3 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रीय गान	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—8
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 और 2	9—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—328
तारांकित प्रश्न संख्या : 3 से 20	20—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 10, 12 से 57 और 59 से 230	41—328
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	328-30
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	328-29
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में	330—41
अयोध्या की स्थिति के बारे में ...	341—50
सभा पटल पर रखे गए पत्र	351—54
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक	354
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया ...	
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	355
छठा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति :	355
आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
रेल अभिसमय समिति	355
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत ...	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ

विधेयक पुरःस्थापित ... ...

दिल्ली नगरनिगम (संशोधन) विधेयक ... 356

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक ... 356

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विधेयक 357

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण 358

सभा पटल पर रखा गया ... ...

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित 358

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 359—62

(एक) उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों में किसानों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी 359

(दो) चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केरल सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन 359-60

(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में मित्रपुर में खनन कार्यों में लगे आदिवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और आवास, चिकित्सा सहायता आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो 360

(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री सन्तोष कुमार गंगवार 360

(पांच) बिहार में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र से अलग रखे जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 361

(छः) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में खाना बनाने की गैस की और अधिक एजेन्सियां खोले जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह 361

विषय पृष्ठ

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 361-62

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक ... ... 362—95

विचार करने के लिए प्रस्ताव 362

श्री बलराम जाखड़ 362

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया 364

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 364

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 367

श्री उद्धव बर्मन 369

डा० सी० सिलवेरा 370

श्री वी० धनंजय कुमार 373

श्री याइमा सिंह युमनाम 374

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 376

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 378

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 379

प्रो० के० वी० थामस 381

श्री गिरधारी लाल भार्गव 382

डा० असीम बाला 384

श्री नीतीश कुमार 385

श्री पीटर जी० मरबनिआंग 387

प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु 388

खंडवार विचार ... ... 393—95

पारित करने के लिए प्रस्ताव ... ...

श्री बलराम जाखड़ 394

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ 395

विषय	पृष्ठ
नागरिकता (संशोधन) विधेयक	396—413
विचार करने के लिए प्रस्ताव	396
श्री एस० बी० चव्हाण	396
प्रो० प्रेम धूमल	397
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या	398
श्री शरद दिघे	399
डा० सुधीर राय	400
श्री सूर्य नारायण यादव	401
श्री तेज नारायण सिंह	402
श्री मदन लाल खुराना	402
श्री ए० चार्ल्स	403
श्री मालिनी भट्टाचार्य	404
डा० के० डी० जेस्वाणी	406
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	408
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	412—13
कार्य मंत्रणा समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया ...	406

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाडज जान (अलप्पी)

अंसारी, श्री मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी० (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराजू, श्री एल० (तिरूचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)

अम्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्रीमणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए० (पेरम्बलूर)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आज़म, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरूचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरूल (धबरी)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्बे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओ

ओडियार, श्री चन्नैया (दावणगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया, डी० जी० एल० (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेंदुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कामसन, प्रो० एम० (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरुमल, श्री पी० पी० (कुड्डाल्लौर)
काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)
काष्वा, श्री राम सिंह (चुरू)
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लोर)
कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)
कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलोर)
कुमारमंगलम, प्रो० रंगराजन (सलेम)
कुरियन, श्री पी० जे० (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम० (वन्दिवाशी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)
केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
केनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
केरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कोरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द (चांदनी चौक)
खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)
खनोरिया, मेजर डी० डी० (कांगड़ा)
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (विशनुपुर)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गालिब, श्री गुरुचरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)
गून्डेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिंकिल)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा० महीवर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुडूर)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी० (कराड)
चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)
चार्ल्स, श्री० ए (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, डा० के० वी० आर (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अम्बाला)
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौरे, श्री बापू हरि (धूले)
चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर (तिरुनेलवेली)
जयप्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जावाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनम)
जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मंडला)

ट

टंडेल, श्री डी० जे० (दमन और दीव)
टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवनम, श्री के० राममूर्ति (टिंडिवनम)
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच० (बड़ौदा)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपडवंज)
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस० (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंग्काबालु, श्री के० वी० (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा० रमेश चन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपुझा)

थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमण्ड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दाखापुर, श्री गुरचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवगौड़ा, श्री एच० डी० (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती बिभू कुमारी (त्रिपुरा-पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

न

नन्दी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए० वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुभाष चन्द्र (कालाहांडी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पांडियन, श्री डी० (मद्रास-उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल (कैराना)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बौलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री प्रफुल (भण्डारा)
पटेल, श्री बृशिण (सीवान)
पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
पद्मा डा० (श्रीमती) (नागापट्टीनम)
पवार, डा० बसंत (नासिक)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन० (इरंडोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाबोला, श्री वी० आर० नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरुमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश, श्री शशि (चेल)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराज नगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उडीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारूक, श्री एम० ओ० एच० (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडूरंग पुंडलिक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नबद्वीप)

बालयोगी, श्री जी० एम० सी० (अमालपुरम)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटासिंह, श्री (जालौर)

बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बागहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकरा झार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भड़ाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाटिया, श्री रघुनंदन लाल (अमृतसर)

भाव्ये गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

भाई, डा० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मरान्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)

मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)

माणे, श्री राजाराम शंकर राव (इचलकरंजी)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)

मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्होर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरू लाल (सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़-दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुनियप्पा, श्री के० एच० (कोलार)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरुगेसन, डा० एन० (करूर)

मुरूमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम० वी० बी० एस० (विशाखापटनम)

मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू, श्री पाला के० एम० (इदुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)

मोर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)

यादव, श्री राम शरण सिंह (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा० एस० पी० सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

यादव, श्री शरद (मधेपुर)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

राजनारायण, श्री (बासगांव)

राजरविवर्मा, श्री बी० (पोल्लाची)

राजुलू, डा०आर०के०जी० (शिवकासी)

राजू, श्री मू० विजयकुमार (नरसापुर)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रकुमार, श्री एम० एस० आर० (चिंगलपट्टू)

राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री एन० जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)

रामदेव, राम, श्री (पलामू)

राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (हरिद्वार)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)
राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापतला)
राव, श्री जे० चौक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)
रावत, श्री प्रभू लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावत, डा० लाल बहादुर (हाथरस)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के० पी० (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर (करनूल)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजान बाशा, श्री एस० एम० (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमानमल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)
वर्मा, कु० विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)
वाडडे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया (थंजावुर)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर० जी० (नाम-
निर्देशित आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)
व्यास, डा० गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शिंगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवप्पा, श्री के० जी० (शिमोगा)
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)
शुक्ला, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
श्री निवासन, श्री सी० (डिण्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)
साक्षी, जी० डा० (मथुरा)
साबुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए० प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)
सिल्वेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, डा० छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनन्दगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुक्कोट्टाई)
सुब्बाराव, श्री बोडा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नानी)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)
सैयद, श्री शाहाबुद्दीन (किशनगंज)
सोंढी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरुचेंगोड)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस० मल्लिकार्जुनैय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री तारा सिंह

श्री पी० एम० सईद

श्री राम नाईक

श्री पीटर जी० मरबनिआंग

महासचिव

श्री सी० के० जैन

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन : विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रानिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रसायन और उर्वरक, ग्रामीण विकास, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमण्डल के स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं	श्री पी० वी० नरसिंह राव
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
गृह मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
संसदीय कार्य मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
रेल मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री	श्री के० विजय भास्कर रेड्डी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री माधवराव सिंधिया
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
जल संसाधन मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
रक्षा मंत्री	श्री शरद पवार

राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुख राम
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अशोक गहलोत
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी० ए० संगमा
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाइटलर
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कुमारी ममता बनर्जी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम० ओ० एच० फारूक
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० पी० जे० कुरियन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० सी० लेंका
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० चिन्ता मोहन
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई एच० पटेल
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शांताराम पोतदुखे
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री जी० वेंकट स्वामी
उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री	श्री पी० के० थुंगन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर० एल० भाटिया
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राम सिंह

उप-मंत्री

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री	श्रीमती के० कमला कुमारी
वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
संचार मंत्रालय में उपमंत्री	श्री पी० बी० रंगैया नायडू
गृह मंत्रालय में उपमंत्री	श्री राम लाल राही
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री	कुमारी गिरिजा व्यास
कोयला मंत्रालय में उपमंत्री	श्री एस० बी० न्यामगौड
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1992/3 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रीय गान

राष्ट्रीय गान गाया गया

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, अंतिम बार हम तीन महीने पहले मिले थे। इन तीन महीनों के अन्दर पूर्व उपराष्ट्रपति, न्यायमूर्ति एम० हिदायतुल्ला का निधन हो चुका है। इस अवधि के दौरान हमारे पांच पूर्व सहयोगियों डा० सी० बी० सिंह, श्री चन्द्रमोहन नेगी, श्री जियाउर्रहमान अंसारी, श्री के० जी० देशमुख तथा डा० बलदेव प्रकाश का भी दुःखद निधन हुआ है।

हम न्यायमूर्ति भूतपूर्व राष्ट्रपति एम० हिदायतुल्ला के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।

जैसाकि हम सब जानते हैं, श्री एम० हिदायतुल्ला भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति का पदभार संभालने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी शोभायमान रहे हैं। वे सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विधि वेत्ता थे तथा दार्शनिक और सुविज्ञ राजनयिक भी थे।

वे प्रारंभ में विधि कालेज में विधि संकाय में लेक्चरार थे फिर उन्होंने वकालत शुरू की। उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर 1968-70 के दौरान आसीन हुए। कानून के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। वर्ष 1979-84 के दौरान वे भारत के उपराष्ट्रपति बने तथा 1969 और 1982 में दो बार भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य कुछ समय के लिए बड़ी कुशलता से संभाला।

राज्य सभा के सभापति के नाते वे अपने गहन विचारों, बहुमुखी अनुभव, शांत स्वभाव, सूझ-बूझ के कारण वे सभा की कार्यवाही का सुचारु रूप से संचालन कर सके। वे अपने विनिर्णय बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक देते थे तथा सभा में तनाव की स्थिति को शांत करने के उनके विशिष्ट तरीके ने उन्हें विश्व में संसद के विशिष्ट पीठासीन अधिकारियों की श्रेणी में स्थान मिला।

उनका दृष्टिकोण सर्वभौमिक था तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और गांधीवादी दर्शन में उनका अटूट विश्वास था। अपने जीवन में उन्होंने इन आदर्शों का पालन किया और अपने दैनिक जीवन में इन आदर्शों में व्यवहारिक रूप से अपना अटूट विश्वास प्रदर्शित किया।

उन्होंने व्यापक भ्रमण किया तथा वे महान विद्वान थे। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें देश तथा विदेशों में सम्मान मिला। उन्हें 1946 में 'आर्डर आफ द ब्रिटिश एम्पायर' प्रदान किया गया।

वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सामाजिक और कानूनी संगठनों से संबंधित थे। उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ, पेरिस' के सदस्य के नाते अंतरिक्ष संबंधी कानून के अज्ञान क्षेत्रों पर अनेक भाषण दिए।

वे एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कानूनी और संवैधानिक मामलों के बारे में अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें, "डेमोक्रेसी इन इण्डिया एण्ड दी ज्यूडीशियल प्रोसेस", "दि साऊथ-वेस्ट अफ्रीका केस" तथा "दि फिफ्थ एण्ड सिक्स्थ शिड्यूल्स टू दि कान्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया" उल्लेखनीय है। उन्होंने "माई ओन बोसवेल" शीर्षक के अन्तर्गत अपनी आत्मकथा भी लिखी।

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का देहावसान 87 वर्ष की आयु में 18 सितम्बर, 1992 को बम्बई में दिल का जबरदस्त दौरा पड़ने से हुई।

उनकी मृत्यु से देश ने एक महान बुद्धिजीवी, निष्ठावान देशभक्त, एक कानूनी विशेषज्ञ, जिसने भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों और परम्पराओं का पालन किया, खो दिया। देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए देश उन्हें हमेशा सम्मानपूर्वक याद करेगा।

डा० सी० बी० सिंह दिसंबर 1963 में तीसरी लोक सभा के लिए एक उप-चुनाव में चुने गए थे और वह 3 मार्च, 1967 तक लोक सभा के भंग होने तक उसके सदस्य बने रहे। वह मध्य प्रदेश के बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा उत्तरी भारत के एक प्रतिष्ठित शल्यक्रिया चिकित्सक थे। उन्होंने चिकित्सा संबंधी शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेजों की स्थापना की।

डा० सिंह रायल कालेज आफ सर्जन्स (लंदन) के फैलो थे तथा विभिन्न मेडिकल संघों और विश्वविद्यालय बोर्डों से संबद्ध रहे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार की "हैल्थ पैनल" के भी वे सदस्य थे। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने चिकित्सा संबंधी शिक्षा के मामलों में विशेष रुचि ली और मेडिकल तथा शल्यक्रिया विषयों पर अनेक लेख लिखे। चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

डा० सी० बी० सिंह का निधन 28 सितंबर, 1992 को आगरा में 92 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद हुआ।

श्री चन्द्रमोहन नेगी आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में गढ़वाल था। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा के भी सदस्य रह चुके थे तथा उन्होंने वहां मंत्री के रूप में भी कार्य किया। संसद की कार्यवाही में वह सक्रिय भाग लेते थे और

समाज के गरीब वर्ग की जनता की समस्याओं को सदन में उठाते थे। वह सदन की कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य थे। सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि ली।

श्री नेगी का निधन 5 अक्तूबर, 1992 को लखनऊ में 53 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री जेड० आर० अंसारी वर्ष 1971-77 तथा 1980-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव निर्वाचन क्षेत्र से पांचवीं, सातवीं तथा आठवीं लोक सभा के लिए चुने गए। इससे पहले वह 1962-67 तथा 1967-69 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी थे। श्री अंसारी एक समर्पित सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था।

श्री अंसारी ने अपने संसदीय जीवन में अनेक पदों पर देश की सेवा की। वह एक कुशल प्रशासक थे तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों में मंत्री रहे। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया और 1982 में सउदी अरब के लिए भेजे गए भारतीय सद्भावना हज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

उन्होंने चार दशकों से भी अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान पद-दलितों तथा पिछड़े वर्गों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया।

श्री अंसारी का निधन 6 अक्तूबर, 1992 को नई दिल्ली में 67 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी मृत्यु से हमने एक योग्य सांसद व प्रशासक खो दिया।

श्री के० जी० देशमुख महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से 1952-62 तथा 1967-77 के दौरान पहली, दूसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।

वे वकील होने के साथ-साथ सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता भी थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने बड़े जोर-शोर से काम किया तथा विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संगठनों से भी वे सम्बद्ध रहे।

कृषि के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्यों में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी तथा अनेक कृषि संस्थाओं में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया था। वे नई दिल्ली स्थित भारतीय किसान मंच के आजीवन सदस्य भी थे।

श्री देशमुख ने ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए बहुत काम किया तथा वे भारत सरकार द्वारा गठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों संबंधी छात्रवृत्ति बोर्ड के 1956-60 के दौरान सदस्य रहे। कुशल सांसद के रूप में श्री देशमुख अपने लंबे संसदीय कार्यकाल में किसानों तथा समाज के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों से संबंधित मामलों को सभा में हमेशा उठाते रहे। वर्ष 1954-56 के दौरान वे लोक लेखा समिति के भी सदस्य रहे।

श्री देशमुख पत्रकारिता में रुचि रखते थे तथा वर्ष 1947-51 के दौरान वे साप्ताहिक पत्रिका, संग्राम के भी संपादक रहे। उन्होंने "तकरामाची राष्ट्रगाथा" नामक पुस्तक भी लिखी। कोलम्बो योजना के अंतर्गत 1958 में किसानों का शिष्टमंडल उनके नेतृत्व में आस्ट्रेलिया गया था।

श्री देशमुख का देहावसान 70 वर्ष की आयु में, 24 अक्तूबर, 1992 को हुआ।

डा० बलदेव प्रकाश ने 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा में पंजाब के अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। जुलाई, 1992 से वह उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले वह 1957-69 तथा 1974-77 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे थे।

चिकित्सक होने के नाते पंजाब में उनकी बड़ी ख्याति थी। काफी लम्बे अरसे तक आम जनता की सेवा करते रहने के कारण पंजाब राज्य और उससे बाहर भी उनका बड़ा मान सम्मान था। डा० बलदेव प्रकाश ने पंजाब राज्य के समग्र विकास के लिए काफी काम किया और अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। वर्ष 1967 में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री का पद भार भी इन पदों में शामिल है।

डा० प्रकाश कट्टर राष्ट्रवादी थे और उन्होंने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पृथकतावादी ताकतों तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया।

सुविज्ञ सांसद होने के नाते उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में अभूतपूर्व योगदान दिया।

सामाजिक और साम्प्रदायिक सौहार्द को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने जो राष्ट्र की सेवा की है, उसे लम्बे अरसे तक साभार याद किया जाता रहेगा।

डा० बलदेव प्रकाश का देहावसान 70 वर्ष की आयु में 17 नवम्बर, 1992 को नई दिल्ली में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ।

हम इन मित्रों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री इस समय राज्य सभा में हैं—वहां एक हवाला दिया जा रहा है और उसी प्रकार की कार्यवाही राज्य सभा में चल रही है—मैं कुछ शब्द बोलने के लिए आपकी अनुमति लेना चाहता हूं।

आपने न्यायाधीश हिदायतुल्ला के, जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति रहे हैं, निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने पहले जो कुछ कहा है उस संबंध में मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं। श्री हिदायतुल्ला गहन गंभीर विचार तथा संवेदनशीलता से युक्त होने के बावजूद अत्यन्त सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपने कार्य में काफी निपुण थे, इसलिए जो कोई भी उनके पास आता था वह उनकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता था।

वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर राष्ट्र की सेवा में योगदान दिया था तथा हमें कई बार विभिन्न रूपों में उनसे मिलने का अवसर मिला था। वह राष्ट्रवादी थे तथा जीवन और कानून दोनों के बारे में ही उन्हें गहन तथा व्यापक ज्ञान प्राप्त था। तथा उनकी देश के प्रति अटूट निष्ठा थी इन सब विशेषताओं के कारण हिदायतुल्ला एक विशिष्ट व्यक्ति थे उनके निधन में हमने एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक को खो दिया है।

डा० सी० बी० सिंह मध्य प्रदेश से तीसरी लोक सभा में चुन कर आए थे। वह चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में पूर्णतया समर्पित थे हममें से। कुछ लोग जानते हैं कि वह लन्दन स्थित कॉलिज आफ सर्जन्स के प्रथम भारतीय सदस्य थे। सुदक्ष सर्जन होने के नाते उन्होंने अपने जिले की जनता के लिए अत्यन्त समर्पण भाव से काम किया।

डा० सिंह चिकित्सा व्यवसाय के एक अत्यन्त योग्य प्रतिनिधि थे अब उनकी मृत्यु के पश्चात् हम उन्हें न केवल इस सभा के सदस्य के रूप में याद करेंगे, बल्कि उन्हें इस देश के चिकित्सा विज्ञान के एक बड़े महारथी के रूप में याद किया जायेगा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित थे। वह अत्यन्त विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी काम बड़े समर्पण भाव से करते थे। मतभेदों के बावजूद डा० नेगी एक ऐसे व्यक्ति थे, जो देश के लोगों की भलाई के लिए हर वक्त लगे रहते थे।

श्री जिया-उर-रहमान की हाल ही में मृत्यु हुई है। वह उत्तर प्रदेश से थे उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, आदिवासी लोगों के लिए काफी काम किया और धीरे-धीरे उनकी देश में एक पहचान बन गई थी। उनके प्रति प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उन्होंने उनकी दशा में काफी सुधार किया तथा जनता की सेवा और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया बनाये रखने के संदर्भ में विशिष्ट मानदण्ड स्थापित किये।

श्री असारी के, सभा के अन्दर तथा बाहर दोनों क्षेत्रों में काफी प्रशंसक थे। हमें उनकी मृत्यु पर काफी दुःख है।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने ठीक ही कहा है कि श्री के० जी० देशमुख एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जो महाराष्ट्र की मिट्टी से बड़े गहरे जुड़े हुए थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए अभूतपूर्व ढंग से कार्य किया।

डा० बलदेव प्रकाश अत्यन्त साहसी तथा समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्ति थे। मुझे डा० बलदेव प्रकाश के साथ पंजाब में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे विचार से भारत सरकार से पंजाब में उस दौरान जो प्रगति की थी वह डा० बलदेव प्रकाश द्वारा, उस राज्य के नागरिक होने के नाते, दिये गये निष्काम सुझाव और सहयोग के परिणामस्वरूप ही सम्भव हो पाई थी।

उन्होंने पंजाब राज्य में कठिनाई के दौर में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने में योगदान दिया, मेरे विचार से, हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे विश्वास है हमें उनकी मृत्यु पर दुःख प्रकट करने के अलावा उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रधान मंत्री जी राज्य सभा में थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे थे। हम न्यायमूर्ति एम० हिदायतुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे।

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) महोदय, मैं भारी मन से अपने समय के सुविज्ञ न्यायमूर्ति एम० हिदायतुल्ला, जो हमारे उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के अत्यन्त सफल सभापति रहे, के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उनका छात्र भी रह चुका हूं, जो भी कानूनी जानकारी मुझे है वह उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त है। वह मेरे अध्यापक से भी अधिक थे क्योंकि मैं उन्हें 1942 और 1943 के उस समय से जानता हूं, जब मैं लॉ कालेज में था, वे मुझे अपने बेटे जैसा समझते थे और उन्होंने आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए हमारी बड़ी सहायता की थी हम उन्हें न केवल पथ-प्रदर्शक के रूप में ही जानते थे, बल्कि वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे, विशेषतौर पर उनके लिए जो लॉ कालेज में छात्र थे, और जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया था। हम उनके पास जाया करते थे, वह हमें सांत्वना देते थे, प्रोत्साहन देते थे। यह

राजनीति में नहीं थे, लॉ कालेज में केवल वही अध्यापक थे जो हमें पढ़ाते थे। बाद में वह एडवोकेट जनरल बन गये थे लेकिन उन्होंने हमें भारी प्रोत्साहन दिया, अनेक सलाहें दीं तथा व्यक्तिगत रूप से हम सब उनके आभारी हैं। उनके देहावसान से हमने अत्यन्त मेधावी और बहुआयामी व्यक्ति को खो दिया है। सम्भवत: ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर उन्होंने स्पष्ट और सुनिश्चित राय न दी हो। हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और मैं इस शोक-सभा में शामिल होता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जब कभी हम नये सत्र के लिए एकत्र होते हैं, तो हम पाते हैं कि जिंदगी का कारवां, हम जिनके साथ चल रहे थे, उनमें से अब कुछ हमारे बीच में नहीं हैं। शायन जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है और हमें उसका सामना करना होता है।

आपने और मानव संसाधन मंत्री ने जो महानुभाव हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति श्रद्धांजली अर्पित की है। प्रधान मंत्री जी ने विशेषरूप से उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का स्मरण किया है। मैं सबके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ना चाहता हूं।

न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के निधन से एक महान् देश-भक्त, महान् न्याय-शास्त्री, सार्वजनिक जीवन को अपने व्यक्तित्व और कृतृत्व से अलंकृत करने वाला भारतीय हमारे बीच में से उठ गया। मुझे उन्हें निकट से देखने, उनके साथ काम करने का अवसर मिला था। उन्होंने न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा की कोशिश की, निष्पक्षता का आचरण किया और न्यायपालिका की विश्वसनीयता में वृद्धि करने का सतत प्रयास किया। उनमें व्यंग्य की, विनोद की बड़ी क्षमता थी। सब वर्गों के साथ, प्रतिपक्ष के साथ भी उनके सम्बन्ध बड़े मधुर थे। उनके भाषण और लेखन हमारे भारतीय साहित्य का एक अभिन्न अंग बन गए। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन की बड़ी क्षति हुई है।

अन्य महानुभावों को भी मैंने निकट से देखा है। डा० सिंह, श्री नेगी, श्री अन्सारी, श्री देशमुख, अध्यक्ष महोदय, सबसे ताजा घाव डा० बलदेव प्रकाश का है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे लेकिन इसलिए कि उन्होंने जीवनभर देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। हत्यारे उन्हें नहीं मार सके। मगर एक सवेरे अचानक काल-क्रूर उन्हें हमारे बीच से उठाकर ले गया। वे राष्ट्रीयता के लिए जूझते रहे। पंजाबियत के एक अच्छे प्रतीक बन गए थे। भेदभाव की भावना उनके मन को छू तक नहीं गई थी। उन्हें पंजाब की दृष्टि से अजात शत्रु कहा जा सकता है। सबको साथ लेकर चलने का उनका गुण था। उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं।

मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत महानुभावों के प्रति विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, मेरी पार्टी आपके द्वारा तथा सभा के नेता द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतया सहमत है। मुझे श्री हिदायतुल्ला से मिलने का बहुत कम अवसर मिला है। लेकिन थोड़ी सी झलक ही उनके शांत स्वभाव महान् व्यक्तित्व के रूप में हमें उनकी याद दिलाती है। वह तुच्छ विचारों से बहुत ऊपर थे।

श्री चन्द्र मोहन नेगी तथा जिया-उर-रहमान अंसारी के निधन से मैंने व्यक्तिगत मित्रों को खो दिया है। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, श्री चन्द्र मोहन नेगी मेरे मंत्री सहयोगी के रूप में रहे थे। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति उनके सम्पूर्ण भाव को मैं जानता हूं। उनके अनेक गुण जैसे अच्छे प्रशासक, राजनीतिज्ञ और अच्छे मानव के अलावा उनमें एक विशेष गुण था, जिसको मैं जानता हूं कि वह सिर्फ देना जानते थे और बदले में कुछ लेना उनके स्वभाव में नहीं था। यह गुण बहुत ही कम लोगों में मिलता हैं जिसको मैंने श्री सी० एम० एस० नेगी में देखा था।

श्री जिया-उर-रहमान अंसारी मेरे परम निकट समवर्ती थे। वह मेरे अच्छे मित्र थे। वह बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। साहसी तथा जीवन की वास्तविकतायों का सामना करने की प्रवृत्ति ने ही उन्हें ऐसा बनाया था। वह विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगे मजदूरों के लिए काम करने के प्रति समर्पित थे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से आपके तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल यही कहूंगा कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के निधन से हमारे देश ने अपना एक होनहार लाल खो दिया है वह एक न्यायविद ही नहीं, अपितु महान् मानव भी थे। मुझे उन्हें विशेषरूप से जानने का मौका मिला तथा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि वह गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। वह संविधान के लक्ष्यों तथा आदर्शों को प्रतिपादित करने के प्रतिबद्ध थे वे न केवल सबसे तरूण एडवोकेट जनरल थे, बल्कि उच्चतम न्यायालय के तरूण न्यायाधीश तथा तरूण मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अमिट छाप न छोड़ी हो। हम अपनी केवल संवेदनाएं ही व्यक्त करने तक सीमित हैं। महोदय, हम अपने कई साथियों को खो चुके हैं और हम केवल दु:ख प्रकट करने के अलावा कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। मुझे आशा है कि आप हमारी ओर से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को संवेदनाएं भेजेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, अपने दल की ओर से मैं सत्र के दौरान इन सहयोगियों के दु:खद निधन के बारे में संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। निसंदेह न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला देश के महान सपूत थे। वह नेहरु दर्शन के विद्वान महान न्यायविद तथा ऐसे मानवतावादी थे, जो अत्यन्त विनम्र स्वभाव के थे और गहन गम्भीर विचारों और भावनाओं से भरपूर थे।

मैं कहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता विधि शासन और न्याय तथा न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों को मूर्त रूप प्रदान करती है।

अन्य सभी मित्र भी अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हम सभी इस बहुत ही उदार व्यक्तित्व के प्रति, जिन्हें हम उनके अच्छे गुणों की वजह से आदर देते थे हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम

अपने उन साथियों के दुःखद निधन पर उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिनके साथ हमने पिछले कई वर्षों तक कार्य किया है।

जहां तक न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का संबंध है, हम सब जानते हैं कि वे एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले भारत के महान सपूत थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्य सभा के सभापति के रूप में अपने देश की सेवा की और वह बहुत से कानूनी और सामाजिक संगठनों से भी संबद्ध थे।

जहां तक हमारे अन्य साथियों की बात है, डा० सी० बी० सिंह, श्री चन्द्रमोहन सिंह, श्री के० पी० देसमुख और डा० बलदेव प्रकाश, जिनके साथ हमने इस सभा में कार्य किया है, हम जानते हैं कि वे प्रशंसनीय गुणों से युक्त धनी व्यक्तित्व वाले थे।

जहां तक श्री जैड०आर० अंसारी के दुःखद निधन की बात है, वह व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र थे और उनका निधन मेरी एक प्रकार से व्यक्तिगत हानि है। वह बहुत बड़े प्रशासक थे, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे और उन्होंने विभिन्न प्रधानमंत्रियों के अन्तर्गत मंत्री के रूप में विभिन्न पद-भार संभाले। उनका बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था तथा संसद के केन्द्रीय कक्ष में वह अपने शेर सुनाते थे और काफी मजाकिया तबियत के व्यक्ति थे। हम उनके दुखद निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उस सर्वशक्तिमान अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे। मैं आपके जरिये उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति के दुखद निधन से हमने अपने देश के कानून के एक महान, प्रकाण्ड विद्वान को खो दिया है। एक योग्य वकील और न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कानून और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए। उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने देश की छवि और इज्जत को सुदृढ़ करने के लिए और अपने देश के विकास के लिए कई प्रशंसनीय कार्य किये।

उनकी मृत्यु से हमें बहुत हानि हुई है। हमने एक और योग्य सांसद खो दिया है। इससे राष्ट्र को भी बहुत हानि हुई है।

अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक कषगम की ओर से मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने के संबंध में मेरा साथ देगी।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति आदर प्रकट करने के लिए थोड़ी देर के लिए मौन धारण करेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण दो मिनट तक मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग हाल ही में पंजाब गये थे। वहां के लोगों के दिल में 1984 की घटनाओं को लेकर गहरी वेदना है। हम प्रस्ताव करते हैं कि यह सदन 1984 की घटनाओं के लिए एक बैठक करे और दिल्ली में जो 1984 की वेदनासूचक हत्यायें हुई थीं··· (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने 110 मैम्बर्स को लिखकर दिया था कि 1984 के दंगों के लिए यह होना चाहिए। मैंने लिखकर भिजवाया हुआ है··· (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अभी यह प्रश्न काल है, हम बीच में मिले थे और मैं समझता था कि इस बार इस बात पर सबकी राय एक हो गई है कि प्रश्न काल चलने दिया जाय और जो बात कहनी है, वह प्रश्न काल की समाप्ति के बाद कही जाय, मैं अपने मित्रों से अपील करना चाहता हूं, आधा तो वैसे ही समय चला गया है और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यह गेहूं के आयात में जो धांधली हुई है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं और पंजाब के किसान से भी वह मामला जुड़ा हुआ है। तो कृपा करके ऐसा मत करिये। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह दो मिनट का कण्डोलेंस था। हम उनके कहने पर नहीं बैठे हैं, दो मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए बैठे हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह तो दो मिनट के लिए श्रद्धांजलि थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूं और आपके सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

11.48 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बार्सीलोना में हुए ओलम्पिक खेलों में प्रदर्शन

+

*1. **श्री पी० कृष्णा राव** :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार्सीलोना में हुए ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के संबंध में खिलाड़ियों के दल के प्रधान की ओर से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है कि भारतीय खिलाड़ी किन कारणों से एक भी पदक नहीं जीत पाये ; और

(ग) भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वैफ-डी मिशन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

वैफ-डी मिशन की रिपोर्ट विभाग में 18-11-1992 को ही प्राप्त हुई है। 1994 में एशियाई खेलों के लिए हमारे दल की तैयारी के विचार से इस समय रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है।

वैफ-डी मिशन की रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने के बावजूद विभाग 1994 में एशियाई खेलों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय संघों और आई० ओ० ए० से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसमें राष्ट्रीय संघों और आई०ओ०ए० के साथ लगातार बातचीत और संबंध बनाए रखना शामिल है।

1994 में हिरोशिमा में हमारे द्वारा भाग लेने के लिए योजना तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने में पर्याप्त प्रगति हुई है। किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) सरकार ने एशियाई खेलों के लिए प्राथमिकता वाली विधाओं की पहचान की है।

(2) एशियाई खेल 1994 में भाग लेने वाले हमारे दल के प्रदर्शन और स्तर में सुधार के लिए विशिष्ठ अपेक्षाओं का पता लगाया गया है जो निम्नलिखित है :—

(क) सम्भावित खिलाड़ियों की पहचान और चयन।

(ख) इन सम्भावितों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और कोचिंग।

(ग) उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव।

(घ) उनके लिए भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का प्रबन्ध करना।

(ङ) उपस्करों की सहायता।

संघों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं तथा एशियाई खेलों के लिए विधाओं हेतु आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उनके लिए सहमति भी हुई है। अगले एशियाई खेलों के लिए तैयारी की मानिटरिंग के लिए विख्यात खिलाड़ियों की एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव है।

खेलों के मीडियम अवधीय विकास के लिए हमारे जूनियरों को सघन प्रशिक्षण, उपस्कर सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव आदि प्रदान करके उनके प्रदर्शन स्तर में सुधार करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। ये जूनियर 1996 के लिए हमारे ओलम्पिक खेल दल हेतु कोर बनेंगे।

इसके अतिरिक्त संबंधित राष्ट्रीय संघ, निगम क्षेत्रों और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से चयनित विधाओं में खेल अकादमी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हॉकी और फुटबाल अकादमियों ने क्रमशः नई दिल्ली और भिलाई (म० प्र०) में पहले ही कार्य आरम्भ कर दिया है तथा

पांच अन्य अकादमियों के शीघ्र ही कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है। ये अकादमियां उत्कृष्ट जूनियरों तथा उप जूनियरों के प्रशिक्षण पर ध्यान देंगी और आने वाले वर्षों में हमारे प्रशिक्षण और कोचिंग में रीढ़ की हड्डी वाला काम करेंगी।

कारंवाई कार्यक्रम में दीर्घकालीन उपायों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसे अगस्त 1992 में संसद के समक्ष रखा गया था। कारंवाई कार्यक्रम में चार क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें विस्तृत सुधार अपेक्षित है। ये निम्नलिखित है :—

(1) खेल पर्यावरण तैयार करना

(2) विस्तार करना

(3) प्रतिस्पर्धा स्तर में सुधार

(4) खेल प्रबंध

कारंवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार के कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संगठनों तथा राष्ट्रीय संघों के समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होगी।

श्री वी० कृष्णा राव : क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरह एक आधुनिक राष्ट्रीय खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ताकि खेल गतिविधियों को लालफीताशाही और गलत नौकरशाही तरीकों से कभी भी नुकसान न हो ?

क्या हमारे अधिकारी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान जरूरी है ?

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमें वह सब करना चाहिए, जोकि देश में खेल के स्तर को उठाने के लिए जरूरी है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और अच्छी तरह से भाग ले सकें।

मैं इस महान सभा को बताना चाहूंगा कि इस संबंध में स्वयं प्रधानमंत्री ने दो सप्ताह पहले एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इस मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से चर्चा की गयी थी और हमें प्रधानमंत्री से कुछ विशेष मार्गदर्शन भी मिला है जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम अगले एशियाई खेलों में, जोकि 1994 में होंगे अच्छी तैयारी के साथ भाग ले सकेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री इस संघ के अध्यक्ष हैं।

श्री वी० कृष्णा राव : क्या कुछ समय के लिए भारतीय टीमों को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने से रोकने का प्रस्ताव है और इस समय में उनके प्रदर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के लिए उपाय करने का विचार है।

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि उनके भाग लेने को रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बदतर नहीं लगती है। निश्चित रूप से उनसे ज्यादा अपेक्षायें हैं। लेकिन यह कहना कि हम बिल्कुल ही भाग न लें, ऐसा निर्णय किसी भी प्रतियोगिता के बारे में लेने की अभी

जरूरत नहीं पड़ी है। अगली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 2 वर्ष बाद होगी और मैं समझता हूं कि इन 2 वर्षों में हम काफी कुछ कर लेंगे और भारत और अच्छी तरह से तैयारी कर पायेगा।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : पदक जीतना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे देश की स्थिति, हालात का पता चलता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या खिलाड़ियों को नौकरियों में कोई आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है और दूसरे क्या सरकार अच्छे खिलाड़ियों को जोकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करते हैं तथा जो राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पेंशन देने का विचार कर रही है।

श्री अर्जुन सिंह : यदि माननीय अध्यक्ष याद करें, ये सभी सुझाव सभा में एक वाद-विवाद के दौरान इस मामले पर रखे गये थे। और जो कुछ हम सोच रहे हैं वही इन सुझावों में कहा गया था और इसमें से ज्यादातर सुझावों में वही बातें थी, जो विशेष मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री ने हमें इस संबंध म दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम इन मार्गदर्शनों का अनुसरण कर रहे हैं और हो सकता है कि इसी सत्र के दौरान मैं आपको बता पाऊंगा कि इस संबंध में क्या किया गया है।

[**हिन्दी**]

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजनेताओं का और नौकरशाही का काफी हस्तक्षेप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट संस्थाओं में बढ़ गया है जिसकी वजह से उन्हें जितना ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ देना चाहिए उतना ध्यान वहां न देकर आपसी मनमुटाव पैदा कर लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार का कोई कानून या नियम बनाने जा रहे हैं जिससे कि उन लोगों को अलग रखते हुए केवल उस वर्ग के लोगों को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट संस्थाओं में हस्तक्षेप करने का मौका दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रान्तीय स्तर पर जिन्होंने खेलों में भाग लिया है।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन इसको कानून बना कर नहीं रोका जा सकता है इसे तो व्यावहारिक रूप में अमल में लाकर रोका जा सकता है। हम इस बात से सहमत हैं कि खेल-कूद की जो संस्थाएं हैं और जो इनसे किसी न किसी रूप में सम्बद्ध हैं उनको ही ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन कानून की बजाए हम इसे व्यावहारिक तरीके से अमल में लाएं यही उचित होगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, इतने दिन विश्व के खेल में भारत के हारने की वजह यह है कि हर जिले और गांव को उपेक्षित किया गया है। एक भी जिला प्रमण्डल मुख्यालय में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, जबकि प्रतिभा गांवों में ही रहती है, चाहे हाकी हो, तैराकी हो, क्रिकेट हो या अन्य खेलों की प्रतिभाएं हों, वे सब गांवों में ही रहती हैं।

तो क्या प्रत्येक जिला प्रमण्डल में एक स्टेडियम का निर्माण करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि हम भी भविष्य में विश्व में खेलों में जीत सकें।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यापक रूप से खेल-कूद में दिलचस्पी बढ़ा कर लोगों को खेलों के प्रति रुचि बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों में भाग लें, इसके लिए साधन पैदा करना, यह हमारी नीति का महत्वपूर्ण अंग है। यद्यपि आज पूरे देश में ऐसा नहीं हो सका है, लेकिन उसका

कारण यह नहीं है कि हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, कई और कारणों से भी यह काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर निश्चित रूप से इस काम को पूरा कर सकती हैं, ताकि देश के हर जिले में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इससे वहां के खिलाड़ियों को खेल कूद में प्रशिक्षित किया जा सकेगा और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

*2. **श्री चित्त बसु**

श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे गेहूं आयात किया जा रहा है, कुल कितनी मात्रा में तथा जिस दर पर यह आयात किया जा रहा है वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दर की तुलना में कितनी है;

(घ) किसी भी देश के साथ अब तक हुए आयात समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) प्रत्येक सौदे में देशवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी;

(च) गेहूं के देश में पहुंचने पर प्रत्येक किस्म के गेहूं की लागत रुपये में कितनी होगी ; और

(छ) इस आयात से देश के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) (क) से (छ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं के आयात के संबंध में जानकारी

(क) और (ख) जी, हां। स्वदेश में उपलब्धता में वृद्धि करने और उससे अक्तूबर-मार्च के कमी वाले मौसम के दौरान गेहूं के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने तथा इसके अलावा सूखा-उन्मुख, रेतीले, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों के लगभग 1700 खण्डों में शुरू की गई मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की अपेक्षित आपूर्तियों को बनाए रखने के लिए लगभग 3 मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) से (च) कनाडा, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से 2.990 मिलियन मीटरी

टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेके कर लिए गए है, जिसके बारे में ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

1. कनाडा : कनाडा सरकार की संघ सरकार एजेंसी कनाडियन व्हीट बोर्ड के साथ निम्नानुसार 10.05 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए 19-6-1992 को एक ठेका किया गया था :—

ग्रेड	दर (अमरीकी डालर)		मात्रा लाख मीटरी टन में
	जहाज तक निष्प्रभार प्रशान्त सागर से	जहाज तक निष्प्रभार सेंट लारेंस से	
1. कनाडियन वेस्टर्न			
(क) अम्बर डुरूम ग्रेड-1	151.00	147.00	5.25
कनाडियन वेस्टर्न (ख) अम्बर डुरूम	147.50	143:50	
2. कनाडियन वेस्टर्न			
(क) रेड स्प्रिंग ग्रेड-1	151.00	147.00	4.20
कनाडिया वेस्टर्न (ख) रेड स्प्रिंग ग्रेड-2	147.50	143.50	
3. कनाडियन वेस्टर्न			
(क) साफ्ट व्हाइट स्प्रिंग ग्रेड-1	147.50	—	0.60
कनाडियन वेस्टर्न	146.00	—	
(ख) साफ्ट व्हाइट स्प्रिंग ग्रेड-2			
			10.05

प्रशान्त सागर बन्दरगाहो और सेंट लारेंस बन्दरगाहों से जहाज द्वारा भेजी जाने वाली सम्भावित अनुमानित मात्रा के आधार पर अनुमानित भारित औसत लागत भाड़ा बीमा लागत 179.08

अमरीकी डालर अथवा 4657 रु० प्रति मीटरी टन बैठती है। इस मात्रा के लिए कुल अनुमानित विदेशी मुद्रा 188.94 मिलियन अमरीकी डालर बैठती है। अमेरिका की जिस मंडी में जिस हार्ड रेड विंटर गेहूं का व्यापार किया जाता है उसकी तुलना में कनाडियन गेहूं पर काफी प्रीमियम होता है। गेहूं के लिए आर्डर देते समय हार्ड रेड विंटर ग्रेड-II की गेहूं की दर खाड़ी की बन्दरगाहों से जहाज तक निष्प्रभार 153 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के आसपास सूचित की जा रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद लन्दन की रिपोर्ट के अनुसार 19-6-1992 को कनाडियम अम्बर डूरूम ग्रेड-I की गेहूं की दर सेंट लारेंस बन्दरगाह से जहाज तक निष्प्रभार 172 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सूचित की गई थी।

2. **आस्ट्रेलिया** : आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड के साथ क्रमशः 25 अगस्त, 1992 और 8 अक्तूबर, 1992 को प्रत्येक 5-5 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलियन मानक सफेद गेहूं का आयात करने के लिए दो ठेके किए गए थे। पहला ठेका जहाज तक निष्प्रभार 137.50 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन की दर और दूसरा ठेका जहाज तक निष्प्रभार 135 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर आयात करने के लिए किया गया था। आस्ट्रेलियन गेहूं की अनुमानित लागत बीमा भाड़ा लागत 158.50 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा 4121 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है। इसके लिए कुल 159 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित विदेशी मुद्रा अदा करनी होगी। पहले ठेके को अन्तिम रूप देते समय, इस किस्म के आस्ट्रेलियन गेहूं की दर जहाज तक निष्प्रभार लगभग 154 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन बतायी जा रही थी और अमरींकी वेस्टर्न सफेद गेहूं का दाम मेक्सिको खाड़ी की बन्दरगाह से जहाज तक निष्प्रभार लगभग 147 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन था। तथापि, आस्ट्रेलिया से भारत तक समुद्री भाड़ा अमेरिका, कनाडा से समुद्री भाड़े की तुलना में 10 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन कम है। आस्ट्रेलिया व्हीट बोर्ड के साथ दूसरा ठेका करते समय आस्ट्रेलियम मानक सफेद गेहूं का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य 160 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन सूचित किया गया था।

3. **संयुक्त राज्य अमेरिका** : 9.85 लाख मीटरी टन की मात्रा का आयात करने के लिए 6-10-92 को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ ठेके किए गए, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

ग्रेड	मात्रा लाख मीटरी टन में	खाड़ी से अक्तूबर से दिसम्बर, 1992 तक जहाज द्वारा भेजने के लिए जहाज तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन दर अमरीकी डालर में	खाड़ी से जनवरी से मार्च, 1993 तक जहाज द्वारा भेजने के लिए जहाज तक निष्प्रभार प्रति मीटरी टन दर अमरीकी डालर में
1. हार्ड रेड विंटर ग्रेड-II	9.10	110.5	112.5
2. नार्दन स्प्रिंग	0.75	110.5	112.5
	9.85		

उपर्युक्त में से, प्रशान्त सागर की बन्दरगाहों से 25,000 मीटरी टन की मात्रा जहाज द्वारा भेजी जाएगी जिसकी जहाज तक निष्प्रभार दर 118 अमरीकी डालर प्रति मीटर टन है।

अमरीकी गेहूं की अनुमानित लागत बीमा भाड़ा लागत 147 अमरीकी डालर अथवा 3823 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है। इसके लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित विदेशी मुद्रा अदा करनी होगी। खरीदारी करते समय हार्ड रेड विंटर ग्रेड-2 की गेहूं का बाजार मूल्य अक्तूबर में जहाज से भेजने के मामले में खाड़ी की बन्दरगाहों से जहाज तक निष्प्रभार लगभग 143-144 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के रेंज में घट-बढ़ रहा था। संयुक्त राज्य के कृषि विभाग के निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अधीन बोनस का प्रावधान करने के बाद निवल ठेका मूल्य निश्चित किए गए हैं।

(छ) खुले बाजार पर गेहूं के आयात के असर को महसूस किया जाने लगा है। गेहूं का थोक मूल्य सूचकांक जोकि सामान्यतया कमी वाले मौसमों में चढ़ जाता है और जोकि मई के अन्त—अक्तूबर, 1991 के बीच 16 प्रतिशत चढ़ गया था, वह अब इस वर्ष इसी अवधि के दौरान स्थिर चल रहा है।

श्री चित्त बसु : कनाडा, अमेरिका और आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूं की अनुमानित पोत पर्यन्त लागत 526 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होगी। भारत सरकार आज हमारे देश में गेहूं 280 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदती है, जबकि गेहूं का सरकारी मूल्य भिन्न होता है। गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की कीमत 300 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं है।

इन परिस्थितियों में विदेश से इतनी अधिक मात्रा में गेहूं खरीदने से भारत सरकार का क्या औचित्य है जबकि देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है और वह भी उस वक्त जबकि हमारे देश में भुगतान संतुलन की समस्या वास्तविक रूप से चल रही है? क्या मैं जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में इस आयात का क्या औचित्य है?

श्री तरुण गगोई : इसकी पोत पर्यन्त लागत 50174 रुपये प्रति टन है। यह औसत मूल्य है।

जहां तक सरकारी मूल्य की बात है, बाजार में सरकारी मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन हमें आयात का सहारा क्यों लेना पड़ा है। हमें आयात का सहारा इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गयीं थीं।

पिछले वर्ष इसके मूल्य में मई से जून तक 48 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा पिछले वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 1690 लाख टन या लगभग 1700 लाख टन था। यह पिछले वर्ष के 1760 लाख टन के उत्पादन से कम था। जहां तक देश में पिछले चार वर्षों में गेहूं उत्पादन की बात है यह केवल 540 लाख टन रहा है। इस बीच जनसंख्या बढ़ी है और देश में इसकी कुल उपलब्धता को बढ़ाने और उपभोक्ता के हित में हमें गेहूं के आयात का सहारा लेना पड़ा है। अन्यथा यदि हम बाजार मूल्य पर खरीदें तो कीमत बढ़ जाएगी।

पिछले वर्ष हमने यह 225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था लेकिन बाजार मूल्य 440 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया। अतः इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए, उपभोक्ता के हित में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से यह आयात आवश्यक था, ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सके।

श्री चित्त बसु : समाचारपत्रों में यह बात व्यापक रूप से छपी है कि इस वर्ष गेहूं की खरीद-दारी लक्ष्य से कहीं कम हुई है । लक्ष्य 100 लाख टन का था, जबकि देश में अब तक वसूली 77 लाख टन की हुई है । ऐसा सरकार द्वारा गेहूं की कम कीमत देने की वजह से हुआ है । जैसे कि मैंने कहा था यह दर 280 रुपये प्रति क्विंटल है । अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में पर्याप्त गेहूं मौजूद है और इसकी खरीददारी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि कीमत कम रखी गई है । अत: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार देश में गेहूं की खरीददारी बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री तरुण गगोई : यह सच है कि पिछले वर्ष यह खरीददारी कम हुई थी । यह 77 लाख टन नहीं थी बल्कि 77 लाख टन से भी कम थी, वस्तुत: यह 64 लाख टन थी । हमने ये कीमत 50 रुपये के हिसाब से बढ़ायी, पहले कभी न्यूनतम मूल्य में इतनी वृद्धि नहीं की गई थी और हमने सी०ए०सी०पी० की सिफारिश से बढ़कर यह मूल्य रखा है । सी०ए०सी०पी० ने तो केवल 25 रुपये बोनस के रूप में दिए और पंजाब, हरियाणा जैसी राज्य सरकारों ने 5 रुपये और दिये । यह तो स्वैच्छिक था ।

हमारी खाद्य नीति न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है, ताकि किसान विवश होकर कम दामों पर बिक्री न करें । यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । वे बाजार में अपनी गेहूं किसी भी मूल्य पर बेचने को स्वतंत्र हैं । हमने अगली बार भुगतान किए जाने वाली मूल्य का निर्धारण अभी तक नहीं किया है । हम इसमें बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं । हमें इसका मूल्य तो स्वभाविक रूप से बढ़ाना है यह मैं अभी नहीं कह सकता हूं ।

श्री चित्त बसु : मेरा प्रश्न बहुत ही विशिष्ट था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन चरण सेठी ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हें उपभोक्ताओं के हितों को भी देखना पड़ता है । मैं उनसे असहमत नहीं हूं किन्तु सरकार को गेहूं पैदा करने वाले किसानों के हित भी देखने चाहिए । यदि उत्पादन कम होता है तो खरीद रुक जाएगी । वस्तुस्थिति यह है कि किसानों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है । अत: सभी स्थानों पर उन्हें विवशतापूर्वक बिक्री करनी पड़ती है । तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या एक तरफ विदेशी किसानों को विदेशी मुद्रा के साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन में हुई हानि की तुलना में कुछ अधिक भुगतान नहीं किया जाता है ?

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे उपभोक्ताओं द्वारा उचित दर की दुकानों में अदा किए जाने वाले मूल्यों का निर्धारण करते समय देश के किसानों के हित को देखेंगे जिससे कि उत्पादन ठप्प न पड़ सके और लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु चीजों की उपलब्धता बरकरार रहे ? ऐसा नहीं होने से किसानों का नुकसान होता है और उन्हें कोई प्रेरणा-राशि नहीं मिलती है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे विषय-निष्ठ प्रश्न बनाइये, दूसरे लोगों को भी प्रश्न पूछना है ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : यह 25 रुपये की अतिरिक्त राशि ग्रामीण क्षेत्रों (देहात के गांवों) में नहीं दी जाती है। किसानों को वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु क्या माननीय मंत्री प्रशासन को सुदृढ़ बनायेंगे ?

श्री तरुण गगोई : हम किसानों के हितों पर हमेशा ही विचार करते हैं··· **(व्यवधान)** वास्तविक उपभोक्ता मूल्य समिति (सी०ए०सी०पी०) इन सारी बातों की जांच नहीं करती है। यह तो विशेषज्ञों की एक निकाय है जो उत्पादन लागत और उसके अनुपात में भुगतान किए जाने वाले लाभ पर विचार करती है। हम उनकी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उसकी पिछली वर्ष की अनुशंसा को ध्यान में रखकर ही हमने 25 रुपये की अतिरिक्त राशि दी थी। अगले साल भी उसके द्वारा की जाने वाली अनुशंसाओं पर विचार करेंगें।

श्री एस० बी० सिदनाल : सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विदेशी किसानों को यह राशि भुगतान करने का कारण क्या है ? दूसरे, उन्होंने यह बताया है कि जनसंख्या गैरआनुपातिक रूप से बढ़ रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पूर्वानुमान लगाया है कि उत्पादन अपर्याप्त है या यह अपर्याप्त रूप से उपलब्ध है। मैं माननीय मंजी जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में निर्यात के अलावा उन्होंने कौन सी कार्यवाही की है।

श्री तरुण गगोई : सरकार इस स्थिति से भी वाकिफ है। और कृषि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कदम भी उठाया है। गेहूं का उत्पादन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा है जहां इसका उत्पादन संतृप्त बिन्दु पर पहुंच चुका है। इसलिए इसका दायरा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता है अन्यथा उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि गेहूं की कीमत गुड़गांव में 350 रुपए, रायपुर में 550 रुपए और बैंगलोर में 725 रुपए प्रति क्विंटल है, अगर इनको खुले बाजार में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो गेहूं की कीमत पांच रुपए किलो से नीचे होगी। पांच रुपए अस्सी पैसे के भाव पर बाहर से गेहूं मंगाने का क्या उचित कारण है, यह बताइए। आपने कहा कि गेहूं की पैदावार नहीं बढ़ रही है इसलिए बाहर से मगा रहे हैं। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ानी है या गेहूं की पैदावार बढ़ानी है। पिछले पांच-सात वर्षों में अमेरिका के कृषि अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि हिन्दुस्तान कृषि के मामले में हमारा प्रतिद्वन्द्वी होने वाला है। जो आर्थिक नीति हुई है तो उस आर्थिक नीति के अंदर क्या यह मजबूरी है कि आप गेहूं मंगा रहे हैं। अगर मजबूरी नहीं है तो आपने देश के किसानों से खुले बाजार में चार रुपए किलो पर गेहूं क्यों नहीं खरीदा और पांच रुपए अस्सी पैसे के भाव पर बाहर से क्यों खरीदा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने की खातिर हमें उसका आयात करना पड़ रहा है। हमारे पास खाद्यान्न की कमी है, इसलिये हमें आयात करना पड़ रहा है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : क्या यही जवाब ? क्या मेरे प्रश्न का यही जवाब है ?··· **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि

क्या भारतीय गेहूं से इस मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती है या कि सिर्फ विदेशी गेहूं से ही इस मांग की पूर्ति हो सकती है (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपका उत्तर है कि देश में इसकी कमी है। (व्यवधान)

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष जुलाई-अगस्त के महीने में हमारे देश के सभी भागों में लगभग सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस संबंध में प्रति दिन रिपोर्ट आ रही थी। सौभाग्य से सितम्बर में स्थिति में परिवर्तन हुआ और इसमें नाटकीय सुधार हुआ। तो जब जुलाई-अगस्त में सूखे की स्थिति विद्यमान थी और यह एक गंभीर मोड़ ले रही थी तो उस समय सरकार के समक्ष ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था अगर वास्तव में सूखे का भय सत्य निकल आता तो क्या होता। ऐसी ही स्थिति में उन्हीं दिनों एक, दो या तीन मिलियन टन गेहूं का आयात करने के सम्बन्ध में समझौते किये गये थे। इस वर्ष हम अपने आपको बेहतर स्थिति में पाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई और अधिक आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह स्थिति है। यह तो पूर्वानुमान की बात थी... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : ऐसी स्थिति में गेहूं का निर्यात क्यों किया गया... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह तो इसी स्थिति से निपटने हेतु पूर्वानुमान आधारित समय पर लिया गया एक निर्णय था। यह बात और है कि ऐसी स्थिति नहीं आई... (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक चीज जानना चाहता हूं। उन्होंने मई, जुलाई और अगस्त के महीनों में एक वक्तव्य दिया था कि सरकार ने सूखे की स्थिति का पूर्वानुमान करते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया था। यही उनका मुख्य मुद्दा है। लेकिन यह पूर्वानुमान तो दस लाख टन गेहूं के लिये किया गया था। दो मिलियन टन अतिरिक्त गेहूं के आयात करने का निर्णय बहुत बाद में लिया गया था जब बरसात स्पष्टतया शुरू हो चुकी थी और सूखे की स्थिति समाप्त हो गई थी। हम खुश हो रहे थे। उस समय कोई समस्या नहीं थी जब 20 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त अनुबन्ध किया गया था। (व्यवधान) यह तो बाद में किया गया था। ऐसा अक्टूबर माह में किया गया था जबकि बरसात शुरू हो चुकी थी और सूखे की कोई स्थिति नहीं थी। इसलिये उनकी इस बात में कोई दम नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे वास्तविक कारण कुछ और था। ... (व्यवधान)

श्री तरुण गगोई : खरीददारी अक्तूबर में की गई थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अक्तूबर में किसी प्रकार का अनुबन्ध क्योंकर किया गया ?

श्री तरुण गगोई : 6 मिलियन टन गेहूं उपलब्ध था और हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु हमें 9 मिलियन टन गेहूं की जरूरत थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने हेतु हमें 3 मिलियन टन गेहूं का आयात करना पड़ा।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज इस विषय पर बहस कराइये, यह प्रश्नकाल में हल नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

12.00 म०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

* 3. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
प्रो० के० वी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में जोन-वार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) उनके प्रमुख कारण क्या-क्या थे ;

(ग) उन दुर्घटनाओं में जोन-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए और रेलवे को कुल कितनी क्षति हुई ;

(घ) तोड़-फोड़ के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ङ) दुर्घटना के शिकार लोगों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार का देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) अप्रैल, 92 से अक्तूबर, 92 (पिछले सात महीनों) के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की जोन-वार संख्या, उनके कारण, हताहतों—मृत, घायल व्यक्तियों की संख्या, रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का मूल्य और तोड़-फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाएं नीचे दी गई हैं :—

	क्षेत्रीय रेलें								
	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वी	पू० सी०	दक्षिण	द०म०	द०पू	पश्चिम
(क) गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	41	27	36	26	35	27	35	60	36
(ख) (1) रेल कर्मचारियों की गलती	29	17	18	19	6	13	17	61	21
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	4	1	6	5	—	2	5	5	6
(3) उपस्कर की खराबी									
(क) यांत्रिक	3	3	2	2	2	3	2	2	3
(ख) रेलपथ	1	—	—	—	—	—	4	—	—
(4) तोड़-फोड़	2	—	1	—	—	1	—	2	1
(5) आकस्मिक	1	1	2	—	—	1	—	2	4
(6) कारण सिद्ध नहीं हो सका	1	—	2	—	—	—	—	—	1

	क्षेत्रीय रेलें								
	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वो	पू० सी०	दक्षिण	द०म०	द०पू००	पश्चिम
(7) मिले-जुले कारण	—	2	—	—	—	—	—	—	1
(8) जांच के अधीन	—	3	6	—	26	8	3	2	—
(ग) (1) मारे गये व्यक्तियों की संख्या	34	12	35	17	—	4	31	44	14
(2) घायल व्यक्तियों की संख्या	70	50	103	31	18	4	110	92	23
(3) रेल सम्पत्ति की हानि (लाख रुपयों में)	662	111.5	110	76.7	8.33	7.70	162.5	493	110
(घ) तोड़-फोड़ के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या	2	—	1	—	1	—	3	1	—

(ङ) मई से अक्तूबर, 1992 के महीनों के दौरान, दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को 4,28,750 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(च) भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए नीचे लिखे निवारक उपाय किये जाते हैं :—

(1) मानवीय तत्व, जो भारतीय रेलों पर होने वाली लगभग दो-तिहाई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, की सहायता के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग।

(2) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार।

(3) संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन और बार-बार निरीक्षण।

(4) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों, आदि नाजुक संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर नजर रखना।

(5) परिचालनिक कोटियों में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक जांच तथा गहन प्रशिक्षण।

(6) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने के विरुद्ध आकस्मिक जांच।

(7) बिना चौकीदार वाले समपारों में पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं में कमी करने के उपाय

(1) समपारों में पहुंच-मार्गों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था।

(2) सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों के लिए समपारों पर दृश्यता में सुधार।

(3) समपारों के बरते जाने वाले एहतियातों के संबंध में सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन और रेडियो सहित जनप्रचार साधनों के जरिये शैक्षणिक अभियान चलाना।

(4) मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए, राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त जांच करना।

गाड़ियों में आग की रोकथाम

(1) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाना।

(2) रेल कर्मचारियों को गैस कटिंग सिलिंडर आदि ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने से रोकना।

(3) ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने के खतरों के बारे में जनता को जोरदार प्रचार के माध्यम से चेतावनी।

(4) ज्वलनशील अथवा विस्फोटक सामग्री ले जाने के विरुद्ध आकस्मिक जांच।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय संकट

*4. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने विश्वविद्यालयों की शोचनीय वित्तीय स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली के कालेजों को उनके अनुरक्षण व्यय के लिए वि० अ० आ० के योजनेत्तर बजट का एक प्रमुख हिस्सा उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता संबंधी मौजूदा कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, 1992-93 के दौरान सभी मंत्रालयों, विभागों तथा स्वायत्त निकायों के योजनेत्तर व्यय को पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय किया गया है। इससे वि० अ० आ० और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर संसाधन कठिनाईयों का दबाव पड़ा है।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने वि० अ० आ० के अध्यक्ष और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ जुलाई, 1992 में विचार-विमर्श किया, ताकि उनके सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने संबंधी उपायों पर विचार किया जा सके। इन विचार-विमर्शों के आधार पर सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वि० अ० आ० के अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का सिद्धांत रूप से निर्णय किया है ताकि वह इन संस्थाओं की अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी कर सकें।

चल-स्टाक संबंधी प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव

*5. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को किसी विदेशी निर्माता से चल-स्टाक (रेल डिब्बे/इंजिन आदि) के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि इनका अपने देश में ही उत्पादन हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई निविदाओं से संबद्ध हैं। वे निम्नलिखित के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के संबंध में हैं :—

(1) आधुनिक सवारी डिब्बे।

(2) उच्च अश्व शक्ति वाले डीजल रेल इंजन।

(3) 6000 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों के लिए डी० सी० मोटर और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए थाइरिस्टर प्रौद्योगिकी के बारे में मैसर्स ए० एस० ई० ए०/स्वीडन से।

(4) 6000 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों के लिए डी० सी० मोटर और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए थाइरिस्टर प्रौद्योगिकी के बारे में मैसर्स सुमीतोमो/जापान से।

(5) 6000 अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों के लिए एसिंक्रोनस मोटर और रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए 3-फेज प्रौद्योगिकी के बारे में मैसर्स ए० बी० बी०, स्विटजरलैंड से।

जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी

***6. प्रो० प्रेम धूमल :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जल प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समय कोई अनुसंधान जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने का कार्य कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिक्स तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण में प्रदूषण भार को कम करने के लिए उद्योगों से यह अपेक्षित है कि वे उपलब्ध सर्वोत्तम व्यावहारिक प्रौद्योगिकी विशेषकर स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास एवं अनुप्रयोग करें जिनसे बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं अथवा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं। जबकि किसी विशेष प्रणाली या नियंत्रण प्रौद्योगिकी के आयात करने की सरकार की कोई योजना नहीं है, उद्योग संबंधित प्रौद्योगिकियां आयात कर सकते हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियर्स अनुसंधान संस्थान, नागपुर इस समय जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बायो-मैथानेशन सहित विभिन्न जैव-प्रौद्योगिकीय प्रणालियों पर अनुसंधान करने तथा उनका विकास करने में लगा हुआ है। केन्द्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास और भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद जैसे अन्य संस्थान भी क्रमशः कागज और लुगदी, चर्मशोधन, क्लोरएल्कली उद्योगों से संबंधित नियंत्रण प्रौद्योगिकी के विकास में लगे हुए हैं।

गंगा सफाई कार्य योजना

***7. श्री वीर सिंह महतो :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा सफाई कार्य योजना के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) क्या सरकार ने गंगा सफाई कार्य योजना के दूसरे चरण के कार्य का ब्यौरा तैयार कर लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) गंगा सफाई कार्य योजना के पहले और दूसरे चरण के कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त द्विपक्षीय/तकनीकी/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत संस्वीकृत की गई 261 स्कीमों में से अब तक 192 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। विवरण-1 जिसमें स्कीम-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है, को सदन के पटल पर रखा गया है। शेष 69 स्कीमें पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। इसमें से अधिकांश स्कीमों के वर्ष 1993-94 के दौरान तथा शेष के वर्ष 1994-95 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(च) विवरण-2, जिसमें गंगा कार्य योजना के पहले चरण के लिए प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा दिया गया है, सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण-1

विषय : गंगा कार्य योजना

पूरी की गई स्कीमों के प्रकार एवं राज्य

(1-10-1992 तक)

स्कीमों के प्रकार	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिमी बंगाल	कुल
1	2	3	4	5
1. **सीवेज अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की स्कीमें**				
(क) पूरी की गई स्कीमें	31	15	14	60
(ख) चल रही स्कीमें	9	2	27	28
(ग) कुल—1	40	17	31	88

1	2	3	4	5
2. सीवेज उपचार संयंत्र				
(क) पूरी की गई स्कीमें	6	0	1	7
(ख) चल रही स्कीमें	7	7	14	28
(ग) कुल—2	13	7	15	35
3. आप लागत स्वच्छता की स्कीमें				
(क) पूरी की गई स्कीमें	11	7	22	40
(ऊ) चल रही स्कीमें	3	0	0	3
(ग) कुल—3	14	7	22	43
4. विद्युत शवदाहगृह				
(क) पूरी की गई स्कीमें	2	7	15	24
(ख) चल रही स्कीमें	1	1	2	4
(ग) कुल—4	3	8	17	28
5. नदी तटाग्र की स्कीमें				
(क) पूरी की गई स्कीमें	7	3	24	34
(ख) चल रही स्कीमें	1	0	0	1
(ग) कुल—5	8	3	24	35
6. अन्य स्कीमें				
(क) पूरी की गई स्कीमें	23	3	1	27
(ख) चल रही स्कीमें	5	0	0	5
(ग) कुल—6	28	3	1	32
कुल				
(क) पूरी की गई किस्में	80	35	77	192
(ख) चल रही स्कीमें	26	10	43	69
(ग) कुल	106	45	110	261

विवरण-2

क्र०सं०	सहायता का स्रोत	धनराशि	टिप्पणी
1.	विश्व बैंक	25 मिलियन एस०डी०आर० (86.26 करोड़ रुपए के बराबर)	उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिकता प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए।
2.	नीदरलैंड सरकार	डच गिल्डर 50 मिलियन (60 करोड़ रु० के बराबर)	कानपुर एवं मिर्जापुर में समन्वित स्वच्छता परियोजना के लिए।
3.	यूनाइटेड किंगडम सरकार का ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन	केवल तकनीकी सहायता	गंगा कार्य योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक निवेश।

[हिन्दी]

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा किया गया पूंजी निवेश

*8. **श्री नीतिश कुमार :**

डा० महावीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम ने अपनी बड़ी धनराशि का निवेश इस समय देश में चल रही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में कर रखा है ;

(ख) यदि हां, तो निगम ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में कितनी-कितनी धनराशि जमा कर रखी है और उन संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इन वित्तीय संस्थाओं ने इस जमा राशि को निगम को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं लौटाया है ;

(घ) यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में हुए समझौते को पूरा नहीं किया है ;

(ङ) क्या विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अब भी सरकार को भारी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन वित्तीय संस्थाओं से इस धनराशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) **शेष राशि में से** 55.85 **करोड़** रुपये अभी लौटाए जाने शेष हैं।

(घ) मैसर्स कैनबैंक फाइनेंनशियल सर्विसेज लि० ।

(ङ) जी, हां ।

(च) इस मामले को मैसर्स कैनबैंक फाइनेंनशियल सर्विसेज लि०, केनरा बैंक तथा वित्त मंत्रालय के साथ पहले ही उठाया गया है ।

विवरण

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों में 31-10-1992 की स्थिति के अनुसार किये गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. इण्डियन बैंक/इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि०	109.72
2. कैनबैंक फाइनेंनशियल सर्विसेज लि०	446.17
3. स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	29.70
4. विजया बैंक	0.10
5. इण्डबैंक म्यूचुअल फण्ड	10.00
6. कैनबैंक म्यूचुअल फण्ड	285.00
7. एस० बी० आई० म्यूचुअल फण्ड	19.00
8. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	25.00
	9·24.69

उड़ीसा में रेलवे स्टेशन

*9. श्री श्रीकान्त जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा मे विभिन्न रेलवे जोनों के किन-किन मुख्य रेलवे स्टेशनों का गत दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण/विस्तार किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई थी और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण/विस्तार का कार्य शुरू हो गया है तथा इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ; और

(ङ) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है तथा वहां यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उड़ीसा में गत दो वर्षों के दौरान जिन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	निर्यात की गई खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	खोरधा रोड	9.00
2.	भुवनेश्वर	10.00
3.	कटक	12.00
4.	पुरी	9.00
5.	भद्रक	30.00
6.	राऊरकेला	10.00
7.	ब्रह्मपुर	5.00
8.	बालासौर	8.00
9.	मुसब्बपुर	13.00
10.	काजुपाड़ा घाट	6.00
11.	मंचेश्वर	6.00

(ग) और (घ) निम्नलिखित स्टेशनों के आधुनिकीकरण/विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। इनकी अनुमानित लागत, 1992-93 में किया गया आबंटन तथा इनके पूरा होने की लक्ष्य तिथि नीचे प्रत्येक के सामने दर्शाई गई है :—

क्रम सं०	स्टेशन	लागत	1992-93 में आबंटन (आंकड़े लाख रुपये में)	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	भुवनेश्वर	174.00	131.91	मार्च, 1994
2.	जाजपुर क्योंझर रोड	13.00	10.30	मार्च, 1993
3.	वाणीविहार	2.00	2.00	— वही —
4.	लिंगराज मंदिर	2.00	2.00	— वही —
5.	तालचेर थर्मल	2.00	2.00	मार्च, 1993
6.	घंटीखल निधिपुर	5.00	3.00	— वही —

1	2	3	4	5
7.	पुरी	4.00	2.00	मार्च, 1983
8.	रूपड़ा रोड	6.00	3.00	मार्च, 1994
9.	नोर्ला रोड	6.00	3.00	— वही —
10.	लांजीगढ़ रोड	3.00	3.00	— वही —
11.	बोलांगीर	17.00	10.00	मार्च, 1993
12.	जलेश्वर	4.00	2.00	मार्च, 1994
13.	भद्रक	21.00	5.00	मार्च, 1993
14.	कटक	20.00	3.00	— वही —
15.	राऊरकेला	50.00	37.00	— वही —
16.	धान मंडल	14.00	4.00	— वही —
17.	मंचेश्वर	6.00	1.00	— वही —

(ङ) राऊरकेला में कंप्यूटर की सुविधा जुटाने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है और इसे मार्च, 1994 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए सहायता

*10. **श्री राम बदन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कायक्रम को प्रभावी बनाने हेतु वित्तीय सहायता के लिये अमरीका की एजेंसी यू० एस० ई० डी० के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त धनराशि के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में 32.5 करोड़ अमरीकी डालर की कुल सहायता के बारे में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू०एस०एड०) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन को बढ़ावा देकर परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना।

(ख) गर्भनिरोधक विधियों के विकल्प का विस्तार करके तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण और कुशलता को बढ़ाकर उनकी तकनीकी क्षमता में सुधार लाकर परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(ग) नेतृत्व करने वाले वर्गों के अधिक समर्थन से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन के लाभों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाना।

आशा है कि परियोजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन क्षमता दर 5.4 से घटकर 4 हो जाएगी और दम्पती सुरक्षा दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगी।

इस परियोजना के अंतर्गत धन के उपयोग के बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे को वैगनों की सप्लाई

*11. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे को, सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितने वैगन दिये गये तथा 1991 के अंत में इसके पास कितने वैगन थे;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के पास उपलब्ध वैगनों की संख्या में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे की कार्यशाला में मरम्मत के लिए कितने वैगन भेजे गये और इनमें से कितने वैगनों की मरम्मत की गई तथा जून, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने वैगनों को उपयोग में न आने योग्य घोषित किया गया; और

(ङ) पूर्वोत्तर रेलवे को आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वैगन उपलब्ध कराने और माल यातायात के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 1991 के अन्त में, पूर्वोत्तर रेलवे पर माल डिब्बों (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) की धारिता का दैनिक औसत लक्ष्य और वास्तविक धारिता नीचे बताई गई है। कम मांग होने के कारण, मीटर लाइन के माल डिब्बों की धारिता में कमी हुई है :—

सातवीं पंचवर्षीय योजना

आमान	लक्ष्य	धारिता
बड़ी लाइन	3880	4666
मीटर लाइन	13200	16098
1991 के अन्त में (दिसम्बर, 1991)		
बड़ी लाइन	3800	6601
मीटर लाइन	11500	12012

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे पर केवल मीटर लाइन के माल डिब्बों के लिए ही कारखाने हैं, जून, 1992 की स्थिति नीचे दी गई है :—

	(चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)
प्राप्त हुए माल डिब्बों की संख्या	577
मरम्मत किये गये माल डिब्बों की संख्या	592
नाकारा किये गये माल डिब्बों की संख्या	25

(ङ) माल डिब्बों की खरीद की योजना समूची भारतीय रेलों के लिए बनाई जाती है, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की जरूरतें इस सामान्य पूल से ही पूरी की जाती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़ी लाइन के 1,20,000 माल डिब्बों की खरीद की योजना है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। मीटर लाइन का कोई और माल डिब्बा नहीं खरीदा जायेगा। पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य रेलों पर, जहां आमान परिवर्तन की योजना बनाई जाएगी, मीटर लाइन के फालतू माल डिब्बे अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होंगे।

चमड़ा उद्योगों द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण

*12. **डा० रमेश चन्द तोमर :**

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अशोधित चमड़ा उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विदेशी सहायता मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार सहायता से किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने चमड़ा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पहले से ही अनेक उपाय किये हैं। किए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत चर्मशोधन कारखानों के लिए बहि:स्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) चर्मशोधन कारखानों सहित उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरण दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं;

(3) बहि:स्रावों के विसर्जन को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए चर्मशोधन कारखानों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें;

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से, बहिस्राव मानकों के पालन के लिए लघु उद्योगों के समूहों के लिए एक अधिसूचना जारी की है;

(5) चर्मशोधन कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने तथा इन कारखानों को भीड़भाड़ के स्थानों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(6) चर्मशोधन कारखानों सहित औद्योगिक मुहानों से निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है; और

(7) केन्द्र और राज्य सरकारों ने सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने में चर्मशोधन कारखानों की सहायता करने के लिए उन्हें राजसहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना, जो नवम्बर 1991 से शुरू की गई थी, के तहत केन्द्र और राज्य सरकार सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए, चर्मशोधन कारखानों सहित लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को राजसहायता और ऋण प्रदान करती है। अलग-अलग मंझली और बड़ी औद्योगिक इकाइयां जिनमें चर्मशोधन कारखाने भी शामिल हैं, इस स्कीम के तहत प्रदूषण उपशमन प्रणालियों की व्यवस्था करने के लिए ऋण लेने की पात्र हैं। यूनिडो ने "बेहतर पर्यावरणीय और मानव संसाधन विकास के लिए चमड़ा उत्पाद उद्योगों के लिए कार्यक्रम" पर एक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। उपर्युक्त परियोजना के पहले चरण में यूनिडो भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में चर्मशोधन कारखानों के बहिस्रावों के शोधन में प्रारंभिक सहायता हेतु मदद देगा।

भारत-डच द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के तहत, चर्मशोधन कारखानों के अपशिष्ट जल में घरेलू अपशिष्ट जल मिलाकर उसके सोधन के लिए जजमाऊ, उत्तर प्रदेश में एक सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। यह स्कीम 1993 में पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक घोल

*13. श्री गुरुदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन रक्षक घोल बनाने के बारे में एक फार्मूले का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन रक्षक घोल बनाने वाले भारतीय निर्माता उक्त फार्मूले को अपना रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में मानक फार्मूले के अनुरूप जीवन रक्षक घोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जीवन रक्षक घोल (ओ०आर०एस०) के भारतीय विनिर्माता इंडियन फार्मेकोपिया में उल्लिखित इसके मिश्रणों के अनुसार जीवन रक्षक घोल तैयार करते हैं। इंडियन फार्मेकोपिया में जीवन रक्षक घोल के तीन फार्मूले हैं जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का फार्मूला भी शामिल है। अनुमोदित तीन फार्मूलों में से दो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार हैं। तीसरे फार्मूले की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मू-उधमपुर रेल लाइन

*14. श्री मदन लाल खुराना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से उधमपुर के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य 1982 से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए आवंटित की गई धनराशि अपर्याप्त है जिसके कारण इस परियोजना की प्रगति बहुत धीमी गति से चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा कीमतों के आधार पर 200 करोड़ रुपये।

(ग) सुरंगों/सेतु और पुलों वाला दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एवं योजना आयोग द्वारा नई लाइनों के लिए हर साल सीमित धन उपलब्ध कराए जाने के कारण प्रगति धीमी है।

(घ) इस परियोजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए, चालू वर्ष के परिव्यय को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयों का कार्य-निष्पादन

*15. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड परिक्षाओं में बैठने वाले नवोदय विद्यालयों के छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने छात्र पास हुए;

(ग) साठ प्रतिशत एवं इससे अधिक नम्बर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार नवोदय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन स्कूलों में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं; को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान करना है जिसमें प्रबल सांस्कृतिक पहलू, मूल्यों की स्थापना, पर्यावरण संबंधी जागरूकता तथा शारीरिक शिक्षा शामिल है, विद्यालयों का कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है।

विवरण

नवोदय विद्यालयों के परीक्षा-परिणाम

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 1991 और 1992 के दौरान नवोदय विद्यालयों में बैठने वाले तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	कक्षा	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
1991	XI	4833	4629	2600
	XII	शून्य	शून्य	शून्य
1992	XI	10920	9752	4271
	XII	112	85	51

नदी प्रदूषण

*16. **श्री विजय एन० पाटील** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की प्रमुख नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी-सफाई योजना प्रारम्भ करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में नदियों के ऐसे प्रदूषित भागों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूरी परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(घ) क्या राज्य सरकारें भी परियोजना लागत का कुछ हिस्सा वहन करेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अभिनिर्धारित किए गए कुछ प्रमुख नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में विवरण तैयार किया जा रहा है। इस कार्य योजना का अनुमोदन हो जाने पर केन्द्र एवं संबंधित राज्यों के बीच 50 : 50 की लागत के आधार पर इसे हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में गैर-कानूनी ढंग से जंजीर खींचा जाना

*17. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में पिछले छः महीनों के दौरान जंजीर खींचने की ऐसी कितनी घटनाएं हुईं, जो कानूनन ठीक नहीं थीं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनसे कितनी धनराशि दण्ड के रूप में वसूल की गयी;

(ग) क्या सरकार ने जंजीर खींचने की ऐसी घटनाओं रोकने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1991 के दौरान, अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने के 1.55 लाख मामलों की सूचना मिली थी।

(ख) इस अवधि के दौरान 656 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और न्यायिक जुर्माने के रूप में उनसे 50,976 रुपये वसूल किए गए थे।

(ग) और (घ) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें समय-समय पर अचानक जांच करना, अलग-अलग माध्यमों के जरिये प्रचार अभियान चलाना, नये रेल अधिनियम में निवारक शास्तियों का समावेश करना और बुरी तरह प्रभावित गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरणों को निष्क्रिय करना शामिल है।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

*18. **श्री प्रवीन डेका** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में शिशु मृत्यु-दर बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में शिशु मृत्यु-दर अधिक है उनमें इसे कम करने के लिए किये गए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) शिशु मृत्यु-दर लगातार घट रही है। भारत के महापंजीयक के उपलब्ध नवीनतम आकलनों के अनुसार यह दर पिछले वर्ष में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 91 से घट कर 1990 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 80 रह गई थी। राज्यवार शिशु मृत्यु-दर को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध के रूप में दिया गया है।

(ख) बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने पर केन्द्रित किये गए कार्यक्रमों में व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम, मुखीय पुनर्जलपूर्ति, चिकित्सा, महिलाओं के लिए रक्ताल्पता रोग निवारण और निरापद प्रसव विधियों को बढ़ावा देना शामिल है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 1995 तक प्रसवपूर्व टेटनस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जो रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के पहले नवजातों और शिशुओं की मृत्यु का एक प्रमुख कारण था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सन् 2000 ईसवी तक पोलियो का उन्मूलन और खसरे और अन्य वैक्सीन-निवार्य रोगों पर नियंत्रण करना भी है।

जलक्षीणता से होने वाली मौतों के निवारण हेतु बनाए गए मुखीय पुनर्जलपूर्ति उपचार से सन् 2000 ईसवी तक पांच से कम आयु वाले बच्चों में अतिसार से होने वाली मौतों के 70 प्रतिशत कम होने की आशा है।

बच्चों में न्यूमोनिया से होने वाली मौतों की रोकथाम उपकेन्द्रों तक उपचार सुविधाएं प्रदान करके 51 जिलों में शुरू की गई है।

गर्भवती महिलाओं में होने वाली रक्ताल्पता के कारण असामयिक प्रसव और कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता का रोग निवारण एक प्रमुख उपचार है और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।

पारस्परिक दाइयों का प्रशिक्षण, प्रयोग के बाद फेंके जाने वाले प्रसव किटों की आपूर्ति, गर्भावस्थाओं के मामलों का शुरू में पंजीकरण कराने को बढ़ावा देने हेतु दाइयों की रिपोर्टिंग फीस को बढ़ाना देश में शिशु मृत्यु-दर को कम करने के अन्य उपाय हैं।

उपस्करों और कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित अतिरिक्त संसाधन उच्च शिशु मृत्यु-दर वाले असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण

शिशु मृत्यु-दर

(1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या)

क्रम सं०	राज्य	1981	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	86	81	70
2.	आसाम	106	91	76
3.	बिहार	118	91	75

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	116	86	72
5.	हरियाणा	101	82	69
6.	हिमाचल प्रदेश	71	74	69
7.	जम्मू और कश्मीर	72	69	70
8.	कर्नाटक	69	80	70
9.	केरल	37	22	17
10.	मध्य प्रदेश	142	117	111
11.	महाराष्ट्र	79	59	58
12.	उड़ीसा	135	122	122
13.	पंजाब	81	67	61
14.	राजस्थान	108	96	84
15.	तमिलनाडु	91	68	59
16.	उत्तर प्रदेश	150	118	99
17.	पश्चिम बंगाल	91	77	63
	अखिल भारतीय	110	91	80

गन्ना उत्पादकों के लिए भार्गव फार्मूले में संशोधन करना

*19. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की खुली बिक्री से प्राप्त होने वाली अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का एक भाग गन्ना उत्पादकों को देने के लिए भार्गव फार्मूला बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो जिस समय यह फार्मूला बनाया गया था उस समय लेवी चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी का अनुपात क्या था;

(ग) इस समय लेवी चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी का अनुपात क्या है;

(घ) क्या सरकार का गन्ना उत्पादकों को अपेक्षाकृत अधिक भाग देने के लिए इस फार्मूले में कोई संशोधन करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इस फार्मूले को कब से लागू किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5-क के उपबंधों के अधीन, इस आदेश के अधीन निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा, गन्ना उत्पादकों को इस आदेश की दूसरी अनुसूची में दिये गए फार्मूले (जोकि भार्गव फार्मूले के नाम से विख्यात है) के अनुसार गन्ने का अतिरिक्त मूल्य देय होता है। भारत सरकार प्रत्येक चीनी वर्ष के लिए चीनी के उत्पादन की यूनिट लागत के जोनवार आंकड़ों की घोषणा करती है। चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित कुल चीनी के वास्तविक बिक्री मूल्य और उत्पादित चीनी के उत्पादन की यूनिट लागत के आधार पर संगणित मूल्य के बीच अन्तर के द्योतक अधिशेष को चीनी फैक्ट्रियों और गन्ना उत्पादकों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाना होता है।

(ख) जब इस फार्मूले को कार्यान्वित किया गया था तब 1974-75 मौसम के दौरान लेवी चीनी और मुक्त बिक्री की चीनी के बीच 65 : 35 का अनुपात था।

(ग) इस समय लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी का अनुपात 45 : 55 है।

(घ) से (च) फिलहाल इस फार्मूले में परिवर्तन करने के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हिमालय में पर्यावरण संरक्षण

*20. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

डा० असीम बाला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की अंधाधुन्ध कटाई तथा वायु एवं जल प्रदूषण के कारण हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण-संतुलन बिगड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या पर्यावरणविदों ने भी इस प्रकार की मांगें की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ङ) हिमालय क्षेत्र में वनों का अंधाधुन्ध कटाई नहीं हुई है। भू-दृश्य प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 और 1989 में क्रमशः 1981-83 और 1985-87 के संबंध में किये गए मूल्यांकन के दौरान हिमालय क्षेत्र में वास्तविक वन क्षेत्र 1,87,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,94,161 वर्ग किलोमीटर हो गया। वायु और जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सीमित औद्योगिकीकरण हुआ है।

हिमाचल क्षेत्र के पर्यावरण के परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं :—

(1) वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया। (2) राज्य सरकार को कहा गया है कि वह 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाए; (3) भोगाधिकार के आधार वनों की सुरक्षा में ग्राम समुदाय को शामिल करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश भी जारी किये गए हैं; (4) सरकार ने भारतीय हिमालय में प्राकृतिक वन संसाधनों के प्रबन्धन और सतत् विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के एक स्वयत्तशासी संगठन के रूप में गोविन्द वल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास के संस्थान की स्थापना; (5) पहाड़ी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश) को विशेष श्रेणी के राज्यों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और उन पहाड़ी जिलों, जिन्हें पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है, को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत श्रेणी राज्यों के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ये पहाड़ी जिले इस प्रकार हैं : असम के दो जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का मुख्य हिस्सा। इन तीन राज्यों को पहाड़ी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

सरकार को इस क्षेत्र तथा विभिन्न पर्यावरणविदों और एजेंसियों का पर्यावरणीय समस्याओं तथा चिन्ताओं के बारे में जानकारी है। विभिन्न कार्यक्रमों में वृद्धि करने और उन्हें प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गोविन्द वल्लभ पन्त संस्थान को एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है जिसमें पर्यावरण और विकास संबंधी विभिन्न समस्याओं और इनको दूर करने की कार्रवाई व्यापक रूप में प्रक्षेपित की जानी चाहिए। क्षेत्र के पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय कारकों, संसाधन उपलब्धता और सामाजिक आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समन्वित विकास के लिए हिमालय के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए डा० एस० जेड० कासिम, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेष दल का भी गठन किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के स्मारकों की सुरक्षा

1. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में स्मारकों तथा धार्मिक स्थलों को संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों के नाम क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार प्रत्येक स्मारक पर व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक स्मारकों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव, संरक्षण और परिरक्षण करता है; जो उनकी वास्तविक मान्यताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होता है, न कि उनके धार्मिक संबंधों के आधार पर।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, संरचनात्मक मरम्मत-कार्य के लिए संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल संलग्न विवरण "क" पर दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, स्मारक-वार हुआ व्यय संलग्न विवरण "ख" पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्मारकों के संरक्षण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा जब भी आवश्यकता प्रतीत होती है, और स्मारकों को भी शामिल किया जाता है।

विवरण-क

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान संरचनात्मक मरम्मत कार्य के लिए संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है

1. अकबर का मकबरा, सिकन्दरा, आगरा
2. फतेहपुर सीकरी परिसर
3. ताजमहल परिसर, आगरा
4. आगरा किला
5. जामा मस्जिद, आगरा
6. मंदिरों एवं शिलालेखों के समूह, गोपेश्वर
7. जोगेश्वर मंदिरों के समूह
8. राम बाग स्थित स्मारक, आगरा
9. एत्माद-उद्दौला मकबरा, आगरा
10. अहिछत्र स्थित उत्खनित स्थल
11. खुदागंज स्थित सराय, फर्रुखाबाद
12. असफुद्दौला इमामबाड़ा, लखनऊ
13. रेजीडेंसी, लखनऊ
14. झांसी किला

15. पिपरहवा उत्खनित स्थल
16. श्रीवस्ती स्थित उत्खनित स्थल
17. कैदगंज कब्रिस्तान, इलाहाबाद
18. कलिंजर किला
19. खुसरो बाग द्वार, इलाहाबाद
20. कौशाम्बी उत्खनित स्थल
21. श्रृंगवेरपुर स्थित उत्खनित स्थल
22. तालबेहट स्थित किला
23. कारवी स्थित तालाब के मध्य में मन्दिर
24. गुलाब बाड़ा, फैजाबाद
25. खजुआ स्थित औरंगजेब पैवेलियन
26. जामा मस्जिद हुसैनाबाद, लखनऊ
27. सिकन्दराबाद द्वार, लखनऊ
28. साहेत स्थित उत्खनित स्थल
29. शैलकृत 24 जैन तीर्थंकर, महोबा
30. कीरत सागर, महोबा
31. देवगढ़ स्थित गुप्ता मन्दिर
32. कचहरी कब्रिस्तान, कानपुर
33. बेहटाबुर्ग स्थित जगन्नाथ मन्दिर
34. रानी लक्ष्मी बाई महल, झांसी
35. महादेव बाबा मन्दिर, परौला
36. दुधारी स्थित स्मारक
37. लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर
38. वाराणसी स्थित राजा मानसिंह वेधशाला
39. उत्खनित अवशेष, भितरी
40. बुद्ध अवशेष तथा निर्वाण स्तूप, कुशीनगर
41. पुराना किला, जौनपुर
42. सारनाथ स्थित स्मारक

विवरण-ख

क्रम सं०	स्मारकों के नाम	जिला	व्यय 1991-92
1	2	3	4
1.	अकबर का मकबरा सिकन्दरा	आगरा	18,42,702.00
2.	फतेहपुर सीकरी परिसर	आगरा	8,64,289.00
3.	राम बाग, आगरा	आगरा	73,502.00
4.	कब्रिस्तान, आगरा	आगरा	68,390.00
5.	सादिक खान सलाबत खान मकबरा, आगरा	आगरा	35,546.00
6.	ईदगाह, आगरा	आगरा	18,660.00
7.	इत्माद-उद्-दौला, आगरा	आगरा	0,963.003
8.	खाने आलम नर्सरी	आगरा	10,789.00
9.	मरियम मकबरा, आगरा	आगरा	1,35,143.00
10.	लक्ष्मी नारायण मन्दिर, तल्लीहाट	अल्मोड़ा	20,138.00
11.	तल्लीहाट स्थित रक्ष देवल मन्दिर	अल्मोड़ा	13,120.00
12.	नारी की गुम्बज की दरगाह, बदायूं	बदायूं	1,52,327.00
13.	मकबरा, बदायूं	बदायूं	1,52,365.00
14.	मखदूम जहां, अलाउद्दीन आलम की मां का मकबरा, बदायूं	बदायूं	1,16,075.00
15.	खुदा गजस्थित मस्जिद एवं सराय	फर्रुखाबाद	1,77,360.00
16.	कन्नौज स्थित मस्जिद एवं मखदूम जहांनिया का मकबरा	फर्रुखाबाद	1,41,864.00
17.	चम्पावत स्थित बालेश्वर मंदिर	पिथौरागढ़	59,154.00
18.	उत्खनित स्थल, जगतग्राम	देहरादून	34,556.00
19.	आगरा मथुरा रोड पर कोस मीनार एवं छोटी छतरी	आगरा	28,907.00
20.	बादशाही बाग सहारनपुर स्थित बादशाही महल	सहारनपुर	5,371.00
21.	जामा मस्जिद, आगरा	आगरा	1,54,749.00
22.	किला परिसर, आगरा	आगरा	4,72,372.00

1	2	3	4
23.	ताज महल परिसर	आगरा	9,51,022.00
24.	गोविन्द देव मंदिर, वृन्दावन	मथुरा	23,948.00
25.	असफुदुला का इमामबाड़ा, लखनऊ	लखनऊ	3,83,526.00
26.	जामा मस्जिद हुसेनाबाद, लखनऊ	-वही-	37,489.00
27.	दिलकुश महल स्थित स्मारक, लखनऊ	-वही-	2,83,473.00
28.	सिकन्दराबाद गेट, लखनऊ	-वही-	39,996.00
29.	अजमद अली शाह मकबरा, लखनऊ	-वही-	20,122.00
30.	सावत अली खान मकबरा	-वही-	98,575.00
31.	रेजीडेंसी लखनऊ	-वही-	5,25,910.00
32.	लखनऊ स्थित काजमैनी भवन	-वही-	25,818.00
33.	बिबियापुर हाउस, लखनऊ	-वही-	65,125.00
34.	मुशीर जादी मकबरा, लखनऊ	-वही-	72,301.00
35.	झांसी किला परिसर	झांसी	2,01,794.00
36.	गंगाधर राव की छतरी	झांसी	16,142.00
37.	रानी लक्ष्मी बाई महल	झांसी	1,395.00
38.	जामा मस्जिद, एरिच	-वही-	43,560.00
39.	राजा मान सिंह महल, कलिंजर	बांदा	1,99,236.00
40.	कलिंजर स्थित नील,कंठ मन्दिर	-वही-	75,063.00
41.	बांदा स्थित मोती महल	-वही-	51,009.00
42.	कब्रिस्तान, कैदगंज	इलाहाबाद	2,29,518.00
43.	खुसरोबाग गेट, इलाहाबाद	-वही-	1,24,593.00
44.	श्रृंगवेरपुर स्थित उत्खनित स्थल	-वही-	65,524.00
45.	गढ़वा किला, इलाहाबाद	-वही-	1,00,466.00
46.	गुलाब बाड़ी, फैजाबाद	फैजाबाद	40,990.00
47.	बहू बेगम मकबरा, फैजाबाद	-वही-	8,516.00
48.	बानी खां मकबरा, फैजाबाद	फैजाबाद	35,251.00
49.	पिपरहवा स्थित स्मारक	सिद्धार्थ नगर	32,476.00
50.	श्रीवस्ती स्थित उत्खनित स्थल	बहराइच	1,56,799.00

1	2	3	4
51.	बाग बादशाही एवं औरंगजेब पैवेलियन, खजुआ	फतेहपुर	12,205.00
52.	कचहरी कब्रिस्तान, कानपुर	कानपुर	60,762.00
53.	प्राचीन ईंटों का मन्दिर, भितरगांव	-वही-	23,597.00
54.	महादेव बाबा मंदिर, पौराला	-वही-	1,085.00
55.	कीरत सागर के घाट, महोबा	महोबा	45,618.00
56.	महोबा स्थित 24 जैन तीर्थंकरों की शैलकृत आकृतियां	महोबा	6,396.00
57.	दुधाई स्थित स्मारक	ललितपुर	79,413.00
58.	लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर	गाजीपुर	32,163.00
59.	वाराणसी स्थित राजा मानसिंह की वेधशाला	वाराणसी	94,345.00
60.	भितरी स्थित उत्खनित स्थल	गाजीपुर	1,441.00
61.	बुद्ध के अवशेष तथा निर्वाण स्तूप, कुशीनगर	देवरिया	2,77,611.00
62.	पुराना किला, जौनपुर	जौनपुर	2,42,483.00
63.	सारनाथ स्थित स्मारक	वाराणसी	4,86,601.00

[अनुवाद]

पुरी-आसनसोल रेलगाड़ी को पुनः चलाना

2. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी-आसनसोल यात्री रेलगाड़ी को पुनः चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चलाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

[हिन्दी]

आयातित गेहूं का बिक्री मूल्य

3. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री समत कुमार मण्डल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों के गेहूं का खरीद मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिए निर्गम मूल्य कितना-कितना निर्धारित किया गया है;

(ख) उपभोक्ताओं को आयातित गेहूं किस निर्गम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या यह आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल में रखा जायेगा अथवा घाटे वाले राज्यों को आवंटित किया जाएगा; तथा इन राज्यों को कितनी मात्रा आवंटित करने का विचार है; और

(घ) इस प्रक्रिया में सरकार को प्रति किलो के हिसाब से कितना नुकसान होने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1992-93 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 275 रु० रुपये प्रति क्विंटल था जिसमें 250 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक अदा किया गया 25 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल है। गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) 28 दिसम्बर, 1991 से 280 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ख) किसानों से स्वदेश में वसूल की गई गेहूं और विदेशों से आयात की गई गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक-समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) जारी की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय पूल में वर्तमान स्टाक में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से गेहूं का आयात किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल मूलतः मासिक आबंटनों के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को देने के लिए किया जाएगा।

(घ) स्वदेश में वसूल किए गए गेहूं की 4550 रुपये प्रति मीटरी टन की अनुमानित इक्नामिक लागत की तुलना में समुद्री भाड़े, बीमा, बंदरगाह पर हैंडलिंग, बोरियों में भराई और वितरण लागत सहित आयातित गेहूं की औसत इक्नामिक लागत अनुमानतः 5174 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है। इस समय केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2.80 रुपये प्रति किलोग्राम होने से, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वदेश में वसूल किए गए गेहूं के लिए 1.75 रुपये प्रति किलोग्राम और आयातित गेहूं के लिए 1.37 रुपये प्रति किलो की राजसहायता के अंश को वहन किया जा रहा है।

शाहदरा मनोरोग अस्पताल

4. श्री एन० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शाहदरा मनोरोग अस्पताल दिल्ली को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अस्पताल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अस्पताल द्वारा वर्षवार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस अस्पताल के आधुनिकीकरण हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गाजीपुर में गंगा नदी पर ऊपरिपुल

5. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ताड़ीघाट और गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए गाजीपुर में गंगा नदी पर एक रेल पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

यात्री शिकायतें

6. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत एक वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों में यात्रियों को होने वाले असुविधाओं संबंधी शिकायतों सहित प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें मध्य प्रदेश डिविजन से संबंधित हैं और इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1991-92 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 22821 थी।

(ख) इनमें से मध्य प्रदेश में पड़ने वाले मंडलों से संबोधित शिकायतों की संख्या 617 थी। प्रणाली में सुधार तथा खामियों को दूर करने सहित, जिनके कारण ये शिकायतें की गई हैं, उपयुक्त कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसी शिकायतों से बचने के लिए कदम उठाने हेतु क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश भी दोहरा दिये गये हैं।

[अनुवाद]

उत्तर सीमांत रेलवे पर रेल परियोजनाएं

7. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमा रेलवे पर रेल परियोजनाओं में परियोजनावार अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी परियोजनाओं पर प्रगति संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) ये निर्माण कार्य उपलब्ध संसाधनों के भीतर यथा-संभव तीव्र गति से चल रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	शुरू किये जाने का कार्य	प्रगति का प्रतिशत
1	2	3	4
(क) नई लाइनें			
1.	जोगीघोपा-गुवाहाटी-जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन के साथ जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल (142.15 कि० मी०)	1983-84	49.05 प्रतिशत
2.	इकलाखी-बालूरघाट-इकलाखी से मालदा टाउन तक विस्तार सहित बड़ी लाइन (87.11 कि०मी०)	1992-93	3.0 प्रतिशत संसाधन की तंगी के कारण कार्य बंद है।
3.	मिस्रेंडिसा-डिटोकछड़ा (21 कि० मी०)	1992-93	प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
4.	दुधनोई-देपा-बड़ी लाइन (17.50 कि० मी०)	1992-93	—वही—
(ख) आमान परिवर्तन			
1.	न्यू गुवाहाटी-लमडिंग—मी०ला० से ब०ला० (181 कि० मी०)	1992-93	15.00 प्रतिशत

1	2	3	4
(ग) **दोहरीकरण**			
	1. मालवा टाउन-इकलाखी (19 कि०मी०) हरिश्चंद्रपुर-कुमेदपुर (7.1 कि० मी०)	1989-90	97.00 प्रतिशत
	2. बारसोई-दलकोल्हा (29.05 कि०मी०) और धूलाबाढ़ी-अलुआबाड़ी (4.90 कि० मी०)	1989-90	76.83 प्रतिशत
	3. अलुआबाड़ी रोड-किशनगंज (31 कि०मी०) न्यू जलपाईगुड़ी-अम्बारी फालाकाटा (9 कि० मी०) और महानन्दा पुल के दोनों तरफ केबिनें	1989-90	46.50 प्रतिशत
	4. दलकोल्हा-किशनगंज (28 कि०मी०)	1990-91	10.00 प्रतिशत

नेपाल में जयनगर-जनकपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को जोड़ने वाली जयनगर-जनकपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाइन को कब तक बदल दिया जायेगा; और

(ग) नेपाल में रेल लाइनों का निर्माण करने अथवा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए हुए अन्य समझौतों का ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक ऐसा कोई करार नहीं किया गया।

ऊर्जा संरक्षण

9. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ऊर्जा संरक्षण के उपायों के लिये किसी शोध संस्थान की सहायता ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के नाम क्या हैं और उन्होंने इस संबंध में किस प्रकार का और कितना योगदान किया है; और

(ग) उन संस्थाओं की सहायता लेने के लिये रेल विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ऊर्जा संरक्षण के अपने प्रयास में, रेलें ऊर्जा संरक्षण और प्रबंध अध्ययन के लिए शैक्षणिक अनुसंधान और अन्य संस्थानों से परामर्श करती हैं, ऐसी परस्पर क्रिया, संस्तुति/सलाह परक होती है और किये जाने वाला खर्च कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन का उन्नयन

10. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक माल और यात्री यातायात के संचालन हेतु लुमडिंग-बदरपुर सेक्शन का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) 132.50 करोड़ रुपये की लागत से, मिग्रेंडिसा और डिटोकछड़ा के बीच के टुकड़े को दोहरा करके लाइन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

बख्तियारपुर-राजगीर रेल लाइन

12. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्ध पर्यटकों को यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिये पूर्व रेलवे के अंतर्गत बरास्ता मानपुर-बोधगया तक बख्तियारपुर-राजगीर बड़ी रेल लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्दू माध्यम के विद्यालय खोलना

13. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय स्थान-वार उर्दू माध्यम के कितने विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में उर्दू माध्यम की शिक्षा के लिए कुछ और विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्कूलों को कब तक खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली में चल रहे मौजूदा उर्दू विद्यालय की कुल संख्या निम्नलिखित है :

दिल्ली प्रशासन	—	24
नई दिल्ली नगर पालिका	—	12
दिल्ली नगर निगम	—	86

इनकी स्थानीय स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली प्रशासन

1. राजकीय बालिका माडल स्कूल, कलां महल (जामा जस्जिद)।
2. राजकीय बालिका माडल स्कूल हवेली आजम खान।
3. राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल (लाल कुआं), जीनत महल संख्या-I।
4. राजकीय बालिका माडल स्कूल, बुलबुली खाना।
5. राजकीय बाल माडल स्कूल, मटिया महल।
6. राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल, जाफराबाद।
7. राजकीय बाल माध्यमिक स्कूल, पटौदी हाउस।
8. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जामा मस्जिद संख्या-II।
9. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जामा मस्जिद संख्या-I।
10. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बल्लीमारान, दिल्ली।
11. राजकीय बालिका उच्चतर स्कूल, बुलबुली खाना।
12. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जीनत महल संख्या-2 (लाल कुआं)।
13. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नूर नगर।
14. राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नूर नगर।
15. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मटिया महल।
16. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जाफराबाद।
17. राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल, कला महल।

सहायता प्राप्त स्कूल

1. फतेहपुरी मुस्लिम उच्चतर माध्यमिक स्कूल।
2. शफीक स्मारक उच्चतम माध्यमिक स्कूल, बाड़ा हिन्दू राव।

3. एंग्लो अरबी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, अजमेरी गेट।
4 मजरूल इस्लाम माध्यमिक स्कूल, फराश खाना।
5. कौमी बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ईदगाह।
6. हकीम अजमल खान मिडिल स्कूल, दरिया गंज।
7. डा० जाकिर हुसैन स्कूल, जाफराबाद।

नई दिल्ली नगर पालिका समिति

1. एन० पी० प्राथमिक स्कूल संख्या-3, एल० बी० नगर।
2. एन० पी० प्राथमिक स्कूल, अशोका होटल।
3. एन० पी० प्राथमिक बालिका स्कूल संख्या-11, लोधी रोड।
4. एन० पी० प्राथमिक स्कूल, हनुमान रोड।
5. एन० पी० प्राथमिक स्कूल, काका नगर।
6. एन० पी० बालिका माध्यमिक स्कूल, हैवलोक स्क्वायर (प्राथमिक कक्षाएं)।
7. एन० पी० मिडिल स्कूल, किचनेर रोड (प्राथमिक कक्षाएं)।
8. एन० पी० मिडिल, किदवई नगर (प्राथमिक कक्षाएं)।
9. एन० पी० माध्यमिक स्कूल, लोधी इस्टेट (प्राथमिक कक्षाएं)।
10. एन० पी० बालिका माध्यमिल स्कूल, बाल्मिकी बस्ती (प्राथमिक कक्षाएं)।
11. एन० पी० बालिका माध्यमिक स्कूल, बापू धाम (मिडिल और माध्यमिक कक्षाएं)।
12. एन० पी० माध्यमिक स्कूल, लोधी इस्टेट (मिडिल और माध्यमिक कक्षाएं)।

दिल्ली नगर निगम

क्रम सं०	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के नाम
1	2
1.	सीमापुरी पुरानी-I
2.	सीमापुरी पुरानी-II
3.	सीलमपुर एफ-III II
4.	सीलमपुर एफ-III II
5.	चौहान बांगर-I
6.	चौहान बांगर-II
7.	घोंडा उत्तरी-I
8.	घोंडा उत्तरी-II
9.	सीलमपुर बी-I
10.	सीलमपुर बी-II

1	2
11.	जाफराबाद-I
12.	जाफराबाद-II
13.	सीलमपुर डी-I
14.	सीलमपुर डी-II
15.	ब्रह्मपुरी टी-II
16.	दयालपुर-I
17.	जी० टी० रोड-II
18.	संगम पार्क-I
19.	संगम पार्क-II
20.	नया रणजीत नगर
21.	हरि नगर घंटाघर-I
22.	चंद्र नगर बी-ब्लाक
23.	तिहाड़ संख्या-2
24.	आहाता किदारा-I
25.	डिप्टी गंज-II
26.	सराय खलील
27.	कूचा चेलन-I
28.	कूचा चेलन-II
29.	मटिया महल नया-I
30.	मटिया महल नया-II
31.	कूचा पंडित-II
32.	कूचा पंडित-II
33.	गली कासिम जान-I
34.	गली कासिम जान-II
35.	पहाड़ी इमली-I
36.	पहाड़ी इमली-II
37.	मो० सियारियान-II
38.	मटिया महल पुराना-II
39.	तुर्कमान गेट-II
40.	बुलबुली खाना-II

1	2
41.	64 खंबा-II
42.	बल्ली मारान-II
43.	गली बाबू खान-II
44.	भोजला पहाड़ी-II
45.	गली बंशी कोयल वाली
46.	मटिया महल पुराना-I
47.	कूचा चेलान नया-I
48.	कूचा चेलान नया-II
49.	हवेली आज़म खान-I
50.	हवेली आज़म खान-II
51.	लाल-कुआं-I
52.	लाल कुआं-II
53.	चितला गेट-I
54.	चितला गेट-II
55.	गली कासिम जान-I (बालिका)
56.	गली कासिम जान-II (बालिका)
57.	तुर्कमान गेट-I
58.	बुलबुली खानी-I
59.	64 खंबा-II (बालिका)
60.	बल्ली मारान-I
61.	गली बाबू खान-I
62.	मो० निबरियन-I
63.	नोमानिया प्राथमिक स्कूल (सहायता प्राप्त)
64.	ओखला (बाल)
65.	ओखला (बालिका)
66.	भारत नगर (बाल)
67.	जाकिर नगर
68.	अबुल फजल एन्कलेव
69.	कटरा अहिराम
70.	खिजरा बाद

1	2
71.	निजामुद्दीन वेस्ट (बालिका)
72.	नूर नगर
73.	तैमूर नगर
74.	हौज रानी उर्दू
74.	मंगोलपुरी वाई-ब्लाक
76.	जे० जे० नांगलोई संख्या-I, II
77.	त्रिलोकपुरी-27
78.	त्रिलोकपुरी-31
79.	ब्रिजपुरी-I
80.	ब्रिजपुरी-I
81.	त्रिलोकपुरी-II 16
82.	त्रिलोकपुरी-I 16
83.	गुरु राम दास नगर-II
84.	विश्वकर्मा नगर-I
85.	इन्द्रलोक-I
86.	इन्द्रलोक-II

चीड़ के वृक्ष

14. **श्री राम सागर :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अगस्त, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में "उत्तराखंड की वनस्पतियों के लुप्त होने का खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्षेत्र से बाहर रखने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि पर्यावरण में इनका कोई योगदान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

15. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू शैक्षिक सत्र के दौरान कितने तथा किन-किन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं;

(ग) चालू सत्र की शेष अवधि के दौरान कितने तथा किन-किन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की गई है। नये केन्द्रीय विद्यालयों को खोला जाना निर्धारित प्रयोक्ता एजेंसी से उपयुक्त प्रस्तावों के मिलने विशेषकर केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के समूह की उपस्थिति और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक मामलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

बिहार में चीनी का उत्पादन

16. **श्री लाल बाबू राय :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष सितम्बर तक हुए चीनी के कुल उत्पादन में बिहार का कितना योगदान है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में बिहार में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में चीनी वर्ष 1991-92 के दौरान 30-9-92 तक हुए चीनी के कुल 132.77 लाख टन (अनंतिम) उत्पादन में से बिहार की चीनी फैक्ट्रियों ने 4.55 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो कुल उत्पादन का 3.43 प्रतिशत है।

(ख) चीनी वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार की चीनी फैक्ट्रियों ने 4.55 लाख टन (अनंतिम) चीनी उत्पादन किया जबकि चीनी वर्ष 1990-91 के दौरान यह उत्पादन 4.15 लाख टन था। इस प्रकार बिहार की फैक्ट्रियों के उत्पादन में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) सूचना निम्न प्रकार है :—

चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितंबर)		उत्पादन (लाख टन)
1988-89	—	3.19
1989-90	—	3.35
1990-91	—	4.15

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण पर व्यय की गई राशि

17. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और 1992-93 में जनसंख्या नियंत्रण पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और किन-किन राज्यों ने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया; और

(ख) वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

झारसुगुड़ा उपमार्ग पर पुल

18. **डॉ० कृपासिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्तावित झारसुगुड़ा उपमार्ग पर रेलवे उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; जोकि लम्बे समय से रेलवे के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1990 में झारसुगुड़ा में बाई-पास पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, सर्वेक्षण और जांच के बाद योजना तैयार की गई थी और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1992 में इसका अनुमोदन किया गया है। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कुल अनुमानित लागत जमा कराने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988

19. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीति के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या तो अत्यन्त कठिन है अथवा कार्यान्वयन स्तर पर उनकी अनदेखी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सारी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाए रखना है। नीति में इस प्रमुख उद्देश्य के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसमें वन और वन्यजीव संरक्षण, अवक्रमित वनों में वनरोपण तथा सामाजिक और कृषि वानिकी के अन्तर्गत वृक्षारोपण और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाने तथा आदिवासियों और वनों के मध्य प्रतीकात्मक संबंध को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। इसमें देश के एक तिहाई भाग पर वनस्पति उगाने के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

देश की सभी अवक्रमित तथा वनों से रहित भूमियों पर ईंधन की लकड़ी तथा चारा विकास पर विशेष बल देते हुए जन भागीदारी से वनरोपण और वृक्षारोपण के एक व्यापक तथा समय-बद्ध कार्यक्रम पर बल दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्यों और नीतियों में वनों के प्रति लोगों के मात्र दोहन के संरक्षण तथा सतत् उपयोग के रवैये और दृष्टिकोण में परिवर्तन करने तथा संरक्षण और वनरोपण को व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए सतत् प्रयास करना जरूरी है। लेकिन ये ही प्राप्य उद्देश्य नहीं हैं; अपितु पर्यावरणीय स्थिरता के अनिवार्य तत्त्व भी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड आंदोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति

20. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में झारखंड आंदोलन के कारण कुल कितनी रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(ख) रेलवे सम्पत्ति को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान झारखंड आंदोलन के कारण रेल सम्पत्ति को लगभग 50,550 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ख) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए यथा अपेक्षित होने पर, भेद्य स्थलों और महत्त्वपूर्ण संस्थापनाओं पर नजर रखी जा रही है, रेलपथ की गश्त की जा रही है, गाड़ियों से पहले पायलट इंजन चलाया जा रहा है और गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है। यह एक कानून और व्यवस्था की समस्या होने के कारण स्थिति से निपटने तथा रेल सम्पत्ति को होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क भी बनाये रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

नई कोच फैक्टरी

21. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान एक नई कोच फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों का चयन किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकों में तिलक के लिए अपमानजनक टिप्पणी

22. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 सितम्बर, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ओपन स्कूल की पाठ्य पुस्तक में "तिलक" के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान दिनांक 13 सितम्बर, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उच्चतर

माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओपन स्कूल द्वारा प्रकाशित राजनीति-विज्ञान विषय की पाठ्य सामग्री में बाल गंगाधर तिलक को "अहिंसक उग्रवादी" की श्रेणी में रखा गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ओपन स्कूल के अनुसार इस मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और राष्ट्रीय ओपन स्कूल अकादमी विषय समिति के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने राष्ट्रीय ओपन स्कूल के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य सामग्री में "भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस की भूमिका" नामक अध्याय का संशोधन करने तथा पुनः लिखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को भेजे जाने वाले अगले संस्करण में इस संशोधित सामग्री को पुरानी सामग्री के स्थान पर रखा जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम

23. **डा० राम चन्द्र डोम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई तथा वर्ष 1991-92 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मुम्बई के एल्फिन्स्टन रोड स्थित उपरिपुल को चौड़ा करना

24. **श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एल्फिन्स्टन रोड (मुम्बई) स्थित उपरिपुल के बहुत कम चौड़ा होने के कारण वहां पर प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) क्या इस उपरिपुल पर होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेल यात्रियों सहित अनेक व्यक्ति मारे गये हैं;

(ग) क्या चन्नी गेड स्टेशन पर प्रदान की गई सुविधा के अनुरूप इस उपरिपुल के दोनों ओर पैदल पथ बनाने अथवा इस पुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को कब आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सड़क संरक्षा सड़क प्राधिकारियों का विषय है जो इसके आंकड़ों का ब्यौरा रखते हैं।

(ग) पुल को चौड़ा करने के बारे में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पहले ही दोनों ओर पैदल पुल उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

25. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से अपनी कुछ शिक्षा परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो बाहरी स्रोतों से जिन परियोजनाओं में धन लगाया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों से राज्यों को प्रति वर्ष आबंटित की गई विदेशी सहायता की राज्यवार धनराशि क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। वर्तमान समय में तकनीकी (पॉलिटेक्नीक) शिक्षा के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। इसके अन्तर्गत 16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में 500 पॉलिटेक्नीकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा संस्वीकृति/मान्यता प्रदान की गई है। परियोजना में वर्ष 1990-99 की अवधि के दौरान विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) के अन्तर्गत 273.3 मिलियन की विश्व बैंक ऋण सहायता का प्रावधान है। परियोजना का पहला चरण दिनांक 5-12-90 को और दूसरा चरण दिनांक 29-1-92 को शुरू हुआ। राज्यों को आबंटित की गई/प्रतिपूर्ति की गई सहायता की राशि राज्यों द्वारा परियोजना के संस्वीकृत कार्यकलापों पर उठाए गए वास्तविक खर्च पर निर्भर है। परियोजना के घटकों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के लिए बुनियादी शिक्षा परियोजना भी वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के पास प्रस्तुत की गई है।

विवरण-1

संघटक	बिहार	गुजरात	कर्नाटक	केरल	म० प्र०	उड़ीसा	राजस्थान	उ० प्र०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
न्यू डिप्लोमा और पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम (विभिन्न प्रकार	12	25	8	6	4	26	13	30
नया सह-शिक्षा पालिटेक्नीक्स	3	1	2	1	8	—	3	2
नये स्थापित	3	5	—	9	—	1	1	16
पोलिटक्नीकों का सुदृढ़ीकरण						(डब्ल्यू)	(डब्ल्यू)	
सामुदायिक पोलिटेक्नीक	3	—	4	6	5	3	—	—
आवासीय पोलिटेक्नीक और महिलाओं के लिए खंड	1	4	1	1	6	2	2	4
लड़कों/महिलाओं के लिए छात्रावास	1500	1330	940	1180	490	770	500	3480
संकाय/कर्मचारियों के लिए आवासगृह	335	276	80	146	1036	91	105	805

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुणवत्ता में सुधार								
प्रयोगशालाओं और कार्यशिविरों का आधुनिकीकरण (पोलिटेक्नीकों की सं०)	20	15	27	28	26	9	17	89
पठन संसाधन प्रयोक्ता और विकास केन्द्र	16	18	2	31	11	11	1	72
केन्द्र संगणक	17	16	12	24	17	7	4	50
लचीलेपन का समावेश (मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एंड केडिट)	3	4	1	2	5	1	1	4
अतिरिक्त संकाय सदस्य	392	170	324	183	302	240	177	1051
संकाय का विकास (प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या)	610	1590	200	1000	806	550	94	2947
दक्षता में सुधार								
(क) निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारी राज्य परियोजना कार्यान्वयन एकक	8	20	2	3	5	5	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य निदेशालय (डी० टी० ई०) और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड एस० बी० टी० ई०)	19	6	5	3	5	12	7	16
(ख) उद्योग और संस्थान के बीच तालमेल सैल	9	14	1	30	43	13	9	77
(ग) स्वायत्त पोलिटेक्नीक	12	2	1	—	5	1	1	2
रख-रखाव सैल	25	27	30	33	45	14	23	82

डब्ल्यू—महिला पोलिटेक्नीक।

विवरण-2

संघटक	आन्ध्र प्रदेश	आसाम	हरि-याणा	हि० प्रदेश	महाराष्ट्र	पंजाब	तमिल-नाडु	प० बंगाल	दिल्ली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्षमता का विस्तार									
न्यू डिप्लोमा और पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम (विभिन्न प्रकार)	16	2	17	7	62	12	53	19	17
नया सह-शिक्षा पोलिटेक्नीक	1	—	3	1	1		—	2	1
सामुदायिक पोलिटेक्नीक	6	5	—	—	26	7	—	7	3
आवासीय पोलिटेक्नीक और महिलाओं के लिए खंड	2	1	1	—	7	3	—	2	—
लड़कों/महिलाओं के लिए छात्रावास	3183	240	1555	510	1800	570	1200	2515	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकाय/कर्मचारियों के लिए आवासगृह	279	—	366	138	200	175	80	562	40
गुणवत्ता में सुधार									
प्रयोगशालाओं और कार्यशिवरों का आधुनिकीकरण (पोलिटेक्नीकों की संख्या)	36	8	12	4	43	14	36	30	8
संगणक केन्द्र	56	9	16	5	52	12	25	10	3
लचीलेपन का समावेश (मल्टी-प्वाइंट इन्ट्री एंड क्रेडिट सिस्टम)	5	7	1	1	7	1	10	1	2
पठन संसाधन प्रयोक्ता और विकास केन्द्र	3	10	16	6	63	—	56	35	10
अतिरिक्त संकाय सदस्य	290	46	296	47	282	357	359	249	160
संकाय विकास (प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या)	330	253	392	120	1200	517	1955	789	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षता में सुधार									
(क) राज्य पी० आई० यू०/ निदेशालय/एस०बी०टी०ई० सी० पी० सी० के लिए महत्वपूर्ण जानकारी	27	10	44	18	59	25	67	37	14
(ख) उद्योग और संस्थान के बीच तालमेल सैल	57	9	17	6	28	20	56	35	10
(ग) स्वायत्त पोलिटेक्नीक	5	—	—	1	7	1	10	2	—
(घ) रख-रखाव सैल	12	9	17	5	55	13	56	35	6

पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए परिरक्षक और स्वाद संयोजी

26. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए परिरक्षक और स्वाद संयोजी के बारे में 4 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4125 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए परिरक्षक और स्वाद संयोजी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृत्रिम रंगों और स्वादों की उपस्थिति की जांच हेतु बनी तकनीकी समिति ने मानकों का निर्धारण कर दिया है; और

(ख) इन कृत्रिम रंगों और स्वादों, जिनमें कोई पौष्टिकता नहीं होती है, के प्रयोग पर रोक लगाने अथवा उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मामला अभी अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के विचाराधीन है ।

[**हिन्दी**]

माल-डिब्बों की प्राप्ति

27. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के माल डिब्बों द्वारा 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 की अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई;

(ख) कोयले की ढुलाई के लिए कितने माल डिब्बों का उपयोग किया गया;

(ग) विद्युत, सीमेंट, लोहा, उर्वरक, उद्योगों, रेलवे तथा ईंटों के भट्टों के लिए अलग-अलग कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराये गए;

(घ) विभिन्न संस्थानों, उद्योगों के लिए माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रणाली क्या है और यह प्रणाली कब निर्धारित की गई थी; और

(ङ) देश में कोयले की ढुलाई के लिए कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है और रेलवे ने कितने माल डिब्बों की आवश्यकता पूरी की तथा कब तक यह कमी दूर कर दिए जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पहली अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक रेल द्वारा कुल 151.3 मिलियन टन कोयले की ढुलाई की गई ।

(ख) प्रतिदिन लगभग 17669 चौपहिया माल डिब्बे ।

(ग) ढुलाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(दैनिक औसत चौपहिया माल डिब्बे)
बिजलीघर	10211
सीमेंट	917
(इस्पात संयंत्र/वाशरी)	
लोहा	3387
उर्वरक	275
रेलें	524
बी० आर० के०	209
अन्य	2146
जोड़ :	17669

(घ) कोयले के लदान के लक्ष्यों का निर्धारण, कोयले की उपलब्धता और रेल परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बिजलीघरों, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक और सीमेंट उद्योगों को कोयले की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है और महत्व-पूर्ण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के बाद, शेष बचा कोयला कम महत्व के अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच समुचित आधार पर बांट दिया जाता है।

(ङ) वर्ष 1992-93 के लिए, 157.00 मिलियन टन राजस्व उपार्जक कोयले का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 18,700 चौपहिया मालडिब्बों में लदान अपेक्षित हैं। रेलों को आशा है कि यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

मुम्बई और नासिक के बीच नई रेलगाड़ी

28. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई तथा नासिक के बीच कितनी नई रेलगाड़ियां शुरू की गईं;

(ख) क्या इन स्टेशनों के बीच नई गाड़ी शुरू करने की भारी मांग है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) बम्बई और विभिन्न स्थलों के बीच चलने वाली 19 जोड़ी गाड़ियां नासिक रोड को सेवित करती हैं। 10-4-1991 को 4247/4248 बम्बई वी० टी०-वाराणसी एक्सप्रेस एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई गई थी। इसके अलावा, 1005/1006 विदर्भ एक्सप्रेस के फेरे को 2-10-1992 से सप्ताह में 4 दिन से बढ़ा करके प्रति दिन कर दिया गया था। ये गाड़ियां बम्बई वी० टी० और नासिक रोड के बीच पर्याप्त सेवा की व्यवस्था करती हैं। बहरहाल, परिचालनिक कठिनाई के कारण केवल बम्बई वी० टी० और नासिक रोड के बीच कोई गाड़ी नहीं चलाई गई है।

विश्वविद्यालयों को बजट आवंटन

29. **डा० सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय-वार, कुल बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : विश्व-अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग योग्य विश्वविद्यालयों को अनुदान वर्षवार आबंटित न करके पांच वर्ष की योजनावधि के लिए करता है। सातवीं व आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न योग्य विश्वविद्यालयों को आबंटित कुल विकास अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाख में)

राज्य	विश्वविद्यालय	सामान्य विकास के लिए सातवीं योजना के दौरान कुल आबंटन	सामान्य विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान कुल आबंटन
1	2	3	4
असम	डिब्रूगढ़	185.61	125.00
	गोहाटी	157.76	135.00
बिहार	भागलपुर	198.37	105.00
	बिहार	171.70	105.00
	के० डी० एस० संस्कृत	76.62	57.00
	मगध	171.00	105.00
	पटना	180.50	130.00
	रांची	235.42	130.00
	एल० एन० मिथिला	75.00	85.00
उत्तर प्रदेश	आगरा	163.34	87.00

1	2	3	4
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	543.01	721.00
	इलाहाबाद	220.65	135.00
	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	451.48	1100.00
	कानपुर	109.62	55.00
	काशी विद्यापीठ	67.00	68.00
	मेरठ	207.04	140.00
	गढ़वाल	103.90	100.00
	रुड़की	165.80	110.00
	सम्पूर्णानन्द संस्कृत	72.00	56.00
	कुमायुं	182.50	105.00
	लखनऊ	160.69	145.00
	गोरखपुर	138.90	135.00
हरियाणा	एम० डी० विश्व०	166.00	143.00
	कुरुक्षेत्र	198.20	145.00
उड़ीसा	सम्बलपुर	176.26	122.00
	उत्कल	144.21	138.00
	बेहरामपुर	130.49	123.00
दिल्ली	दिल्ली	799.00	1285.00
	जवाहरलाल नेहरू	1879.00	1235.00
	जामिया मिलिया	55.75	1057.00
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	4400.00	6000.00
मेघालय	नेहु	1758.02	1640.00
पांडिचेरी	पांडिचेरी	1029.00	1016.00
	जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	30.00	65.00
पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान	179.48	105.00

1	2	3	4
	कलकत्ता	152.10	145.00
	जादवपुर	213.50	137.00
	कल्याणी	174.80	105.00
	उत्तर बंगाल	204.69	130.00
	रविन्द्र भारती	142.30	105.00
	विद्यासागर	30.00	80.00
	विश्वभारती	546.00	800.00
त्रिपुरा	त्रिपुरा	74.00	136.00
मणिपुर	मणिपुर	175.84	145.00
जम्मू व	जम्मू	118.51	122.00
कश्मीर	कश्मीर	268.50	125.00
पंजाब	गुरु नानक देव	161.38	115.00
	पंजाब	125.00	135.00
	पंजाबी	125.00	130.00
राजस्थान	जोधपुर	196.11	130.00
	एम० एल० सुखाड़िया	105.85	115.00
	राजस्थान	226.30	140.00
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	125.00	140.00
कर्नाटक	बंगलौर	209.45	135.00
	गुलबर्गा	151.05	115.00
	कर्नाटक	196.00	135.00
	मंगलौर	153.00	115.00
	मैसूर	193.05	142.50
केरल	कालीकट	175.56	120.00
	कोचीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	165.14	115.00
	महात्मा गांधी	79.00	95.00
	केरल	192.25	140.00

1	2	3	4
	कुवेम्पु	चूंकि आयोग ने विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से योग्य घोषित नहीं किया था अतः सातवीं योजना के लिए विश्वविद्यालय को 40.00 लाख रुपये आबंटित किए गए थे तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत विश्वविद्यालय सहायता प्राप्ति हेतु अभी तक योग्य घोषित नहीं किया गया है अतः सातवीं योजना के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।	
महाराष्ट्र	मराठवाड़ा	175.00	135.00
	शिवाजी	160.00	110.00
	नागपुर	160.00	110.00
	पुणे	177.00	137.00
	एस० एन० डी० टी० महिला	145.00	135.00
	बम्बई	175.00	135.00
	अमरावती	—	100.00
तमिलनाडु	मद्रास	177.00	155.00
	अन्ना	75.00	·90.00
	मदर टेरेसा	20.00	65.00
	तमिल	100.00	105.00
	मदुराई कामराज	157.00	130.00
	भारतियर	140.00	108.00
	भारतीदासन	106.00	115.00
	अल्लागप्पा	122.00	85.00
	अन्नामलाई	182.00	132.00
आन्ध्र	आन्ध्र	108.00	169.75
	आन्ध्र मुक्त (डा० अम्बेडकर)	80.00	— —
	हैदराबाद	926.00	988.00
	काकातिय	121.37	120.00

1	2	3	4
	नागार्जुन	124.31	113.00
	उस्मानिया	145.25	135.00
	श्री कृष्णदेव आर्य	132.39	110.00
	श्री पदमावती महिला	91.92	90.00
	श्री वेंकटेश्वर	161.09	217.00
	तेलुगु	10.00	65.00
मध्य प्रदेश	अवधेश प्रताप सिंह	140.28	35.00
	बारकतुल्लाह	184.98	106.00
	देवी अहिल्या	153.30	85.00
	इंदिरा कला केन्द्र	98.15	55.00
	संगीत जीवाजी	132.00	84.00
	गुरु घासीदास	49.50	82.00
	डा० एच० एस० गौड़	261.45	135.00
	रानी दुर्गावती	158.94	133.00
	रविशंकर	139.14	08.50
	विक्रम	175.50	110.00
गुजरात	सरदार पटेल	155.91	120.00
	सौराष्ट्र	166.73	125.00
	दक्षिण गुजरात	196.50	124.00
	भावनगर	50.00	90.00
	गुजरात	205.51	140.00
	एम० एस० विश्व० बड़ौदा	202.80	140.00
	गोवा	155.91	120.00

पांसकुड़ा में कार शेड

30. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के पांसकुड़ा स्टेशन पर एक कार शेड (ई०एम०यू० सवारी डिब्बों के लिए) बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितने लोगों को रोजगार (प्रत्यक्ष और परोक्ष) मिल सकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पांमकुड़ा में 2.19 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर ई०एम० यू० कार शेड स्थापित करने का काम चल रहा है और इसके 1994 तक पूरा होने की आशा है। चालू वर्ष में 3.05 करोड़ रु० के अनुमानित लागत पर इस शेड में अतिरिक्त सुविधाएं भी स्वीकृत की गई हैं। इस समय सीधे नियोजन संभावनाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर फालतू हुए कर्मचारियों को रखरखाव तथा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्नियोजित करना होगा। अप्रत्यक्ष रोजगार संभावनाओं के संबंध में अनुमान लगाना कठिन है।

शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय

31. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1989-90 और 1990-91 और 1991-92 के दौरान शिक्षा पर राज्यवार प्रति व्यक्ति बजट व्यय कितना-कितना था ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े रुपये में)

क्र०सं० राज्य संघ क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	162.74	163.35	184.27
2. अरूणाचल प्रदेश	441.87	340.00	426.44
3. असम	156.00	181.21	213.19
4. बिहार	126.59	138.02	147.48
5. गोवा	462.66	535.41	565.42
6. गुजरात	186.49	208.44	221.16
7. हरियाणा	190.91	182.66	212.25
8. हिमाचल प्रदेश	349.90	373.15	439.82
9. जम्मू और कश्मीर	190.80	179.35	280.59
10. कर्नाटक	162.77	190.57	215.55

1	2	3	4	5
11.	केरल	232.85	235.46	269.66
12.	मध्य प्रदेश	113.91	120.39	144.74
13.	महाराष्ट्र	206.92	187.01	211.45
14.	मणिपुर	311.50	357.05	372.00
15.	मेघालय	328.47	321.72	378.67
16.	मिजोरम	510.85	553.14	596.28
17.	नागालैण्ड	373.90	348.00	485.75
18.	उड़ीसा	153.39	160.29	172.44
19.	पंजाब	259.82	236.24	289.24
20.	राजस्थान	155.33	174.38	199.77
21.	सिक्किम	545.50	570.50	673.75
22.	तमिलनाडु	165.77	173.33	225.89
23.	त्रिपुरा	372.64	398.03	411.78
24.	उत्तर प्रदेश	145.91	115.61	133.91
25.	पश्चिमी बंगाल	150.14	233.17	251.77
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	521.00	589.66	619.00
27.	चंडीगढ़	498.42	686.66	767.00
28.	दादरा और नगर हवेली	275.00	302.00	423.00
29.	दमन और द्वीव	283.00	415.00	494.00
30.	दिल्ली	260.86	286.47	335.00
31.	लक्षद्वीप	730.00	766.00	878.00
32.	पांडिचेरी	414.85	440.75	472.12
	कुल योग (समस्त भारत)	167.24	173.85	198.82

स्रोत : शिक्षा विभाग के बजट दस्तावेज 1990-91 और 1991-92।

नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, दिल्ली द्वारा धनराशि की कथित उगाही

32. **श्री मनोरंजन सुर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1992 के इंडियन एक्सप्रैस में "फन्ड रेजिंग ड्राइव स्टिर्स हारनेट्स नेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की रजतजयन्ती के अवसर पर की गई कथित उगाही और अन्य कथित अनियमितताओं के संबंध में जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने सतर्कता विभाग के जरिए की जा रही है क्योंकि नेहरु होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं जो दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

[हिन्दी]

व्यय कम करने के लिए आर्थिक उपाय

33. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने व्यय कम करने हेतु क्या आर्थिक उपाय किये हैं; और

(ख) इन उपायों को अपनाने से 1991-92 में कितनी धनराशि बचाई गई ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) टेलिफोन, स्टाफ कारों, मुद्रित सामग्री के इस्तेमाल, यात्रा और दौरों आदि के संबंध में किफायत करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप और खर्चे पर भी कड़ी निगरानी रखने के कारण 1991-92 के दौरान बजटीय प्रावधानों के प्रति लगभग 51.00 लाख रुपये की बचत की गई है।

प्रतापगंज से बीरपुर तक रेल लाइन

34. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतापगंज से बीरपुर तक रेल लाइन के निर्माण हेतु एक परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(ग) इसको पूरा करने के लिए निर्धारित योजना और समय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनभूमि का गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग

35. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 के दौरान वनभूमि का गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[**अनुवाद**]

रेलवे में कम्प्यूटर

36. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर लगाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेलों पर जिन क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है/किया जा रहा है, उनके नाम व ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

(i) **यात्री आरक्षण** :

कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली 34 बड़े-बड़े शहरों में स्थापित कर दी गई है, जहां भारतीय रेलों पर आरक्षण के कुल कार्यभार का लगभग 69 प्रतिशत कार्य होता है।

लगभग 20 अन्य शहरों में इस योजना के विस्तार का अनुमोदन हो चुका है।

(ii) **माल परिचालन** :

भारतीय रेलों पर माल परिचालन को कंप्यूटरीकृत करने की योजना है। उत्तर रेलवे पर यह कार्य शुरू कर दिया गया है।

(iii) **रेलवे रसीदें तैयार करना** :

यह कार्य छः स्टेशनों पर चल रहा है। दस अन्य लदान स्थलों पर इस कार्य को मंजूरी दे दी गई है।

(iv) **कार्यालय प्रबंधन** :

भारतीय रेलों के विभिन्न विभागों में पर्सनल कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(v) **कार्मिक एवं वित्तीय प्रबंधन** :

यह कार्य 27 मंडलों पर कार्यान्वित किया गया/किया जा रहा है । सात अन्य मंडलों पर इस कार्य को मंजूरी दे दी गई है ।

(vi) **कारखाना प्रबंधन** :

इस योजना को 14 कारखानों में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा इस सुविधा का विस्तार करके इसे तीन अन्य कारखानों में लागू करने की मंजूरी दे दी गई है ।

(vii) **वस्तु-सूची नियंत्रण और खरीद संबंधी कार्रवाई** :

इस योजना को 18 स्टोर डिपुओं में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा तीन अन्य डिपुओं में कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी गई है ।

(viii) **अनारक्षित टिकट संबंधी पूछताछ** :

कंप्यूटर से टिकट देने की प्रणाली नई दिल्ली में कार्यान्वित कर दी गयी है/की जा रही है और तीन अन्य शहरों में इसके विस्तार का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ix) **विश्व परिपृच्छा (यात्राक्रम आयोजना)** :

यह योजना दिल्ली में कार्यान्वित कर दी गई है/की जा रही है तथा 15 अन्य स्थानों पर इसके विस्तार की मंजूरी दे दी गई है ।

(x) **बाधा सूचना** :

यह योजना 4 रेलवे मुख्यालयों में कार्यान्वित कर दी गई है/की जा रही है तथा दो अन्य रेलवे मुख्यालयों में इसके विस्तार की अनुमति दे दी गई है ।

(xi) **अस्पताल सूचना प्रबंधन** :

यह योजना 5 रेलवे अस्पतालों में कार्यान्वित कर दी गई है/की जा रही है ।

[**हिन्दी**]

कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

37. **श्री ललित उरांव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 24 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों के नाम तथा उन्हें 1989 मे दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या बहुत अधिक है । अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में स्मारक

38. **श्री छेदी पासवान**

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में हैं;

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव तथा संरक्षण के लिए भी कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि आवंटित करने तथा इन स्मारकों को आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने हेतु उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) बिहार राज्य के 77 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 में, बिहार राज्य के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के रख-रखाव और संरक्षण पर 48,39,141.00 रुपये व्यय हुआ। वर्ष 1992-93 के लिए 23,42,000.00 रुपये का आवंटन हुआ है।

(ग) जहां तक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण का संबंध है, इसके लिए उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

[**अनुवाद**]

संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण

39. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 21 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्मारकों के नाम और स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां संरक्षित स्मारकों अथवा उनके आस-पास की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली है;

(ख) संबंधित परिमंडल द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीखों और उन पर की गई कार्यवाही की तारीख और स्वरूप क्या है;

(ग) क्या संरक्षित स्मारक, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो अप्राधिकृत अधिभोगिता का पता चलते ही उन्हें खाली कराने हेतु तुरंत कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जो संरक्षित स्मारक सरकार के नियंत्रण में हैं, वे 'सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1977' के अंतर्गत आते हैं।

(घ) विलम्ब कार्यवाही संबंधी औपचारिकताओं, स्थानीय पुलिस से आवश्यक सहायता के अभाव और विभिन्न कानूनी व्यादेशों के कारण हुआ है।

केरल के लिए चावल का कोटा

40. **श्री पी० सी० थामस :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल को दिए जाने वाले चावल के कोटे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को दिया जा रहा वर्तमान कोटा, की गई वृद्धि की मात्रा और विशेष कोटा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार द्वारा मांगा गया चावल का कोटा प्रदान किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) केरल के लिए चावल के कोटे को सितम्बर, 1991 में 1,42500 मीटरी टन से बढ़ाकर 1,50,000 मीटरी टन कर दिया गया है। नवम्बर, 1992 से समायोजन करने के अध्यधीन दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 के प्रत्येक महीने में केरल के लिए 15,000 मीटरी टन चावल का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन भी किया गया था। अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नवम्बर और दिसम्बर, 1992 के महीनों के लिए चावल के मासिक कोटे में एक-समान रूप से 10 प्रतिशत की कमी कर दी गई है और केरल के लिए 1,35,000 मीटरी टन चावल का आवंटन किया है। तथापि, केरल सरकार के अनुरोध पर बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए नवम्बर, 1992 में 2,000 मीटरी टन चावल का विशेष कोटा निर्मुक्त किया गया है और पहले दिए गए 30,000 मीटरी टन चावल के समायोजन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केन्द्रीय पूल के लिए धान के लिए मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन और मिल मालिकों पर लेवी लगाकर कुल उत्पादन का केवल मामूली अंश ही वसूल किया जाता है, इसलिए केरल सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की शत प्रतिशत मांगों को पूरा करना संभव नहीं होता है।

[हिन्दी]

मुम्बई तथा भुसावल के बीच रेलगाड़ी को पुनः चालू करना

41. **डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेलवे के मुम्बई और भुसावल स्टेशनों के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को छः महीने पहले बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ी पुनः कब चालू होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में आमान परिवतन के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में गाड़ी सेवाएं पुनः व्यवस्थित की गयी है। बम्बई और भुसावल के बीच पहले से चलने वाली 1351/1352 गाड़ी का मनमाड और भुसावल के बीच चालन को समाप्त करके फरवरी 1992 से इसको औरंगाबाद तक बढ़ा दिया गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक उपाय के रूप में फरवरी 92 में 1381/1382 मानमाड-भुसावल शटल गाड़ी चलायी गई है। यह गाड़ी मनमाड पर दोनों दिशाओं में 1003/1004 (पुरानी नं० 1351/1352) बम्बई-मनमाड-औरंगाबाद पैसेंजर गाड़ी का संपर्क मुहैय्या करती है। इसको ध्यान में रखते हुए मनमाड और भुसावल के बीच इसे पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शाहजहांपुर-खुटर रेल लाइन

42. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर और खुटर के बीच मीटर लाइन थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन कब तक चलती रही;

(ग) उस लाइन को हटा देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस मांग पर नई लाइन बिछाकर पुनः गाड़ियां चलाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

शोलापुर के निकट सड़क उपरिपुल

43. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रीय राजमार्ग-13 पर शोलापुर के निकट काम्बर तलाब सड़क उपरिपुल के निर्माण हेतु अंतिम स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है तथा महाराष्ट्र सरकार और रेलवे बोर्ड किस अनुपात में योगदान करेंगे;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने आनुपातिक राशि दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा इस राशि को कब तक दे दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शोलापुर-बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-13 के 456/11-12 कि० मी० पर स्थित कम्बर तालाब पर मौजूदा ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) इसे चौड़ा करने की कुल लागत 121 लाख रुपए आएगी तथा नियमानुसार पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुलियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

44. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर कुलियों को आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हे;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार कुलियों को निकट भविष्य में उत्तम सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) लाइसेंसधारी भारिक रेलवे स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में प्रदान की गई सुविधाओं का उपयोग करने के पात्र हैं, उन स्टेशनों पर जहां उनकी संख्या काफी हो और अन्य सुविधाएं कुल मिलाकर अपर्याप्त हों वहां उनके लिए अलग से विश्राम शेल्टर की भी व्यवस्था की जाती हैं। समय-समय पर इन सुविधाओं की समीक्षा की जाती हैं और इनका प्रावधान, विस्तार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

लाइसेंसधारी भारिक रेलवे अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में अपना बहिरंग रोगी के रूप में मुफ्त इलाज कराने के पात्र हैं। रेलवे परिसर में यात्रियों के सामान को ले जाते समय उन्हें गंभीर चोट लगने के मामले में संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने पर उनका रेलवे अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में अंतरंग विभाग में मुफ्त इलाज भी किया जाता हे।

[अनुवाद]

मलेरिया के नियंत्रण हेतु नई कीटनाशक दवाइयां

45. **श्री महेश कनोडिया** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री राम विलास पासवान :

श्री शरद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया नियंत्रण के लिए कौन-कौन सी नई कीटनाशक दवाइयां प्रयोग की जाती हैं;

(ख) क्या ये दवाईयां स्वदेश निर्मित है;

(ग) यदि नहीं, तो इन कीटनाशक दवाइयों को किन-किन देशों में आयात किया जाता है तथा इनका देश में ही निर्माण करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इन कीटनाशक दवाईयों का केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है तथा 1991-92 के दौरान राज्यों को राज्यवार इन कीटनाशक दवाइयों की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं। मलेरिया की रोकथाम के लिए नई कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

माल ढुलाई उपलब्धि

46. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान रेलवे ने कितने माल की ढुलाई की;

(ख) क्या यह निर्धारित लक्ष्य से कम है; और

(ग) इस क्षेत्र का कार्य निष्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान 165.52 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात की ढुलाई की गई थी। यह लक्ष्य से मात्र 0.14 प्रतिशत कम है।

(ग) माल की ढुलाई में सुधार लाने के लिए उठाये जा रहे कदम इस प्रकार हैं :—

(1) कड़ी नजर रख करके माल डिब्बों की गतिशीलता में सुधार लाना;

(2) निष्क्रिय माल डिब्बों की संख्या कम करना; और

(3) इंजनों के उपयोग में सुधार लाना।

[अनुवाद]

भाषाओं का संवर्धन और विकास

47. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
श्री रामसिंह काव्वा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दी के संवर्धन और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान हिन्दी के संवर्धन और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न भाषाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विकास पर योजनागत व्यय तथा वर्ष 1992-93 के दौरान, इन भाषाओं के विकास के लिए आबंटित राशि के ब्यौरे, नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु० में)

भाषा	सातवीं योजना के दौरान व्यय	1992-93 के लिए आबंटन
हिन्दी	26.93	5.19
आधुनिक भारतीय भाषाएं	6.72	3.05
अंग्रेजी	2.23	0.72
संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाएं	13.80	3.74

पारिस्थितिकी कृतिक बल

48. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी कृतिक बल के गठन संबंधी किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में मसूरी की पहाड़ियों में एक पारिकार्य बल वर्ष 1985 से ही कार्यरत है जिसमें 243 भूतपूर्व कार्मिक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में और पारिकार्य बल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

]**हिन्दी**]

प्रदूषण सम्बन्धी मामले

49. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत एक वर्ष के दौरान वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कितने मुकदमे दायर किए गए हैं; और

(ख) प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के पक्ष और विपक्ष में हुए निर्णयों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान) 1 जुलाई, 1991 से 30 जून, 1992) वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दायर किए गए अभियोगों की राज्यवार (संघ शासित प्रदेशों सहित) संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं०	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के नाम	जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमे		दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत कुल मामले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	4	7	11
4.	गोवा	—	—	—
5.	गुजरात	347	18	365
6.	हरियाणा	110	75	185
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर	—	—	—
9.	कर्नाटक	10	2	12
10.	केरल	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	45	15	60
12.	मध्य प्रदेश	11	13	24
13.	मेघालय	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	उड़ीसा	9	2	11
16.	पंजाब	16	42	58
17.	राजस्थान	उपलब्ध नहीं		
18.	सिक्किम	—		—
19.	तमिलनाडु	—	—	—

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
22.	पश्चिम बंगाल	6	—	—
23.	मिजोरम	—	—	—
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	—	—	—
2.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—
3.	दमन एवं दीव	—	—	—
4.	दिल्ली	—	—	—
5.	लक्षदीप	—	—	—
6.	पांडिचेरी	—	—	—
7.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
	कुल :	565	177	742

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान जिन मामलों में निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विरुद्ध अथवा उनके पक्ष में गए हैं उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

जल अधिनियम निर्णयों की संख्या			वायु अधिनियम निर्णयों की संख्या		
निर्णयों की संख्या	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध	निर्णयों की संख्या	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पक्ष में	प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विरुद्ध
119	149	80	83	35	28

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ से परामर्श

50. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ से सीधे परामर्श करने हेतु वेतन प्रतिबन्ध विनिर्दिष्ट करते हुए कुछ नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान नियमों के अन्तर्गत आने पर भी एक रोगी को देखने से इन्कार किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषज्ञ कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। प्रतिमाह चार हजार और इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले अधिकारी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों से सीधा परामर्श करने के हकदार हैं।

(ग) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगी

51. **श्री फूल चन्द वर्मा** :
श्री सुभाष चन्द्र नायक :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या अक्तूबर, 1991 से अक्तूबर 1992 के दौरान कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रोगियों की चिकित्सा और उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा ऐसे रोगियों के पुनर्वास सहित उनके उपचार के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :—

(1) रोगियों का शीघ्र पता लगाना।

(2) समाज में जागरुकता पैदा करना।

(3) कुष्ठ रोगियों के लिए बहु औषध उपचार की व्यवस्था ।

(4) उपचार किए गए कुष्ठ रोगियों का चिकित्सीय पुनर्वास ।

(5) जरूरतमंद रोगियों के लिए जूतों की व्यवस्था ।

विवरण

मार्च, 1990, मार्च, 1991 और मार्च, 1992 को दर्ज कुष्ठ रोगियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	मार्च, 90 को कुष्ठ रोगियों की सं०	मार्च, 91 को कुष्ठ रोगियों की सं०	मार्च, 92 को कुष्ठ रोगियों की सं०
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	269791	214235	155238
2.	अरुणाचल प्रदेश	1249	1305	1207
3.	असम	18304	18766	18589
4.	बिहार	466537	462710	353514
5.	गोवा	1677	1228	1033
6.	गुजरात	37576	24901	17874
7.	हरियाणा	1344	1282	762
8.	हिमाचल प्रदेश	4318	3957	3857
9.	जम्मू और कश्मीर	6344	6356	6317
10.	कर्नाटक	95879	72071	55595
11.	केरल	68560	52474	39143
12.	मध्य प्रदेश	168821	159850	151488
13.	महाराष्ट्र	195246	166619	118870
14.	मणिपुर	1377	1365	1337
15.	मेघालय	1401	1394	1391
16.	मिजोरम	383	311	257
17.	नागालैंड	2007	2049	2138
18.	उड़ीसा	178497	157621	144536
19.	पंजाब	3477	3325	3206
20.	राजस्थान	17184	15357	15261

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	330	368	412
22.	तमिलनाडु	361653	207116	118197
23.	त्रिपुरा	2942	2706	1655
24.	पश्चिम बंगाल	287852	203852	272255
25.	उत्तर प्रदेश	352637	361568	272059
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1237	1280	991
27.	चंडीगढ़	797	936	1121
28.	दादरा और नगर हवेली	342	316	343
29.	दमण और दीव	199	240	242
30.	दिल्ली	3985	1368	3476
31.	लक्षद्वीप	183	159	73
32.	पांडिचेरी	1221	1962	1734
	योग :	2,553,396	2,149,047	1,694,139

[अनुवाद]

सफदरजंग अस्पताल में इन्ट्रावीनस फ्लूइड की सप्लाई

52. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पाल सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं के बजाए बाहरी एजेंसियों से महंगे दामों पर इन्ट्रावीनस फ्लूइड खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों और बाहरी एजेंसियों से खरीदे गए इन्ट्रावीनस फ्लूइड की यूनिटों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा अस्पताल को इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[**हिन्दी**]

रेल उपरिपुल

53. **श्री छीतूभाई गामित :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री सुखेन्दु खां :
श्री आयनल अबेदिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल उपरिपुल के निर्माण के संबंध में गत वर्ष से दौरान राज्य सरकारों की ओर से राज्यवार कितने अभिपुष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उपरिपुलों के निर्माण के लिए राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) उन स्थानों के राज्यवार क्या नाम हैं जहां गत वर्ष के दौरान निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) सरकार इन परियोजनाओं पर इस वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)

1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	कर्नाटक	3
3.	राजस्थान	1
4.	तमिलनाडु	2
5.	उत्तर प्रदेश	2
6.	पश्चिम बंगाल	5

(ख) निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित हैं :

स्थान	राज्य
लेक गार्डन (कलकत्ता) बंडेल गेट में बालीगंज	पश्चिम बंगाल
उलुन्दूरपेट मेंप्पूल कोयम्बतूर	तामिलनाडु
बंगलूर पूर्व (ब्याप्पनहल्ली) येलहेका व्हाइटफिल्ड	कर्नाटक

स्थान	राज्य
काजीपेटे यार्ड	आंध्र प्रदेश
रींगस	राजस्थान
मऊ	उ० प्र०

(ग) निम्नलिखित स्थानों पर उपरी सड़क पुलों का निर्माण पूरा हो गया है :—

1. पेंदुरती	आन्ध्रप्रदेश
2. उज्जैन	मध्यप्रदेश
3. गाजियाबाद	उ० प्र०
4. करनाल	हरियाणा
5. लुधियाना	पंजाब
6. तुगलगाबाद	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)
7. श्रीरामपुर	प० बंगाल
8. जादवपुर	प० बंगाल
9. वर्धा पूर्व	महाराष्ट्र

(घ) 2.10 करोड़ रु० ।

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच रेल सेवा

54. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने गुजरात में मुम्बई-अहमदाबाद-राजकोट मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नई गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

परित्यक्त सिरिंजों की कथित पुनः बिक्री

55. **श्री राम सिंह काव्या**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

प्रो० रीता वर्मा :

श्री नरेश कुमार बालियान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष परित्यक्त सिरिंजों को पुनः बिक्री तथा पुनः प्रयोग का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पतालों में प्रयोज्य सिरिंजों का एक ही बार प्रयोग हो और बाजार में उन्हें पुनः न बेचा जाए, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, नहीं। परित्यज्य सिरिंजों का पुनः इस्तेमाल न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात् नष्ट कर दिया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में पुस्तकों की कमी

56. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्रीमती गिरिजा देवी :
डा० सुधीर राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय विशेषतः दक्षिणी परिसर के ग्रंथालयों में पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की अत्यन्त कमी है जिससे अध्यापन और शोध कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को ग्रंथालयों के लिये दिये जाने वाले अनुदान राशि में कटौती कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धन की कमी को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि मूल्यों में वृद्धि तथा सामान्य वित्तीय संकट के कारण उनके पुस्तकालयों में पुस्तकों तथा आवधिक पत्रिकाओं की कुछ कमी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान, वि० अ० आ० ने दिल्ली विश्वविद्यालय को उसके दक्षिण कैम्पस के लिए 12 लाख रुपये सहित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए 55 लाख रुपये का अनुदान दिया था। 8वीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय को आवंटित अनुदान 140 लाख रुपये है जिसमें से 40 लाख रुपये इसके दक्षिण कैम्पस के लिए हैं। अतः दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा

57. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान योजना में आमूल परिवर्तन करके कोई नई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गये जिलों की संख्या क्या है; और

(घ) इस संबंध में सामाजिक संगठनों का क्या योगदान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) (केरल राज्य) के इरनाकुल्लम जिले में पूर्ण साक्षरता अभियान के सफल होने के कारण, 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता समाप्त करने के लिए, पूर्ण साक्षरता अभियान को अत्यधिक महत्वपूर्ण, समयबद्ध तथा प्रभावोन्मुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। इस कार्यक्रम को वेतनिक प्रशिक्षकों के माध्यम से पहले कार्यान्वित किए जाने वाले केन्द्र आधारित कार्यक्रम के बदले अधिमान्यता देते हुए विकसित किया गया है। पहले के कार्यक्रम के सर्वथा विपरीत पूर्ण साक्षरता अभियान पूर्णतया स्वैच्छिक भावना पर आधारित है।

पूर्ण साक्षरता अभियान को एक अभियान के रूप में कार्यान्वित किया गया है तथा जिसमें वातावरण निर्माण संबंधी सम्यक गतिविधियों के माध्यम से साक्षरता के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिला साक्षरता समितियां (जेड० एस० एस० या डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी सोसाइटियों) का विशेषरूप से गठन किया गया है तथा उन्हें जिला कलैक्टरों के अधीन पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक सभी स्तरों पर, जिला साक्षरता समितियों की विशेष कार्य उप-समितियां, लोकप्रिय समितियों का भी गठन किया गया है।

वातावरण—निर्माण की प्रारम्भिक गतिविधि के साथ ही घर-घर साक्षरता सर्वे किया गया जिसमें सम्भावित प्रौढ़ शिक्षार्थी तथा स्वयंसेवियों की पहचान की गई।

राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा अध्ययन की समग्र गति एवं विषयवस्तु की शिक्षा शास्त्रीय तकनीक के अनुसार प्रवेशिकाएं तैयार की गई तथा संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों तथा स्वयंसेवी अनुदेशकों को प्रवेशिका विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वातावरण निर्माण और इसके साथ ही अनुवीक्षण तथा आन्तरिक मूल्यांकन नामक दो मुख्य गतिविधियों को पठन/पाठन गतिविधि के माध्यम से जारी रखा गया जो कुल 200 घंटों के 6 महीनों की अवधि के समय-विस्तार के लिए हैं। शिक्षण की समाप्ति पर एक बाह्य प्रभाव/संकलित, मूल्यांकन भी किया जाता है। पूर्ण साक्षरता अभियान, के बाद उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शेष निरक्षरों को प्रेरित करने, पूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान अर्जित शिक्षा के लाभों को समेकित करने तथा नवसाक्षरों को स्वशिक्षा के लिए सक्षम बनाने के लिए, कार्यान्वित किए गए।

पूर्ण साक्षरता अभियानों का कार्यान्वयन, जिला साक्षरता समितियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 2 : 1 के अनुपात से दिए गए सीधे वित्तपोषण द्वारा किया गया।

8-9-10.1992 को देश भर में 118 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप में 178 जिलों को शामिल किया गया।

वातावरण निर्माण, साक्षरता केन्द्रों में बिजली व्यवस्था आदि के रूप में कुछ सीमा तक स्थानीय अंशदान, (प्रायः वस्तुओं के रूप में) जुटाया जाता है। पूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन की की कार्यनीति में सामाजिक संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के पूर्ण तथा सहभागी सहयोग की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में स्कूलों में शिक्षा का सुधार

59. **श्री कालका दास :**

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. विभिन्न वर्गों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ 10वीं तथा 12वीं कक्षा पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए ग्रीष्मावकाश के दौरान, 3 टायर विषय-दक्षता प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

2. विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए प्रत्येक विषय के सैम्पल पेपर छपवा दिए गए हैं तथा उन्हें वितरित किया जा रहा है।

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संशोधित परीक्षा पद्धति से छात्रों को परिचित कराने के लिए बोर्ड-पूर्व परीक्षाएं ली जा रही हैं। इन बोर्ड पूर्व परीक्षाओं का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उपचारी शिक्षा प्रदान की जा सके।

4. टी०जी०टी० स्तर के अध्यापकों की भर्ती, संशोधित भर्ती नियमावली के अनुसार की जाती है ताकि सैकेण्डरी स्तर भी, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों में विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जा सके।

5. जिन स्कूलों में तुलनात्मक स्तर पर पास-प्रतिशतता कम है, उन स्कूलों की जांच की जा रही है।

6. प्रिंसिपल के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया है तथा विषय-अध्यापकों के साथ-साथ प्रिंसिपलों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

7. आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा को एक समान पेपर दिए जाते हैं ताकि स्कूलों का एक समान स्तर बनाया जा सके तथा छात्रों को निचली कक्षाओं में ही रोक लिया जा सके। ये स्कूल पेपर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैली तथा पद्धति पर ही सैट किए जाएंगे।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

60. **श्री बी० देवराजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की अधिक उम्र तथा खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके लिए दवा लेने तथा बिना बारी के डाक्टर के दौरे जैसे चिकित्सा सुविधाओं में वरीयता उपलब्ध कराने हेतु अलग केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को दवाइयां जारी करने के लिए अलग से केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के पेंशनभोगियों की पारी बाह्य जांच करने तथा चिरकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के मामले में एक माह तक की दवाइयां देने के संबंध में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

बरकाकाना-रांची गिरिडीह रेल संपर्क

61. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरकाकाना गिरिडाह-रांची-कोडरमा सेक्शन पर रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कारंवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सर्वेक्षण के परिणाम हैं :

कि०मी०		190
लागत		335 करोड़ रुपए
प्रतिफल दर	:	ऋणात्मक

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास को मद्देनजर रखते हुए योजना आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था। परंतु धन की अत्याधिक तंगी, ऋणात्मक प्रतिफल और इस क्षेत्र में सड़क नेटवर्क की पर्याप्त उपलब्धता के कारण योजना आयोग सहमत नहीं था।

[अनुवाद]

टिकट वापसी के मामले

62. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक रेलवे में गत दो वर्षों के दौरान जोन-वार टिकट वापसी के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पिछले दो वर्षों से किसी क्षेत्रीय रेलवे पर रेलवे टिकटों का पैसा वापस करने की कोई मामला, जो रेलों पर सम्यक रूप से दर्ज कराया गया हो, लम्बित नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

विद्युत चालित इंजनों का उत्पादन

63. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत चालित रेल इंजनों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष कितने इलैक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में निर्मित विद्युत इंजनों की संख्या देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में विद्युत इंजनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आठवीं योजना (1992-97) में प्रति वर्ष लगभग 180 रेल इंजनों की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें बदलाव लेखे और यातायात में कमीवेशी के कारण अपेक्षित रेल इंजन शामिल हैं।

(ख) 35 विद्युत चालित रेल इंजनों के लिए बी० एच० ई० एल० को एक आर्डर दिया गया था। उन्होंने निम्नलिखित रेल इंजन शामिल हैं :—

1988-89	—	5 अदद
1989-90	—	6 अदद
1990-91	—	5 अदद
1991-92	—	19 अदद
		35

(ग) जी, नहीं।

(घ) (1) प्रतिवर्ष 150 रेल इंजनों का उत्पादन करने के लिए चि० रे० का० में विद्युत चालित इंजनों का उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु कार्य को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। उत्पादन वर्ष 1996-97 में यह क्षमता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(2) इसके अतिरिक्त बी० एच० ई० एल० भी प्रतिवर्ष 50 से 25 बिजली इंजन का उत्पादन कर सकता है।

[अनुवाद]

छोटा परिवार मानक के लिए प्रोत्साहन

64. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे परिवार के मानकों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कुछ नये कदम उठाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से प्रोत्साहन और हतोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराદેवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) देश में छोटे परिवार के मामलों को बढ़ावा देने और परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं : (1) परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना, (2) 90 खराब कार्य-निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए विविधतापूर्ण राजनीति तैयार करना, (3) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर धन उपलब्ध करने के लिए तंत्र तैयार करना, (4) जन्म अंतराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा आयु दम्पतियों की कवरेज में वृद्धि करना, (5) नए गर्भ निरोधक शुरू करना और गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, (6) शहरी क्षेत्रों विशेष गंदी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, (7) चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को पुनर्जीवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जाएगा, (8) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, (9) सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिए अभिमुख करना, (10) कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, (11) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना, और (12) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च स्तरीय अन्तरक्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना।

(ग) इस विभाग द्वारा बनाए गए प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों का एक पैकेज जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति को भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में रेल लाइन को दोहरा करना

65. **श्री शिबू सोरेन :**

श्री साईमन मराण्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटी तथा संकरी रेल लाइनों को दोहरा करने का कार्य पिछले 5 वर्षों से रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी 1990 से सरकार द्वारा पुरानी रेल लाइन के विकास के संबंध में अभी तक क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य अनुमानित लागत की स्वीकृति के बावजूद धन की कमी के कारण शुरू नहीं किया जा सका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चमड़ों/सींगों की तस्करी

66. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत छः महीनों के दौरान बाहर भेजे जाने वाले जानवरों और सरीसृपों के चमड़ों/सींगों आदि पकड़े गए माल का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान जानवरों के चमड़ों/सींगों की तस्करी में वृद्धि हुई; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाचारात्मक उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) संकटापन्न प्रजातियों के शिकार और इन प्रजातियों से बनी चीजों के व्यापार पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(2) पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित चीजों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(3) किसी निषिद्ध वस्तु का निर्यात न किया जाय—यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय वन्यजीव प्रभाग अपने क्षेत्रीय उपनिदेशकों और सहायक निदेशकों (वन्य जीव परि-रक्षण) के जरिए वन्यजीवों के व्यापार को मानीटर करता है और वन्यजीव उत्पादों के निर्यात परेक्षणों की जांच करता है।

(4) राज्य सरकारों ने चोरी-छिपे शिकार-रोधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना कार्यक्रम बनाए हैं।

(5) बाघों, हाथियों और गेंडों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(6) चोरी-छिपे शिकार-रोधी उपायों के बारे में राज्य स्तर पर पुलिस और भारत सरकार के स्तर पर सीमा शुल्क विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, तट-रक्षक और सेना के साथ निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

(7) चोरी-छिपे शिकार करने वालों तथा अवैध व्यापारियों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार देने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

करोड़ीमल नगर स्टेशन पर रेल दुर्घटना

67. **श्री अन्नाजोशी :**
श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 सितम्बर, 1992 को बिहार तथा मध्य प्रदेश सीमा पर करोड़ीमल नगर स्टेशन पर रेल दुर्घटना हुइ थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इसमें कितने लोग हताहत हुए तथा रेलवे की कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 4-9-1992 को लगभग 00.20 बजे जब 322 डाउन नागपुर-टाटानगर पैसेंजर गाड़ी डाउन लूप लाइन के रास्ते झारसुगुडा-बिलासपुर, बी०जी०/डी०एल०/विद्युतीकृत लंड पर बिलासपुर मंडल के किरोड़ीमल नगर स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, तब वह पैसेंजर गाड़ी डाउन बी०आर०एन०/एन०जी०सी० स्पेशल माल गाड़ी, जो डाउन मुख्य लाइन पर खड़ी थी, के अन्तिम वाहन के बगल से टकरा गई जिसके फलस्वरूप 3 बोगियां पटरी से उतर गई, जो उलट गई और जिनमें अप और डाउन दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गईं।

रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, कलकत्ता के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, डाउन बी०आर०एन०/एन०जी०सी० द्वारा उल्लंघन चिह्न को पार न करने के कारण दुर्घटना हुई थी।

(ग) 40 व्यक्ति मारे गए तथा 45 व्यक्ति घायल हुए थे।

रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान 25,80,000 रुपये लगाया गया है।

(घ) अनुदेश जारी किये गये हैं कि निम्नलिखित किन्हीं स्थितियों में उल्लंघन चिह्न से ब्लाक सेक्शन सीमा के बीच प्राथमिकता के आधार पर रेलपथ सर्किट बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए :—

1. परिचालन स्थल से, उल्लंघन चिह्न से ब्लाक सेक्शन सीमा तक दृश्यता-भाग में धुंधलापन होने पर या
2. मुख्य लाइन पर बार-बार शंटिंग होने पर, या
3. अग्रिम स्टार्टर को ट्रेलिंग प्वाइंटों से पूर्ण गाड़ी की लम्बाई की दूरी पर रखने पर।

(ङ) अभी तक इस दुर्घटना के प्रति मुआवजे के लिए कोई दावा पेश नहीं किया गया है।

है, न कि उनके धार्मिक सम्बन्धों के आधार पर।

इसके अतिरिक्त, बहुत से मामलों में, धार्मिक इमारतें गैर-धार्मिक स्मारक परिसरों का हिस्सा हैं, इसलिए विशिष्ट सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) धार्मिक पूजा के लिए खुले किसी संरक्षित स्मारक का कोई भी हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनधिकृत कब्जे में नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जे० के० कैंसर संस्थान कानपुर का उन्नयन

69. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री राजवीर सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर का उन्नयन क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के रूप में करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश के अन्य कैंसर अस्पतालों के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

के अन्तर्गत कैंसर की रोकथाम और उसका शुरू में ही पता लगाने के लिए जिला परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के बारे में भेजे गए पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1991 में एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर का दर्जा बढ़ाकर उसे क्षेत्रीय कैंसर संस्थान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार को अक्तूबर, 1981 में उत्तर भेजकर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित स्कीम के अनुसार जिला परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए अपने पहले के अनुरोध को पुनः दोहराया गया था।

(ग) यह क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के विकास के लिए उनकी सहायता अनुदान प्रदान करता है। देश में कैंसर उपचार की सुविधाओं की उपलब्धता में भौगोलिक भिन्नताओं को दूर करने के लिए चुने हुए मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी विंग के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

70. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए गत वर्ष निर्धारित किये गए लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में गत वर्ष हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियत किये गए लक्ष्यों को अंशतः प्राप्त कर लिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/संगठन की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— 1991-92	
		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	सूचना प्राप्त नहीं हुई
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
3.	असम	10	9

1	2	3	4
4.	बिहार	शून्य	शून्य
5.	गोवा	2	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	11
7.	हरियाणा	10	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	3	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	2	2
10.	कर्नाटक	10	23
11.	केरल	15	सूचना प्राप्त नहीं हुई
12.	मध्य प्रदेश	50	सूचना प्राप्त नहीं हुई
13.	महाराष्ट्र	शून्य	2
14.	मणिपुर	7	2
15.	मेघालय	4	2
16.	मिजोरम	1	1
17.	नागालैंड	1	सूचना प्राप्त नहीं हुई
18.	उड़ीसा	25	35
19.	पंजाब	16	18
20.	राजस्थान	15	16
21.	सिक्किम	1	शून्य
22.	तमिलनाडु	शून्य	सूचना प्राप्त नहीं हुई
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	49	सूचना प्राप्त नहीं हुई
25.	पश्चिमी बंगाल	30	सूचना प्राप्त नहीं हुई
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	1
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
28.	दादरा व नागर हवेली	1	शून्य
29.	दमण व दीव	शून्य	सूचना प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	2	शून्य
32.	पांडिचेरी	1	शून्य
	योग :	268	124

खाद्यान्नों की उपलब्धता

71. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन शुल्क में वृद्धि होने के कारण देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न बड़े शहरों में और विशेषरूप से बिहार के नगरों में खाद्यान्नों की भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी प्रबन्ध किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता उत्पादन पर और न कि ढुलाई प्रभारों में वृद्धि पर निर्भर है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के अपने अधिकार की भण्डारण क्षमता और केन्द्रीय भण्डारण निगम आदि से किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता देशभर में फैली हुई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयत्न किये जाते रहते हैं कि किसी भी राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस राज्य में स्थित अपने गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध रहें। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, 30-9-92 को स्थिति के अनुसार वहां कुल 6.38 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम की अपनी और किराये पर ली गई) उपलब्ध थी, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30-9-1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास बिहार में उपलब्ध भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की) को बताने वाला विवरण

किराये की (आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राजस्व जिला/ केन्द्र का नाम	भारतीय खाद्य निगम की अपनी	किराये की				जोड़ (अपनी और किराये की)
			राज्य सरकारों से	केन्द्रीय भंडारण निगम से	राज्य भंडागार निगमों से	निजी पार्टियों से	
1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला भागलपुर						
1.	बांका	—	—	—	—	4.60	4.60
2.	भागलपुर	—	—	—	—	34.45	34.45
	राजस्व जिला देवघर						
3.	जसिडिह	12.50	—	—	—	—	12.50
	राजस्व जिला मुंगेर						
4.	जम्मुई	—	—	—	—	2.80	2.80
5.	लखीसराय	—	—	—	1.05	—	1.05
6.	मुंगेर	—	1.20	—	—	1.50	3.70
	राजस्व जिला साहिबगंज						
7.	साहिबगंज	—	—	—	—	3.30	3.30
	राजस्व जिला दरभंगा						
8.	दरभंगा	5.74	—	5.00	—	—	10.74
	राजस्व जिला मधुबनी						
9.	जयनगर	9.67	—	—	—	—	9.67
10.	पंडौल	—	—	—	—	2.50	2.50
	राजस्व जिला गया						
11.	गया	96.72	—	—	—	—	96.72

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला नवादा						
12.	बग्सालीगंज	—	—	—	—	3.38	3.38
	राजस्व जिला रोहतास						
13.	सासाराम	—	—	—	4.00	—	4.00
	राजस्व जिला चम्पारन						
14.	चकिया	—	—	—	—	2.50	2.50
15.	चनपतिया	6.28	—	—	—	—	6.28
	राजस्व जिला मुजफ्फरपुर						
16.	मुजफ्फरपुर	7.60	—	—	—	—	7.60
17.	नरायणपुर अनंत	36.67	—	—	—	—	36.67
	राजस्व जिला सीतामढ़ी						
18.	सीतामढ़ी	-	—	—	—	4.17	4.17
	राजस्व जिला कटिहार						
19.	कटिहार	10.84	—	4.50	—	—	15.34
20.	कुरूशेल्स	—	—	—	—	5.00	5.00
	राजस्व जिला माधोपुरा						
21.	माधोपुरा	—	—	—	—	5.00	5.00
	राजस्व जिला पूर्णिया						
22.	बेलोड़ी	8.98	—	—	—	5.00	13.98
23.	फोरबेसगंज	—	—	—	—	5.00	5.00
24.	गुलाबबाग	—	—	—	—	13.34	13.34
	राजस्व जिला भोजपुर						
25.	आरा	—	—	—	5.00	—	5.00
26.	बक्सर	25.00	—	—	—	—	25.00
	राजस्व जिला नालंदा						
27.	बिहार शरीफ	—	—	—	4.00	—	4.00
	राजस्व जिला पटना						
28.	बाढ़	—	—	—	—	10.00	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	बीहटा	—	0.50	—	—	—	0.50
30.	दीगाघाट	32.44	—	—	—	—	32.44
31.	मोकामा	42.25	—	—	—	—	42.25
32.	फुलवारी शरीफ	50.05	—	—	—	—	50.05
	राजस्व जिला पलामू						
33.	डाल्टनगंज	15.98	—	—	—	—	15.98
	राजस्व जिला रांची						
34.	हतिया	—	—	—	—	1.00	1.00
35.	रांची	11.67	—	1.50	—	—	13.17
36.	तातीसिलवई	—	—	—	—	15.00	15.00
	राजस्व जिला सिंहभूम						
37.	चक्रधरपुर	—	—	—	—	3.30	3.30
38.	जमशेदपुर	10.84	—	2.50	—	—	13.34
	राजस्व जिला धनबाद						
39.	धनबाद	15.21	—	—	—	—	15.21
	राजस्व जिला गिरिडीह						
40.	सरैया	—	—	—	—	5.80	5.80
	राजस्व जिला हजारीबाग						
41.	हजारीबाग	—	—	7.50	—	—	7.50
41. (क)	कोडरमा	—	—	—	—	3.00	3.00
42.	हजारीबाग रोड	—	—	2.00	—	—	2.00
	राजस्व जिला छपरा						
43.	छपरा	—	—	—	—	5.00	5.00
	राजस्व जिला गोपालगंज						
44.	गोपालगंज	—	—	—	—	5.00	5.00
	राजस्व जिला सीवान						
45.	सीवान	—	—	—	1.58	—	1.58

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व जिला वैशाली						
46.	हाजीपुर	—	—	—	—	5.00	5.00
	राजस्व जिला सहरसा						
47.	किशनगंज	—	—	5.00	—	—	5.00
48.	राघोपुर	—	—	—	—	5.00	5.00
49.	सहरसा	12.64	—	—	—	—	12.64
	राजस्व जिला समस्तीपुर						
50.	साहपुर पेटोरी	—	—	—	—	5.00	5.00
51.	समस्तीपुर	—	—	7.00	—	12.00	5.00
	राजस्व जिला बेगुसराय						
52.	तिलरथ	—	—	—	—	5.00	5.00
53.	बेगुसराय	—	—	—	—	7.50	7.50
	जोड़ :	411.05	1.70	35.00	15.63	174.14	637.55

[अनुवाद]

1947 **की अवधि के बाद के अभिलेख**

72. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री हरि किशोर सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखागार सम्बन्धी सामान्य व्यवहार के अनुसार सरकारी अभिलेखों को 30 वर्ष की अवधि के उपरान्त शोधकर्ताओं, व्यावसायिक इतिहासकारों के निरीक्षण के लिए खोल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार में 1947 के बाद के कोई महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा निरन्तर मांग किये जाने के बावजूद, औपनिवेशिक शासन द्वारा तैयार किये गए भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र जैसे अभिलेख शोध छात्रों तथा इतिहासकारों को उपलब्ध नहीं कराये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार विद्वानों के साथ परामर्श हेतु इस प्रकार का अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, मानचित्रों को उपलब्ध कराने की अनुमति देने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है और यह अनुमति राष्ट्रीय हित में नहीं भी दी जा सकती है।

मुम्बई नगर परिवहन परियोजना, द्वितीय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रेल सम्पत्ति का वाणिज्यिक उपयोग करना

73. **श्री शरद दिघे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु धन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुम्बई उपनगरीय परिवहन परियोजना, द्वितीय में रेल उपस्करों की पूंजीगत लागत और आवर्ती व्यय में भागीदारी के लिए सहमत हो जाने पर, रेल सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार मुम्बई नगर परिवहन परियोजना, द्वितीय में रेल परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

74. **श्रीमती वसुंधरा राजे** :

श्री रमेश चेन्निथला :

श्री वी० धनंजय कुमार :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री जायनल अबेदिन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यवार कौन-कौन-सी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यवार कौन-कौन-सी परियोजनाएं नामंजूर की गईं;

(ग) सरकार के पास इस समय पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी विकास परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हुई हैं और इन्हें मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान मंजूर की गई विकास परियोजनाओं के नामों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित विकास परियोजनाओं के नामों का एक विवरण भी संलग्न है जिसमें विलम्ब के कारण भी दिये गए हैं।

(ङ) पूरे आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजनाओं का मूल्यांकन और उन पर कार्रवाई की जा सकती है। पर्यावरण सम्बन्धी पूरे आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त हो जाने के बाद अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर अन्तिम निर्णय ले लिया जाता है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

विवरण

15-11-91 से 15-11-92 तक के बीच मंजूर की गई
विकास परियोजनाओं के नाम

क्रम सं०	परियोजनाओं के नाम
1	2

आन्ध्र प्रदेश

1. जेगुरूपाडु में गैस पर आधारित बिजली परियोजना (900 मेगावाट)—आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
2. सुरसनियानम में चले जी० टी० सेट (3.5 मेगावाट)-आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
3. कृष्णापटनम ताप बिजली घर (2× 250 मेगावाट)-आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
4. आणविक ईंधन कम्पलैक्स, हैदराबाद में नया यूरेनियम ईंधन असेंबली संयंत्र
5. गोदावरी घाटी में रावा आफ-शोर क्षेत्र और सुरसनियानम में आन-शोर ताप सुविधा से तेल/गैस उत्पादन-तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
6. हैदराबाद में टकसाल का आधुनिकीकरण एवं विस्तार
7. रामागुडम खुली खदान-II परियोजना, सिंगरेनी कोयला खान कं० लि०
8. मडपल्ली खुली खदान परियोजना, सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लि०
9. पदमावती खानी परियोजना, सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लि०
10. दौलेश्वरम, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण
11. पेन्नाडा, अग्रहरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण
12. सामलकोट में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

असम

13. असम में नवगांव और कछार कागज परियोजना

1	2
14.	जी० ए० आई० एल० द्वारा लकवा में एल० पी० जी० रिकवरी संयंत्र
	बिहार
15.	चाण्डिल ताप बिजली घर (2 × 250 मेगावाट) आर० पी० जी० उद्यम
16.	करकट्टा खुली खदान परियोजना, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी० सी० एल०)
17.	चुनिन्दा धौरी खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
18.	युरीमारी खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
19.	टोपा (पुनर्गठन) खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
	गोवा
20.	अंजुनम पन-विद्युत परियोजना
	गुजरात
21.	जी० एस० एफ० सी० का गैस पर आधारित 50 मेगावाट का कैप्टिव बिजली संयंत्र
22.	वड़ोदा में भारतीय पैट्रो-रसायन कारपोरेशन लि० द्वारा विस्तार परियोजनाएं
23.	कच्छ की खाड़ी में दूसरा एस० बी० एम०—मैसर्स इण्डिया आयल कार्पोरेशन
24.	रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा गुजरात में कवस-हजीरा क्षेत्र में पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स
25.	गुजरात में अतिरिक्त क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट
26.	इस्सार गुजरात लि० द्वारा हजीरा में स्पौंज आयरन एण्ड हॉट रोल्ड कायल (समेकित इस्पात संयंत्र)
27.	कांडला बन्दरगाह में कन्टेनर सम्भलाई की पूरी सुविधाओं का विकास
	हरियाणा
28.	मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड का कैप्टिव विद्युत संयंत्र (20 मेगावाट)
29.	आई० ओ० सी० एल० द्वारा करनाल जिले में ग्रासरूट तेल शोधन शाला
	हिमाचल प्रदेश
30.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड की दारलाघाट में सीमेंट संयंत्र और उससे सम्बन्धित गतिविधियां

1	2
	जम्मू और कश्मीर
31.	जे० के० खनिज विकास कार्पोरेशन लिमिटेड का पंथाल में डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट संयंत्र
32.	जे० के० खनिज विकास निगम लि० का पंथाल खानों के निकट पंथाल मैग्नेसाइट परियोजना
33.	कारगिल में भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न गोदाम
	कर्नाटक
34.	मंगलौर ताप विद्युत केन्द्र 2 × 210 मेगावाट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
35.	के० आई० ओ० सी० एल० का कैप्टिव विद्युत संयंत्र (48.5 मेगावाट)
36.	कैगा आणविक विद्युत परियोजना यूनिटें 3-6
37.	के० आई० ओ० सी० एल० का पेलेटिजेशन संयंत्र का विस्तार एवं उसे लाभकारी बनाना
38.	एच० पी० सी० एल० द्वारा मंगलौर में एल० पी० जी० आयात सुविधा
39.	क्वार्ट्ज क्राइस्टल और इलैक्ट्रोनिक सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए एच० एम० टी०, बी० ई० और के० एस० आई० डी० सी० के बीच संयुक्त परियोजना
40.	करवार, कर्नाटक में सी-बर्ड नौसैनिक बेड़ा
	केरल
41.	कयामकुलम ताप विद्युत केन्द्र 2 × 210 मेगावाट, एन० टी० पी० सी०
42.	कन्नानूर जिले के मोपला खाड़ी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण
43.	कालीकट जिले के विकल्नेन्डी में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण
44.	मालापुरम जिले में पोन्नानी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण
45.	कट्टूर पोलार्थ में मछली उतारने के बन्दरगाह का निर्माण
46.	अर्थुन्गल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण
47.	चाम्बोल में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण
	मध्य प्रदेश
48.	भादनपुर चूनापत्थर खान, मैहर सीमेन्ट
49.	टान्डसी कोयलाखान परियोजना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
50.	मलांजखण्ड तांबा परियोजना, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

1	2

महाराष्ट्र

51. रायगढ़ जिले के उसार में एल० पी० जी० रिकवरी संयंत्र
52. जी० ए० आई० एल० द्वारा ग्रेटर बाम्बे को प्राकृतिक गैस का वितरण
53. थाल में नाइट्रोजन खाद संयंत्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं
54. पदमपुर खुली खदान परियोजना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
55. गोंडगांव खुली खदान परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०
56. बेलोरा खुली खदान परियोजना, चरण-1, डब्ल्यू० सी० एल०
57. एलिफैन्टा, द्वीप में नये और हर मौसम में काम आने वाले जेटी का निर्माण
58. भारतीय खाद्य निगम द्वारा शोलापुर में गोदाम का निर्माण
59. बी० पी० टी० बन्दरगाह क्षेत्र में ससून डॉक में तटवर्ती सुविधाओं का निर्माण
60. बी० पी० टी० क्षेत्र के हे बन्दर में शेड संख्या 3 और 4 का पुनर्निर्माण
61. बी० पी० टी० क्षेत्र के इन्दिरा डॉक में शेड संख्या 14 और 15 का निर्माण

मेघालय

62. स्टोल एयरोड्रोम, मेघालय

उड़ीसा

63. नाल्को का कैप्टिव विद्युत संयंत्र 2 × 210 मेगावाट
64. नाल्को द्वारा दामणजोड़ी में एल्यूमिना रिफायनरी और अंगुल में एल्यूमिनियम स्मेल्टर की क्षमता में विस्तार
65. भारतीय खाद निगम द्वारा तालचर उर्वरक संयंत्र की पुनर्स्थापना (चरण-I)
66. राउरकेला इस्पात संयंत्र के चरण-II का आधुनिकीकरण
67. समलेश्वरी खुली खदान परियोजना, एस० ई० सी० एल०
68. भरतपुर खुली खदान परियोजना, एस० ई० सी० एल०
69. बेलपहाड़ खुली खदान परियोजना, एस० ई० सी० एल०
70. देउलबेरा और तालचर भूमिगत परियोजना, एस० ई० सी० एल०
71. पारादीप बन्दरगाह में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ का निर्माण
72. पारादीप बन्दरगाह में कोयले की रख-रखाव की सुविधाएं

1 2

पंजाब

73. गोयंदवाल साहिब ताप विद्युत केन्द्र 2 × 250 मेगावाट पंजाब राज्य बिजली बोर्ड

74. मोहाली के सास नगर में सेमीकंडक्टर काम्पलैक्स पर बी० एल० एम० आई० फेब्रिकेशन फेसि-लिटि का पुर्ननिर्माण

राजस्थान

75. पाइराइट फॉम्फेट्स और केमिकल्स लि० द्वारा सलादीपुरा फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र

तमिलनाडु

76. पिल्लई-पेरूमनाल्लुर में गैस आधारित परियोजना, 300 मेगावाट, तमिलनाडु बिजली बोर्ड

77. एन० सी० एल० का मौजूदा इंकाइयों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम (600 मेगावाट)

78. तमिलनाडु उद्योग कैप्टिव विद्युत निगम लि० का ताप विद्युत परियोजना 2 × 250 मेगावाट

79. भारतीय खाद्य निगम द्वारा सालेम में गोदाम का निर्माण

80. नागापट्टीनम क्वेद-ए-मिलेट जिले में यंत्र-चालित मछली पकड़ने की नौकाओं के आने-जाने की व्यवस्था

81. मद्रास के उत्तरी एन्नोर में एक न्यू सैटेलाइट पोर्ट की स्थापना

उत्तर प्रदेश

82. आगरा में मैसर्स दिवानचन्द सूरज प्रकाश जैन द्वारा मौजूदा क्यूपोला फर्नेस के स्थान पर इन्डक्शन फर्नेस लगाना

83. बुलन्दशहर में औरल पोलियो वेक्सिन यूनिट

84. दोइवाला चीनी मिल की क्षमता में विस्तार

85. भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा इटावा जिले के पाटा में उत्तर प्रदेश पेट्रो-रसायन परिसर

86. बिरला यामाहा लि० द्वारा लाल तापर में पोर्टेबल जेनेरेटर सेटों और बहुउद्देशीय इंजनों का संयोजन

87. आई० डी० पी० एल०, ऋषिकेश में डी० जी० सेटों और एयर कम्प्रेसरों की स्थापना

88. इलाहाबाद, नैनी में यमुना नदी पर पुल का निर्माण

89. आगरा-मथुरा-प्रभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 लाइनें

1	2
	पश्चिम बंगाल
90.	बालागढ़ ताप विद्युत केन्द्र (3 × 250 मेगावाट) पं० बं० राज्य बिजली बोर्ड
91.	पं० बंगाल औद्योगिक विकास निगम और टाटा चाय द्वारा हल्दिया में पेट्रो-रसायन परिसर
92.	जे० के० नगर भूमिगत परियोजना, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
93.	नक्राकोन्डा भूमिगत परियोजना, ई० सी० एल०
94.	तिलाबोनी भूमिगत परियोजना, ई० सी० एल०
95.	केन्द्रीय अंतर्जलीय परिवहन निगम लि० द्वारा हल्दिया और कलकत्ता के बीच अति-द्रुत पैसेंजर फेरी सेवा चलाने के लिए होवरक्राफ्ट प्राप्त करना
96.	कलकत्ता बन्दरगाह में खिदिरपुर डॉक पर गार्डन रीच रोड के स्वींग ब्रिज संख्या 1 का प्रतिस्थापन
97.	कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
98.	कार निकोबार में डीजल जेनेरेटर सेट, 3 मेगावाट
99.	नेल द्वीप में डीजल जेनरेटर सेट, 9.256 मेगावाट
100.	कोन्डुल द्वीप में डीजल जेनरेटर सेट, 0.048 मेगावाट
101.	हैवलॉक द्वीप में डीजल जेनरेटर सेट, 0.512 मेगावाट
102.	कामुरता द्वीप में डीजल जेनरेटर सेट, 0.75 मेगावाट
103.	पोर्ट ब्लेयर के हैडों में बर्थ संख्या 3 और 4 का निर्माण
104.	पोर्ट ब्लेयर के अबर्डीन जेटी पर रैम्प का निर्माण
105.	पोर्ट ब्लेयर में चट्टम काउज मार्ग के छोर पर 2 ट्रांजिट गोदामों का निर्माण और क्षेत्र का विकास
106.	पोर्ट ब्लेयर के फोनिक्स बे में पैसेंसर हाल और टिकट काउन्टर का निर्माण
107.	होप टाउन में खतरनाक कार्गो शेड रैम्प, शम्प और पम्प हाउस का निर्माण
108.	पोर्ट ब्लेयर के हैडों में गोदाम का निर्माण
109.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में इन्दिरा पॉयन्ट पर एक नये रेडियो बिकॉन का निर्माण

1	2
110.	पोर्ट ब्लेयर में मैरिन डॉक यार्ड के निकट वर्कशाप शेड का निर्माण
111.	पोर्ट ब्लेयर में फाईबर ग्लास के नावों के लिए शेड का निर्माण
	दिल्ली
112.	बवाना में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को गैस आधारित विद्युत परियोजना, 600 मेगावाट
113.	इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण
	अन्य
114.	आर-15ए ढांचे का विकास, (चरण-1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
115.	जी० ए० आई० एल० का एस० पी० यू० आर०-4 गैस पाइपलाइन परियोजना
116.	दूसरा बेसिन-हाजिरा गैस पाइपलाइन और हाजिरा तटवर्ती केन्द्र का विस्तार
117.	एच० बी० जे० पाइपलाइन को अद्यतन बनाना—जी० ए० आई० एल०
118.	तेल-भूकम्पीयता के लिए तट से दूर और तट के समीप उत्खनन

15-11-91 से 15-11-92 के बीच नामंजूर की गई
परियोजनाओं के नाम

क्रम सं०	परियोजनाओं के नाम
1	2
	असम
1.	नामरूप ताप विद्युत केन्द्र, चरण-3, 2 × 30 मेगावाट, असम राज्य बिजली बोर्ड
	बिहार
2.	नवीनगर ताप विद्युत केन्द्र, 2 × 500 मेगावाट, बिहार राज्य बिजली बोर्ड
	गुजरात
3.	नर्मदा ताप विद्युत केन्द्र, 2 × 500 मेगावाट, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड
4.	वघोदिया में एल० पी० जी० भंडारण सुविधाएं—भारतीय गैस प्राधिकरण लि०

1	2
	हिमाचल प्रदेश
5.	न्योगल जल विद्युत परियोजना
6.	मलाना जल विद्युत परियोजना
	जम्मू व कश्मीर
7.	सुरू जल विद्युत परियोजना
	कर्नाटक
8.	उपरी तुंगा परियोजना
	केरल
9.	केरल भवानी जल विद्युत परियोजना
	मध्य प्रदेश
10.	सिन्ध परियोजना चरण-II
11.	भिलाई स्पात संयंत्र
	महाराष्ट्र
12.	पिम्पलगांव जोग पम्प भंडारण स्कीम
	उड़ीसा
13.	ऊपरी कोलाब परियोजना, यूनिट-2
14.	राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण
15.	दैतारी के निकट स्पॉज लौह संयंत्र
16.	देउलबेरा भूमिगत खान, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
17.	तालचर भूमिगत खान, एस० ई० सी० एल०
	सिक्किम
18.	तीस्ता जल विद्युत परियोजना
	तमिलनाडु
19.	सालेम इस्पात संयंत्र (कोल्ड रोलिंग प्लान्ट्स)
20.	नेवेली लिग्नाइट निगम लि०के खान-3 के लिए सड़क नदी दिशा परिवर्तन स्कीम

1	2
	उत्तर प्रदेश
21.	गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना, चरण 3ए और 3बी
22.	पश्चिमी गंडक नहर
23.	नेपा मिल्स लि० द्वारा अलिगंज में रद्दी पर आधारित अखबारी कागज मिल
24.	मैसर्स बिनॉटो केमिकल्स का विस्तार, आगरा
25.	मैसर्स गंगा इंजिनियर्स द्वारा इन्डक्शन भट्ठी का निर्माण, आगरा
26.	मथुरा वायर्स (प्रा०) लि०, मथुरा द्वारा एम० एस० वायर का गेल्मेना इजिंग
27.	गोड मास्टर स्टिल स्ट्रिप, ऋषिकेश का विस्तार
28.	मैसर्स बिन्दल एग्रो-केमिकल्स द्वारा शाहजहांपुर में उर्वरक संयंत्र
29.	मैसर्स जे० के० पेट्रोकेम द्वारा सलीमपुर में पेट्रोरसायन यूनिट
	पश्चिम बंगाल
30.	बक्रेश्वर जल आपूर्ति परियोजना
31.	पुलिया पम्प भंडारण स्कीम
32.	सेल का अलॉय इस्पात संयंत्र
33.	भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी, बर्नपुर

15-11-92 तक की स्थिति के अनुसार लम्बित परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लंबित होने के कारण
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	रामगुंडम शैफ्ट ब्लाक-1, सिंगरेनी कोलियरीज कं० लिमिटेड	अक्टूबर, 82	अतिरिक्त सूचना अभी-अभी प्राप्त हुई।
2.	गौतम खानी परियोजना, एम० सी० सी० एल०	फरवरी, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया।
3.	मानूगुरू खुलीखदान-4, एस०सी० सी० एल०	अगस्त, 92	पूरी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	गोलेटी (लोंगवाल) 1 व 2 इन्कलाइन परियोजना, एम०सी०सी०एल०	अक्टूबर, 92	मांगे गये स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
5.	विशाखापट्टनम के बाहरी पत्तन में बर्थ का निर्माण	जुलाई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
6.	विशाखापत्तनम के बाहरी पत्तन में एल० पी० जी० मल्टीलाई जेटी का निर्माण	जुलाई 92	—वही—

1	2	3	4
असम			
7.	कोपिली विस्तार, एच०इ०पी०	सितम्बर, 92	समिति द्वारा विचार किया गया। अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
बिहार			
8.	टिस्को का कैप्टिव विद्युत संयंत्र 67.5 मेगावाट	सितम्बर, 92	समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों से मांगा गया संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन व पर्यावरणीय प्रबंध योजना अभी आनी है।
9.	राजरप्पा खुली खदान परियोजना सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	मई, 88	मांगा गया स्पष्टीकरण अभी-अभी प्राप्त हुआ है।
10.	अमझोर खनन परियोजना, पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड	मार्च, 88	अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
11.	नावमुन्डी लौह अयस्क खान, मैसर्स टाटा लौह इस्पात और कं० लि०	मार्च, 90	विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया।
12.	के० डी० हेसालांग (विस्तार) परियोजना, सी०सी०एल०	दिसम्बर, 91	गुफा चित्रकारी पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
13.	गोमरडीह डोलोमाइट उत्खनन (सिस्को)	जून, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
14.	चूरी भूमिगत परियोजना, सी०सी०एल०	नवम्बर, 91	—वही—
15.	चापरी-सिद्धेश्वर खान, हिन्दुस्तान कॉपर लि०	जनवरी, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया गया।
16.	केडला वाशरी परियोजना, सी०सी०एल०	फरवरी, 92	अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है।
17.	पारेज खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	जुलाई, 92	हाल ही में विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया
18.	केडला खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	जुलाई, 92	—वही—
19.	अशोक खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	अगस्त, 92	—वही—
20.	कोनार खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	सितम्बर, 92	—वही—
21.	राजमहल खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०	अक्टूबर, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई।
22.	तुलसीदामर डोलोमाइट खान, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	अक्टूबर, 92	प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ।
	गोआ		
23.	एक पेट्रोलियम सुरक्षा संस्थान का निर्माण	अगस्त, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	गुजरात		
24.	कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना	फरवरी, 90	परियोजना का मुहाना प्रणाली, प्रवासी मार्गों और वहनीय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
25.	उकाई कक्रापार आधुनिकीकरण परियोजना	जनवरी, 91	मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
27.	क्रिभको द्वारा हाजिरा में नाइट्रोफॉस्फेट उर्वरक संयंत्र	मई, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
	हरियाणा		
27.	मारुति उद्योग लि० का विस्तार	मई, 91	—वही—
	हिमाचल प्रदेश		
28.	अर्की चूना-पत्थर परियोजना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	नवम्बर, 92	हाल ही में प्राप्त हुई है।
	कर्नाटक		
29.	कुद्रेमुख में खनन सुविधाओं का विस्तार	मई, 92	वनस्पतिजात/प्राणिजात तथा सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर सूचना की प्रतीक्षा है।
30.	मामले मत्स्य बन्दरगाह पर मछली उतारने की दूसरे चरण की सुविधाओं का निर्माण	मई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है

1	2	3	4
	केरल		
31.	पुन्नापारा में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	अप्रैल, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा
32.	एर्नाकुलम हवार्फ का विस्तार	जुलाई, 92	—वही—
	मध्य प्रदेश		
33.	मोंगरा परियोजना	जनवरी, 91	संशोधित योजना की प्रतीक्षा है।
34.	बारगी डाइवर्सन परियोजना	अगस्त, 92	क्षेत्र के दौरे का रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुआ है।
35.	ग्वालियर के निकट संयुक्त सायकिल गैस आधारित परियोजना, 817 मेगावाट	अक्टूबर, 92	समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया।
36.	रौघाट लौह अयस्क परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र	जून, 87	रौघाट क्षेत्र के परिस्थितिकीय रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
37.	शीतलधारा भूमिगत परियोजना, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	नवम्बर, 91	पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाओं की प्रतीक्षा है।
38.	भंडार सं० 10/11ए और 11बी बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	फरवरी, 92	संशोधित पर्यावरणीय प्रबंध योजना हाल ही में प्राप्त हुई और विशेषज्ञ समिति ने विचार किया।
39.	जयन्त खुली खदान परियोजना, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	अगस्त, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
40.	चिरमिरी खुली खदान, एस०इ०सी०एल०	जुलाई, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार गया। अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र		
41.	उपरी वारघा परियोजना	अगस्त, 92	क्षेत्र के दौरे की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
42.	पिम्पलगांव खुलीखदान परियोजना वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	फरवरी, 92	विशेषज्ञ समिति ने दी गई स्पष्टीकरण पर हाल ही में विचार किया।
43.	सिंधुदुर्ग जिले में तालूका कुडाल के रमालकुन्ड में हवाई अड्डे का निर्माण	जुलाई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
44.	बम्बई बन्दरगाह में डॉक मास्टर के ढांचे का निर्माण	सितम्बर, 92	—वही—
	उड़ीसा		
45.	गंजम जिले के छत्रपुर में उड़ीसा सैन्ड्स काम्पलैक्स में नया थोरियम संयंत्र	नवम्बर, 91	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई सूचना/आंकड़े अपूर्ण पाए गए। परियोजना प्रस्तावकों से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया है। संशोधित रिपोर्ट अभी प्रस्तुत किया जाना है।

1	2	3	4
46.	एकीकृत एल्यूमिनियम परिसर का विस्तार (खान) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	जनवरी, 91	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया।
47.	सरगीपल्ली सीसा खान परियोजना हिन्दुस्तान जिंक लि०	जुलाई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	राजस्थान		
48.	धोलपुर ताप विद्युत केन्द्र, 3 × 250 मे० वा० राजस्थान बिजली बोर्ड	मई, 91	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
49.	राजस्थान आणविक उर्जा परियोजना यूनिट 5-8, रावतभाटा	सितम्बर, 89	स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
50.	सलादीपुरा पाइराइट खनन परियोजना, पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	सितम्बर, 88	संशोधित सूचना पर समिति ने हाल ही में विचार किया।
	सिक्किम		
51.	रोथांगनू जल विद्युत परियोजना	अगस्त, 91	समिति ने परियोजना पर विचार किया।
	तमिलनाडु		
52.	साउथ इंडिया विस्कोसे लि० द्वारा स्टैपल फाइबर प्लांट का विस्तार	सितम्बर, 92	समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया।

1	2	3	4
53.	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत केन्द्र, चरण-II 2× 210 मेगावाट	नवम्बर, 92	हाल ही में प्राप्त हुआ।
	उत्तर प्रदेश		
54.	जामरानी परियोजना	अप्रैल, 89	परियोजना प्राधिकारियों को अभी पर्यावरणीय प्रबंध योजना के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं।
55.	मेसर्स भारत एक्सप्लोसिव्स लि० द्वारा ललितपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विस्फोटक संयंत्र	मार्च, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	पश्चिम बंगाल		
56.	मैथन लेफ्ट बैंक ताप विद्युत केन्द्र, 4× 210 मे० वा०, दामोदर वैली० कार्पो०	सितम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। परियोजना प्राधिकारियों से मांगी गई संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अभी आनी है।
57.	जामबाद खुलीखदान परियोजना, इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	फरवरी, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
58.	सिमाकुरी I और 2 खान, ई०सी०एल०	नवम्बर, 89	प्रौद्योगिकी पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
59.	बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-2, 2× 210 मे०वा० (प० बं० रा० वि० बो०)	नवम्बर, 92	हाल ही में प्राप्त हुआ।

1	2	3	4
	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		
60.	कालपोंग जल विद्युत परियोजना	सितम्बर, 92	पूर्ण सूचना अभी प्राप्त होनी है।
61.	कार निकोबार द्वीप में मल्लक्का और टी टॉप में पेसेंजर हॉल और कार्गो शेड का निर्पाण	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
62.	टेरेस्सा में पत्तन नियंत्रण टावर, पैसेंजर-कम-कार्गो शेड, संचालक कर्मचारियों के मकान का निर्माण	नवम्बर, 91	—वही—
63.	कछाल में पत्तन नियंत्रण टावर और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
64.	चौवरा में पत्तन नियंत्रण टावर, पैसेंजर-कम-कार्गो शेड और संचालक स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	नवम्बर, 91 जून, 92	—वही— —वही—
65.	इन्टरव्यू द्वीप में नये प्रकाशमान बिकॉन की स्थापना		
	दमन एवं दीव		
66.	दमन में बन्डर वर्ल्ड रिसार्ट	सितम्बर, 92	हाल ही में प्राप्त हुआ।
67.	दमन में सागर तट पर "होटल सी व्यू"	अक्टूबर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	दिल्ली		
68.	तुगलकाबाद में अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो का स्थान निर्धारण	अक्टूबर, 92	पूर्ण सूचना की प्रतीक्षा है ।
	लक्षद्वीप		
69.	कारावत्ती में स्थायी बंकर की सुविधाएं	सितम्बर, 92	हाल ही में प्राप्त हुआ ।
	अन्य		
70.	दिल्ली से मारुति उद्योग लि० तक पाइपलाइन, जी० ए० आई० एल०	सितम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई ।
71.	कोंकण रेलवे परियोजना	अप्रैल, 92	विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट हाल में प्राप्त हुई है ।

चोकलेट में निकल की मात्रा

75. **श्री रवि राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय ने चोकलेट में निकल की मात्रा मौजूद होने से उत्पन्न खतरे पर विचार हेतु प्रमुख विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक बैठक खाद्य पदार्थों में मौजूद निकल की मात्रा के सारे विवरणों पर विचार करने तथा इसकी सीमा, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए हुई थी।

विशेषज्ञों ने निम्नलिखित की सर्वसम्मति से सिफारिश की :—

(1) खाद्य पदार्थों में निकल के निर्धारण की विधि की समीक्षा करने तथा उपलब्ध आंकड़ों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के निदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाए।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को निकल के सेवन किए जाने पर उसकी विषाक्तता के वैज्ञानिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और वह खाद्य पदार्थों में निकल संघटक के लिए मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पर सरकार को सलाह दे।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इस बारे में उपयुक्त सलाह दे दी गई है।

[हिन्दी]

वन्य जीवों की गणना

76. **श्री मोहन सिंह देवरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी वन्य जीवों जैसे चीता, शेर, तेंदुआ, हिरन तथा अन्य ऐसे जीवों की गणना नए सिरे से कराने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) हाथी, गैंडे, बाघ, शेर, तेंदुए और संकटापन्न मृग प्रजातियों जैसे जानवरों की गणना समय-समय पर की जाती है। पूरे देश में इन प्रजातियों की अगली गणना 1993 के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है। गणना कार्य में, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, वन्य जीव विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल करने का निश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रूपसा-बांगरीपोसी और नौपाडा-गुनुपुर रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलना

77. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समान गेज वाली रेल प्रणाली का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी मीटरगेज और छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को देखते हुए उड़ीसा में रूपसा-बांगरीपोसी और नौपाडा-गुनुपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना तैयार की गई है अथवा तैयार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों ने कार्य-योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत एक आमान प्रणाली की दिशा में अग्रसर होने हेतु मीटर लाइन और छोटी लाइन को चुनिंदा आधार पर बड़ी लाइन में बदला जायेगा।

(ख) और (ग) रूपसा-बांगरीपोसी खंड को कार्य-योजना के चरण-1 में शामिल किया गया है। नौपाडा-गुनुपुर खंड को अगले चरण में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा।

अधिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना

78. **श्री रमेश चेन्नितला**

श्री विलास मुत्तेमवार

श्री गीता मुखर्जी

श्री लोकनाथ चौधरी

श्री यादवेन्द्र सिंह गुमनाम

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल

श्रीमती सुशीला गोपालन

डा० सुधीर राय

श्री पी० सी० थामस

श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-मुम्बई के बीच चल रही राजधानी एक्सप्रेसों के अतिरिक्त कुछ और राजधानी एक्सप्रेस चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एक्सप्रेस गाड़ियों से किन शहरों एवं महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ा जायेगा और इन्हें कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1-11-92 से हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद/बेंगलूरु के बीच एक साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रैस शुरू की गई है। हजरत निजामुद्दीन तथा मद्रास के बीच साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रैस चलाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर तथा मद्रास को जोड़ेगी।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

79. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई गुजरात की उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है तथा उन पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गोधरा-दाहोद-इंदौर और देवास-मकसी (316 कि० मी०, गुजरात में 81 कि० मी०)

(ख) देवास-मकसी खंड पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह प्रगति 21 प्रतिशत है।

(ग) (1) इस कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) समूची परियोजना की प्रत्याशित लागत 297.14 करोड़ रुपये हैं।

(घ) गुजरात में आमान परिवर्तन के लिए कार्य योजना के चरण-1 में निम्नलिखित परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
1. मारवाड़-मेहसाना 282 कि० मी० गुजरात में 117 कि० मी०	आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 1991-92 की कीमतों के आधार पर लगभग 50 से 60 लाख रुपये प्रति कि० मी० है।
2. मेहसाना-अहमदाबाद (68 कि० मी०)	
3. राजकोट-वेरावल (185 कि० मी०)	
4. समदड़ी-भिलड़ी (223 कि० मी०, गुजरात में 103 कि० मी०)	
5. भिलड़ी-विरमगाम (145 कि० मी०)	

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता

80. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख स्टेशनों पर कूड़ा-कचरा और दुर्गंध फैली होती है;

(ख) स्टेशनों पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने तथा गाड़ियों के आने-जाने के समय रेलवे प्लेटफार्मों पर भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेलों द्वारा गाड़ियों और स्टेशनों पर सफाई के मानक में सुधार लाने और मानक बनाए रखने पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है। बड़े स्टेशनों पर चौबीसों घंटे सफाई के प्रबंध मौजूद होते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण स्टेशनों पर डस्टबिनों की व्यवस्था की गई है। बहुत से स्टेशनों पर भुगतान कर इस्तेमाल करने की प्रणाली शुरू हो गई है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मण्डल आधार पर सर्वोत्तम रख-रखाव वाले स्टेशनों को पुरस्कार देने की योजना भी प्रचलन में है। उपयोगकर्ताओं के विचार जानने और सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां गठित की गई हैं। महत्वपूर्ण चुनिंदा स्टेशनों पर सहायता बूथों की व्यवस्था की गई है।

(ग) यात्रियों को मिलने वाली सुख-सुविधाओं पर ध्यान रखने के लिए निरन्तर प्राथमिकता दी जाती है। समय-समय पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं, केन्द्रीकृत पूछताछ प्रणाली, जल-शीतकों, चित्रलेखों, इलैक्ट्रोनिक प्रदर्शन बोर्डों आदि की व्यवस्था जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के निकास/प्रवेश द्वारों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, स्टेशन परिसर तथा परिचलन क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए यातायात पुलिस सहित स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाती है।

उड़ीसा में आई० सी० डी० एस० के अन्तर्गत मुफ्त भोजन

81. **श्री के० प्रधानी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आई० सी० डी० एस० के माध्यम से उड़ीसा के कोरापुट, नवरंगपुरी, मल्कानगिरि तथा रायगोडा जिलों में लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु इन जिलों को अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० परियोजना, उड़ीसा के कोरापुट, नौरंग पुरी, मल्कानगिरी तथा रायगोदा जिलों के 25 ब्लाकों में चल रही है। पुराने कोरापुट जिले के जिन ब्लाकों में यह योजना चालू नहीं थी उन सभी ब्लाकों में, वर्ष 1991-92 के दौरान 17 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिन्हें अभी चालू नहीं किया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए पूरक पोषाहार का खर्च उड़ीसा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए निम्न-लिखिय धनराशि उपलब्ध कराई :—

1990-91	— 2.04 करोड़ रु०
1991-92	— 3.94 करोड़ रु०
1992-93	— 1.65 करोड़ रु० (पहली किस्त)

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1990-91 के दौरान 3 लाख रुपए तथा 1991-92 के दौरान 7.91 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किशोर बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में (जिनमें ये क्षेत्र भी शामिल हैं) आई० सी० डी० एस० लाभार्थियों को गेहूं तथा धन उपलब्ध कराया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)	गेहूं
1990-91	3.13	7150 मीट्रिक टन
1991-92	4.00	8000 „ „
1992-93	2.38	3200 „ „

संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता

82. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए देश की विभिन्न संस्कृत संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के इरिञेलाकुस स्थित कामाकोटी यजुर्वेद पाठशाला को दी जा रही वार्षिक अनुदान को बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संस्था को अनुदान पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) . (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) केरल के इरिजेलाकुस स्थित कामाकोड़ी यजुर्वेद पाठशाला को 1989-90 से राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय अनुदान देना बन्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर यह संस्थान नहीं चल रहा है और आवेदकों द्वारा केन्द्रीय सहायता का दुरुपयोग किए जाने का सन्देह भी व्यक्त किया गया है। इस प्रकार सम्बन्धित योजना के नियमों के अनुसार जब तक राज्य सरकार पुनः इस मामले की सिफारिश नहीं करती तब तक इस संस्थान को पुनः केन्द्रीय अनुदान प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत संगठनों/संस्थानों को दी गयी
वित्तीय सहायता की राज्यवार स्थिति

क्रम सं०	राज्य का नाम	के दौरान जारी किया गया अनुदान		
		1989-90	1990-01	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,79,399	3,96,475	3,94,875
2.	असम	25,080	27,580	25,080
3.	बिहार	24,59,062	23,17,291	33,04,737
4.	चंडीगढ़	35,493	35,775	24,175
5.	दिल्ली	9,54,333	2,62,125	2,82,750
6.	गुजरात	38,643	32,375	14,175
7.	हरियाणा	13,80,329	14,61,983	18,44,201
8.	हिमाचल प्रदेश	7,42,137	6,67,456	7,19,517
9.	जम्मू/कश्मीर	34,387	30,150	30,150
10.	कर्नाटक	14,04,649	10,57,895	10,79,495
11.	केरल	9,33,228	9,60,062	15,02,349
12.	महाराष्ट्र	11,80,700	14,21,984	17,46,762
13.	मध्य प्रदेश	98,832	1,05,300	87,075
14.	मणिपुर	84,600	84,600	84,600

1	2	3	4	5
15.	उड़ीसा	1,36,455	1,55,925	1,33,425
16.	पंजाब	1,19,979	1,25,125	93,825
17.	राजस्थान	3,49,583	3,34,650	2,97,900
18.	सिक्किम	—	12,900	5,400
19.	तमिलनाडु	26,14,121	16,09,956	28,20,038
20.	उत्तर प्रदेश	32,52,381	42,72,324	39,50,650
21.	पश्चिम बंगाल	12,44,960	8,25,170	54,425

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

83. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :**

श्री गोविन्दराव निकाम :

श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने राज्य-वार कौन-कौन-सी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) सरकार के पास पर्यावरण अथवा वन सम्बन्धी स्वीकृति के लिए राज्यवार कौन-कौन-सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं तथा उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वानिकी के दृष्टिकोण से मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाओं की सूचियों से सम्बन्धित विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) और (ग) 31-10-92 को लम्बित परियोजनाओं से सम्बन्धित दूसरा विवरण लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण-2 में दिया गया है ।

(घ) परियोजनाओं की मंजूरी सम्बन्धी निर्णय लेने में विलम्ब केवल उन्हीं मामलों में होता है, जहां पूर्ण आंकड़े और कार्य-योजनानाएं तैयार नहीं होतीं । अन्यथा, परियोजनाओं पर निर्णय, पर्यावरण के सम्बन्ध में पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य-योजनाओं की प्राप्ति के तीन माह के भीतर और वनभूमि देने के मामले में एक माह के भीतर ले लिया जाता है । मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाता है ।

विवरण-1

(क) पर्यावरणीय मंजूरी :

गुजरात :

1. शेतरंजी सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण
2. फतेवाडी आधुनिकीकरण परियोजना
3. भदार सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना
4. खरीकट आधुनिकीकरण परियोजना
5. दंतीवाडा आधुनिकीकरण परियोजना

मध्य प्रदेश :

6. बरगी बहु-उद्देशीय परियोजना

महाराष्ट्र :

7. जायकावाडी चरण-1 और 2
8. वाघुर नदी परियोजना

पंजाब :

9. धोलवा मध्यम सिंचाई परियोजना

राजस्थान :

10 जयसमंद आधुनिकीकरण परियोजना

तमिलनाडु :

11. पेरियार वैगाई सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश :

12. मेजा बांध को बढ़ाना
13. टिहरी बांध परियोजना

(ख) वानिकी मंजूरी :

आन्ध्र प्रदेश :

14. 21 लघु सिंचाई तालाब

गुजरात :

15. घंटा पी० टी० सिंचाई
16. कोठियावाली सिंचाई में लघु सिंचाई स्कीम का निर्माण

17. कयासिया एम० आई० पी० सिंचाई
18. कनपुरा एम० आई० स्कीम
19. नर्मदा परियोजना की मुख्य नहर का निर्माण
20. माजुम सिंचाई परियोजना, नाल परियोजना
21. गलकुंड क्षेत्रीय डब्ल्यू० एस० एस०, सिंचाई

कर्नाटक :

22. 39वीं सहायक सिंचाई नहर एच० आर० बी० एच० एल० सी० बिछाना
23. सिद्दापुर में जल भंडारण तालाब, सिंचाई

मध्य प्रदेश :

24. सोनपुर इरिगेशन टैंक, इरिगेशन
25. डोडें टैंक इरिगेशन का निर्माण
26. मनी-खेरी टैंक प्रोजेक्ट इरिगेशन
27. चकला टैंक, इरिगेशन
28. टमिया टैंक इरिगेशन का निर्माण
29. पोंडा टैंक इरिगेशन का निर्माण
30. पोंडी जैतगढ़ एम० आई० टी० प्रोजेक्ट, इरिगेशन
31. बन्दकपुर सेमर खोह एम० आई० पी०, इरिगेशन
32. गुवरी इरिगेशन प्रोजेक्ट
33. तीरगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट
34. गोविन्दपुरा टैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट
35. राजघाट इन्टरस्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट
36. संक स्वर्णरेखा लिंक कैनाल, इरिगेशन
37. गुदी-खेडा टैंक, इरिगेशन का निर्माण
38. अमादेह टैंक प्रोजेक्ट
39. चिखली टोला प्रोजेक्ट
40. भवानीपुर टैंक
41. अमहा टैंक का निर्माण
42. मुतबा इरिगेशन टैंक प्रोजेक्ट
43. बकारकट्टा इरिगेशन प्रोजेक्ट

44. अमदानिया डाइवर्जन स्कीम

45. निचली सिरपरी इरिगेशन स्कीम

46. धरमपुरा टैंक प्रोजेक्ट

47. बोदरा बांध टैंक का निर्माण

48. मोगा इरिगेशन टैंक

49. पिपलई टैंक इरिगेशन का निर्माण

50. नगरी टैंक का निर्माण

51. परसारा टैंक प्रोजेक्ट

52. रामपुरा टैंक का निर्माण

53. जूझरपुर टैंक प्रोजेक्ट

54. धौलावाड प्रोजेक्ट का निर्माण

55. पालस प्रोजेक्ट, इरिगेशन

56. एन० डब्ल्यू० एल० डिवीजन में निरन्दपुर टैंक प्रोजेक्ट

57. झिरिया प्रोजेक्ट डब्ल्यू० एम० एस०, इरिगेशन

58. बबीर मटिया टैंक प्रोजेक्ट

59. रामपुर खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट

60. कयोटिया टैंक प्रोजेक्ट

61. अमझोर टैंक प्रोजेक्ट

62. बुधान टैंक प्रोजेक्ट

63. मोहिनी पिक-अप वेयर अंडर प्रोजेक्ट

64. पादरखेड़ा टैंक प्रोजेक्ट का निर्माण

65. बरगूर कैनाल का निर्माण

66. गेज एम० आई० पी० इरिगेशन

महाराष्ट्र :

67. घाटघर पम्प स्टोरेज स्कीम

68. अपर परवारा एम० आई० पी० इरिगेशन

69. संगवी में माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट

70. कृषि उद्देश्य के लिए पाइपलाइन

71. श्री चरापतिनाथ सहकारी कार्पोरेशन सोसायटी द्वारा पाइपलाइन

72. मोहागवन में एम० आई० टी०

73. वदनेरा एम० आई० पी०

74. हावर-खेडा में एम० आई० टी०

75. पालधाग इरिगेशन प्रोजेक्ट

76. तोराना नदी परियोजना

77. मोरवे डैम का निर्माण

78. देवगांव टेंक प्रोजेक्ट का निर्माण

79. चपडोट एम० आई० पी०

80. डब्ल्यू० एस० एस० का रोड एंड वाटर बैलेंसिंग टेंक

81. वाघुर नदी परियोजना का निर्माण

82. वाघुर नदी परियोजना

उड़ीसा :

83. गंजाधार एम० आई० पी०

84. ओस्टाली एम० आई० पी०

85. रायझरन एम० आई० पी०

86. खरबंका एम० आई० पी०

87. गोपालगंडा एम० आई० पी०

88. बोधोलोटी एम० आई० पी० का निर्माण

89. कालीमाटी इरिगेशन टेंक

90. कुराजोडी एम० आई० पी०

91. सुवर्णरेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट

92. देव एम० आई० पी०

93. नीदुम एम० आई० पी०

94. कुन्दावाडी एम० आई० पी० का निर्माण

95. लैंकेरा में हटीनाला एम० आई० पी०

96. कंसाबहल इरिगेशन प्रोजेक्ट

97. तुरूनगढ़ इरिगेशन टेंक का निर्माण

98. बदाजोर एम० आई० पी०

99. मासिनल्ला माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट

राजस्थान :

100. जगपुरा नहर का निर्माण

तमिलनाडु :

101. कुथिरेयार नदी के पार कुथिरेयार जलाशय
102. तमिलनाडु बार्डर से पुंड तक कृष्णा जल आपूर्ति नहर
103. लेफ्ट कैनाल कालावारसपल्ली जलाशय
104. एक्स्केरेटिंग कैनाल
105. कोदुमुदियार अनुसन्धान स्कीम का निर्माण

उत्तर प्रदेश :

106. तिपोला नहर का निर्माण
107. बरैंट कैनाल का निर्माण
108. ककराड पेयजल स्कीम
109. देवलधर कैनाल
110. चामासरी कैनाल
111. कोट कैनाल का निर्माण
112. राजघाट डैम का निर्माण
113. छावनी बोर्ड को जलापूर्ति

विवरण-2

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4
(क) पर्यावरणीय मंजूरी :			
	गुजरात :		
1.	उकाई ककरापार आधुनिकीकरण परियोजना	जनवरी, 1991	मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
	मध्य प्रदेश :		
2.	मांगरा परियोजना	जनवरी, 1991	संशोधित कार्य योजना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
3.	वर्गो डाइवर्सन प्रोजेक्ट	अगस्त, 1992	मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
	महाराष्ट्र :		
4.	ऊपरी वर्धा परियोजना	अगस्त, 1992	1992 के दौरान परियोजना क्षेत्र का विशेषज्ञ दल के दौरे के पश्चात् मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
	उत्तर प्रदेश :		
5.	जामरानी परियोजना	अप्रैल, 1989	विस्तृत कार्य योजना ओंकी प्रतीक्षा है।
(ख)	वानिकी मंजूरी :		
	आन्ध्र प्रदेश :		
6.	सरस्वती नहर	अक्तूबर, 1992	कार्यवाही चल रही है।
	गुजरात :		
7.	दमन परियोजना	अक्तूबर, 1992	कारंवाई चल रही है।
8.	लखिया लघु सिंचाई स्कीम	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है।
9.	जंखीरी सिंचाई स्कीम	अगस्त, 1992	सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है।
10.	वालन सिंचाई स्कीम	जुलाई, 1992	कारंवाई चल रही है।
	महाराष्ट्र :		
11.	सरेखा एम० आई० टैंक का निर्माण	अप्रैल, 1992	मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
12.	सिंदूरवाही टैंक का निर्माण	अप्रैल, 1992	कारंवाई चल रही है।
13.	असवाली लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	अप्रैल, 1992	कारंवाई चल रही है।
14.	एम० आई० हरास्ती का निर्माण	अप्रैल, 1992	स्थल निरीक्षण रपोर्ट की प्रतीक्षा है।
15.	सागरनल्ला एम० आई० परियोजना	अक्टूबर, 1992	कारंवाई चल रही है।

1	2	3	4
16.	बरपनी एम० आई० टैंक	अप्रैल, 1992	कार्रवाई चल रही है।
17.	पुनान्दी लघु सिंचाई परियोजना	अप्रैल, 1992	कार्रवाई चल रही है।
18.	ओवारा मिडियम टैंक का निर्माण	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
19.	दुधांगनागा सिंचाई परियोजना	अक्टूबर, 1992	राज्य सरकार से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
20.	धनौली में एम० आई० टैंक का निर्माण	अक्टूबर, 1992	राज्य सरकार से मांगे गये अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
21.	वाजटोला लघु सिंचाई टैंक	सितम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
22.	सलोद में एम० आई० टैंक	सितम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
23.	मोर रीवर प्रोजेक्ट	अक्टूबर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
24.	भाटसा दूसरे चरण का निर्माण	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
25.	पुराडा एम० आई० टैंक का निर्माण	सितम्बर, 1992	राज्य सरकार से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
26.	निमगांव में एम० आई० टैंक का निर्माण	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
27.	पलान्दुर एम० आई० टैंक का निर्माण	सिमम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
28.	पुरकावोडी एम० आई० टैंक	सितम्बर, 1992	राज्य सरकार से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
29.	उमरझारी परियोजक्ट और नहर का निर्माण	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
	मध्य प्रदेश :		
30.	कोसग्टेडा एम० आई० पी०	सितम्बर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
31.	पी० बी० 103 सिंचाई परियोजना का निर्माण	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
32.	नेब्टे टेंक प्रोजेक्ट	सितम्बर, 1992	अगली सलाहकार समिति की बैठक में विचार किया जाना है ।
33.	खुदरी सिंचाई परियोजना	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
34.	झांझीमहोरा टेंक	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
35.	ढाबाखर टेंक परियोजना	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
36.	लहसुमवाबी टेंक	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
37.	कोल्हीगांव टेंक	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
38.	गोहन नाला टेंक	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
39.	लिलार डाइवर्सन का निर्माण	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
40.	वागेन टेंक परियोजना	सितम्बर, 1992	कारंवाई चल रही है ।
41.	कोडलानाला टेंक	सितम्बर, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
42.	लोवर भेनडोरा टेंक परियोजना	सितम्बर, 1992	सलाहाकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है ।
43.	पेढी टेंक परियोजना	सितम्बर, 1992	सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है ।
44.	नायक बंधा टेंक का निर्माण	सितम्बर, 1992	सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है ।
45.	कंसाबल डाईवर्सन स्कीम	सितम्बर 1992	कारंवाई चल रही है ।
46.	श्यामगिरि सिंचाई प्रोजेक्ट	अगस्त, 1992	कारंवाई चल चल रही है ।
47.	बत्रा सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
48.	मुराई टेंक प्रोजेक्ट	अगस्त, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
49.	विरानपुर-सिंचाई प्रोजेक्ट	अगस्त, 1992	कारंवाई चल रहीं है ।
50.	दुमोरपाली सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
51.	अमरपुरा सिंचाई परि-योजना का निर्माण	अगस्त, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
52.	पाहड़ा सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1992	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

1	2	3	4
53.	चन्द्र नगर सिंचाई प्रोजेक्ट	अगस्त, 1992	कार्रवाई चल रही है।
54.	सायर सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1992	सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचार किया जाना है।
	पंजाब :		
55.	होशियारपुर में मेहगरवाल और मलौट गांवों का डमसल डैम (78.04 हे०)	अक्तूबर, 1992	कार्रवाई चल रही है।
	राजस्थान :		
56.	बिलास सिंचाई परियोजना	सितम्बर, 1992	राज्य सरकार से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
	उत्तर प्रदेश :		
57.	टिहरी जिले में डुगड्डा नहर (1.23 हे०)	अक्टूबर, 1992	कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली और जबलपुर के बीच तेज द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाना

84. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल परिसर निर्मित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो, उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या नई दिल्ली और जबलपुर वरास्ता कटनी और बीना के बीच द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह कार्य सितम्बर, 1992 में शुरू किया गया है।

(ग) फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रेलगाड़ियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी में वृद्धि

85. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी गाड़ियों जैसे नवजीवन एक्सप्रेस तथा भोपाल देश के दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वी भागों से आने वाली अन्य गाड़ियों को पश्चिम रेलवे के ओखा, द्वारका तथा पोरबन्दर तक बढ़ाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सर्वश्री दत्ते, मेघे, हरिलाल नंजी पटेल, चंद्रेश पटेल, एल० के० आडवाणी, एम० एन० वेकारिया, दिग्विजय सिंह, हरिभाई पटेल, श्रीमती भावनाबेन चिखालिया, संसद सदस्यों, श्री शशिकांत लखानी, मंत्री, गुजरात राज्य सरकार, श्री परमानन्द कट्टर, विधायक, अध्यक्ष, नवानगर चेम्बर आफ कामर्स, श्री दिनेश नंदा, जामनगर के महापौर, अध्यक्ष सौराष्ट्र, राजकोट ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) 2981/2982 जम्मूतवी-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस को एक सप्ताह में एक दिन के लिए राजकोट तक बढ़ाया गया है और इसे 2983/2984 के रूप में नया नम्बर दिया गया है। 2613/2614 गांधीधाम-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन) और 9101/9102 गांधीधाम-बडोदरा एक्सप्रेस को जुलाई, 92 से चलाया गया है। अन्य गाड़ियों के विस्तार की जांच की गई है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

जनसंख्या नियंत्रण

86. **श्री आर० अनुबकोड़ी आदित्यन** :

श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जनसंख्या की वृद्धि कितनी है ;

(ख) सरकार ने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार राज्यवार जनसंख्या पर नियन्त्रण रखने में किस हद तक सफल रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म एवं मृत्यु दरों के अनुमानों के बीच का अन्तर है जो भारत के महापंजीयक के नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त हुए हैं। इन अनुमानों के आधार पर जनसंख्या की वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर अंततम वर्ष 1990 की 2.05 प्रतिशत है।

(ख) बढ़ती हुई आबादी को रोकने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। यह

कार्य योजना समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन में एक राष्ट्रीय जनमत तैयार करने की आवश्यकता को दर्शाती है। इसके मुख्य घटकों में शामिल हैं : परिवार कल्याण की गुणवत्ता में सुधार करना और इन्हें दूर-दराज के इलाकों में उपलब्ध कराना, 90 कम कार्य-निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जन्म दर प्रति हजार आबादी पर 39 तथा अधिक) पर विशेष ध्यान देने की विशिष्ट नीति तैयार करना, वास्तविक जन्म दर में कमी लाने, जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को पर्याप्त बढ़ावा देना, युवा आयु वर्ग के दम्पतियों की इसके अन्तर्गत कवरेज बढ़ाने के आधार पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध कराना, उद्देश्य परक तथा परामर्शी पहलुओं पर बल देते हुए चिकित्सा/परा-चिकित्सा गतिविधियों को बढ़ाना, व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए अच्छे कार्य को कायम रखना, शिशु जीवनरक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जीवन मुद्दों तथा अन्तर वैयक्तिक संचार की गुणवत्ता पर प्रकाश डालने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रयासों का पुनरभिविन्यास स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों का कार्यक्रम में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन को तेज करना तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर इत्यादि पर अन्तर-क्षेत्रीय समन्वयन तैयार करना।

(ग) भारत की जनसंख्या की वार्षिक प्राकृतिक वृद्धि दर वर्ष 1986 में 2.15 प्रतिशत थी। यह वर्ष 1990 में घटकर 2.05 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1986 तथा 1990 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में हुए राज्यवार परिवर्तन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्राकृतिक वृद्धि दर में राज्यवार ब्यौरा 1986 तथा 1990 (एस० आर० एस० अनुमान)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राकृतिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		1986	1990
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.17	1.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.52	1.69
3.	असम	2.21	1.92
4.	बिहार	2.27	2.23
5.	गोवा	1.35*	0.89
6.	गुजरात	2.17	2.07
7.	हरियाणा	2.66	2.35
8.	हिमाचल प्रदेश	2.19	1.89

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	2.48	2.35
10.	कर्नाटक	2.03	1.99
11.	केरल	1.64	1.36
12.	मध्य प्रदेश	2.36	2.45
13.	महाराष्ट्र	2.17	2.01
14.	मणिपुर	1.90	1.52
15.	मेघालय	2.53	2.40
16.	नागालैण्ड	1.93	1.21
17.	उड़ीसा	1.95	1.83
18.	पंजाब	2.05	1.98
19.	राजस्थान	2.47	2.40
20.	सिक्किम	2.04	1.90
21.	तमिलनाडु	1.43	1.31
22.	त्रिपुरा	1.82	1.78
23.	उत्तर प्रदेश	2.29	2.36
24.	पश्चिम बंगाल	2.09	1.98
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.77	1.59
26.	चंडीगढ़	1.91	1.44
27.	दादरा और नागर हवेली (ग्रामीण)	3.40	2.69
28.	दमण और दीव	अनुपलब्ध	1.89
29.	दिल्ली	2.22	1.77
30.	लक्षद्वीप	2.72	1.98
31.	पाण्डिचेरी	1.42	1.42
	योग :	2.15	2.05

*गोवा एवं दमण दीव के लिए संयुक्त दर।

मैसूर में मीटर गेज लाइन को बदलना

87. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर रेलवे स्टेशन और अशोकपुरम रेलवे वर्कशाप के बीच चार किलोमीटर लम्बी मीटर गेज लाइन को बदलना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मैसूर कारखाने में बड़ी लाइन का आवधिक ओवरहाल कार्य शुरू करने के निर्णय पर निर्भर करता है।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार में कमी

88. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेस्वरलु** :

श्री बी० धनंजय कुमार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 के दौरान खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992 के दौरान अपेक्षित भंडार कितना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां। केन्द्रीय पूल में 1-10-1992 को स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल का 93.15 लाख मीटरी टन का स्टाक था जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख तक केन्द्रीय पूल में 148.80 लाख मीटरी टन का स्टाक था।

(ख) खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के स्टाक में 1991-92 और 1992-93 के दौरान गेहूं की कम वसूली होने और 1991-92 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं के अधिक आवंटन और उठान करने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने के कारण मुख्यतया गेहूं के स्टाक में कमी हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में पिछले तीन वर्षों और 1992 के दौरान चावल और गेहूं

के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख मीटरी टन में)

तारीख	चावल	गेहूं	जोड़
1-10-89	15.37	75.68	91.05
1-10-90	43.60	115.71	159.31
1-10-91	64.89	83.91	148.80*
1-10-92	50.62	41.53	93.15*

*पुनर्मिलान की शर्त पर अनन्तिम।

लालकिले को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाना

89. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐतिहासिक स्मारकों जैसे लालकिला अथवा दूसरे स्मारकों को स्वतन्त्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लाल किला, दिल्ली के उन कमरों को उपयुक्त ढंग से स्वतन्त्रता संग्राम के स्मारक के रूप में परिरक्षित किया जा रहा है, जिनमें आजाद हिन्द फौज के अफसरों को बन्दी बनाया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुरहानपुर के निकट पैदल आवागमन हेतु उपरि पुल

90. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा जिले में बुरहानपुर में रेल लाइनें पूर्व में लाल बाग तथा पश्चिम में चिचेला को विभक्त करती है जिससे वहां रेलवे उपरि पुल न होने के कारण लोगों को भारी असुविधा होती है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप रेलवे फाटकों पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो वहां पैदल आवागमन हेतु उपरि पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लालबाग और चिचला रेल लाइन पर विपरीत दिशाओं में है। वहां पास ही में दो निचले पुल तथा एक चौकीदार वाला समपार है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर व्यक्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के प्रस्तावों पर विचार करती हैं; बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की सहमति सहित ऐसे प्रस्ताव प्रायोजित किए जाएं।

[अनुवाद]

टाइफाइड का फैलना

91. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "टाइफाइड स्प्रैडिंग इन इण्डिया" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश में टाइफाइड फैल रहा है और उसका उपचार महंगा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में टाइफाइड के फैलाव को रोकने के लिए कोई नीति अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां।

सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न वैज्ञानिक लेख-पत्रों ने आंत्रज्वर पैदा करने वाले अवयवों में औषध रोधक के प्रादुर्भाव पर बल दिया जिससे इलाज के लिए और नई औषधों का प्रयोग आवश्यक हो गया है जो महंगी हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि अब तक आंत्रज्वर क्लोरेम्फेनिकाल के प्रति संवेदनशील एस० टाइफी द्वारा होता था। लेकिन हाल ही में जिन आंत्रज्वर रोगियों की सूचना दी जा रही है, उनके बारे में यह माना जाता है कि ज्वर बहु-औषध रोधी एस० टाइफी द्वारा होता है। इन अध्ययनों के परिणामों से प्रदर्शित हुआ है कि आंत्रज्वर के रोगियों से अलग किए गए एस० टाइफी सामान्यतया प्रयोग किए गए सभी ऐंटिबायटिकों के प्रतिरोधी हैं। तथापि, इस जीवाणु को फ्यूराजोलीडोन के प्रति संवेदनशील पाया गया जो महंगी ऐंटिबायटिक औषध नहीं है।

(ग) और (घ) आंत्रज्वर प्रमुखतः पानी से फैलने वाला रोग है तथा मल के ठीक-ठीक निपटान और साफ पेयजल की व्यवस्था करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों और संगठनों द्वारा इनके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973

92. **श्री शरद यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटिया किस्म की शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों की बहुतायत को देखते हुए क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 में दी गई सरकार को शक्तियों तथा उसकी भूमिका की समीक्षा करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन प्रत्येक प्राइवेट स्कूल का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

स्कूल/महाविद्यालय खोले जाने हेतु अनुमति

93. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी संस्थानों से दिल्ली में स्कूल और महाविद्यालय खोलने हेतु अनुमति/संस्वीकृति मांगने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान, दिल्ली प्रशासन को निजी संस्थानों से 78 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्ष 1992 के दौरान निजी संस्थानों द्वारा दिल्ली में महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसे प्रस्तावों की जांच-पड़ताल की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज पर दी गई राजसहायता को लौटाना

94. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा वसूली गई राजसहायता को राज्य सरकार को सफेद अखबारी कागज सप्लाई करने के कारण वापस करने का कोई निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को 228.88 लाख रु० की आर्थिक सहायता की राशि देना उचित नहीं पाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा दिए गए कागज का मूल्य, योजना में बताए गए मूल्यों के अनुरूप नहीं था ।

संगीत नाटक अकादमी

195. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के कार्यकरण पर हक्सर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं; और

(ख) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संगीत नाटक अकादमी के कार्य संचालन के बारे में हक्सर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य शिफारिशें विवरण के रूप में दी गई हैं ।

(ख) इन सिफारिशों पर विचार करने और उन पर निर्णय लेने से सम्बन्धित मामले पर सरकार गौर कर रही है ।

विवरण

पुरस्कार तथा अधिसदस्यता

9.109 जिन कलाकारों को अकादमी का वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है वे यदि चाहें तो उन्हें पुरस्कार प्राप्त होने के अगले वर्ष के दौरान देश के कुछ शहरों (उनकी रुचि के अनुकूल) में प्रस्तुतियां करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ।

9.110 हालांकि अकादमी के संविधान में सह अधिसदस्य चुनने का प्रावधान है किन्तु व्यवहार में अब तक कोई अधिसदस्य नहीं चुना गया । इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

अनुसंधान एवं प्रलेखन

9.111 अकादमी को अनुसंधान वृत्तियां प्रदान करके, तथा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करा के अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग प्रदान करना चाहिए ।

9.112 व्यापक संभावनाओं को देखते हुए अकादमी का दृश्य-श्रव्य सामग्री का संग्रह और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ।

9.113 रिकार्डिंगों की पूरक लिखित सामग्री का समुचित अनुसंधान के माध्यम से उपयुक्त संग्रह करने की जरूरत को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए ।

9.114 अभिलेखागारीय सामग्री के वर्गीकरण, सूचीकरण तथा कैटेलॉग तैयार करने के मामले में मौजूद गंभीर खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

9.115 अकादमी के परिसर में उपलब्ध कंप्यूटरीकृत अथवा दृश्य-श्रव्य सामग्री को संदर्भ के लिए देखने की सुविधाओं में बहुत सुधार अपेक्षित है। अकादमी को देश भर में अपने अभिलेखागारों को उपलब्ध कराने की सुविधा में भी सुधार करना चाहिए।

9.116 अकादमी के पुस्तकालय के लिए तथा संगीत वाद्यों को एकत्र करने के लिए अधिक स्थान तथा धनराशि प्राप्त करनी चाहिए।

9.117 प्रदर्शनपरक कलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय संस्था होने के नाते अकादमी को सर्वोत्तम प्रस्तुतियां करानी चाहिए। इस सम्बन्ध में गुणवत्ता तथा रुचि के परिष्कार को महत्व दिया जाना चाहिए।

कथक केन्द्र तथा मणिपुर अकादमी

9.118 कथक केन्द्र तथा जवाहर लाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी के लिए भवन की व्यवस्था के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

9.119 इन संस्थाओं के संकाय सदस्यों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में सुधार किया जाना चाहिए तथा असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। कथक केन्द्र तथा मणिपुर अकादमी के निदेशक की हैसियत और वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। मणिपुर अकादमी में अतिथि गुरुओं की परिलब्धियां स्पष्ट रूप से बहुत कम हैं। इन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

9.120 दोनों संस्थाओं के लिए बजट प्रावधान बढ़ाए जाने चाहिए।

9.121 इन दोनों संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के प्रश्न को शीघ्र ही निपटाया जाना चाहिए।

9.122 अकादमी को नृत्य रचना संस्थान शुरू करना चाहिए।

प्रचार

9.123 अकादमी को जीवित महान संगीतकारों, नृत्यकारों और नाट्य प्रस्तोताओं को रिकार्डिंग करने का व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू करना चाहिए इसे संगीत, नृत्य और नाटकों की शास्त्रीय पारम्परिक और लोक शैलियों के दुर्लभ रूपों का तथा प्राचीन पांडुलिपियों का पता लगाकर उनका संग्रह करना चाहिए।

9.124 प्रस्तुतिपरक कलाओं पर साहित्य तथा वाणिज्यक रिकार्डिंग बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए तथा देखने-सुनने के लिए सुलभ होनी चाहिए। वाणिज्यिक घरानों से अकादमी की मोहर लगे ऑडियो-वीडियो कैसेट निकलवाए जाने चाहिए।

9.125 अकादमी को संगीत और नृत्य के क्षेत्र में सर्जनात्मक नवोन्मेष को मान्यता तथा सहयोग प्रदान करना चाहिए।

9.126 संगीत और नृत्य की संस्थाओं में प्रशिक्षण दे रहे शिक्षकों—जिन्होंने इसी पद्धति में स्वयं भी शिक्षा पाई है— के ज्ञान और क्षमता को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम द्वारा अद्यतन बनाए रखा जाना चाहिए।

9.127 गुरु-शिष्य परम्परा को कायम रखने के लिए गुरुओं और शिष्यों को वृत्तियां प्रदान करने की योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। अकादमी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे अभिकरणों के सहयोग से संगीत और नृत्य की शैक्षिक सामग्री तैयार करनी चाहिए। इसके साथ ही गुरुकुलों और संगीत नृत्य संरक्षण केन्द्रों (Conservatories) की पद्धति पर देश की परिस्थितियों के अनुकूल प्रशिक्षण पद्धति तैयार करनी चाहिए।

9.128 पश्चिमी शास्त्रीय संगीत तथा चर्चा की भी अकादमी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देश में कुछ संस्थाएं पश्चिमी संगीत क्षेत्र में गंभीर रूप से समर्पित है। अकादमी को इन्हें सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

9.129 सांस्कृतिक उद्देश्य सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रायोजित अतिरंजनापूर्ण कार्यक्रमों तथा उत्सव से पूरा नहीं होता। महोत्सव आयोजित करने की प्रवृत्ति चाहे देश में आयोजित हो या विदेश में, कम की जानी चाहिए। पारम्परिक कलाकारों को चाहे वे शास्त्रीय कला के हों या लोक अथवा जनजातीय कला के भारत या विदेश में प्रदर्शित की जाने वाली संग्रहालय की वस्तुएं नहीं समझा जाना चाहिए।

9.130 लोक तथा जनजातीय कलात्मक कार्यकलाप को इसके प्रामाणिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्रगति और प्रोत्साहन के नाम पर हानिकर बाह्य तत्वों का इसमें समावेश नहीं किया जाना चाहिए

संविधान

9.131 अकादमी की व्यापक परिषद तथा अन्य निकायों को अध्याय 6 के खंड 8 में बताए गए ढंग से पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कोंच और जालौन के बीच रेलगाड़ी चलाना

96. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य रेलवे पर कोंच से जालौन क्षेत्र के नागरिकों की लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए कोंच से जालौन के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोंच और उरई (जालौन उरई स्टेशन द्वारा सेवित है) के बीच गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालिक तथा संसाधनों की तंगी और यातायात का औचित्य न होने के कारण।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आबंटन

97. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त वर्ष में आबंटित धनराशि से अधिक धन की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जमा 2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की योजना के अन्तर्गत राज्यों को उनके द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर अनुदान मुक्त किया जाता है।

वर्ष 1991-92 के दौरान, राज्य सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के वेतन घटक के लिए केन्द्रीय भाग के रूप में 210.03 लाख रुपये की राशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा जो पद भरे नहीं गए थे उतनी राशि को छोड़कर तथा बकाया राशि का समायोजन करने के पश्चात् कुल 194.695 लाख रु० की राशि मंजूर की गई थी। वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 97.347 लाख रु० मुक्त किये गए थे। पहले दिये गए अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर तथा बकाया राशि को समायोजित करके शेष राशि को 1992-93 के दौरान मुक्त कर दिया गया था।

[अनुवाद]

कायनकुलम-त्रिवेंद्रम रेल लाइन को दोहरा किया जाना

98. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम से त्रिवेंद्रम (वाया कोट्टयम) रेल लाइन पर पिछले एक वर्ष के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और इस लाइन पर बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या कायनकुलम् से त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन पर क्षमता से अधिक गाड़ियां चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर रेल यातायात को कम करने और बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसे दोहरा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान इस खंड पर माल गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण 8 दुर्घटनाएं हुई।

बार-बार दुर्घटनाएं न होने देने के लिए किये गए उपाय :

यद्यपि इस खंड में परिसंपत्तियों को अच्छी हालत में रखने के लिए हरसम्भव प्रयास किये गए हैं परन्तु निम्न द्वारा रेलपथ के अनुरक्षण में सुधार के लिए विशिष्ट कार्यवाही की गई है :—

(1) 48 कि० मी० में रेलपथ संरचना का अपेक्षित नवीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 24 कि० मी० में यह कार्य चालू वर्ष में शुरू किया गया है।

(2) जहां अपेक्षित हो तल में सुधार करके रेलपथ संरचना को मजबूत करने और उसका ग्रेडोन्नयन करना।

(3) ईनुबानम तथा तिरुमेलवेलि में सकारी तथा मालडिब्बा जांच के कार्य को भी मजबूत किया गया है।

इस खंड में बार-बार दुर्घटनाएं न होने देने के लिए अनुवर्ती कारंवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर दुर्घटनाओं पर नजर रखी जा रही है।

(ख) यह एक व्यस्त खंड है।

(ग) और (घ) कायनकुलम तथा कोल्लम के बीच दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल इसका दुर्घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सक

99. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने चिकित्सकों का पंजीकरण किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-1991 तक भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत डाक्टरों की संख्या 10,044 है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किये गए पंजीकरण की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष		पंजीकरणों की संख्या
1989	—	772
1990	—	784
1991	—	974

जिनसेंग का आयात और बिक्री

100. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री लोक नाथ चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशी बाजार में आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में जिनसेंग फार्म्यूलेशनों का आयात और बिक्री करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस औषध का सेवन करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत के औषध नियन्त्रक ने विशेषज्ञों के इस विचार के आधार पर कच्चे माल के रूप में जिंगसेंग और जिंगसेंग युक्त फार्मूलेशनों का आयात करने का अनुमोदन किया था, कि तापमारी जो एक देशी औषध है और जिसे स्यूडो जिंगसेंग के नाम से जाना जाता है की कमी है।

(ग) और (घ) जिंगसेंग की संस्तुत खुराक में किसी प्रतिकूल प्रभाव के होने की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नर्सों की भरती

101. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 में कितनी बार नर्सों की तदर्थ भर्ती की गई;

(ख) प्रत्येक बार कितनी नर्सों का चयन किया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की नर्सों की संख्या कितनी है;

(घ) कितनी नर्सें पुनः भर्ती की गईं;

(ङ) क्या सभी नर्सों को उनका वेतन दे दिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उनको वेतन दिलाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के लिए सभी के लिए शिक्षा परियोजना

102. **श्री राजवीर सिंह** :

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की प्रस्तावित उत्तर प्रदेश आधारिक शिक्षा परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु भेजे गए परियोजना दस्तावेज पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या परियोजना को विश्व बैंक के पास भेज दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) 25 जून, 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हुई आम सहमति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश के लिए सभी के लिए शिक्षा" परियोजना के दस्तावेज में फिर से संशोधन किया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार से 13 जुलाई, 1992 को प्राप्त किया गया था। 6 अगस्त, 1992 को परियोजना को आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक के सामने प्रस्तुत किया गया है।

इम्फाल से रेलगाड़ियों में आरक्षण

103. **श्री थाइमा सिंह युमनाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में रेलगाड़ियों की शायिकाओं के लिए आरक्षण कोटे की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से कार्यान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न गाड़ियों में इम्फाल आउट एजेंसी के लिए पहले दर्जे में 10 शायिकाओं और दूसरे दर्जे में 112 शायिकाओं का कोटा पहले से ही मौजूद है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहायतानुदान योजना के अंतर्गत सहायता

104. **श्री अन्नूभाई देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वृक्षारोपण के कार्यों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए सहायतानुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक एजेंसी को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) अनुदान सहायता योजना के अधीन गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा एजेंसीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्यवार-सूची

(लाख रुपए)

क्रम सं०	परियोजनाएं	1989-90	1990-91	1991-92	विगत तीन वर्षों के दौरान विमुक्त की गई धनराशि
1	2	3	4	5	5
	आन्ध्र प्रदेश				
1.	पी० आर० ओ० जी० आर० ई० एस० एस०, हैदराबाद	1.33			1.33
2.	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, कुरनूल	2.00			2.00
3.	असिस्ट (इंडिया), गुंटूर	0.15			0.15
4.	यात्रा नालगोंडा	0.40			0.40
5.	हैल्प नीडी एसोसिएशन, कुड्डपा				0.00
6.	यूथ फॉर एक्शन, हैदराबाद		2.50	1.00	3.50
7.	जागृति, नेल्लौर	0.60	1.80		2.40
8.	सारदा वेली डेव० समिति, विशाखापट्नम्	0.83			0.83
9.	रॉयलसीमा सेवा समिति, तिरूपति			3.63	3.63

1	2	3	4	5	6
10.	रूरल आर्ग. फॉर अवेयरनेस एण्ड डेव०, मेडक	0.17			0.17
11.	रूरल एजूकेशन सोसायटी, चित्तूर	14.53			14.53
12.	सोसा. फॉर डेव० फॉर ड्रॉट प्रोन एरिया, अनंतपुर	2·20			2.20
13.	कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सर्वि०, सोसाइटी श्रीकाकुलम			3.69	3.69
14.	सोशल एक्शन फॉर सोशल डेव०, मेहबूब नगर			1.00	1.00
15.	अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स फोरम, अनंतपुर			4.94	4.94
16.	इंदिरा गांधी एनर्जी प्लांटेशन, तिरूपति			5.35	5.35
17.	ऋषि वेली स्कूल, हैदराबाद			3.96	3.96
18.	दि सोशल वेलफे० सोसा० फॉर वीकर कम्यू०, कुड्डपा			1.24	1.24
19.	सोसा० फॉर सोशल सर्वि० एण्ड रूरल डेव०, कुड्डपा		6.00	3.35	9.35
20.	नेस्को, अनंतपुर		0.80	0.64	1.34
21.	श्री सत्यनारायण स्वामी एजू० सोसा०, कुड्डपा		2.72		2.72
22.	इंस्टी० ऑफ रिसोर्स डेव० एण्ड सोशल मैने०, अनंतपुर			2.54	2.54
	योग :	5.48	30.37	31.52	67.37
	असम				
23.	यूनीवर्सल ब्रदरहुड, नागांव		0.66		0.66
24.	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, लखीमपुर		0.79	0.45	1.24
	योग :	0.00	1.45	0.45	1.90

1	2	3	4	5	6
	बिहार				
25.	पूर्निया जिला समग्र विका० परि०, पूर्निया	0.56	0.56	3.78	4.90
26.	गोधरदिहा प्रबंध स्वराज्य संघ, मधुबनी			0.60	0.60
27.	रांची कन्सोर्टि० फॉर कम्यू० फॉरेस्ट, रांची		2.02		2.02
28.	पारू प्रखंड समग्र विका० परि०, मुजफ्फरपुर		1.03		1.03
29.	ग्रामीण विकास परिषद, देवघर		7.04	0.32	7.36
30.	सोसाय० ऑफ हिल रिसोर्स मैनेजर, डाल्टनगंज	32.85	8.85	21.94	53.64
31.	जन विकास केन्द्र, रांची	0.11		0.30	0.41
32.	स्वामी विकास केन्द्र, सिंहभूम	0·26			0.26
33.	ग्राम विकास केन्द्र, सिंहभूम		4.84	0.50	5.34
34.	महिला समि० ऑफ श्रमजीवी उन्नयन, सिंहभूम	0.78		0.37	1.15
35.	जन जागरण केन्द्र, हजारीबाग		1.03		1.03
36.	अदिति, पटना	0.90			0.90
37.	वनश्री, पटना	0.22	4.85	0.66	5.73
38.	ग्राम भारती, मुंगेर			.	0.00
39.	ग्राम निर्माण मंडल, नवादा	1.88		1.96	3.84
40.	विकास भारती, गुमला	4.17	14.40	18.56	37.13
41.	संथाल परगना ग्रामोद्योग समि० वैद्यनाथ	2.85	16.53	5.00	24.38
42.	सेवा अल्मागोड़ा फाउंडेशन, भागलपुर			0.80	0.80
43.	संस्कार			1.05	1.05
44	सिंहभूम ग्रामीण उन्नयन केन्द्र, पश्चिम, सिंहभूम			1.04	1.04
45.	अप्रेन्टियन असि० एशोसियेशन, दुम्का		1.50	4.17	5.67
46.	डेवलपमेंट रिसर्च कन्सलटेंट्स, पटना			2.57	2.57
47.	सर्वोदय सेवा संघ, भागलपुर			3.00	3.00
	योग :	34.58	62.65	66.62	163.85

1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
48.	अमर भारती, अहमदाबाद	2.00	0.50		2.50
49.	सेल्फ एम्प्लाइड वूमन ऐसो०, अहमदाबाद			1.03	1.03
50.	इंस्टी० फॉर स्टडीज एंड ट्रांसफारमेशन, अहमदाबाद	4.11			4.11
51.	हलवती सेवा संघ, बारदोली	26.50			26.50
52.	रूरल लेबर एसो०, बारदोली	11.44	7.28		18.72
53.	सारथी, पंचमहल			3.57	3.57
54.	गावल योगी उत्तेजक मंडल, मेहसाना	1.72			1.72
55.	सर्वोदय पशु विकास सहकारी मंडली, अहमदाबाद	6.14	7.81		13.95
56.	आगाखां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, अहमदाबाद	5.44	13.34		18.78
57.	ग्राम सेवा मंडल, भावनगर	1.32			1.32
58.	पधार महिला खेतन्वन-उद्योग सहकारी मण्डली, अहमदाबाद	3.83			3.83
59.	बनवासी महिला गृह उद्योग उत्पादन सेवा मंडली, भड़ौच		4.79	5.94	10.73
60.	आई० एन० आर० ई० सी० ए०, भड़ौच		1.77		1.77
	योग :	62.50	35.49	10.54	108.53
	हरियाणा				
61.	कोहरी सेंटर, महेन्द्रगढ़	8.22	4.52	5.48	18.22
62.	देहात विकास केन्द्र, महेन्द्रगढ़	2.30			2.30
63.	समाज विकास प्रयत्न केन्द्र, भिवानी		4.19		4.19
64.	रूरल इनीशि० एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गुड़गांव		5.31		5.31

1	2	3	4	5	6
65.	खुराना ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, पानीपत		13.96		13.96
66.	निसिंह ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, करनाल		4.62	5.08	9.70
67.	करण ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, करनाल		4.82	4.48	9.30
68.	हरियाणा सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, कोहरी		0.58		0.58
69.	मसूमपुर हिल रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी, अम्बाला		0.21	0.11	0.32
70.	गोविंदपुर मण्डपा हिल रिसोर्स मैनेजमेंट सोसा०, अम्बाला		0.17		0.17
71.	रैनी हिल रिसोर्स मैनेजमेंट सोसा०, अम्बाला		0.25		0.25
72.	काहिवाला हिल रिसोर्स मैनेजमेंट सोसा०, अम्बाला		0.40		0.40
73.	समालखा ग्रीन एंड वेलफेयर सोसायटी, समालखा			1.50	1.50
74.	हरियाली प्रमोशन एंड वेलफेयर सोसायटी समालखा			2.50	2.50
75.	निरमल ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, करनाल			2.83	2.83
76.	संजय ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, पानीपत			3.53	3.53
77.	हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फारमर्स एसो०, रोहतक			2.00	2.00
78.	नवयुवक कला संगम, रोहतक			2.00	2.00
79.	चौबिसी विकास संघ, रोहतक			1.63	1.63
80.	हरियाणा नव युवक कला संगम, रोहतक			2.00	2.00

1	2	3	4	5	6
81.	नेशनल ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, पानीपत			2.27	2.27
82.	अंकुर ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसायटी, पानीपत		1.49	1.49	2.98
83.	मेवाल डेवलपमेंट सोसायटी, गुड़गांव		1.33	1.33	2.66
84.	भारत यात्रा केन्द्र, गुड़गांव			6.74	6.74
	योग :	10.52	41.85	45.03	97.40
	कर्नाटक				
85.	हुरेकला लैण्डलैस पुवर एंड मार्जिनल फारमर्स, मंगलौर		0.50	0.17	0.67
86.	फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी, चिकब्बल्लारपुर		1.03	0.08	0.11
87.	गांधी समाज शिक्षण केन्द्र, टुमकुर	0.67		0.59	1.26
88.	ताराबलू रूरल डेवलपमेंट फाउण्डेशन, चित्रदुर्ग	1.24	5.00	1.53	7.17
89.	चौबेरी रूरल एस० सी०/एस० टी डेवल० सोसायटी येरपिनप्ला			0.45	0.45
90.	श्री शिवनन्दा स्वामी संघ, चित्रदुर्ग		0.39		0.39
91.	बर्ड्स बंगलौर		0.02		0.12
	योग :	1.91	7.04	2.82	11.77
	केरल				
92.	बापू जी सेवक समाज, इडुकी		2.00		2.00
93.	अम्लककारा विकासना संगम, इडुकी		0.16		2.16
94.	सोशल वर्क एंड रिसर्च सेन्टर, थ्यामंद			1.75	1.75
	योग :	0.00	2.16	1.75	3.91

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश				
95.	डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, दतिया	3.53			3.53
96.	एन० सी० एच० एस० ई०, भोपाल		6.19	3.33	8.82
97.	प्रयोग समाज सेवी संस्था, रायपुर			0.83	0.83
98.	मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मंडल, बालाघाट		2.00	1.45	3.45
	योग :	3.53	7.19	5.61	16.33
	महाराष्ट्र				
99.	प्रेरणा प्रतिष्ठान, सतारा			1.67	1.67
100.	आरोग्य दक्षत मंडल, पुणे	1.05			1.05
101.	एन० आई० ई० आई० डी०, बम्बई	3.49	12.75	18.05	34.29
102.	प्रगति प्रतिष्ठान, ठाणे	9.49	16.21	13.57	39.17
103.	जीवन संस्था, पुणे	1.15	2.97	5.00	9.12
104.	बी० ए० आई० एफ०, पुणे		7.90	3.04	10.94
105.	निर्मिती, बम्बई	0.34		1.00	1.34
106.	कृषक सेवा संघ, अहमदनगर	1.16			1.16
107.	संधि निकेतन शिक्षण संस्था, नान्देण		1.20	1 00	2.20
108.	श्री मूलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पुणे	2.28	0.95		1.23
109.	जय मल्हार एग्री० डेव० ट्रस्ट, पुणे	4.57			4.57
110.	शिरूर शिक्षण प्रसारक मण्डल, पुणे	1.58			1.58
111.	ज्योतिलिंग शिक्षण मंडल, सतारा		0.90		0.90
112.	अरविन्द स्मृति, पुणे		0.35		0.35
113.	नवजीवन सोसायटी, अरावली		0.32		0.32
	योग :	23.11	43.55	43.23	109.57

1	2	3	4	5	6
114.	मणीपुर अडल्ट एजूकेशन सेन्टर, इम्फाल	0.87	1.41		2.29
115.	रूरल एग्री० एंड डेव० सेन्टर, इम्फाल	0.33			0.33
116.	सिटीजन वालण्टियर्स ट्रेनिंग सेंटर, इम्फाल	2.38			2.38
117.	एन० टी० सी० सी० डी०, उखरूल			1.47	1.47
118.	मैं० यूथ वालण्टियर्स, इम्फाल	1.13			1.13
119.	आइडियल मदर्स एसो०, खा-इम्फाल	0.88	2.36	1.00	4.24
120.	रूरल सर्विस एजेंसी, इम्फाल	0.27	0.77	0.76	1.80
121.	विलेज डेव० एसो०, कांगपोकपी		1.19		1.19
122.	मणीपुर वेस्टलैण्ड्स डेव० सोसायटी, इम्फाल		3.68	2.13	5.81
123.	मणीपुर ईस्टर्न हिल्स पीपुल डेव० सोसा०, इम्फाल	0.50	2.50	3.27	6.27
124.	दंगजिंग टेंथा फार्मर्स डेव० एसो०, थौबल		0.92	0.43	1.35
125.	साउथ ईस्टर्न रूरल डेव० आर्ग०, वांगिजग			1.60	1.60
126.	पटनाग खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री, सदनहिल			3.89	3.89
127.	यूनाइटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चन्देल			2.97	2.97
128.	जेलियंग्रांग बपतिस्ट चरयेरू कांउसिल, तमेंगलोंग			1.00	1.00
129.	वूमन एसो० फॉर रूरल डेव०, उखरूल			1.70	1.70
130.	रूरल रिकन्स्ट्रक्शन आर्ग०, इम्फाल			1.51	1.51

1	2	3	4	5	6
131.	वेरापुर ममंग खादी एण्ड विले० एसोसियेशन, थौबल		2.04	2.65	4.69
132.	विलेज डेव० आर्ग०, इम्फाल		2.05		2.05
133.	दयांगी खोरोन लेखाई, इम्फाल		1.88		1.88
134.	वालंटरी फॉर साइंटिफिक एक्शन, चन्देल		2.50		2.50
135.	एडवेन्चर प्रोग्राम सेन्टर, चुरचन्दापुर		1.75		1.75
136.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी थौबल		1.37		
	योग :	6.36	24.42	24.38	53.79
	नागालैण्ड				
137.	आओ ट्रेडिंग को-आपरेटिव सोसायटी, मोकुकूगपुं	2.65			2.65
138.	लुंगिविरम क्रिस्चियन एकेडेमी, दीमापुर			3.74	3.74
	योग :	2.65	0.00	3.74	6.39
	उड़ीसा				
139.	ग्राम सेवा मण्डल, ढेंकनाल		0.45		0.45
140.	ग्राम विकास, गंजम	7.26	6.00		13.26
141.	पल्ली विकास, ढेकनाल		0.66	7.27	7.93
142.	"विकास", भुवनेश्वर		0.40	0.40	0.80
143.	धर्मा, ढेंकनाल	0.07			0.07
144.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार, कटक		1.33	5.89	7.22

1	2	3	4	5	6
145.	जन्मंगल महिला समिति, पुरी		0.88	0.69	1.57
146.	कस्तूरीबाई महिला समिति, ढेंकनाल			2.75	2.75
147.	मानव सेवा सदन, ढेंकनाल			0.75	0.75
148.	गोपीनाथ युवा संघ, पुरी			1.00	1.00
149.	ट्राइबल रूरल डेव० सोशल सर्विस आर्ग०, क्योंझार			0:50	0.50
150.	विकास परिषद, कोरापुट			1.00	1.00
151.	साहिद अगाखिता क्लब, पुरी			0.23	0.23
152.	नेशनल इन्स्टी० ऑफ सोशल रिसर्च फॉर उत्कल ट्राइबल, ढेंकनाल			1.53	1.53
153.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान दयाविहार, पुरी			2.50	2.50
154.	इंडिया डेव० प्रोजेक्ट, क्योंझार			0.73	0.73
155.	मून लाइट क्लब, ढेंकनाल			1.50	1.50
156.	आदर्श सेवा संगठन, ढेंकनाल			3.90	3.90
157.	पाली सांस्कृतिक कला परिषद, पुरी		0.77		0.77
158.	विद्युत क्लब, पुरी		2.76		2.76
159.	ऑल इंडिया हरिजन सोसायटी, तितलागढ़		9.14		9.14
160.	न्याय सहायता समिति, कोरापुट		1.70		1.70
161.	अरूण इन्स्टी० ऑफ रूरल एफेयर्स, ढेंकनाल		1.79		
162.	गवर्नमेंट कॉलेज, अंगुल		0.26		
	योग :	7.33	26.14	30.64	62.06

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान				
163.	उदेश्वर विकास मंडल, उदयपुर	6.45			6.45
164.	विद्या भवन सोसा०, उदयपुर	2.69			2.69
165.	सेंटर फॉर फॉमर्स, इकॉ० एंड डेव०, जयपुर	4.83	1.50		6.33
166.	बाँस उद्योग सहकारी समिति, अल्वर	0.20	0.32		0.52
167.	आशापुर वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	2.46			2.46
168.	जेथालिया वन श्रमिक सहकारी समिति, बांसवाड़ा	0.46	0.20		0.60
169.	मलमेधा वन श्रमिक सहकारी समिति, डूंगरपुर	1.15	0.57		1.72
170.	आदर्श मीणा वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	0.57	0.29		0.86
171.	अल्सीगढ़ वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	0.46	0.23		0.69
172.	सरूवन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	1.15		0.57	1.72
173.	वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	1.61			1.61
174.	पतिया वन श्रमिक सहकारी समिति, उदयपुर	1.18	0.59		1.77
175.	राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर			3.00	3.00
176.	जन-शिक्षा विकास संगठन, डूंगरपुर		15.73	6.41	22.14
177.	सजीव सेवा समिति, उदयपुर	2.02			2.02
178.	अरावली कल्याण परिषद, डूंगरपुर		0.99	0.32	0.41

1	2	3	4	5	6
179.	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर		3.43	3.15	6.58
180.	सर्व सेवा फार्मस, नई दिल्ली	1.79			1.79
181.	रोटरी क्लब ऑफ माउण्टआबू, माउंटआबू	0.09			0.09
182.	"सहयोग", उदयपुर	4.96		0.71	5.57
183.	सेशांजलि सोसायटी, बांसवाड़ा	0.57			0.57
184.	श्रमिक महिला वन विकास एवं अनु० समिति, उदयपुर	1.74			1.74
185.	वनहद, उदयपुर		1.59		1.59
186.	मग्र मेवाड़ संस्था, अजमेर		2.50	5.72	8.22
187.	ग्राम भारती समिति, जयपुर			1.12	1.12
188.	विकास संस्था, उदयपुर			1.98	1.98
189.	श्री नाथवाड़ा टेम्पल बोर्ड, उदयपुर			3.07	3.07
190.	वन सुरक्षा समिति, प्रतापगढ़			2.26	2.26
191.	नव युवक मण्डल बासभटिंड			2.44	2.44
192.	जनजाति विकास, उदयपुर		1.40		
193.	अम्बबी दया आभिदाता मजदूर सहसंग, उदयपुर		2.78		
194.	विद्या भवन सोसा०, उदयपुर		2.77		
	योग :	34.32	33.97	30.75	93.51
	तमिलनाडु				
195.	कुदम्बन, तंजावुर	4.51			4.51
196.	अरोविल्ली पलाना मिल्स केन्तवैअन्मा	4.49	8.26		12.75
197.	मुरुंगापा वेल्लियार रिस० सेन्टर, मद्रास	7.42	3.70		11.12

1	2	3	4	5	6
198.	एस० ई० डब्लू० ए० आई०, चिला			1.55	1.55
199.	गन्तोविल्लै, पी० ए०	1.32			1.32
200.	स्कोप, त्रिची		0.37	0.81	1.18
201.	इंडियन कल्चरल डेव० सेन्टर, मद्रास	0.19			0.19
202.	मं० कम्यु० एक्शन फार रूरल डेव०, पुलोवलम		0.08	1.39	1.47
203.	रूरल वेलफेयर डेव० सोसा०, सलेम	0.33	0.36	0.24	0.93
204.	एस०पी०ए०डी०, त्रिची	0.53			0.53
205.	द गुड समारियन इण्डियन, इरोड	0.40	0.26		0.66
206.	तमिलनाडु सर्वोदय मंडल, मदुरै	0.52			0.52
207.	एक्टिविस्ट्स फॉर सोशल आल्टरनेटिव्स, त्रिची	1.37			1.37
208.	इण्टरनेशनल एग्री० डेव० फाउण्डेशन, मद्रास	0.13			0.13
209.	रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम, मद्रास	1.21			1.21
210.	ग्राम-दान ग्राम एग्री० डेव० ट्रस्ट, त्रिची	0.43			0.43
211.	अरोमित्र, साउथ आरकोट		6.88	12.00	18.88
212.	ग्रामालय, त्रिची		1.10		1.10
213.	रूरल एंड एनवा० रिकन्स्ट्रक्शन फाउण्डेशन, तिरूचिरापल्ली	1.90			1.90
214.	एसो० ऑफ भूटान एंड कम्यू० डेव०, तिरूचिरापल्ली	0.83		2.15	2.98
215.	लैम्प ट्रस्ट, पुडुकोट्टई	0.29	0.75		2.04
216.	सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, त्रिची	0.41		0.90	1.31
217.	एक्शन ट्रस्ट, मदुरै			1.00	1.00
218.	रूरल इण्टिग्रेटेड डेव० आग०, धर्मपुरी		0.90		0.90

1	2	3	4	5	6
219.	एसो० ऑफ रूरल कम्यूनिकेशन, धर्मपुरी		0.86		0.86
220.	सेन्टर फार कम्यू० डेव० एंड ट्रेनिंग, मद्रास	1.67	0.34		2.01
221.	लीग फार एजूकेशन एंड डेव०, तिरूचिरापल्ली	2.10			2.10
222.	लीग फार एजूकेशन एंड डेव०, तिरूचिरापल्ली	1.06			1.06
223.	सेन्टर फॉर सोशल सर्विस एंड रिसर्च, अन्ना	2.07		1.00	3.07
224.	कम्यू० एक्शन फॉर फूड एंड रूरल डेव०, तिरूनेलवेल्ली		6.45		6.45
225.	प्रिपेयर, मद्रास			2.00	2.00
226.	लेण्ड नेटवर्क डेव० एसो०, मदुरै			0.75	0.75
227.	वेलफेयर एसो० फॉर रूरल आदिवासी सो० तुरियूर			0.15	0.15
228.	सेंट जोसेफ एजूकेशन ट्रस्ट, मद्रास			3.00	3.00
229.	गांधी ग्राम रूरल इंस्टी० मद्रास			3.78	3.78
230.	ट्रेनिंग एजूकेशनल डेव० एंड एक्टेंशन ट्रस्ट, चिंगलपेट			0.65	0.65
231.	सेन्टर फॉर पीस एंड रूरल डेव०, अजिली-पट्टम			5.00	5.00
232.	ए० आई० एस० एस० एन०, महली-मनरम, पीटी टी			1.00	1.00
233.	एसो० फॉर रूरल अपलिफ्ट, त्रिची			2.00	2.00
234.	एक्शन ग्रुप फॉर रूरल आर्ग०, मद्रास			5.52	2.52
235.	रूरल एमवा० एंड एग्री० डेव० सोसा० कोटमपट्टी		1.00		1.00

1	2	3	4	5	6
236.	सर्व सेवा फार्मस, मद्रास		2.00		2.00
237.	एनवा० कन्सर्वेशन ग्रुप, त्रिची		0.55		0.55
238.	ग्नेईसेंस, तंजाबुर		0.80		
	योग :	33.18	35.66	41.99	110.03
	उत्तर प्रदेश				
239.	आई० एन० एच० ई० आर० ई०, अल्मोड़ा	0.45			0.45
240.	उत्तराखण्ड जन जागृति संस्था, गढ़वाल			0.05	0.05
241.	सेन्टर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल एनवा०, नई दिल्ली	0.49			0.49
242.	कृषक एवम् समाज सेवी संस्था, मुरादाबाद		3.39		3.39
243.	सेन्ट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप, कुमाऊं	2.65	18.83	18.00	39.48
244.	संस्कृत शोध संस्थान, रायबरेली	0.25	1.26		1.51
245.	विज्ञान वृक्षारोपण समिति, आगरा			7.00	7.00
246.	पर्यावरण सुधार समिति, शिवपुरी			1.00	1.00
247.	बाबा श्रीनाथ शिक्षा संस्था, सुल्तानपुर			1.12	1.12
248.	सोसा० फॉर इण्टिग्रेटेड डेव० आफ हिमालयन, मसूरी			2.00	2.00
249.	इंदिरा विक.स नर्सरी, अल्मोड़ा		1.80	5.80	7.60
250.	देवी ग्राम उद्योग सेवा संस्था, नैनीताल			6.00	6.00
251.	दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद		2.28	2.00	4.28

1	2	3	4	5	6
252.	ग्राम उद्योग सेवा आश्रम, शाहजहांपुर			1.00	1.00
253.	नेहरू सेवा आश्रम, शाहजहांपुर		0.39	0.84	1.23
254.	जन मानस विकास संस्था, शाहजहांपुर			0.28	0.28
255.	ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति, आगरा			3.00	3.00
256.	कालिका धाम जन सेवा समिति, सुल्तानपुर			2.00	2.00
257.	कूर्मांचल सेवा संस्थान		0.68		0.68
258.	किसान आश्रम, कुढूल		1.41		1.41
259.	भारतीय महिला विकास संस्था, मुरादाबाद			2.59	
260.	सेन्टर फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल गनवा०, देवरिया			0.60	
261.	डिस्ट्रिक प्लांटेशन एंड इन्सर्वेशन, फर्रुखाबाद			1.50	
	योग :	3.84	34.73	50.09	83.97
	पश्चिम बंगाल				
262.	स्कूल ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च पुरलिया	2.62	8.34	4.53	15.49
263.	सेवा भारती, मिदनापुर		1.36		1.36
264.	राम कृष्ण मिशन, 24 परगना		8.41		8.41
265.	मनश्री तरूण बनी मंदिर, हावड़ा	0.10	0.13		0.23
266.	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कलकत्ता	0.98			0.98
267.	हेसला हारा परवती क्लब, पुरूलिया		0.80	2.71	3.51
268.	सेवाव्रत, पुरूलिया		0.73	5.00	5.73

1	2	3	4	5	6
269.	बुरानी राय मेमोरियल सेल्फ एम्प्लाइमेंट ट्रे० स्कूल		0.12	1.50	1.62
270.	सेन्टर फॉर वूमन डेव० स्टडीज, दिल्ली	4.96			4.96
271.	बालीवाड़ा ग्रामीण शिल्प समाज केन्द्र, 24 परगना	0.12			0.12
272.	विलेज वेलफेयर मोसा०, हावड़ा	0.34	1.00	241	3.75
273.	गंगाधर चाक दिवानचाक विवे० क्लब, मिदनापुर		0.51		0.51
274.	रीजनल रिसर्च एंड स्टडी सेन्टर, मिदनापुर	1·33	0.57	8.08	10.08
275.	पुरूलिया पेली सेवा संघ, पुरूलिया		1.00		1.00
276.	अमर सेवा संघ, मिदनापुर		1.38		1.38
277.	झाउग्राम महाकुम जन शिक्षा प्रसार समिति, मिदनापुर		0.46		0.46
278.	लोक सेवा परिषद, मिदनापुर			2.13	2.13
279.	दक्षिण चन्दा पाक समाज कल्याण समिति, हावड़ा			0.17	0.17
280.	पुरूलिया गोकुल पाडा तापसिला तरूण संघ			0.70	0.70
281.	तरूण संघ			0.17	0.17
282.	विवेकानंद आदिवासी कल्याण समिति			0.70	0.70
283.	कमालपुर महिला नयन समिति, बांकुरा			0.83	0.83
284.	विवेकानंद निधि, कलकत्ता			0.36	0.36
285.	पी० पी० देशबन्धु संघ 24 परगना				
286.	अगरगती, हावड़ा		1.46	1.81	3.27

1	2	3	4	5	6
287.	डेरा, पुरूलिया			1.00	1.00
288.	मोहसाणा संस्थाल पारा आदिवासी महिला केन्द्र, बांकुरा			1.00	1.00
289.	पुरूलिया शावज संघ, पुरूलिया			2.26	2.26
290.	विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन, मिदनापुर			0.40	0.40
291.	खयारबोनी ग्राम उन्नयन समिति, बांकुरा		1.00	1.58	2.58
292.	पश्चिम बंगा खेरिया सावर कल्याण समिति, पुरूलिया		1.50	1.37	2.87
293.	भवानीपुर मल्टीपर्पज रूरल वेलफेयर सोसा०, हावड़ा			0.18	0.18
294.	विवेकानंद रूरल डेव० आर्ग०, पुरूलिया			1.63	1.63
295.	मार्शल बाहर गोता संजया, पुरूलिया			1.00	1.00
296.	अम्लगोड़ापल्ली सेवा संघ मिदनापुर			0.55	0.55
297.	पूर्व गोकुलपुर तामशिला न्यू तरूण संघ, गोकलपुर			0.62	0.62
298.	इक्षु पत्रिका सोस० वेलफेयर आर्ग०, मिदानपुर			0.31	0.31
299.	धरोनीनगर रूरल डेव० सोसायटी, बीरभूम		0.36	0.80	1.16
300.	चम्तागोड़ा आदिवासी कल्याण समिति, बांकुरा			0.64	0.64
301.	बालितीकुरी विकास विहान, हावड़ा			1.55	1.55
302.	अमरगोड़ा जुबा संघ, हावड़ा			1.27	1.27

1	2	3	4	5	6
303.	दक्षिण कलमदान नोवल क्लब, मिदनापुर		0.98		0.98
304.	काम्प्रिहेन्सिव एरिया डेव० सर्विस, नादिया		0.47		
	योग :	10.45	30.58	47.86	38.42
	दिल्ली				
305.	एस० पी० डब्लू० डी०, नई दिल्ली	25.00		7.11	32.11
306.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली	1.10			0.10
307.	सेन्टर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, नई दिल्ली	0.15			0.15
308.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, सुल्तानपुरी			1.32	1.32
309.	पीपुल इन्स्टी० फॉर डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग			0.79	0.79
310.	"प्रदान"		2.67		2.67
311.	इफको, दिल्ली		9.00	18.00	27.00
312.	भारत यात्रा केन्द्र, दिल्ली		0.74		
313.	डेवलपमेंट अल्टमेटिक. दिल्ली		0.73		
	योग :	25.25	19.14	27.22	64.14

	1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर				
314. धर्मार्थ ट्रस्ट काउंसिल, जम्मू			6.78	6.78
315. शिव ग्रामोद्योग मण्डल, जम्मू			2.80	2.80
316. हिमालयन ट्री फार्मिंग एण्ड डेव० सेन्टर		4.43	2.80	7.23
योग :	0.00	4.43	12.38	16.81
अरुणाचल प्रदेश				
317. मोम्पा सोशल कल्चरल एण्ड लिटरेरी सोसा०, तवांग			4.00	4.00
योग :	0.00	0.00	4.00	4.00
सिक्किम				
318. पर्यावरण संरक्षण समिति दलपचड, बस्ती			2.00	2.00
योग :	0.00	0.00	2.00	2.00

टिप्पणी :—अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं को वृक्षारोपण और परती भूमि विकास कार्यकलाप, जिनमें पौध उगाना, मृदा तथा नमी संरक्षण कार्य, प्रशिक्षण, विस्तार आदि शामिल हैं, चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

चावल और गेहूं की खरीद

105. **श्री के० पी० सिंह देव** :

श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू विपणन मौसम के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की खरीद की गई;

(ख) चालू वर्ष के चावल और गेहूं की खरीद में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1992 में अब तक, राज्यों को आवंटित किए गए खाद्यान्नों का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 13-11-92 को स्थिति के अनुसार 38.63 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 0.55 लाख मीटरी टन चावल की वसूली की गई थी। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 13-11-92 को स्थिति के अनुसार 63.80 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 77.51 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी।

चूंकि मूल्य समर्थन परिचालन के अन्तर्गत धान और गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और लेवी चावल की वसूली चावल मिल-मालिकों द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए चावल और गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

(ख) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले मौसम की तुलना में 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। मूल्य समर्थन के अधीन धान की वसूली करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों का पूर्ण सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित करने और चावल पर लेवी आदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं।

जहां तक गेहूं का संबंध है, वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992-93 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले मौसम की तुलना में 25/- रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था। अधिकतम वसूली करने और गेहूं के खुले बाजार के मूल्यों को नियन्त्रित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान किसानों द्वारा गेहूं की बिक्री करने के लिए उन्हें 25/- रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस दिया था। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने 5/- रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया था और मध्य प्रदेश ने 25/- रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया था। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा गेहूं उत्पादक राज्य में क्रय केन्द्रों का एक व्यापक जाल बिछाया गया था जिसमें सहकारी समितियों सहित राज्य सरकार और उनकी वसूली एजेंसियां सम्मिलित थीं।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1992 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल और गेहूं के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1992 के दौरान गेहूं और चावल के राज्यवार आवंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनाज	जोड़ दिसम्बर, 1992 तक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल	1783.25
		गेहूं	167.10
2.	अरुणाचल	चावल	104.00
		गेहूं	8.42
3.	असम	चावल	466.24
		गेहूं	275.06
4.	बिहार	चावल	247.06
		गेहूं	617.36
5.	गोआ	चावल	55.38
		गेहूं	38.85
6.	गुजरात	चावल	330.40
		गेहूं	780.30
7.	हरियाणा	चावल	35.40
		गेहूं	198.75
8.	हिमाचल प्रदेश	चावल	77.35
		गेहूं	120.00
9	जम्मू तथा कश्मीर	चावल	428.19
		गेहूं	239.00
10.	कर्नाटक	चावल	759.00
		गेहूं	326.00

1	2	3	4
11.	केरल	चावल	1792.00
		गेहूं	312.00
12.	मध्य प्रदेश	चावल	423.44
		गेहूं	501.00
13.	महाराष्ट्र	चावल	780.00
		गेहूं	1215.00
14.	मणिपुर	चावल	88.69
		गेहूं	33.70
15.	मेघालय	चावल	118.00
		गेहूं	24.25
16.	मिजोरम	चावल	100.50
		गेहूं	13.25
17.	नागालैंड	चावल	96.25
		गेहूं	26.40
18.	उड़ीसा	चावल	391.25
		गेहूं	257.50
19.	पंजाब	चावल	17.70
		गेहूं	132.50
20.	राजस्थान	चावल	46.20
		गेहूं	1083.00
21.	सिक्किम	चावल	54.00
		गेहूं	7.14
22.	तमिलनाडु	चावल	828.81
		गेहूं	287.00
23.	त्रिपुरा	चावल	222.85
		गेहूं	24.25

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	चावल	414.81
		गेहूं	713.81
25.	पश्चिम बंगाल	चावल	898.6
		गेहूं	1001.00
26.	अण्डमान तथा निकोबार	चावल	20.50
	द्वीप समूह	गेहूं	8.40
27.	चंडीगढ़	चावल	3.74
		गेहूं	21.40
28.	दादर तथा नगर हवेली	चावल	5.90
		गेहूं	2.38
29.	दमन और दीव	चावल	5.90
		गेहूं	1.78
30.	दिल्ली	चावल	236.00
		गेहूं	856.80
31.	लक्षद्वीप	चावल	6.30
		गेहूं	0.20
32.	पांडिचेरी	चावल	23.60
		गेहूं	8.92
	जोड़ :	चावल	10861.77
		गेहूं	9301.46

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाना

106. श्री राम नगीना मिश्र : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) कितनी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए पहले स्वीकृति दी जा चुकी थी तथा इनमें से कितनी मिलों की क्षमता बढ़ा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991-92 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों को पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए 2 आशय-पत्र प्रदान किए गए हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 2-1-87 के प्रेस नोट के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी होने के बाद पेराई मौसम 1990-91 के अन्त तक उत्तर प्रदेश राज्य में 76 चीनी मिलों को उनकी पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं, इनमें से 8 मामलों में क्षमता विस्तार कार्य के पूरा होने को सरकार द्वारा नोट कर लिया गया है।

बैतारी-बांसपानी रेल लाइन

107. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बांसपानी से बैतारी-बांसपानी रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस परियोजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने हेतु योजना आयोग से कहा गया है। आगे की कार्रवाई उनके उत्तर पर निर्भर करेगी।

कलकत्ता और सिलिगुड़ी/दार्जिलिंग के बीच रेल सम्पर्क

108. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता को बंगलादेश से दरसना-चिलाहटी होते हुए सिलिगुड़ी और दार्जिलिंग के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि

109. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सातवीं योजना के दौरान जितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु मिलने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबती सिद्धार्थ) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 3105 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) नियत लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बाह्य सहायता की संभाव्य राशि को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-I

सातवीं योजना में परिवार कल्याण के लक्ष्य और उपलब्धियां

(आंकड़े हजार में)

वर्ष	बन्ध्यकरण			आई० यू० डी० निवेशन			परम्परागत गर्भनिरोधकों उपयोगकर्ता			मुखसेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1985-86	5560	4902	88.2	3244	3274	100.9	9515	9387	98.7	960	1358	141.4
1986-87	6000	5043	84.1	3750	3935	104.9	10500	9825	93.6	1000	1829	182.9
1987-88	6000	4940	82.3	4250	4356	102.5	10750	11342	105.5	2000	2064	103.2
1988-89	5374	4678	87.1	4970	4851	97.6	13043	12422	95.2	2140	2416	112.9
1989-90	5449	4188	76.9	5253	4942	94.1	14016	14159	101.0	2094	2793	133.4
सातवीं योजना (1985-90)	28383	23751	88.7	21467	21358	99.5	57824	57135	98.8	8194	10460	127.7

सातवीं योजना में मातृ शिशु स्वास्थ्य लक्ष्य और उपलब्धि-अखिल भारतीय

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस टीकाकरण			बच्चों के लिए डी० पी० टी० टीकाकरण			पोलियो			बी० सी० जी०		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की % उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1985-86	12.86	10.36	80.6	14.04	15.18	108.1	14.04	13.1*	93.9	14.04	6.62	47.3†
1986-87	15.20	11.73	77.2	15.30	12.99*	84.9	15.30	11.14*	72.8	15.30	11.81	77.2
1987-88	16.93	14.96	88.3	17.21	16.69*	09.0	17.21	14.27*	82.9	17.21	16.35	95.0
1988-89	22.66	16.19	71.4	18.04	16.81*	93.2	18.04	15.90*	88.1	18.04	17.44	96.6
1989-90	25.12	17.83	71.0	19.14	19.19*	100.2	19.14	19.04*	99.5	19.14	20.38	106.5

† केवल तीसरी खुराक से सम्बन्धित ।

* उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों को छोड़कर जिसके आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, तैयार किये गए ।

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	खसरा टीकाकरण निष्पादन*			टाइफाइड			बच्चों के लिए डी० टी० टीकाकरण			टी० टी० (10 वर्ष)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों को % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों को % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों को % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों को % उपलब्धि
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1985-86				11.19	7.87	70.3	11.19	12.53	112.0	5.54	4.53	82.0†
1986-87	5.70	3.71	67.6†	12.10	7.88	65.1	12.10	10.85	89.7	6.70	5.29	79.0
1987-88	11.21	10.05	89.7	13.00	8.43	64.9	13.00	11.58	89.1	7.80	7.00	89.7
1988-89	15.76	12.43	78.9	××	××	××	18.94	12.99	68.6	9.75	8.29	85.0
1989-90	10.14	15.94	83.3	××	××	××	18.75	14.15	75.5	18.08	10.59	58.6

* 1986 में प्रारम्भ ।

† उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्यों को छोड़कर जिनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, तैयार किये गए ।

×× स्कूली बच्चों में टाइफाइड टीकाकरण को रोग समीकरण के विस्तारित कार्यक्रम अनुसूची से निकाल दिया गया है ।

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	टी० टी० (16 वर्ष)			माताओं में पौषणिक रक्ताल्पता का रोगनिरोधन			बच्चों में पौषणिक रक्ताल्पता का रोगनिरोधन			विटामिन "ए" की कमी से दृष्टिहीनता होनेवाली दृष्टिहीनता का रोग निरोधन		
	लक्ष्य	उपलब्धि लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्यों की % उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्यों की % उपलब्धि
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1985-86	3.30	3.00	90.9×	14.00	18.05	128.9	14.0	17.16	122.6	24.96	29.40	177.8
1986-87	4.10	3.49	85.0	18.64	14.47*	77.6	19.43	12.82*	66.0	28.97	30.24	78.1क
1987-88	4.80	4.50	93.7	22.00	18.65*	84.8	22.00	18.50*	84.1	30.00	46.62ई	87.8क
1988-89	6.01	5.66	94.2	22.00	21.13*	96.0	30.00	21.67*	72.2	30.00	41.60ई	75.4क
1989-90	17.23	7.92	46.0	22.00	20.10*	91.4	29.89	22.44*	7 .1	29.89	39.02ई	69.0क

' —आंकड़े अनन्तिम हैं।

× इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्धों को छोड़कर जिनसे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, तैयार किये गए।

* आंकड़े पूर्ण खुराकों पर आधारित लाभार्थियों को सूचित करते हैं।

क—लाभार्थियों को पहली बार शुरू की गई, जारी रखी गई और पूरी की गई खुराकों की कुल खुराकों की आधी खुराकें लेकर लक्ष्यों की उपलब्धि-प्रतिशतता निकाली गई।

ई—खुराकों में।

विवरण-2

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	आठवीं योजना के दौरान संभावित बाह्य सहायता
1	2	3
1.	शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व परियोजना	53805.00
2.	क्षेत्रीय परियोजनाएं	32000.00
3.	उपमंडलीय स्तर पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम	1800.00
4.	चार पिछड़े राज्यों के लिए विशेष आई० ई० पी० परियोजनाएं	200.00
5.	आई० एल० ओ० परियोजनाएं	800.00
6.	पोपिन केन्द्र (प्रबन्ध और अनुवीक्षण)	80.00
7.	पुनर्नलिकाकरण परियोजना	670.00
8.	बन्ध्यकरण के लिए निगरानी तन्त्र	80.00
9.	समवर्ती मूल्यांकन	76.00
10.	नई आई० सी० ओ० एम० पी० परियोजना	80.00
11.	महाराष्ट्र में कम स्वीकार्यता वाले क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम	100.00
12.	90 पिछड़े जिलों के लिए विशेष निवेश	3400.00
13.	नए गर्भ-निरोधकों की आपूर्ति और वितरण	700.00
14.	उत्तर प्रदेश में यू० एस० एड० परियोजना	48600.00

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई

110. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई किये गए खाद्यान्नों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान फ्लोर मिलों की सप्लाई के लिए राज्यों को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आवंटन किया गया था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण और गेहूं के आटे की बिक्री में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) विवरण 1 और 2 संलग्न हैं जिनमें 1990, 1991 और 1992 (अक्तूबर, 1992 तक) के वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में गेहूं और चावल के आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश रोलर फ्लोर मिलों के जरिये गेहूं से आटा बनवाकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ग) और (घ) चूंकि यह मामला राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में देने के लिए कोई सूचना नहीं है।

विवरण-I

1990 से 1992 तक सभी राज्यों के सम्बन्ध में गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

गेहूं

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1990		1991		1992	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान (अं)
1	2	3	4	5	6	7	8
						अक्तूबर 92 तक	सितम्बर 92 तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	280.0	112.3	338.0	150.0	144.50	90.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.6	7.8	10.32	7.5	7.02	4.8
3.	असम	200.0	201.0	344.0	268.5	235.00	165.1
4.	बिहार	512.0	428.2	561.3	523.9	494.20	396.6
5.	गोआ	46.5	28.6	45.0	36.4	32.65	18.4
6.	गुजरात	725.0	550.9	944.3	823.2	650.30	530.0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	120.0	14.3	257.0	154.4	178.25	128.7
8.	हिमाचल प्रदेश	120.0	70.4	127.0	116.7	100.00	87.5
9.	जम्मू तथा कश्मीर	250.0	71.3	238.0	127.1	198.00	86.9
10.	कर्नाटक	320.0	303.9	496.0	456.3	276.00	244.2
11.	केरल	240.0	234.3	342.0	333.7	262.00	199.2
12.	मध्य प्रदेश	360.0	251.9	481.5	380.7	409.00	349.6
13.	महाराष्ट्र	1165.0	1069.3	1390.0	1372.2	1011.00	896.6
14.	मणिपुर	36.0	30.6	35.7	33.8	27.70	18.7
15.	मेघालय	26.4	26.7	31.25	29.6	20.25	16.5
16.	मिजोरम	15.0	14.3	15.88	14.0	10.75	8.9
17.	नागालैण्ड	76.75	73.0	77.15	74.5	25.20	15.7
18.	उड़ीसा	295.0	257.1	327.6	283.3	217.50	185.3
19.	पंजाब	60.0	4.3	187.5	86.7	107.50	56.3
20.	राजस्थान	840.1	571.1	957.5	853.4	880.00	721.0
21.	सिक्किम	6.4	5.7	7.14	5.1	5.94	1.9
22.	तमिलनाडु	360.0	183.2	357.0	213.4	247.00	158.6
23.	त्रिपुरा	30.0	16.1	29.75	17.5	20.25	9.3
24.	उत्तर प्रदेश	600.0	272.8	779.9	688.6	593.15	524.52
25.	पश्चिम बंगाल	1080.0	893.5	111.0	910.3	841.00	591.6
26.	अ० तथा नि० द्वीपसमूह	8.4	3.9	8.4	8.0	8.40	8.8
27.	चण्डीगढ़	21.6	16.6	26.2	22.4	17.80	13.4
28.	दादर तथा नगर हवेली	1.4	0.2	2.38	नग०	1.98	0.2
29.	दमन और दीव	1.80	0.7	1.78	0.4	1.48	0.7

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	840.0	566.4	868.8	739.6	712.80	576.5
31.	लक्षद्वीप	0.1	नग०	0.2	नग०	0.20	नग०
32.	पांडिचेरी	5.50	2.0	8.92	नग०	7.42	0.1
	जोड़ (राज्य/संघ शासित प्रदेश)	8652.55	6282.5	10408.37	8731.2	7744.24	6105.4

(अं०)—अनन्तिम ।

(नग०)—50 मीटरी टन से कम ।

विवरण-2

1990 से 1992 तक सभी राज्यों के संबंध में चावल के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

चावल

(हज़ार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1990		1991		1992	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
						(अक्तूबर 92 तक)	(सितम्बर 92 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1330.0	1202.9	2383.0	2251.6	1471.25	1131.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.0	87.5	112.9	84.4	88.00	73.7
3.	असम	430.5	412.9	460.6	419.4	389.40	328.5
4.	बिहार	117.0	28.6	131.0	69.9	197.90	100.3
5.	गोआ	48.9	44.8	57.0	49.4	47.20	38.9
6.	गुजरात	330.0	278.8	324.0	311.1	280.00	228.4
7.	हरियाणा	35.4	19.7	40.0	20.4	30.00	17.2

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	78.0	53.3	80.6	71.7	65.00	57.1
9.	जम्मू तथा कश्मीर	410.0	204.6	459.0	240.7	355.85	138.7
10.	कर्नाटक	598.0	543.8	602.0	576.5	626.50	525.8
11.	केरल	1575.0	1504.9	1760.0	1723.9	1520.00	1420.5
12.	मध्य प्रदेश	290.0	188.2	310.0	234.6	347.60	245.9
13.	महाराष्ट्र	569.5	537.7	570.0	580.4	667.00	586.4
14.	मणिपुर	84.0	114.4	100.5	56.3	73.35	56.3
15.	मेघालय	114.9	67.5	137.5	109.4	99.00	90.9
16.	मिजोरम	90.0	93.0	109.5	84.5	85.50	79.7
17.	नागालैण्ड	113.25	109.2	146.0	130.4	84.25	73.4
18.	उड़ीसा	267.5	171.9	349.0	254.4	318.75	191.0
19.	पंजाब	17.7	2.7	20.0	5.5	15.00	5.5
20.	राजस्थान	38.4	13.4	42.2	22.1	39.00	16.4
21.	सिक्किम	54.0	34.5	58.0	34.1	45.00	30.6
22.	तमिलनाडु	736.8	731.3	944.48	949.7	701.15	588.7
23.	त्रिपुरा	169.20	141.6	186.2	141.0	190.85	134.7
24.	उत्तर प्रदेश	397.0	259.0	363.0	311.8	337.15	273.2
25.	पश्चिम बंगाल	854.0	574.3	853.0	692.8	751.90	433.8
26.	अ० तथा नि० द्वीपसमूह	18.0	9.9	18.0	16.8	20.50	18.7
27.	चंडीगढ़	4.8	3.8	11.3	4.5	3.20	2.9
28.	दादर तथा नगर हवेली	6.0	1.9	8.0	0.3	5.00	
29.	दमन और दीव	5.40	2.6	7.65	0.9	5.00	1.2

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	240.0	168.3	268.0	172.8	200.00	134.7
31.	लक्षद्वीप	5.5	3.7	6.3	4.2	6.30	2.3
32.	पांडिचेरी	24.2	7.6	28.0	3.2	20.00	3.4
	जोड़ : (राज्य/संघ शासित प्रदेश)	9144.75	7628.3	10946.73	9660.7	9086.60	7031.2

(अं०)—अनन्तिम।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान प्रयोगशाला

111. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान प्रयोगशाला ने देश के कुछ भागों में क्षेत्रीय अनुरक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना किन-किन स्थानों पर करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में भी ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी प्रत्येक प्रयोगशाला की स्थापना पर कुल कितना व्यय किये जाने की संभावना है; और

(च) ये कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करती है जिससे सांस्कृतिक संपदा के परिरक्षण और संरक्षण के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र की मांगों को ध्यान में रखा जाता है। मणिपुर, भोपाल, पालमपुर, गोवा, कलकत्ता और अहमदाबाद में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। अब तक केवल कलकत्ता अहमदाबाद के प्रस्तावों को ही ठोस रूप दिया गया है और इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाने की संभावना है। अहमदाबाद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला न केवल गुजरात बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान आदि सहित देश के पश्चिमी हिस्सों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। ऐसी एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सामान्यतः 1.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है।

दार्जिलिंग मेल और कंचनजंगा एक्सप्रेस की गति बढ़ाना

112. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग मेल और कंचनजंगा एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालकनिक रूप से व्यवहारिक नहीं है।

दीमापुर तक रेल लाइन का विस्तार

113. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाईन को दीमापुर, पूर्वी सीमान्त रेलवे तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दीमापुर पहले से ही रेल से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क

114. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के झारखंड क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को सुधारने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय शुरू की जा रही परियोजनाओं तथा अगले दो वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दुमका में मंदार हिल तक नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। बहरहाल परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

दुर्लभ किस्म के पौधों का निर्यात

115. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1992 के टाइम्स आफ इण्डिया में "रेअर प्लान्ट स्पेसीज बिइंग स्मगल्ड आउट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या विकसित राष्ट्र दुर्लभ पौधों का निर्यात नहीं करते है जबकि भारत से कानूनी रूप से इनको बाहर ले जाया जा सकता है ।

(ग) भारत से इनके निर्यात को रोकने के लिए वर्तमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य देशों द्वारा दुर्लभ और उपयोगी पौधों के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजाति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के अनुसार कन्वेंशन के परिशिष्ट-I में शामिल दुर्लभ पादप प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निषिद्ध है । ये उपबंध भारत सहित सभी सदस्य देशों द्वारा लागू किये जा रहे हैं ।

(घ) दुर्लभ संकटापन्न पादपों की देश से बाहर तस्करी को रोकने के लिए उठाए गये या उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) साइट्स के परिशिष्ट-I में शामिल सभी पादपों को निर्यात नीति से बाहर रखा गया है । शेष पादप प्रजातियों का निर्यात करने की अनुमति भी सम्बन्धित राज्य के क्षेत्रीय वन्यजीव उपनिदेशक या मुख्य वन संरक्षक या मंडल (डिविजनल) वन अधिकारी, जहां से इन पौधों के हिस्से और उनसे निर्मित पादप प्राप्त किये गये हैं, से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त होने पर ही दी जाती है ।

(2) केन्द्रीय सरकार के आधीन सीमा-शुल्क प्राधिकारी और वन्यजीव कर्मचारी पौधों से सम्बन्धित पूरे माल की जांच करते हैं ।

विदेश भेजे गये इंजीनियर

116. **डा० असीम बाला** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य इंजीनियरिंग कालेजों से कितने इंजीनियर विदेश भेजे गये ; और

(ख) इनमें से कितने इंजीनियर अथवा अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वापस आ गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी

शैलजा) : (क) और (ख) विदेशों को गए तथा वापिस आए इंजीनियरों के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, भा० प्रौ० संस्थानों से विदेशों को जाने वाले छात्रों की मोटे तौर पर अनुमानित प्रतिशतता, 20 प्रतिशत के करीब है। चूंकि छात्र अपने अध्ययनों को पूरा करने के बाद, अथवा विदेशों में कार्य करने के बाद, विभिन्न चरणों में वापिस आते हैं, अतः एक विशिष्ट समय पर संख्या निर्दिष्ट करना कठिन है।

रियो पृथ्वी सम्मेलन पर कार्य योजना

117. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियो पृथ्वी सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्य योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) रियो सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है :—

(1) पर्यावरण और विकास के सम्बन्ध में रियो घोषणा, जिसमें सरकारों और व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों की घोषणा के रूप में सतत् विकास के तत्व दिये गये हैं।

(2) कार्य सूची-21 को अपनाना, जोकि पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के साथ इसके तालमेल के कार्यक्रमों का एक सेट है।

(3) सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास के सम्बन्ध में विश्व मतैक्य के लिए कानूनी रूप से अबाध्य सिद्धान्तों के एक अधिकारिक विवरण के बारे में करार।

(4) जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेम वर्क कन्वेंशन तथा जैविक विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर।

रियो सम्मेलन के उपर्युक्त प्रत्येक निष्कर्ष के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरु कर दी गई है। चूंकि इसका संबंध क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय है तथा इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, इसलिए इस प्रकिया में केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर सभी संबंधित सरकारी एजेन्सियों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि को शामिल किया गया है। यह एक अविरल प्रकिया होगी, जिसके लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि रियो सम्मेलन में अभि-निर्धारित अनेक प्राथमिकताएं एवं कार्यवाई मदें राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण तथा विकास पर नीति विवरण, राष्ट्रीय वन नीति, प्रदूषण के उपशमन के नोति विवरण तथा पंचवर्षीय योजनाओं जैसी राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं का पहले से ही हिस्सा हैं।

पर्यटकों हेतु चित्रलेखों (पिक्टोग्राम) की व्यवस्था

118. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनो पर पर्यटकों की सुविधा हेतु चित्रलेखों (पिक्टोग्राम) की व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे चित्रलेखे की व्यवस्था विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी की जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेशनों पर प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के स्थान दर्शाने वाले 38 चित्रलेखों (पिक्टोग्रामों) का मानकीकरण किया गया है और उन्हें चुनिंदा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लगाया गया है/लगाया जा रहा है।

(ग) इस योजना को विजयवाड़ा स्टेशन पर पहले ही लागू कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायदुर्ग से चित्रदुर्ग तक नई रेल लाइन बिछाना

119. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रायदुर्ग और चित्रदुर्ग के बीच नई मीटर गेज लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चित्रदुर्ग और रायदुर्ग के बीच एक बड़ी लाइन बिछाई जा रही है।

(ख) प्रस्तावित लाइन 100 कि० मी० लम्बी है। इसका पहले मीटर लाइन के रूप में निर्माण किया जा रहा था परन्तु भारतीय रेलों पर एक आमान प्रणाली अपनाए जाने के कारण इस लाइन का अब बड़ी लाइन के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के 1993-94 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेलवे बाण्ड

120. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 में कोंकण रेलवे बाण्ड बेचे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन बाण्डो की बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ग) क्या इन बाण्डों की बिक्री के लिए कमीशन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो कमीशन का प्रतिशत कितना था इस कमीशन के कारण कुल कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है;

(ङ) इस प्रकार का कमीशन देने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इन बाण्डों की बिक्री के लिए भारतीय रेल वित्त निगम से सहायता ली गयी थी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेल वित्त निगम को इस शर्त पर 1991-92 के दौरान 150 करोड़ रुपये के 9 प्रतिशत पर कर-मुक्त बांड जारी करने के लिए प्राधिकृत किया था कि इससे होने वाली प्राप्ति को कोंकण रेल परियोजना पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। 1991-92 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा वास्तव में जारी किये गये बांडों की कुल राशि 111.64 करोड़ रुपये थी।

(ख) 95.38 करोड़ रुपये थी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, विभिन्न बैंकों/संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की शर्तों, जिनमें उन्होंने बाण्डों की खरीद का प्रस्ताव किया है, के अनुसार 1 से 15 प्रतिशत के बीच प्रबंध शुल्क का भुगतान किया गया था। प्रबन्ध शुल्क के रूप में भुगतान की गई कुल राशि 16.26 करोड़ रुपये है।

(च) और (छ) भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा कोंकण रेलवे निगम की ओर से बांड जारी किये गये थे।

उड़ीसा के पुरातत्वीय महत्व के स्थल

121. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा रक्षित स्मारकों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) क्या इस राज्य में पुरातत्वीय महत्व के कुछ स्थानों पर पर्याप्त पर्यटक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इन स्थानों पर पर्याप्त पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) उड़ीसा के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की मरम्मत और रखरखाव पर 1991-92 के दौरान 28,62,280/- रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय संरक्षण के इन महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्मारकों/स्थलों पर भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में चीनी मिलें

122. **श्री लाल बाबू राय** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चीनी मिलों की कुल संख्या तथा इनमें से रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन रुग्ण मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में सरकार को कितने आवेदन/प्रस्ताव ज्ञापन मिले हैं तथा अब तक कितनी मिलों को अर्थक्षम बनाया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) बिहार राज्य में 30 संस्थापित चीनी मिलें हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कम्पनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेजना होता है। अब इन उपबंधों को बढ़ा दिया गया है तथा सरकारी कंपनियों को भी इसमें कवर कर लिया गया है। बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि बिहार से दो चीनी उपक्रमों के मामले उन्हें प्राप्त हुए हैं इनमें से एक मामले में मिल को अर्थक्षम बनाना सम्भव नहीं है। दूसरे मामले में मिल के समापन का नोटिस भेज दिया गया है।

(ख) से (घ) रुग्ण चीनी मिलों के पुनरूद्धार के संबंध में पिछले दिनों खाद्य मंत्रालय को बिहार सरकार से कोई ज्ञापन प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। रुग्ण चीनी मिलों द्वारा उनके पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदित कराना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि ये निहित शर्तें पूरी करती हों।

[हिन्दी]

रेलवे के ठेकों को देना

123. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा विभिन्न डिविजनों में एक खान-पान प्रबंधक/ठेकेदार को अधिकतम कितने यूनिट आवंटित किये जाते हैं ;

(ख) एक यूनिट में कितने स्टाल और ट्रालियां होती हैं ;

(ग) रतलाम डिविजन में कितने ठेकेदारों को (अल्पहार-टी स्टाल, ट्रालियां और अल्पाहार कक्ष के) यूनिटों का आवंटन किया गया है और प्रत्येक मामले में कितनी यूनिटों को आवंटित किया गया है ; और

(घ) इस प्रकार के ठेके देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार एक लाइसेंसधारी द्वारा यूनिट प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा विद्यमान नहीं है ।

(ग) इस समय पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में कुल 137 लाइसेंसधारी कार्यरत हैं और वे 4 अल्पहार गृहों, 46 अल्पाहार स्टालों, 156 ट्रालियों, आदि का प्रबन्ध करते हैं । किसी भी लाइसेंसधारी को दो से अधिक यूनिटें आवंटित नहीं की गई हैं ।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस आबंटित करने का मानदण्ड यह है कि लाइसेंसधारी को व्यावसायिक/प्रख्यात खान-पान प्रबंधक होना चाहिए । बहरहाल, छोटे स्टेशनों के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तरजीह दी जानी होती है ।

उत्तर प्रदेश में "ओरल रिहाइड्रेशन स्कीम" कार्यान्वित करना

124. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय पदार्थों से जल की कमी को पूरा करने सम्बन्धी योजना (ओरल रिहाइड्रेशन स्कीम) के कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) निम्न स्तर पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वियन से पहले अतिसार के कारण रुग्णता तथा बाल मृत्यु दर-कितनी थी तथा अब कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राष्ट्रीय मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा योजना के अन्तर्गत 4 लाख चिकित्सीय और अर्धचिकित्सीय कर्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है । भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा अलग से भी 30,000 निजी चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया गया है । मेडिकल कालेजों में 55 अतिसार उपचार और प्रशिक्षण एककों की स्थापना की गई है । 1986-87 से 1991-92 तक की अवधि में सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को 1042.90 लाख रुपये के मूल्य के मुखीय पुनर्जलपूर्ति नमक की आपूर्ति की गई है । अतिसार की रोकथाम, घर में ही उपलब्ध तरल पदार्थों का उपयोग और मुखीय पुनर्जलपूर्ति नमक के उपयोग में त्वरित संचार कार्यक्रम को भी चलाया गया है ।

(ख) 1989, 1991 और 1992 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि अतिसार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 39 प्रतिशत माताएं और शहरी क्षेत्र में 49 प्रतिशत माताओं ने अधिक तरल पदार्थों का उपयोग किया और 85 प्रतिशत माताओं ने अपने बच्चों को खाना देना जारी रखा । मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा और अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप 1985 में शिशु मृत्यु दर 97 से घटकर 1990 में 80 तक रह गई ।

(ग) भारत के महापंजीयक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1985 में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 54.0 से घटकर 1988 में 46.7 रह गई है । तथापि शिशु मृत्यु दर और रुग्णता दरों के सम्बन्ध में रोगवार ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

[अनुवाद]

शेर शाह सूरी के मकबरे पर अतिक्रमण

125. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार में सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे तथा उससे लगी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करते समय संरक्षक के अंतर्गत मूल सम्पत्ति का क्षेत्रफल कितना था;

(ग) मकबरे के आस-पास के किनारों पर निर्मित कुछ धार्मिक स्थलों सहित कितना भू-क्षेत्र प्रतिकूल कब्जे में है;

(घ) क्या मूल सीमा का सीमांकन किया गया है और उस पर तारबाड़ किया गया है तथा वहां प्रवेश को नियमित किया गया है;

(ङ) क्या पुरातत्व विभाग ने अतिक्रमण के विरुद्ध मामले दर्ज किये हैं; और

(च) यदि हां, तो ये मामले किस स्थिति में हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सासाराम स्थित शेर शाह सूरी के मकबरे की इमारत पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उससे जुड़े कुछ क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया गया है।

(ख) संरक्षण के अन्तर्गत 21.73 एकड़ क्षेत्र है।

(ग) संरक्षित क्षेत्र में से लगभग 0.56 एकड़ प्रतिकूल कब्जे/अतिक्रमण में है।

(घ) प्रतिकूल कब्जे के स्थानों को छोड़कर, संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन कर दिया गया है तथा तारबाड़ कर दिया गया है। स्मारक में प्रवेश को नियमित कर दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) यह मामला न्यायाधीन है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाएं

126. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के प्रारम्भ से अब तक इसके कार्य-निष्पादन की समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों तथा किये गए वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कुछ राज्यों में इस योजना में धीमी प्रगति—श्रमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में 3.67 लाख हे० क्षेत्र पर निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण की तुलना में सितम्बर, 1992 तक 1.39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण किया गया है।

(ग) 1993 के वर्षाकाल के लिए राज्यवार लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा रहा है क्योंकि क्षतिपूरक वनरोपण के लक्ष्य वनेतर उपयोग के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र पर निर्भर करेंगे।

(घ) और (ङ) बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में क्षतिपूरक वनरोपण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के मुख्य कारण क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वनेतर भूमि की शिनाख्त न किया जाना, क्षतिपूरक वनरोपण के लिए निधियां प्राप्त न होना तथा राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वन रोपड़ निधियों की निर्मुक्ति में विलम्ब होना है।

अनुसंधान और विकास हेतु विश्वविद्यालय को अनुदान

127. **श्री वी० कृष्णा राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने देश में अनुसंधान और विकास हेतु विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया है और उसका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) दक्षिण के विश्वविद्यालयों को इस धनराशि का वाजिब हिस्सा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ख) विश्व० अनु० आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग योग्य विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की कोटि में प्रोन्नति व सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए 1989-90, 1990-91 व 1991-92 में विश्वविद्यालयों को दिये गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालयों तथा अलग-अलग अध्येताओं से प्राप्त प्रत्येक शोध प्रस्ताव के गुण तथा संबंधित संस्थान के शोध कार्यक्रम आरंभ करने

की क्षमता के आधार पर अनुसंधान और विकास के लिए अनुदान दिया जाता है न कि क्षेत्र के आधार पर।

विवरण

अनुसंधान व विकास के लिए योग्य विश्वविद्यालय को दिये गए
अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य में विश्व-विद्यालयों की कुल संख्या	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
			के दौरान दिया गया अनुदान			
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	375.24	399.86	352.24	1147.34
2.	असम	3	11.88	31.28	13.12	56.28
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	—
4.	बिहार	11	42.70	61.85	123.50	228.11
5.	गुजरात	10	180.01	135.15	117.76	412.92
6.	गोवा	1	4.50	4.69	1.17	10.44
7.	हिमाचल प्रदेश	3	4.09	1.92	3.13	9.14
8.	हरियाणा	4	43.67	16.03	34.41	94.11
9.	जम्मू और कश्मीर	3	9.92	17.72	43.01	70.65
10.	कर्नाटक	9	191.57	460.60	364.98	1017.15
11.	केरल	5	33.90	66.58	75.96	176.44
12.	मणिपुर	1	3.05	3.46	29.13	35.64
13.	मध्य प्रदेश	12	88.67	124.30	50.23	263.20
14.	महाराष्ट्र	19	142.67	283.08	240.80	666.55
15.	मेघालय	1	10.34	36.44	16.06	62.84
16.	उड़ीसा	5	31.50	24.89	46.24	102.63
17.	पंजाब	5	109.39	158.92	143.95	412.26

1	2	3	4	5	6	7
18.	राजस्थान	10	289.37	76.75	167.94	534.06
19.	तमिलनाडु	15	170.39	234.98	327.75	733.10
20.	त्रिपुरा	1	2.42	2.63	0.70	5.75
21.	उत्तर प्रदेश	24	588.90	729.67	709.75	2028.32
22.	पश्चिम बंगाल	10	233.48	392.91	312.11	938.50
	संघ शासित क्षेत्र					
23.	दिल्ली	9	233.47	247.01	325.85	806.33
24.	पांडिचेरी	1	4.57	8.45	12.16	25.18
	कुल :	179	2805.84	3519.17	3511.93	0836.04

चिल्का झींगा मछली पालन परियोजना

128. श्री चित्त बसु :

श्री बीर सिंह महतो :

डा० कृपासिन्धु भोई :

श्री रवि राय :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री के० पी० सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिल्का झींगा मछली पालन परियोजना के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना का पर्यावरण संबंधी आकलन समुचित रूप से कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। ये अभ्यावेदन मुख्यतया चिल्का झील में झींगा पालन परियोजना, जो उड़ीसा सरकार तथा चिल्का एक्वेटिक फार्म्स लि० का एक संयुक्त उद्यम है, के पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने मैसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेस लिमिटेड को काम सौंपा है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे एक बहु-विषयी दल से व्यापक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करवाए।

"अपना वैगन रखिए" योजना

129. प्रो० प्रेम धूमल :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री गोविन्दराव निकाम :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अपना वैगन रखिए" योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राइवेट पार्टियों का किस प्रकार के वैगन देने का प्रस्ताव है;

(घ) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने रेल परिवहन अवसंरचना में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए "अपने माल डिब्बे के स्वयं मालिक बनें" योजना को अन्तिम रूप दिया है। यह योजना 8-9-92 को घोषित की गई थी। योजना के पूरे ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

1.0 **उद्देश्य**

निजी पार्टियों को अपने माल डिब्बों के स्वयं स्वामी बनने के लिए प्रोत्साहित करके, अर्थ-व्यवस्था से संबंध विभिन्न वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रेल परिवहन क्षमता को बढ़ाना और इस प्रकार चल स्टाक प्राप्त करने के लिए रेलों के पास उपलब्ध स्रोतों को बढ़ाना।

2.0 **माल डिब्बों की किस्म**

इस योजना में निम्नलिखित कोटियों के अन्तर्गत माल डिब्बों के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की गई है :—

2.1 सामान्य सेवा (बी० ओ० एक्स० "एन", बी० ओ० बी०-आर०, बी० सी० एम० तथा बी० आर० एन० आदि मानक माल-डिब्बे) कोटि-I

2.2 परिवर्तित न किए जा सकने वाले विशेष किस्म के माल डिब्बे, जैसे अमोनिया टंकी माल डिब्बे, दूध के टैंकर, कास्टिक सोडा के टैंक, बी० एफ० के० आई०, बी० टी० पी० एन० तथा अन्य थोक ढुलाई वाले माल डिब्बे। कोटि-II

3.0 **कोटि-I के माल डिब्बों के लिए स्वामित्व का प्रोफाइल**

इस योजना के अन्तर्गत, माल डिब्बों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास रह सकता है :—

(i) उत्पादकों के रूप में अलग-अलग व्यक्ति

(ii) उत्पादकों के रूप में समवेत समूह

(iii) कंपनियों का संघ अथवा ग्रुप, जैसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के एकीकृत इस्पात संयंत्र अथवा "समूह" में सीमेन्ट कंपनियों का एक ग्रुप आदि ।

(iv) थर्मल पावर स्टेशन तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र के अन्य मुख्य उपभोक्ता ।

4.0 **कोटि-I के माल डिब्बों के प्रापण का तरीका**

आदेश दिये गए 100 माल डिब्बों तक तथा 100 से अधिक माल डिब्बों की लागत के क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत के बराबर राशि का अभिकल्प ऋण तथा निरीक्षण प्रभारों के रूप में भारतीय रेलों को भुगतान करने पर, आपस में मंजूर की गयी शर्तों पर मौजूदा आई० आर० एस० अभिकल्पों तथा विशिष्टियों के अनुरूप, रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित माल डिब्बा निर्माताओं से सीधे स्वामी द्वारा प्रापण । सभी महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद, आई० आर० एस० की मौजूदा विशिष्टियों के अनुसार, अ० अ० मा० सं० द्वारा अनुमोदित स्रोतों से की जाएगी ।

अथवा

4.1 आदेश दिये गए 100 माल डिब्बों तक और 100 से अधिक माल डिब्बों की लागत के क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत के बराबर राशि का "सेवा प्रभार" के रूप में भारतीय रेलों को भुगतान करके भारतीय रेलों के माध्यम से/इसमें अभिकल्प ऋण, निरीक्षण तथा प्रापण के प्रशासनिक प्रभार शामिल होंगे ।

4.2 आयातित पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा, यदि कोई हो, की व्यवस्था मालिक द्वारा की जाएगी या भारतीय रेलवे द्वारा की गई खरीद के लिए बाजार दर पर वास्तविक दायिता उसे अन्तरित कर दी जाएगी ।

5.0 **कोटि-I के माल डिब्बों के लिए निजी स्वामित्व की सीमा**

5.1 कोटि-I के माल डिब्बों के मामले में, इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक सेक्टर में अपेक्षित कुल माल डिब्बों की तुलना में माल डिब्बों के निजी स्वामित्व का अनुपात उस सेगमेंट विशेष की अपूर्ण मांग तक ही होना चाहिए, परन्तु यह किसी भी हालत में मौजूदा मांग के 25 प्रतिशत या एक रेक, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होना चाहिए । नये औद्योगिक यूनिट के मामले में माल डिब्बों के निजी स्वामित्व का अनुपात इस तथ्य को समुचित अधिमान देते हुए, प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारित करना होगा कि अतिरिक्त अपेक्षित माल डिब्बों के प्रमाण का संपूर्ण दायित्व नये यूनिट/उपयोगकर्ता को अन्तरित करना जरूरी नहीं है ।

5.2 निजी स्वामित्व की कम-से-कम यूनिट एक गाड़ी होगी जिसमें (एक रेक + अनुरक्षण पुर्जे) शामिल होंगे ।

6.0 **कोटि-I के माल डिब्बों के लिए संचलन की पद्धति**

ऐसे माल डिब्बे इस प्रकार परिचालित किये जा सकते हैं :—

(i) बन्द परिपथों के भीतर, या

(ii) किसी विशिष्ट प्रारम्भिक स्थल से अनेक गंतव्य स्थानों तक, या

(iii) अनेक गंतव्य स्थानों से किसी विशिष्ट स्थल तक, या

(iv) भारतीय रेलों के माल डिब्बों के सामान्य पूल में मिलाए तथा परिचालित किये जा सकते हैं।

6.1 जिन परिपथों पर ये माल डिब्बे परिचालित होंगे, उनका निर्धारण ऐसे संचलनों की परिचालनिक व्यावहारिकता को देखते हुए, आपस में मिल कर किया जाएगा।

7.0 **कोटि-I के माल डिब्बों के संबंध में माल डिब्बों का आकलन**

7.1 इस योजना के अन्तर्गत माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन निम्न आधार पर किया जाएगा :—

"चिन्हित परिपथ (ों) में माल डिब्बों का दिनों में वास्तविक टर्न राउंड

—न्यूनतम आवश्यकताओं के 4 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त आवश्यकता तथा ब्रेकयान।

8.0 **कोटि-I के मालडिब्बों के मालिकों को स्वीकार्य लाभ**

8.1 अलग-अलग व्यक्तियों/समवेत निकाय/कम्पनियों के संघ के स्वामित्व वाले कोटि-I के मालडिब्बों के मामले में, भारतीय रेलवे द्वारा वार्षिक पट्टा प्रभार का तिमाही आधार पर अग्रिम में भुगतान किया जाएगा। दस वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए पट्टा प्रभारों का आकलन माल-डिब्बों के किसी खास समूह के लिए भारतीय रेलों के स्वामित्व वाले उसी समूह के माल डिब्बों की मौजूदा लागतों (अभिकल्प ऋण, निरीक्षण सेवा प्रभारों को छोड़कर (के आधार पर 14.5 प्रतिशत की वार्षिक दर पर किया जाएगा तथा अगले 10 वर्षों के लिए 1 प्रतिशत वार्षिक पट्टा प्रभार होगा।

8.1.1 इस अवधि (20 वर्ष) की समाप्ति पर, इन माल डिब्बों को आगे सेवा में बनाये रखने का निर्णय करने के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा इन माल डिब्बों की स्थिति की जांच की जाएगी। यदि यह पाया गया कि ये माल डिब्बे अपने लाभकारी कार्यकाल से ज्यादा आयु के हो गए हैं, तो स्वामी को यह अधिकार होगा कि वह सीधे या रेलवे के माध्यम से उनका स्क्रैप के रूप में निपटान कर सकेगा।

8.1.2 यदि यह पाया जाए कि 20 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद ये माल डिब्बे आगे सेवा में आने लायक हैं, तो पट्टा आपस में तय की गई शर्तों पर जारी रहेगा।

8.2. यदि स्वामी खाली दिशा में लदान प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है, तो उस खाली दिशा के लिए आपस में तय की गई शर्तों पर अतिरिक्त रियायती भाड़ा देय होगा।

9.0 कोटि-I के मालडिब्बों के मामले में मालडिब्बों की गारंटीशुदा सप्लाई

9.1 ऊपर पैरा 8.1 में उल्लिखित पट्टा प्रभार के भुगतान के अलावा, भारतीय रेल द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान उपयोगकर्ता यूनिट को सप्लाई किये गए मालडिब्बों की औसत संख्या को ध्यान में रखकर तथा ऊपर पैरा 7 में दिये गए आकलन के अनुसार मालडिब्बों की आवश्यकताओं के आधार पर, निश्चित संख्या में मालडिब्बों की सप्लाई की गारंटी दी जाएगी।

9.2 किसी नये उपयोगकर्ता यूनिट के मामले में, भारतीय रेलों द्वारा मालडिब्बों की गारंटीशुदा सप्लाई आपस में स्वीकृत शर्तों पर की जाएगी।

10.0 कोटि-I के माल डिब्बों के लिए मालडिब्बों का अनुरक्षण

10.1 कोटि-I के मालडिब्बों के दिन प्रतिदिन के सामान्य अनुरक्षण, नेमी ओवरहालिंग तथा आवधिक ओवरहालिंग की जिम्मेवारी भारतीय रेलों की होगी। और अनुरक्षण का स्तर/गुणवत्ता वही होगी जो भारतीय रेलों द्वारा अपने मालडिब्बों को प्रदान की जाएगी।

10.2 कोटि-I के मालडिब्बों में किसी भी प्रकार का ऐसा आशोधन/परिवर्तन आपसी सहमति की शर्तों पर करने के लिए भारतीय रेल स्वतन्त्र होगी, जैसा वह उसी प्रकार के अभिकल्प वाले अपने मालडिब्बों में करती है।

10.3 ऐसा कोई भी प्रमुख पुनःस्थापन/कार्यकाल के दौरान पुनर्निर्माण, जो आवश्यक हो जाए और जिसे भारतीय रेलों के स्वामित्व वाले इसी प्रकार के मालडिब्बों में शुरू किया जाए, पट्टे पर दिए गए मालडिब्बों में भी आपस में सहमत शर्तों पर किया जाएगा।

11.0 कोटि-I के मालडिब्बों में से दुर्घटनाग्रस्त मालडिब्बे

11.1 निजी स्वामित्व वाले कोटि-I के मालडिब्बों के दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप नाकारा हो जाने की स्थिति में, नकारा हो गए मालडिब्बों के पट्टा प्रभारों का भुगतान लीज् करार के अनुसार संविदा की 20 वर्ष की पूरी अवधि तक किया जाता रहेगा। भा० रे० इस अवधि के दौरान मालडिब्बों की गारंटीशुदा सप्लाई की वचनबद्धता को पूरा करती रहेगी।

12.0 कोटि-I के मालडिब्बों के संबंध में, मालडिब्बों का अनुरक्षण/गारंटीशुदा सप्लाई करने में विफल रहना

12.1 निश्चित संख्या में मालडिब्बों की सप्लाई पर मासिक आधार पर नज़र रखी जाएगी। यदि किसी माह विशेष में कमी रहती है, तो भारतीय रेल अगले महीने उस कमी को पूरा करेगी। बहरहाल, यदि कमी पूरी नहीं की जाती, तो भारतीय रेलवे द्वारा मालडिब्बे के स्वामी को सामान्य पट्टा प्रभार के अलावा, प्रतिदिन प्रति मालडिब्बे के हिसाब से अनुपातिक पट्टा प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

12.2 यदि मालिक गारंटीशुदा निश्चित संख्या में मालडिब्बों का इस्तेमाल करने में असमर्थ रहे, तो उतने दिन के लिए, पट्टा प्रभार देय नहीं होगा जितने दिन मालडिब्बों का उपयोग नहीं किया जाएगा। खाली पड़े मालडिब्बों को मालिक की साइडिंग में उस हद तक तथा उस अवधि के दौरान जिसके लिए पट्टा प्रभार का भुगतान रोका जाना है, जिस हद तक पट्टाकर्ता द्वारा अंशदान किया

गया हो। बहरहाल, यदि भा० रे० मालडिब्बों का उपयोग वैकल्पिक यातायात के लिए करने की स्थिति में हो, तो पट्टा प्रभारों का भुगतान किया जाता रहेगा।

13.0 कोटि-I **के मालडिब्बों के लिए मुक्त समय तथा विलम्ब-शुल्क नियम**

13.1 रेलवे के स्वामित्व वाले मालडिब्बों पर लागू मुक्त समय तथा विलम्ब शुल्क नियम कोटि-I के अंतर्गत आने वाले निजी स्वामित्व वाले मालडिब्बों पर लागू होंगे।

14.0 इस योजना की अवधि को पट्टाकर्ता/निजी मालिक की रजामन्दी से भारतीय रेलवे द्वारा किसी भी समय बदला जा सकता है।

15.0 **कोटि-I के मालडिब्बों के संबंध में वापसी खरीद की व्यवस्था**

15.1 यदि पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय पट्टाकर्ता/मालिक, परिसमाप्ति/किसी अन्य कंपनी के साथ विलय हो जाने के कारण अथवा पैरा 14 की शर्तों के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा करार में ऐसे परिवर्तन किए जाने के कारण जो पट्टाकर्ता/मालिक को स्वीकार्य न हों, अथवा भारतीय रेलवे को स्वीकार्य किसी अन्य कारण का इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहे, तो कोटि-I के अंतर्गत आने वाले पट्टे पर दिए गए मालडिब्बों का स्वामित्व ह्रासित दरों पर, अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल को रेलों को वापस दे दिया जाएगा। मूल्य का निर्धारण समय-समय पर लागू आय-कर नियमों के अनुसार किया जाएगा।

कोटि-II किस्म के माल डिब्बे

16.0 **कोटि-II के मालडिब्बों के लिए स्वामित्व का प्रोफाइल**

कोटि-II के अंतर्गत अपने निजी स्वामित्व वाले मालडिब्बों की स्वामित्ववार पहचान करने के लिए उनके अंकन की एक अलग योजना बनायी जाएगी।

17.0 **प्रापण का तरीका**

आदेश दिए गए 100 मालडिब्बों तक तथा 100 से अधिक मालडिब्बों की लागत के क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत के बराबर राशि का अभिकल्प ऋण तथा निरीक्षण प्रभारों के रूप में भारतीय रेलों को भुगतान करने पर, आपस में मंजूर की गयी शर्तों पर मौजूदा आई० आर० एम० अभिकल्पों तथा विशिष्टियों के अनुरूप, रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मालडिब्बा निर्माताओं से सीधे स्वामी द्वारा प्रापण। सभी महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद आई० आर० एस० की मौजूदा विशिष्टियों के अनुसार, अ० अ० मा० सं० द्वारा अनुमोदित स्रोतों से की जाएगी।

अथवा

17.1 आदेश दिए गए 100 माल डिब्बों तक और 100 से अधिक मालडिब्बों की लागत के क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत के बराबर राशि का "सेवा प्रभार" के रूप में भारतीय रेलों को भुगतान करके भारतीय रेलों के माध्यम से। इसमें अभिकल्प ऋण, निरीक्षण तथा प्रापण के प्रशासनिक प्रभार शामिल होंगे।

17.2 आयातित पुर्जों के लिए विदेशी मुद्रा, यदि कोई हो, की व्यवस्था मालिक द्वारा की

जाएगी या भारतीय रेलवे द्वारा की गई खरीद के लिए बाजार दर पर वास्तविक दायिता उसे अन्तरित कर दी जाएगी।

18.0 **कोटि-II के मालडिब्बों के लिए निजी स्वामित्व की सीमा**

18.1 कोटि-II के मालडिब्बों के मामले में, मालडिब्बों का निजी स्वामित्व शत-प्रतिशत होगा।

19.1 **कोटि-II के मालडिब्बों के लिए संचलन की पद्धति**

ऐसे मालडिब्बे इस प्रकार परिचालित किए जा सकते हैं :—

(1) बंद परिपथों के भीतर, या

(2) किसी विशिष्ट प्रारम्भिक स्थल से अनेक गंतव्य स्थानों तक, या

(3) अनेक गंतव्य स्थानों से किसी विशिष्ट स्थल तक, या

19.1 जिन परिपथों पर ये मालडिब्बे परिचालित होंगे, उनका निर्धारण ऐसे संचलनों की परिचालनिक व्यावहारिकता को देखते हुए, आपस में मिलकर किया जाएगा।

20.0 **कोटि-II के मालडिब्बों के मालिकों को स्वीकार्य लाभ**

20.1 कोटि-II के मालडिब्बों के संबंध में, चिन्हित संचालन के प्रत्येक मामले में, लदान तथा खाली दिशाओं में कर्षण की लागत, टर्मिनल तथा मार्शलिंग परिचालन लागत, बंधे खर्च तथा लाभ की राशि को ध्यान में रखते हुए, श्रेणी-दर के समानीकृत एकमुश्त मालभाड़ा दर उद्धृत की जाएगी। ये एकमुश्त दरें वार्षिक रेल बजट के अभ्यास के समय हर वर्ष संशोधन के अध्यधीन होंगी।

20.2 यदि मालिक खाली दिशा में लदान प्राप्त करने में समर्थ होता है, तो खाली दिशा के लिए आपस में तय की गयी शर्तों पर अतिरिक्त रियायती भाड़ा देय होगा।

21.0. **कोटि-II के मालडिब्बों के लिए मालडिब्बों का अनुरक्षण**

21.1 कोटि-II के मालडिब्बों के मामलों में, हालांकि अनुरक्षण की जिम्मेवारी भारतीय रेलवे की होगी, परन्तु अनुरक्षण प्रभार मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किये जाएंगे तथा ये मालिक द्वारा वहन किये जाएंगे।

21.2 कोटि-II के मालडिब्बों में किसी प्रकार का ऐसा आशोधन/परिवर्तन आपसी सहमति की शर्तों पर करने के लिए भारतीय रेल स्वतंत्र होगी, जैसा वह उसी प्रकार के अभिकल्प वाले अपने मालडिब्बों में करती है।

21.3 ऐसा कोई भी प्रमुख पुनःस्थापन/कार्यकाल के दौरान पुर्ननिर्माण, जो आवश्यक हो जाए और जिसे भारतीय रेलों के स्वामित्व वाले इसी प्रकार के मालडिब्बों में शुरू किया जाए, पट्टे पर दिए गए मालडिब्बों में भी आपसी सहमति की शर्तों पर किया जाएगा।

22.0 कोटि-II के माल डिब्बों में से दुर्घटनाग्रस्त मालडिब्बे

22.1 निजी स्वामित्व वाले कोटि-II के मालडिब्बों के मामले में, यदि कोई ऐसे माल डिब्बे दुर्घटनाओं के कारण नकारा हो जाएं, तो मालडिब्बों को नकारा किए जाने के समय भारतीय रेलें पैरा 15 में उल्लिखित के अनुसार हासिल मूल्य (स्क्रैप के मूल्य को घटा कर) अदा करने के लिए दायी होंगी। गारंटीशुदा सप्लाई की वचनबद्धता समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

लखनऊ तथा पालिया के बीच रेलगाड़ी

130. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा पालिया के बीच चलने वाली मेल रेलगाड़ी रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का लखनऊ या पालिया के बीच कोई नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः आशय पालिया कलां से है। बहरहाल, हाल में लखनऊ और पालिया कलां के बीच कोई मेल/एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चल रही थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भाप चालित लोको बंद करना

131. **श्री नीतीश कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "दि स्टेट्स मैन" में "टू स्टीम लोको टू बी क्लोज्ड डाउन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लखनऊ में चारबाग और मुंगेर में जमालपुर कारखानों को, जहां रेल इंजनों की मरम्मत और सर्विस की जाती है, बंद करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इनके कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और अगस्त, 1992 को इन कारखानों में से प्रत्येक में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यहां किए जाने वाले काम की प्रकृति में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, अगस्त, 1992 में इन कारखानों में कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :—

चारबाग		**जमालपुर**
3582	—	13403

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संबंधी निदेशों का उल्लंघन

132. **श्री राम बदन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी निदेशों के लगातार उल्लंघन किए जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं में सुधार करने के लिए एक समय-सूची तैयार की है। इकाई को निदेश दिया गया है कि वह दिसम्बर, 1993 तक सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरा कर ले।

बिहार में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

133. **श्री राम लखन सिंह यादव** :

श्री राम टहल चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यकारी योजना के अन्तर्गत बिहार के किन-किन उद्योगों का चयन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : कार्य योजना के अंतर्गत बिहार में जिन उद्योगों की पहचान की गई है वे शिनाख्त किए गए अत्यधिक प्रदूषित 17 क्षेत्रों की बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयां हैं। बिहार की इकाइयां चर्मशोधन शालाओं, सीमेंट, चीनी, ताप विद्युत, रंग और रंग मध्यस्थों, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, कास्टिक सोडा, तेल शोधन कारखानों, फार्मेस्युटिकल्स तथा जीवनाशकों की श्रेणी की हैं।

गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, दिल्ली

134. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 7 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6362 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल दिल्ली का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य में देरी के कारण क्या हैं; और

(ग) निर्धारित समय में निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) गुरू गोविंद सिंह अस्पताल में निर्माण कार्य शुरू करना विस्तृत आकलनों और उनके लिए वित्तीय मंजूरी पर निर्भर करता है। तथापि, मिट्टी की भराई और रघुबीर नगर में गुरू गोविंद सिंह अस्पताल के चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है तथा दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहर कला आयोग ने समय से भूमि/भवन नक्शे का अनुमोदन कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ही निर्माण कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

[अनुवाद]

यात्री आवागमन सुविधाएं

135. **श्री विजय एन० पाटील** :

श्री कमल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अंत तक रेल यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या की मांग को पूरा करने के लिए उस समय उपलब्ध रेल मार्गों की लम्बाई पर्याप्त है; और

(ग) भविष्य में रेल आवागमन में होने वाली विषमता को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर यात्री यातायात 1991-92 में 310 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर के स्तर से बढ़कर शताब्दी के अन्त तक 424 बिलियन पैसेंजर किलोमीटर हो जाने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यातायात की सम्भावित वृद्धि को सम्हालने के लिए रेल नेटवर्क तथा चल स्टाक के बेड़े में विस्तार तथा सुधार करने के लिए कई परियोजनाएं हाथ में हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण रोकने के लिए सहायता

136. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका से उक्त अनुदान के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीक और सेवायें भी प्राप्त होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन केन्द्र

137. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं;

(ख) उन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुल कितनी धनराशि प्रति वर्ष खर्च की गयी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने व्यक्तियों की नसबंदी/नलबंदी की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० ताराऱ्देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में किए गए पुरुष नसबन्दी/महिला नसबन्दी के आपरेशनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92
पुरुष नसबन्दी	3478	3731	5682
महिला नसबन्दी	56695	58638	60641
योग :	60173	64369	66323

विवरण

क्रम सं०	केन्द्र के नाम	यूनिटों की संख्या	(व्यय लाख रुपये में)		
			1989-90	1990-91	1991-92
1.	ग्रामीण परिवार केन्द्र	146	220.48	227.08	285.19
2.	उपकेन्द्र	4311	543.28	704.21	949.51
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	28	19.53	22.55	34.64
4.	जिला स्तरीय अस्पतालों प्रसवोत्तर केन्द्र	11	24.77	45.37	47.69
5.	उपमंडलीय स्तर के अस्पतालों में प्रसवोत्तर केन्द्र	30	57.55	25.32	38.06

नई चीनी मिलों को प्रोत्साहन

138. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी चीनी नीति के अंतर्गत कम से कम सात से दस वर्षों तक चीनी की खुली बिक्री के पूरी छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना बनाने का मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन

139. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री शरद दिघे :
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :
श्री रूप चन्द पाल :
श्री राम विलास पासवान :
श्री अनिल बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार एन० सी० ई० आर० टी० के माध्यम से एक समान पाठ्यक्रम बनाने तथा देश के सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर आधारित पुस्तकें तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल की अपनी कुछ पाठ्य-पुस्तकों विशेषकर इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों के पुनर्लेखन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इसी वर्ष से कक्षा IX और X तथा अगले वर्ष से अन्य कक्षाओं में इस राज्य सरकार द्वारा वैदिक गणित का नया पाठ्य-क्रम शुरू किया जा रहा है।

(ग) जून, 1991 में राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने के संघीय सरकार के चालू कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों मुख्यत: इतिहास में परिवर्तन को प्रमुख बनाने वाली प्रेस रिपोर्टों के मिलने पर, मानव संसाधन मंत्री ने फरवरी, 1992 में स्कूली-शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी मुख्य-मन्त्रियों और उप-राज्यपालों को सम्बोधित किया और उनसे यह सुनिश्चिय करने का आग्रह किया कि पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करने के उपर्युक्त कार्यक्रम को सुकर बनाया जाए तथा समिति की सिफारिश पर अपेक्षित कार्यवाही की जाय। हाल ही में शैक्षिक तथा अन्य स्तरों पर स्थिति से निपटने के लिए एक बहु-कोणीय कार्यकारी योजना बना ली गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् ने, 1988 में, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए मूल्यों के एक सामान्य कोर वाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा प्रकाशित किया और तत्पश्चात् कक्षा-I से XII के पाठ्य-क्रमों और पाठ्य-पुस्तकों में संशोधन किया। इसी ढांचे के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रमों/पाठ्यपुस्तकों के आधार पर, राज्यों ने स्कूल पाठ्यक्रमों के नवीकरण और पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के लिए कदम उठाये हैं ताकि इसे स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध विधि से लागू किया जा सके।

[**हिन्दी**]

आंगनवाड़ी केन्द्र

140. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य राज्य की तुलना में कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है ;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में विशेषतः, क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में तथा अन्य राज्यों में और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं, प्रति परियोजना औसतन एक सौ आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत की जाती है। फिर भी आंगनवाड़ी केन्द्रों की वास्तविक संख्या, बाल विकास/जनजाति ब्लाकों और शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या गांवों की संख्या और उनके आकार के सम्बन्ध में राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के आधार पर निश्चित की जाती है। उड़ीसा में प्रति परियोजना स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की औसत संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 97 आदिवासी क्षेत्रों में 100 और शहरी क्षेत्रों में 91 हैं। प्रत्येक राज्य में ग्रामीण, आदिवासी और शहरी आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं में प्रति परियोजना आंगन-वाड़ी केन्द्रों की औसत संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) 1992-93 के दौरान अब तक उड़ीसा के लिए 42 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या 3990 है। चालू वर्ष में जिला-वार स्वीकृत आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-1

राज्यों में स्वीकृत आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा प्रत्येक राज्य में प्रतिपरियोजना स्वीकृत केन्द्रों की औसत संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	परियोजनाओं की संख्या			31-3-1992 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			31-3-92 तक स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	प्रति परियोजना स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की औसत संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	जन-जातीय		ग्रामीण	शहरी	जन-जातीय		ग्रामीण	शहरी	जन-जातीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	123	18	28	169	17150	1873	2856	21819	139.43	104.06	102.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0		38	·38	0	2155	2155	2155			56.71
3.	असम	39	2	21	62	5074	200	2375	7649	130.10	100.00	113.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	141	11	93	245	17358	1156	8685	27199	123.11	105.09	93.39
5.	गोवा	11			11	1103			1103	100.27		
6.	गुजरात	83	7	34	124	12809	883	6986	20678	154.33	126.14	205.47
7.	हरियाणा	88	5		93	9784	439		20223	111.18	87.80	
8.	हिमाचल प्रदेश	26		8	34	3252		440	3692	125.08		55.00
9.	जम्मू और कश्मीर	63	2		65	5098	264		5362	80.92	132.00	
10.	कर्नाटक	130	11	7	148	22544	1566	2378	26488	173.42	142.36	339.71
11.	केरल	84	5	1	90	10967	531	104	11602	130.56	106.20	104.00
12.	मध्य प्रदेश	91	18	122	231	10570	2041	15545	28156	116.15	113.39	127.42
13.	महाराष्ट्र	101	24	50	175	18466	2707	7309	28482	182.83	112.79	146.18
14.	मणिपुर	7	1	17	25	1008	100	1434	2542	144.00	100.00	84.35
15.	मेघालय	0		28	28	0		1838	1838			65.64
16.	मिजोरम	1	1	19	21	65	100	1080	1245	65.00	100.00	56.84
17.	नागालैंड	0		26	26	0		1554	1554			59.77
18.	उड़ीसा	46	4	126	176	4478	401	11559	16438	97.35	100.25	91.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
19.	पंजाब	57	5		62	6865	355		7220	120.44	71.00	
20.	राजस्थान	95	11	30	136	11892	1201	3872	16965	125.18	109.18	129.07
21.	सिक्किम	4			4	405			405	101.25		
22.	तमिलनाडु	67	42	2	111	7133	3900	149	11182	106.46	92.86	74.50
23.	त्रिपुरा	13	1	5	19	1945	100	381	2426	149.62	100.00	76.20
24.	उत्तर प्रदेश	331	19	11	361	36754	1957	922	39633	111.04	103.00	83.82
25.	पश्चिम बंगाल	134	20	46	200	20091	2215	7250	29556	149.93	110.75	157.61
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	2		2	4	102		145	247	51.00		72.50
27.	चंडीगढ़	0	2		2	0	200		200		100.00	
28.	दादर और नगर हवेली	0		1	1	0		125	125			125.00
29.	दिल्ली	3	24		27	492	2764		3256	164.00	115.17	
30.	दमन और दीव	2			2	79			79	39.50		
31.	लक्षद्वीप	0		1	1	0		60	60			60.00
32.	पांडिचेरी	3	2		5	461	245		706	153.67	122.50	

विवरण-2

परियोजनाओं का नाम श्रेणी तथा प्रकार	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
**राज्य उड़ीसा		
*जिला बोलंगीर		
अगलपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
बोलंगीर-के० ग्रा०	1992-93	1
देवगांव-के० ग्रा०	1992-93	1
गुदवेल्ला-के० ग्रा०	1992-93	1
लोयसिंगा—के० ग्रा०	1992-93	1
पुचनताला-के० ग्रा०	1992-93	1
सैनताला-के० ग्रा०	1992-93	1
सोनपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
उलंदा-के० ग्रा०	1992-93	
तारवा-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		10
*जिला—धनकला		
मूबन-के० ग्रा०	1992-93	1
कंधिया-के० ग्रा०	1992-93	1
पराजंग-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		3
*जिला गंजम		

1	2	3
परालखेमुंडी-के० ग्रा०	1992-93	1
कासीनगर-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		2
*जिला-कालाहंडी		
भवानी-पताना-के० ग्रा०	1992-93	1
धर्मगढ़-के० ग्रा०	1992-93	1
जूनागढ़-के० ग्रा०	1992-93	1
जयपतना-के० ग्रा०	1992-93	1
कालमपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
कार्लमुण्डा-के० ग्रा०	1992-93	1
एम० रामपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
नारला के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		8
*जिला क्योंझार		
हाताडीही-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		1
*जिला फूलबानी		
बौध-के० ग्रा०	1992-93	1
कान्तामल-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		2
*जिला पुरी		
गनिया-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		1
*जिला सम्बलपुर		
अम्बामुना-के० ग्रा०	1992-93	1

1	2	3
मात्ली-के० ग्रा०	1992-93	1
बिजेपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
बारकोटे-के० ग्रा०	1992-93	1
गयसिलेट-के० ग्रा०	1992-93	1
जुजुमुरा-के० ग्रा०	1992-93	1
झारसुगुडा-के० ग्रा०	1992-93	1
झारबंध-के० ग्रा०	1992-93	1
किरिमिरा-के० ग्रा०	1992-93	1
कोलाबीरा-के० ग्रा०	1992-93	1
लैकेरा-के० ग्रा०	1992-93	1
लाखनपुर-के० ग्रा०	1992-93	1
रायरखोले-के० ग्रा०	1992-93	1
रिआपल-के० ग्रा०	1992-93	1
तिलेबनी-के० ग्रा०	1992-93	1
उप-उप-योग		15
उप-योग		42
कुल योग		42

प्रत्येक आई० सी० डी० एस० परियोजना को 95 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं।

स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या—3990 है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न कोटा में वृद्धि

142. श्री महेश कनोडिया : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर राज्यों के खाद्यान्न कोटा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गुजरात के कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य के कोटे में की गई वृद्धि तथा चालू वर्ष के दौरान आवंटित किए जाने वाले कोटे का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, मौसमी उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं और ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय पूल के लिए चावल और गेहूं की वसूली देश में चावल और गेहूं के कुल उत्पादन का केवल लगभग 13-18 प्रतिशत रही है। तथापि, ये आवंट केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये जनसंख्या के आधार पर नहीं किए जाते हैं। अतः 1991 की जनगणना के अनुसार अथवा जनगणना से पहले जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के दौरान अथवा वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात अथवा किसी अन्य राज्य के कोटे में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता।

एक विवरण संलग्न है जिसमें 1992-93 (अप्रैल, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शाशित प्रदेशों को आवंटित किये गए कोटे का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1992-93 (अप्रैल से दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को गेहूं और चावल के आवंटन को तताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनाज	कुल आवंटन (अप्रैल-दिसम्बर, 1992)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल	1403.25
		गेहूं	109.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	चावल	76.00
		गेहूं	6.30

1	2	3	4
3.	असम	चावल	360.94
		गेहूं	190.00
4.	बिहार	चावल	202.06
		गेहूं	175.06
5.	गोआ	चावल	40.88
		गेहूं	28.70
6.	गुजरात	चावल	246.40
		गेहूं	580.00
7.	हरियाणा	चावल	26.40
		गेहूं	91.75
8.	हिमाचल प्रदेश	चावल	57.85
		गेहूं	90.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	चावल	323.19
		गेहूं	180.00
10.	कर्नाटक	चावल	598.00
		गेहूं	225.00
11.	केरल	चावल	1342.00
		गेहूं	225.00
12.	मध्य प्रदेश	चावल	340.44
		गेहूं	399.50
13.	महाराष्ट्र	चावल	523.00
		गेहूं	874.00
14.	मणिपुर	चावल	67.69
		गेहूं	26.00
15.	मेघालय	चावल	85.50
		गेहूं	18.00

1	2	3	4
16.	मिजोरम	चावल	77.50
		गेहूं	10.00
17.	नागालैण्ड	चावल	69.00
		गेहूं	12.00
18.	उड़ीसा	चावल	316.25
		गेहूं	185.00
19.	पंजाब	चावल	13.20
		गेहूं	60.00
20.	राजस्थान	चावल	35.20
		गेहूं	860.50
21.	सिक्किम	चावल	40.50
		गेहूं	5.40
22.	तमिलनाडु	चावल	619.81
		गेहूं	200.00
23.	त्रिपुरा	चावल	174.00
		गेहूं	18.00
24.	उत्तर प्रदेश	चावल	326.81
		गेहूं	509.81
25.	पश्चिम बंगाल	चावल	690.06
		गेहूं	740.00
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	चावल	16.00
		गेहूं	
27.	चंडीगढ़	चावल	2.64
		गेहूं	16.20
28.	दादर तथा नगर हवेली	चावल	4.40
		गेहूं	1.80

1	2	3	4
29.	दमन और दीव	चावल	4.40
		गेहूं	1.35
30.	दिल्ली	चावल	176.00
		गेहूं	648.00
31.	लक्षद्वीप	चावल	6.30
		गेहूं	0.20
32.	पांडिचेरी	चावल	17.60
		गेहूं	6.75
	जोड़ :	चावल	8282.27
		गेहूं	6800.12

[अनुवाद]

महिला विकास निगम

142. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक महिला विकास निगमों की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन निगमों की अब तक की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) महिला विकास निगमों की स्थापना आन्ध्र प्रदेश, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में की जा चुकी है ।

(ख) और (ग) 1989 में राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से कुछ चुने हुए महिला विकास निगमों का मूल्यांकन करवाया गया था । मूल्यांकन रिपोर्ट में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि महिला कार्यक्रमों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साथ निकट समन्वय द्वारा महिला विकास निगमों की सहभागिता

बढ़ाई जाए। यह सुझाव दिया गया कि महिला विकास निगमों को मुख्यतया ग्रामीण महिलाओं पर संकेन्द्रण करना चाहिए और महिलाओं के आर्थिक विकास में समर्थक की भूमिका निभानी चाहिए। यह भूमिका प्रशिक्षण, विपणन सहायता, ऋण सुविधा और कच्चे माल की प्राप्ति के क्षेत्रों में निभाई जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि महिला विकास निगमों को अनुभवों के विनिमय और तैयार वस्तुओं के विपणन के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। महिला अध्ययन केन्द्रों के साथ भी सम्पर्क स्थापित किए जाने चाहिए। महिला विकास निगमों को सुदृढ बनाने के लिए इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि इन निगमों को प्रशासनिक खर्चे के लिए अनुदान दिए जाएं और साथ में आयकर में भी छूट दी जानी चाहिए तथा उनके लिए सलाहाकार समितियां स्थापित की जानी चाहिए। उनके उत्पाद की खरीद को तरजीह देने के लिए निगमों को अनुमोदित स्रोतों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि महिलाओं की क्षमता बढाने के लिए महिला विकास निगमों को संवर्धनात्मक जागृति विकास और आसूचना प्रसार की भूमिकाएं भी निभानी चाहिएं। उन्हें महिला संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनके नेटवर्क कार्य के लिए सुविधाएं जुटानी चाहिएं। इसके अलावा, महिला विकास निगमों को उनके कार्यों की समीक्षा के लिए तथा अनुभवों और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए नियमित बैठकों और सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। अंत में इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि सभी राज्यों में महिला विकास निगमों की स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

143. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्य योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में किन-किन उद्योगों का पता लगाया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में शिनाख्त किए गए उद्योग शिनाख्त किए गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रमुख तथा मझोली इकाइयां हैं :—

1. भारतीय सीमेंट निगम, सीमेंट संयंत्र, पोस्ट राजबन, जिला - सिरमौर।
2. मैसर्स रेंजर ब्रेव्रीज, मेहतपुर, जिला - उना।
3. मैसर्स ए० सी० सी० सीमेंट संयंत्र, बरमाना, बिलासपुर जिला।
4. मैसर्स मोहन मिकिन्स ब्रेवरी, जिला - सोलन।
5. मैसर्स मोहन मिकिन्स डिस्टिलरी, कसौली, सोलन जिला।
6. मैसर्स फर्मेन्टा फार्मा बायोडिल, तकोइस, जिला - मण्डी।
7. मैसर्स वधवा फार्मेस्युटिकल्स, काला अम्ब, जिला - सिरमौर।

8. मैसर्स हिम्मत लैदर, नालागढ, जिला - सोलन।

9. मैसर्स रूचिरा पेपर (प्रा०) लि०, काला अम्ब, जिला-सिरमौर।

[अनुवाद]

डिग्री पाठ्यक्रमों के पुननिर्धारण हेतु सहायता

144. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

श्री राम सिंह काश्वा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों और कालेजों के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों को अध्यव्यवसायोन्मुखी बनाने हेतु उनका पुनर्गठन करने के लिए कोई सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्व० अनु० आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग के पास एक ऐसी योजना है जिसके अंर्तगत प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को वातावरण के साथ संगत बनाने तथा समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने और शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव व उत्पादकता से जोड़ने के उद्देश्य से योग्य विश्वविद्यालयों को अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए पांच वर्ष के लिए 7.5 लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1989-90, 1990-91 व 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों में योग्य विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में योग्य विश्वविद्यालयों को प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए दिया गया अनुदान दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1989-90	1990-91	1991-99
1	2	3	4
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	5,21,646	6,55,000	4,00,000
असम	4,37,000	—	3,78,000
बिहार	80,000	42,000	—

1	2	3	4
हरियाणा	4,59,633	3,17,166	3,45,469
कर्नाटक	5,60,000	2,50,000	3,00,000
केरल	1,00,000	—	1,09,658
महाराष्ट्र	6,55,892	5,99,717	4,29,751
मणिपुर	2,00,000	—	2,00,000
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड	75,000	—	—
उड़ीसा	1,00,000	1,00,000	1,11,202
पंजाब	3,56,250	1,25,413	5,26,399
राजस्थान	2,65,261	3,22,108	3,55,486
उत्तर प्रदेश	10,27,920	6,83,470	4,02,798
तमिलनाडु	—	—	1,00,000
पश्चिम बंगाल	1,34,000	2,90,000	4,53,270
संघ शासित प्रदेश दिल्ली	19,58,431	15,20,991	19,29,097
कुल :	83,72,854	58,28,035	46,86,601

[हिन्दी]

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना

145. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गुजरात में सहकारी क्षेत्र में लाइसेंसशुदा चीनी मिलों की स्थापना के कार्य में वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली धनराशि की कमी के कारण रुकावट पैदा हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मिलों को आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराने तथा प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) एक नई चीनी फैक्ट्री के लिए वित्त की व्यवस्था तथा उसके निर्माण/स्थापना की जिम्मेदारी मुख्यतः उसी की होती है। तथापि, परियोजना लागत में हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रोत्साहन योजना बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई कथित मृत्यु

146. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्रीमती शीला गौतम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1992 के "संडे आब्जर्वर" में (फोर्टी-थ्री हार्ट-पेशेन्ट्स डाई इन आर०एम०एल० होस्पीटल ड्यू टू नेगलीजेंस राममनोहर लोहिया अस्पताल में उपेक्षा के कारण 43 दिल के मरीजों की मृत्यु) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मृत्यु के कारणों की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए दोषी पाए गए डाक्टरों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि भविष्य में उचित मेडिकल सहायता के अभाव में ऐसी घटनाएं न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) यह समाचार पर्कटेनियस बैलून मिटरल वैलवोटोमी के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में है। पिछले ढाई वर्षों में इस क्रियाविधि के कारण डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई है।

[अनुवाद]

प्रवेश शुल्क पर प्रतिबंध

147. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री पी० एम० सईद :

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय को देखते हुए इंजीनियरी और अन्य तकनीकी कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये, लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क को समाप्त करने तथा अन्य कदाचारों को रोकने हेतु कोई केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूल विद्यार्थियों में खेलकूद प्रतिभाएं

148. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :

श्री बलराज पासी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलकूद प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्कूलों का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्कूलों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन स्कूलों को कितनी वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता दी जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-2 दिया गया है।

विवरण-1

I. राष्ट्रीय खेल प्रतीभा खोज योजना

1. शिवालिक पब्लिक स्कूल, जी०ए०एस० नगर, मोहाली : 160055(**चण्डीगढ़**)।
2. राजकीय हाईस्कूल, माजरा, जिला-सिरमौर, (हिमाचल प्रदेश)।
3. मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राई - 131029, जिला : सोनीपत, (हरियाणा)।
4. सी० आर० जैड० हाई स्कूल, सोनीपत, हरियाणा।
5. टिंडले बिस्को स्कूल, शेख बाग, श्रीनगर - 01 (जम्मू और कश्मीर)।
6. मल्लीनसन बालिका विद्यालय, शेख बाग, श्रीनगर - 1
7. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, टंडा उरमर, होशियारपुर (पंजाब)।
8. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नेहरू गार्डन, जालंधर (पंजाब)।
9. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दी माल अमृतसर, पंजाब।
10. सेंट एंथोनी हाई स्कूल, मांट-डी-गुइरिम, बेरडज - 453507 गोवा।
11. चारुतर विद्या मंडल, पी०वी० - 22 वल्लभ, विद्यानगर - 388120 (गुजरात)।

12. परावर पब्लिक स्कूल, परावर नगर, अहमदाबाद - 12 (महाराष्ट्र) ।
13. भोनसाला मिलिटरी स्कूल, रामभूमि, नासिक - 422005 (महाराष्ट्र) ।
14. संजीवन विद्यालय, पंचगनी - 412805 जिला - सतारा (महाराष्ट्र) ।
15. मुक्तांगन इंगलिश स्कूल, 44, विद्यानगरी, पार्बती, पुणे - 411009 (महाराष्ट्र) ।
16. सैनिक स्कूल, गोपालपाड़ा - 783-133 (असम) ।
17. राजकीय बालक उ०मा० स्कूल, गोलाघाट, (असम) ।
18. दून बास्को स्कूल, गुवाहाटी, (असम) ।
19. सेंट एंटानी हाई स्कूल, शिलांग - 793003 (मेघालय) ।
20. सैनिक स्कूल, पोस्ट बैग नं० 21, इम्फाल - 795001, (मणिपुर) ।
21. राजकीय उ०मा० स्कूल, मैकडोनाल्ड हिल्स, एजबल (मिजोरम) ।
22. होहन राजकीय हाई स्कूल, विश्वमा, (नागालैंड) ।
23. ताशी नमग्याल एकेडमी, गंगटोक - 737201 (सिक्किम) ।
24. अमरकांत एकेडमी, अगरतल्ला त्रिपुरा (वेस्ट) ।
25. डबलू० वी०एच० स्कूल व कालेज, परिन्द्राघास्ट रोड, सिकन्द्राबाद - 03, आन्ध्र प्रदेश ।
26. वी०पी० सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा - 520010, (आन्ध्र प्रदेश) ।
27. लोयल हाई स्कूल, निर्मला नगर, विनुकोंडा - 522647, (आन्ध्र प्रदेश) ।
28. संट जोसफ इंडियन हाई स्कूल, 23, ग्रांड रोड, बंगलौर - 560001, (कर्नाटक) ।
29. मांउटेन व्यू हाई स्कूल, विद्यानगर, चिकमंगलूर - 577101, (कर्नाटक) ।
30. श्री रामकृष्ण विद्याशाला जूनियर कालेज, मैसूर - 570020, (कर्नाटक) ।
31. जी०वी० राजा स्पोर्टस कालेज, त्रिवेन्द्रम - 585007, (केरला) ।
32. मद्रास क्रिस्टियन कालेज, हा०सै० स्कूल, चैतपुट, मद्रास - 31 (तमिलनाडु) ।
33. शारदा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेलम - 16 (तमिलनाडु) ।
34. सेंट जोसफ उ०मा० स्कूल, मंजाकुप्पम, गुद्दालोर - 607001, (तमिलनाडु) ।
35. सेंट इग्निटियस हाई स्कूल, गुमला-835207, (बिहार) ।
36. राजकीय बालिका, हाईस्कूल/सै० स्कूल, बरियातू रोड़, रांची - 8 (बिहार) ।
37. सेंट मेरी बालिका हाई स्कूल, सुंदरगढ़ - 770001, (उड़ीसा) ।
38. बी०एस० हाई स्कूल, सुंदरगढ़ (उड़ीसा) ।

39. राजकीय बालिका हाई स्कूल, कृष्णा नगर जिला : नादिया, (पश्चिमी बंगाल)।
40. विधान नगर हाई स्कूल, बी०डी० 303, सं० 1, साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता - 64, (पश्चिम बंगाल)।
41. विक्टोरिया बालक स्कूल, कुरसियोंग, दार्जिलिंग, (पश्चिम बंगाल)।
42. डो-हिल स्कूल, खुरशिआंग, जिला - दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)।
43. टलडी मोहन चन्द स्कूल, टलडी, 24, परगना (दक्षिण), (पश्चिम बंगाल)।
44. डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
45. आर्मी पब्लिक स्कूल, रिज रोड, धौला कुआं, नई दिल्ली - 110010।
46. एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003।
47. मदरस इन्टरनेशनल स्कूल, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली- 910016।
48. गवर्नमेंट मल्टीपरपज हायर सेकेंडरी स्कूल, मल्हाश्रम, इन्दौर (मध्य प्रदेश)।
49. महालक्ष्मीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स मल्टीपरपज हायर सैकेंडरी स्कूल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
50. बनस्थली विद्यापीठ हायर सैकेंडरी स्कूल, बनस्थली, जयपुर (राजस्थान)
51. भुपाल नोबल हायर सैकेंडरी स्कूल, उदयपुर, (राजस्थान)।
52. श्री गुरुनानक खालसा हायर सैकेंडरी स्कूल, श्री गंगानगर, (राजस्थान)।
53. उदय प्रताप इन्टर कालेज, वाराणसी-221002 (उत्तर प्रदेश)।
54. कोल्वीन तालुगदार्स कालेज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
55. एम० के० पी० इन्टर कालेज, 35/4/सुभाष रोड, देहरादून - 249001.
56. जवाहरलाल नेहरू स्कूल, हालुटी गंज, भेल, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

(II) **आर्मी में बालक खेल कम्पनी**

1. सिख रेजिमेन्टर सेन्टर, रामगढ़।
2. बी० आर० सी०, दानापुर।
3. ए०आर०सी०, शिलांग।
4. जी०टी०सी०, शिलांग।
5. 58, बी०ई०जी० सेन्टर, किर्की।
6. जी० टी० सी०, सुबाथु।
7. बी० आर० सी०, दिल्ली कंट।

8. एस० टी० सी० जबलपुर।

9. के० आर० सी०, रानीखेत।

10. जाट रेजिमेन्ट, सेन्टर, बरेली।

11. ए० आर० टी० वाई० केन्द्र, हैदराबाद।

12. एम० एल० आई० आर० सी०, बेलगाव।

13. एम० ई० जी०, बंगलौर।

(III) बड़े आकार के रिहायशी स्कूल

1. वेल्हम बालिका हाई स्कूल, देहरादून (टेलीफोन : 24293)

2. वेल्हम बालक स्कूल, देहरादून (टेलीफोन : 27944/28620/24340/27120)

3. दी दून स्कूल, देहरादून (टेलीफोन - 29194-198)

4. सैनिक स्कूल, गोरखल, नैनीताल जिला, उ०प्र० (टेलीफोन 4351)

5. सिटी मोनटेसरी स्कूल, 12, स्टेशन रोड, लखनऊ। (टेलीफोन - 235483/ 249738)

6. राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून कंटोनमैंट, देहरादून, उ०प्र० (टेलीफोन : मिल एक्सचेंज : 27011-13 बरही - 2232-248003)

7. धौलपुर मिलिटरी स्कूल, धौलपुर, राजस्थान (टेलीफोन : 741/749/793)

8. अजमेर मिलिटरी स्कूल अजमेर, राजस्थान (टेलीफोन : 21741)

9. चोपसनी स्कूल, जोधपुर, राजस्थान (टेलीफोन : 21487)

10. मेयो कालेज, अजमेर, राजस्थान

11. मेयो कालेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर, राजस्थान

12. बिरला हायर स्कूल, पिलानी, राजस्थान (टेलीफोन - 2113)

13. बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी राजस्थान (टेलीफोन : 2132/2189)

14. बिरला बालिका विद्यापीठ, पिलानी (टेलीफोन : 2124)

15. डेली कालेज, इन्दौर, मध्य प्रदेश।

16. दी सिंधिया स्कूल, ग्वालियर (टेलीफोन : 27650/21399)

17. लारेंस स्कूल, सनवार, हि०प्र० (टेलीफोन : 2043/2009)

18. चैल मिलिटरी स्कूल, चैल (शिमला हिल्स) हि०प्र० (टेलीफोन : 8326)

19. सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब (टेलीफोन : 2532/2283)

20. दी पंजाब पब्लिक स्कूल, नाभा, पंजाब (टेलीफोन : 2875)

21. यादविन्द्रा पब्लिक स्कूल पटियाला, (टेलीफोन : 60629/74318)

22. सैनिक स्कूल कंजूरा, करनाल, हरियाणा

23. सैनिक स्कूल सुजानपुर, तिरा, हिमाचल प्रदेश

24. नवसृजन एकीकृत शिक्षा अकादमी, नवगोल, वलसाद, गुजरात (टेलीफोन : 33/22) (नरगोल एक्स)

25. सैनिक स्कूल बालचड, जिला - जामनगर, गुजरात (टेलीफोन : 83229 जामनगर)

26. श्री शिवाजी प्रीपेरेटरी मिलिटरी स्कूल, शांसीनगर, पुणे (टेलीफोन : 52196/55847/56734)

27. अन्जुमन इस्लाम पब्लिक स्कूल, पंचगणी, जिला सतारा, महाराष्ट्र।

28. लारेन्स स्कूल, लवडेली, नीलगिरीस, तमिलनाडु (टेलीफोन : 2552)

29. सैनिक स्कूल, अमरावती नगर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु।

30. सैनिक स्कूल, कोरूकोंडिया, विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश (टेलीफोन - 2084)

31. सन्दुर रेजिडेन्सियल कम्पोजिट जूनियर कालेज शिवापुर, सन्दुर, बेलारी जिला, कर्नाटक।

32. किट्टूर रानी चन्नम्मा बालिका आवासीय स्कूल, किट्टूर, जिला बेलगांव, कर्नाटक।

33. बेलगांव सैनिक स्कूल, बेलगांव, कर्टाटक (टेलीफोन - 2251756)

34. सैनिक स्कूल बीजापुर, कर्नाटक (टेलीफोन - 21338)

35. एस०एस०पी० सोलाय नादर मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय, डिन्डीगल, तमिलनाडु (दूरभाष - 3719)

36. हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट, हैदराबाद (टेलीफोन - 841546)

37. रामकृष्णा मिशन, विजयपीठ, विवेकानन्द नगर, पुरूलिया जिला, पश्चिम बंगाल (टेलीफोन - 2004/2235)

38. पथाभावना, शान्ति निकेतन, जिला-बीरभूम पं० बंगाल (टेलीफोन - 24)

39. रामाकृष्णा मिशन, विजयपीठ, विजयपीठ (डाकघर) जिला देवघर, बिहार (टेलीफोन - 2413)

40. विकार विद्यालय, नूरी विकास विद्यालय, रांची (दूरभाष - 72531/72584)

41. सैनिक स्कूल, तिलैया, तिलैया डेम (डाकघर) बिहार, (टेलीफोन - 2557)

42. नेतारहाट आवासीय स्कूल, नेतारहाट (डाकघर) जिला - पालम, बिहार।

43. आसाम राईफल्स पब्लिक स्कूल, लैटकौर, शिलांग, (टेलीफोन - 24192)

विवरण-2

I. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना

— अपनाए गए प्रत्येक स्कूल को वर्तमान खेल सुविधाओं के विकास करने अथवा खेल सुविधाओं का निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 7.5 लाख रुपये) का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

— प्रत्येक स्कूल को खेल-मैदानों के रखरखाव और खेल उपस्करों, पत्रिकाओं तथा पुस्तिकाओं की खरीद हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष 50,000/- रुपये का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान अदा किया जाता है।

— योजना के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रवेश के समय स्कूल फीस, आवास तथा भोजन, स्पोर्ट्स किट, स्कूल ड्रेस और घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक का यात्रा व्यय और साथ ही बच्चे के साथ आने वाले के यात्रा व्यय का भुगतान भी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

— प्रत्येक अंगीकृत स्कूल में अधिकतम 5 कोचों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। उनके वेतन सम्बन्धी व्यय का भुगतान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

— इसके अतिरिक्त, एन०एस०टी०मी० से सम्बन्धित पत्राचार के लिए एक लिपिक को बहुत मामूली सा पारिश्रमिक तथा प्रशिक्षण सत्र के दौरान कोचों की सहायतार्थ/एक ग्राउण्ड मैन के लिए प्रत्येक स्कूल को प्रति वर्ष 6,000/- रुपये की धनराशि का भी भुगतान किया जाता है।

II. सेना में बायज स्पोर्ट्स कम्पनियों की योजना

— आवास खर्च		प्रति व्यक्ति 30/- रु० प्रतिदिन
— स्कूल फीस, प्रवेश फीस, पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस आदि	:	3,000/- रु० प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष
— स्पोर्ट्स किट		2,200/- रु० प्रति व्यक्ति।
— बीमा		90/- रु० प्रति व्यक्ति।
— चिकित्सा व्यय		200/- रु० प्रति व्यक्ति।
— प्रतियोगिता के अवसर (देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय		1,200/- रु० प्रति व्यक्ति।
— ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर		1,800/- रु० प्रति व्यक्ति।
— प्रत्येक केन्द्र के लिए 3		लगभग 54,000/- रु०

— प्रशिक्षुओं को 2 अवसरों पर साथ आने-जाने वाले व्यक्ति के साथ निवास स्थान से केन्द्र तथा केन्द्र से निवास स्थान तक का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता। : 800/- रु० प्रति व्यक्ति।

III. विशाल आकार के आवासीय स्कूल

इस योजना के अन्तर्गत, संबंधित आवासीय स्कूलों में प्रशिक्षित कोच तैनात किये जाते है तथा उनके वेतन व्यय भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-उपभोज्य प्रकृति के खेल उपस्करों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष 30,000/- रु० तक वित्तीय सहायता दी जाती है

भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए धनराशि

149. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों को "भारत छोड़ो" आन्दोलन स्वर्ण जयन्ती समारोह हेतु धनराशि दी है अथवा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारत छोड़ो आन्दोलन के स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने तीन जिलों, बलिया (उ० प्र०), मिदनापुर (प० बंगाल) और सतारा (महाराष्ट्र) के स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की स्मृति में समुचित कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन जिलों को भारत सरकार की ओर से एक-एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।

कायमकुलम-अलेप्पी रेल लाइन

150. **प्रो० के० वी० थामस** :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री थाइल जॉन अंजलोस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कायमकुलम-अलेप्पी रेल लाइन यातायात के लिए चालू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मार्ग पर कितनी रेलगाड़ियां प्रारम्भ की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मार्ग के एक खण्ड में निर्माण में कुछ तकनीकी कमियों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) यह लाइन चालू कर दी गई है और खण्ड पर 21-11-92 से तीन जोड़ी यात्री गाड़ियां चलायी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) तटबंधों तथा ढाल की खराबी के कुछ मामले थे। मृदा की विस्तृत जांच करने के बाद समतल साइड वाले ढालों और बर्मस् की व्यवस्थाएं करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। यह कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और अस्थाई गति प्रतिबंध के साथ यह लाइन चालू कर दी है।

सांभलपुर डिविजन

151. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए बनाए गए सांभलपुर डिविजन में संबंधित डिविजनों से रेलवे कार्यालयों का स्थानान्तरण शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सांभलपुर डिवीजन को कुल कितने किलोमीटर रेल मार्ग अन्तरित किये जायेंगे ;

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) यह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 563 मार्ग किलोमीटर।

(ग) सम्बलपुर मंडल द्वारा परिचालन के लिए 433 किलोमीटर अधिभार में ले लिये गये हैं।

(घ) सम्बलपुर में नये मंडल की स्थापना के कार्य की योजना इस तरह से बनाई गई है कि अन्तिम चरण के साथ सम्बलपुर से तालचेर तक नई रेल लाइन (72 कि०मी०) जिसको फिलहाल 1994-95 तक का लक्ष्य है, का खोलना शामिल है, बशर्ते कि अपेक्षित धन उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

नागपुर से सिवानी के बीच रेल सम्पर्क

152. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर से सिवानी (मध्य प्रदेश) के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा पर केन्द्रीय निवेश के लिए मानदंड

153. **श्री ललित उरांव** :

श्री राम देव राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन हेतु निर्धारित किए गये राष्ट्रीय मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना तक, राज्यों के अधिकार-क्षेत्र के योजनागत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता, निधियों के योजनावार आबंटन के रूप में दी जाती थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद (रा०वि०प०) के फरवरी, 1979 के निर्णयानुसार केन्द्रीय सहायता, प्रत्येक राज्य की आय समायोजित कुल जनसंख्या (आ०स०कु०ज०) अर्थात् प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोमीय अनुपात द्वारा प्रत्येक राज्य की कुल जनसंख्या को गुणा करते हुए, के आधार पर, राज्यों को दी जाती थी। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, उनके अनुमोदित परिव्यय तथा उनके स्वयं के स्रोतों के बीच के समस्त अन्तर को केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जा रहा था।

पूर्ण योजना-आयोग द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति द्वारा सितम्बर, 1991 में एक नया सूत्र विकसित किया गया था। यथा-संशोधित नया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत सूत्र, नीचे पुनः दिया जा रहा है।

मानदंड	महत्व (वेटेज)
1. जनसंख्या (1971 की जनगणना)	60%
2. प्रति व्यक्ति आय	
(क) राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति, एस०डी०पी० वाले राज्यों को शामिल करते हुए, विचलन-पद्धति	20%
(ख) सभी राज्यों को शामिल करते हुए अन्तर-पद्धति।	

मानदंड	महत्व (वेटेज)
3. कार्य निष्पादन	
(क) टैक्स - प्रयास (ख) वित्तीय-प्रबन्ध (ग) राष्ट्रीय उद्देश्य के संबंध में प्रगति ।	7.5%
4. विशेष समस्याएं	7.5%

विशेष समस्याओं में, साक्षरता में उपलब्धि का घटक होता है, तथापि इसे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सातवीं योजना के दौरान राज्य योजनाओं में किया गया आवंटन	राज्य योजनागत परिव्ययों के अलावा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए राज्यों को दिये गए अनुदान
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	30175.00	10343.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	7030.00	577.87
3.	असम	26045.00	4345.15
4.	बिहार	37260.00	10120.54
5.	गोवा	4480.00	490.13
6.	गुजरात	13180.00	6880.29
7.	हरियाणा	16242.00	2507.11
8.	हिमाचल प्रदेश	7897.00	1817.04
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12565.00	6816.62
10.	कर्नाटक	12864.00	4675.35
11.	केरल	5749.00	2945.38
12.	मध्य प्रदेश	48719.00	11151.37

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	42037.00	8908.73
14.	मणिपुर	3791.00	657.19
15.	मेघालय	3705.00	338.28
16.	मिजोरम	2437.00	401.58
17.	नागालैंड	2491.00	524.04
18.	उड़ीसा	22930.00	7272.89
19.	पंजाब	9754.00	4592.02
20.	राजस्थान	29407.00	11233.47
21.	सिक्किम	3748.00	297.78
22.	तमिलनाडु	32096.00	7670.27
23.	त्रिपुरा	6329.00	329.99
24.	उत्तर प्रदेश	44264.00	16016.44
25.	पश्चिम बंगाल	27803.00	2875.53
26.	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	2572.00	49.72
27.	चण्डीगढ़	2428.00	127.20
28.	दादरा और नगर हवेली	515.13	23.02
29.	दमन और दीव	306.50	10.47
30.	दिल्ली	25044.00	683.28
31.	लक्षद्वीप	443.00	20.36
32.	पांडिचेरी	4135.28	163.46
	कुल :	488601.91	124866.03

वायरल बुखार

154. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायरल बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या सरकार वायरल बुखार के उपचार के लिए नयी औषधियां बनाने हेतु कोई अनु-संधान शुरू कर रही है ; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जापानी ज्वर के रोगियों (जापानी मस्तिष्क शोथ 8 विषाणु के कारण) की संख्या में 7 अक्तूबर, 1991 की तुलना में वर्ष 1992 की इसी अवधि में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है। 1990 के मुकाबले 1991 के दौरान, रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई तथापि वर्ष 1989 की अपेक्षा यह संख्या कम थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कारंवाई की जा रही है :—

(1) जिला/राज्य रिपोर्टों तथा प्रहरी निगरानी के माध्यम से रोग की स्थिति का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

(2) रोगों का शुरू में ही निदान और इलाज। इन क्षेत्रों में प्रमुख अस्पतालों में जापानी मस्तिष्कशोथ के रोगियों के लिए विशेष वार्डों का चयन कर लिया गया है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० का छिड़काव तथा शहरों एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मैलाथियन का धुआं छोड़ना।

(4) जापानी मस्तिष्कशोथ के नियन्त्रण के कार्यकलापों में लगे चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय व्यवसायियों का प्रशिक्षण।

(5) विभिन्न संस्थाओं नामतः राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता एवं अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता को प्रकोप की छानबीन तथा विषाणु पुष्टि-करण में लगाया गया है। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली ने विभिन्न राज्यों के लिए टीके की 279280 खुराकों की आपूर्ति भी की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

155. **डा० सुधीर राय :**

श्री मुही राम सैकिया :

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों ने 16 नवम्बर, 1992 से क्रमिक आन्दोलन करने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों और शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अध्यापकों के साथ समझौता करने हेतु कोई प्रयास किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां, तथापि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श के फलस्वरूप 23 नवम्बर, 1992 तक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) से (ङ) मुख्य मांगों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	उठाए गए मुद्दे	की गई कार्रवाई, यदि कोई हो
1	2	3
1.	वेतनमानों का सार्थक पुनरीक्षण और उन्हें भारतीय संघ के कुछ राज्यों में दिए जा रहे वेतनमानों से बेहतर बनाना ।	संगठन ने सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमान स्वीकार कर लिए हैं । बेसिक/सीनियर स्केल में 12 वर्ष की सेवा के बाद सीनियर और सलेक्शन स्केल देने का प्रावधान है । संगठन ने इस संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों का पहले ही पालन किया है ।
2.	स्कूल शिक्षकों के संबंध में नए आयोग का गठन करना ।	यह मांग स्पष्ट नहीं है और इसके उद्देश्य भी अस्पष्ट हैं इसलिए संगठन मांग का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है ।
3.	अ०भा०के०वि०अ०सं० की 11 सूत्री मांग पत्र को स्वीकार करना ।	टिप्पणियों महित एक विवरण-II में दिया गया है ।
4.	अ०भा०के०वि०अ०सं० का केन्द्रीय विद्यालयों इसके शासी बोर्डों, विभिन्न समितियों, संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की परिषदों और क्षेत्रीय शैक्षिक परिषदों में उचित प्रतिनिधित्व ।	(i) **शासी बोर्ड** भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों में से छः प्रतिनिधियों को शासी बोर्ड में शामिल किया है । अ० भा० के० वि० अ० सं० को सूचित कर दिया गया था कि

1	2	3
		नियमों के अन्तर्गत संगठन या इसके शासी बोर्ड में संख्या या संघ की श्रेणी के आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है। सरकार ने नामांकन के लिए ऐसे व्यक्तियों का पता लगाया है जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उनके दीर्घकालीन संपर्क/सेवा के कारण संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। **(ii) संयुक्त परामर्शदात्री समिति** संयुक्त परामर्शदात्री समिति में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को स्टाफ पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के अनुदेशों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बनाये सं०प०स० के नियमों के अनुसार है। **(iii) विभिन्न समितियां** जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों में गठित अन्य समितियों का संबंध है इन समितियों का गठन उन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गठित समितियों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। सभी प्रशासनिक/तकनीकी समितियों में शिक्षक संघों को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं है। **(iv) क्षेत्रीय अकादमिक परिषदें** केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत कोई क्षेत्रीय अकादमिक परिषद नहीं है।

1	2	3
5.	मा०सं०वि० मंत्री के कहने पर के०वि०सं० की गलत कार्रवाईयों का पुनरीक्षण स्थानान्तरण, पदोन्नति, तैनाती, नियुक्ति इत्यादि तथा एक उच्च स्तरीय जांच की स्थापना।	उपाध्यक्ष के कार्यालय कार्यालय में 31-10-1992 को हुई बैठक के दौरान इन मुद्दे पर श्री एच०एल० सोनार तथा वहां उपस्थित अ०आ०के० वि०अ०सं० के प्रतिनिधियों को बताया गया कि नियमों के अनुसार तथा प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर स्थानान्तरण किए गए। श्री एल०एल० सोनार को उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि यदि ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में लाया जाता है जिसकी पुनरीक्षा आपेक्षित हो तो उस पर विचार किया जायेगा। तथापि, उपाध्यक्ष के निर्देश के आधार पर 1991-92 के के दौरान जारी किये गए स्थानान्तरण आदेशों के कारण हुए किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक आयुक्तों को अनुचित मामलों, यदि कोई हों, की पुनरीक्षा करने तथा शिकायतें दूर करने के लिए प्रभावित शिक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। कर्मिक प्रशासन के सभी मामलों के संबंध में के०वि०सं० का मुख्यालय सरकार विशेष का कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करता है। के०वि०सं० के अध्यक्ष माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को संबोधित कोई भी प्रतिवेदन अथवा शिकायत जब प्राप्त होती है तो के०वि०सं० का मुख्यालय ऐसे प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करता है तथा इन प्रतिवेदनों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय प्राप्त किया जाता है। अ० भा०के०वि०अ०सं० की यह धारणा निरर्थक तथा निराधार है कि सभी गलत कार्रवाईयां मा०स०वि० मंत्री के कहने पर की गई हैं।

1	2	3
6.	अ०भा०के०वि०अ०स० के पदाधिकारियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करना।	अ०भा०के०वि०अ०सं० के पदाधिकारियों सहित के०वि०मं० में किसी भी श्रेणी के शिक्षक/कर्मचारी पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता। ऐसा कोई भी विशिष्ट मामला के०वि०सं० के मुख्यालय को जानकारी में नहीं लाया गया है।
7.	विशेष छूट दाखिला, स्थानान्तरण नीति और समिति इत्यादि जैसे मामलों पर पूर्ण विचार तथा के०वि०सं० के शासी बोर्ड की 56वीं बैठक में अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन तथा अध्यक्ष के 20-5-1992 के लंबित निर्णयों पर स्थगन कार्रवाई।	माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने संसद तथा परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को इस आशय का एक पत्र जारी किया है कि परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अनुपालन में उन्होंने विशेष छूट के अंतर्गत दाखिले के लिए तीन समितियां अर्थात् दाखिला समिति, स्थानान्तरण समिति तथा निरीक्षण समिति का गठन किया है। 20-5-1992 के पत्र में दी गई हिदायतों की इसके आगे और समीक्षा केवल संसद की परामर्शदात्री समिति द्वारा अथवा संसद के चार सदस्यों, अपर सचिव (शिक्षा) आयुक्त तथा श्री सिडनी रिबेरो, संगठन के सदस्य से बनी निरीक्षण समिति द्वारा अपनी सिफारिशें मुख्यालय को प्रस्तुत कर देने के बाद ही की जा सकती है। पत्र के संचालन को रोकने में के०वि०सं० सक्षम नहीं है क्योंकि यह संसद से संबंधित है।

विवरण-2

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के 11 सूत्री मांग चार्टर तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दृष्टिकोण को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	मांग	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार परिषद एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति इत्यादि में, के०वि०सं० एवं इसमें शासी बोर्ड में कुल संख्या का 25% प्रतिनिधित्व शिक्षकों को तत्काल प्रदान करना।	भारत सरकार जनवरी, 1992 में तीन वर्ष की अवधि के लिए संगठन और इसके शासी बोर्ड में 6 सदस्यों को पहले ही नामित कर चुकी है।
2.	सामान्यतया पदोन्नति कोटा को बढ़ाकर 75% करना तथा कार्य का अनुभव, शारीरिक/ गृह विज्ञान शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों प्रयोगशाला सहायकों तथा प्रयोगशाला परिचरों के लिए पदोन्नति के मार्ग खोलना तथा किसी भी पेशे के लिए तीन पदोन्नतियों की गारंटी, प्रयोगशाला का केडर खत्म करना तथा प्रयोगशाला सहायक परिसर के केडर को पुनः बहाल करना।	पदोन्नति के लिए इस समय $33\frac{1}{3}\%$ का जो कोटा निर्धारित किया गया है उसे पर्याप्त समझा जाता है। सीधी भर्ती कोटे में और कमी करने से शिक्षण की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी मामले में सेवागत शिक्षक की सीधी भर्ती के लिए पात्र होते हैं। विविध श्रेणी के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों तथा प्रयोगशाला परिचरों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि ये विषय चयनित विषयों के रूप में नहीं पढ़ाए जाते। तथापि,

1	2	3
		पूर्ववर्ती निचले स्तर के वेतनमान में 12 वर्षों की सेवा उपरान्त शिक्षकों के लिए समयबद्ध सीनियर वेतनमान तथा सलेक्शन वेतनमान उपलब्ध हैं। पुस्तकालयाध्यक्षों तथा प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षण भत्ता का लाभ प्रदान किया जाता है परन्तु प्रयोगशाला परिचरों को यह भत्ता प्रदान नहीं किया जाता क्योंकि वे ग्रुप "घ" के कर्मचारी हैं। संगठन ने 1974 में यह निर्णय लिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं में केवल प्रयोगशाला परिचर ही प्रदान किए जाएंगे तथा इस स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3.	8 वर्ष के बाद सभी शिक्षकों को समयबद्ध सलेक्शन ग्रेड प्रदान करना।	भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालय संगठन पहले ही 12 वर्ष का टाइम स्केल लागू कर चुका है।
4.	जे०सी०एम० और भर्ती तथा पदोन्नति नियमावली का वैज्ञानिक पुनर्गठन विवेकपूर्ण और मानवीय आधार पर स्थानान्तरण नीति को लागू करना, जनहित में स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार करना तथा ए०आई०के०वी०टी०ए० प्रतिनिधियों सहित एक स्थाई स्थानान्तरण समिति का गठन।	दिनांक 18-12-91 और 8-5-92 को जे०सी०एम० की बैठक हुई थी और जे०सी०एम० प्रेरित किया गया है। भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है। संघ के प्रतिनिधियों से भी इस संबंध में परामर्श लिया गया। स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप देते समय संघों के सुझावों पर भी ध्यान दिया गया। वर्ष 1992-93 के लिए शिक्षक के प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए एक स्थानान्तरण समिति गठित की गई है।
5.	मार्च-मई 1992, 19 अप्रैल, 1983 और 18 अगस्त, 1984 के वेतन का भुगतान और संघ के	मार्च-मई, 1992 में कुछ शिक्षक अपने आन्दोलन के क्रम में रिले फास्ट करके और सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर अपने कार्य पर अनुपस्थित

1	2	3
	पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना।	थे। 19 अप्रैल 1983 को वे धरना पर थे। मार्च 1982 में रिले फास्ट के दिनों के लिए एक या दो दिनों के लिए सांकेतिक तौर पर वेतन कटौती की गई। 1 मई, 1982 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश के कारण कार्य से अनुपस्थित के लिए वेतन की अनुमति नहीं दी। गई 19 अप्रैल, 1983 को धरने के कारण कार्य से अनुपस्थित को बकाया छुट्टी समझा गया। पहले से ही उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले के निर्णयों में संशोधन का कोई कारण नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय के संगठन के शिक्षकों/कर्मचारियों के किसी संवर्ग पर कोई अत्याचार नहीं है।
6.	जमा दो स्तर पर नए और अधिक वैकल्पिक विषयों को लागू करना और माध्यमिक वर्ग के लिए प्रधानाध्यापक के पद का सृजन।	केन्द्रीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों की स्थानान्तरणीयता तथा वित्तीय अभावों के कारण संगठन ने +2 स्तर पर नए और अधिक वैकल्पिक विषयों को लागू नहीं किया। प्राथमिक वर्गों में 700 या अधिक बच्चों के होने पर केन्द्रीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद संस्वीकृत है। कक्षा-IX या उससे ऊपर प्रोन्नत होने पर केन्द्रीय विद्यालय में पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रधानाचार्य पदस्थापित किए जाते हैं।
7.	प्रत्येक शिक्षक के लिए आवासगृह और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सामान्य पूल आवास का आवंटन।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी सामान्य पूल के आवास के पात्र नहीं होते हैं और शहरी विकास मंत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सका। तथापि जमीन और कोष की उपलब्धता के आधार पर संगठन कर्मचारियों के आवास के लिए 11 और 21 यूनिटें तैयार कर रहा है।

1	2	3
8.	संगीत शिक्षकों के लिए टी० जी० टी० ग्रेड और पुस्तकालयाध्यक्ष, एस०यू०पी०डब्ल्यू० तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए पी०जी०टी० ग्रेड।	संगीत शिक्षकों के लिए टी०जी०टी० ग्रेड के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। अन्य कारणों के साथ-साथ वित्तीय अभावों के कारण पुस्तकालयाध्यक्ष, एस०यू०पी०डब्ल्यू० और पी०ई०टी० के लिए पी०जी०टी० ग्रेड की अनुमति नहीं दी गई।
9.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यभार, स्कूल के वर्तमान समय को 6.10 घंटे से घटाकर 5.30 घंटे करना तथा पांच दिनों का सप्ताह लागू करना।	वर्तमान कार्यभार के नियमों के अन्तर्गत प्रधानाचार्य के लिए प्रति सप्ताह 11 पीरियड और प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति सप्ताह 36 पीरियड निर्धारित हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाएं 5.30 घंटे चलती हैं जबकि कक्षा VI और उपर 6.10 घंटे तक चलती हैं। प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को केन्द्रीय विद्यालय बन्द रहते हैं।
10.	सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना तथा कुछ प्रतिशत स्थानीय बच्चों के दाखिले का प्रावधान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना।	केन्द्रीय विद्यालय भौगोलिक आधारों पर नहीं खोले जाते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में खोले जाते हैं जहां स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, परियोजना कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की बहुलता हो। इसलिए सभी जिला मुख्यालयों में विद्यालय खोलना संभव नहीं है। स्थानीय बच्चों के लिए दाखिले का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि नए केन्द्रीय विद्यालय को खोलने का लक्ष्य स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शिक्षा सुविधाओं प्रावधान करना है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसायटी होने के कारण स्वतः ही केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आ जाता। केन्द्रीय

1	2	3
		प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 14(2) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह भारत सरकार के या उसके द्वारा नियंत्रित निगमों/सोसायटियों को ऐसे निकायों के कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामलों के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने के लिए अधिसूचना जारी करें। ऐसी कोई सामान्य अधिसूचना जारी नहीं की गई है ।
11.	सभी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का उदारीकरण तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का विस्तार और बहिरंग उपचार के स्थान पर मूल वेतन के 7.5% की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान करना तथा सामूहिक बीमा योजना का वैज्ञानिक पुनर्गठन ।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर चिकित्सा सेवा नियमावली लागू होती है। चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भारत सरकार की पद्धति पर दी जाती है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर सी०एस० (एम०ए०) नियमावली लागू होती है। इसलिए कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिनांक 12-1-1992 को शासी बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए नयी सामूहिक बीमा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है।

[हिन्दी]

निर्धारित भंडारण प्रक्रिया

156. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित भंडारण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 30 सितम्बर, 1922 की स्थिति के अनुसार, गोदामों के निर्माण का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम स्वयं अपने गोदामों और किराये पर लिये गए गोदामों में, जिनका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का भण्डारण करते हैं। इसके अलावा, वे भण्डारण के दौरान वस्तुओं के परिरक्षण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाते हैं। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा किये गए मुख्य उपायों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और 2 में किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा 30-9-1992 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन गोदामों/भाण्डागारों की सूचियां क्रमशः विवरण-3 और विवरण-4 में दी गई हैं।

विवरण-1

भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गए उपाय

(1) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण किया जाता है और चूहों और जन्तुबाधा पर नियन्त्रण पाने के लिए नियमित रूप से कीट नियन्त्रण उपाय किये जाते हैं।

(2) मानसून से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी के रिसाव को रोकने के लिए गोदामों की मरम्मत की जाती है।

(3) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए जाते हैं।

(4) भण्डारण गोदाम आधुनिक पद्धति से बनाए जाते है ताकि वे मूषक प्रूफ और नमी प्रूफ हों।

(5) सभी स्तरों पर अनाजों को सावधानीपूर्वक सम्भालने पर जोर दिया जाता है। श्रमिकों को छोटे आकार के हुकों का इस्तेमाल करने के लिए राजी करने के प्रयत्न किये जा रहे है ताकि अनाज के बिखरने मे होने वाली क्षति को कम-से-कम किया जा सके। रेलवे द्वारा निर्धारित पैकिंग की शर्तों और विशेष रूप से बोरियों की सिलाई और चिह्न से संबंधित शर्तों के संबंध में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करने पर जोर दिया जाता है और उनके अनुपालन पर निगरानी रखी जाती। खाद्यान्नों की बोरियों का पल्ले वाले दरवाजों से दूर लदान करने पर जोर दिया जाता है ताकि रास्ते में वर्षा के कारण होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(6) खुले में भण्डारित स्टाक के मामले में, खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(क) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेषरूप से तैयार की गई वाटर प्रूफ पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है।

(ख) तूफान के दौरान पोलीथीन की चादरों के उड़ने से होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की गई हैं।

(ग) मौसम की अनिश्चितता से खाद्यान्नों की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख कैंप काम्प्लेक्सों में मोनाफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी मुहैया किये गए हैं।

(घ) पोलीथीन की चादरों को आवधिक रूप से बदला जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाजों की हमेशा अत्यधिक सुरक्षा की जाती रहे।

(ङ) अनाज को अच्छी हालत में रखने के लिए साफ मौसम के दौरान स्टाक का खुले में वातन किया जाता है।

विवरण-2

भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा किये गए उपाय

(1) जब भण्डारण के लिए कोई स्टाक पेश किया जाता है तब ऐसे स्टाक को प्राप्त करते समय उसकी गुणवत्ता और स्थिति के संबंध में जांच की जाती है। अनाज के विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए नमूने लिए जाते हैं। जब स्टाक विनिर्दिष्टियों के अनुरूप स्वीकार्य पाया जाता है तभी स्टाक भाण्डागारों में रखा जाता है।

(2) स्टाक को निभार क्रेटों पर भण्डारित किया जाता है अथवा निभार के रूप में पोलीथीन फिल्म की तीन परतों के बीच रखा जाता है। भण्डारित स्टाक का प्रत्येक पखवाड़े में निरीक्षण किया जाता है और स्टाक को रखने की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए श्रेणीकरण किया जाता है। प्रत्येक 2-3 सप्ताह में ऐसे स्टाक पर मैलाथियन का छिड़काव कर रोग-निरोधी उपाय किए जाते हैं जोकि स्टाक का भण्डारण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया रसायन है। इससे जन्तुबाधा की रोक-थाम में मदद मिलती है। तथापि, यदि स्टाक जन्तुबाधित हो जाता है तब ऐसे स्टाक का निर्धारित मात्रा और अवधि में मिथाइलब्रोमाइड अथवा एल्यूमीनियम फास्फेट से प्रधूमन किया जाता है। प्रधूमन के बाद स्टाक, आवधिक रूप से साफ किया जाता है ताकि दाग, मिट्टी और मृत कीटाणु, यदि कोई हों तो उन्हें हटाया जा सके।

(3) स्टाक को जारी करते समय, स्टाक का यह देखने के लिए भी निरीक्षण किया जाता है कि ऐसा स्टाक जारी नहीं किया जाए जिससे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता हो।

(4) जब स्टाक को भण्डारण के लिए स्वीकार किया जाता है तब ऐसे स्टाक के लिए निभार की व्यवस्था की जाती है। 30 × 20 फुट के निश्चित आकार के चट्टे लगाने की एक अनुमोदित योजना है।

विवरण-3

30-9-1992 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माणाधीन गोदामों का राज्यवार ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	क्षमता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	90.00
2.	कर्नाटक	55.00
3.	केरल	5.00
4.	तमिलनाडु	15.00
5.	राजस्थान	27.91
6.	जम्मू और कश्मीर	5.00
7.	उत्तर प्रदेश	39.31
8.	दिल्ली	5.00
9.	पश्चिम बंगाल	13.34
10.	त्रिपुरा	2.92
11.	मिजोरम	3.34
12.	अरुणाचल प्रदेश	2.50
13.	महाराष्ट्र	5.00
14.	उड़ीसा	10.00
	जोड़ :	279.32

विवरण-4

30-9-1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्माणाधीन भांडागारों का राज्यवार ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	क्षमता
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	50.00
2.	पश्चिम बंगाल	43.00
3.	मध्य प्रदेश	6.10
4.	कर्नाटक	3.50
5.	आन्ध्र प्रदेश	3.00
6.	गुजरात	5.00
7.	तमिलनाडु	10.00
8.	उत्तर प्रदेश	5.00
	जोड़ :	126.10

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

157. डा० अमृतलाल कालीदास पटेल :

श्री हरि केवल प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जनसंख्या वृद्धि में कितनी कमी आई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्यवार अब तक कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या अब तक प्राप्त परिणाम संतोषजनक है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सासाराम और जौनपुर के बीच रेल सम्पर्क

158. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुगलसराय जंक्शन पर रेल यातायात को कम करने के लिए दिलदारनगर, गाजीपुर और आदिहार से होते हुए सासाराम और जौनपुर के बीच नई रेल लाइनें बिछाकर कोई वैकल्पिक रेलमार्ग की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नए वैकल्पिक रेलमार्ग के निर्माण हेतु कब तक सर्वेक्षण कराये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हड़प्पा सभ्यता की खोज

159. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराई गई खुदाई के दौरान राजस्थान में कालीबंगन में नई हड़प्पा सभ्यता का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उस स्थान पर खुदाई कार्य की गति तेज करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के जिला गंगानगर स्थित कालीबंगन (कालीबरगर नहीं) में उत्खनन-कार्य किया गया था, जिससे हड़प्पा और हड़प्पा-पूर्व का संस्कृतियों का वहां पर प्राप्त हुए विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों, चकमक बिल्लौर प्रस्तर के फलों (औजारों), मोहरों, किले की दीवारों, कच्ची ईंटों की बनी सड़कों और मकानों, नालियों, भट्टियों, चबूतरों और कुओं तथा बस्ती के बाहर हल-जुते खेत से पता चला है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

खड़गपुर-विशाखापट्टनम रेल लाइन का विद्युतीकरण

160. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-विशाखापट्नम रेल लाइन के विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण शुरू किया गया था और इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सर्वेक्षण हेतु लगभग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह कार्य हाल ही में शुरू किया गया है ।

(ख) 14.07 लाख रुपये ।

दुर्लभ औषधीय पौधों की तस्करी

161. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 1992 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "रेयर प्लांट, स्पेसीज बीइंग स्मगल्ड आउट" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन औषधीय पौधों के क्या नाम हैं और उनसे कौन-कौन-सी औषधियां बनाई जाती हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं या किये जाने का विचार है और इस प्रकार के औषधीय पौधों की नई प्रजातियों का विकास करने के लिए क्या उपाय किये गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि दुर्लभ पादप प्रजातियां जब्त नहीं की गई हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भगवान जगन्नाथ मन्दिर

162. **श्री के० प्रधानी** :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के विशेषज्ञों के एक दल ने पुरी में भगवान जगन्नथ के ऐतिहासिक मन्दिर के परिरक्षण हेतु उपाय सुझाने के लिए उड़ीसा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषज्ञों के इस दल ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में गोदाम/भांडागार

163. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदामों/भांडागारों की कुल भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदामों/भांडागारों के उपयोग के प्रतिशत का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास केरल में उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता निम्नानुसार है :—

		(लाख मी० टन में)
भारतीय खाद्य निगम	—	5.38
केन्द्रीय भण्डारण निगम	—	9.70

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में इन संगठनों द्वारा इस्तेमाल की गई भण्डारण क्षमता की प्रतिशतता नीचे दी जाती है :—

संगठनों के नाम	1989-90	1990-91	1991-92
भारतीय खाद्य निगम	49	63	59
केन्द्रीय भण्डारण निगम	64	67	80

काला आजार

164. **श्री आर० जीवरत्नम** :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति काला-आजार से पीड़ित रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस फैलने वाली बीमारी का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है;

(ग) क्या राज्यों को काला-आजार रोधी औषधों की पर्याप्त सप्लाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार प्रभावित राज्यों में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए काला-आजार-रोधी औषधों का उत्पादन बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा काला-आजार के उपचार के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कालाआजार के रोगियों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	रोगियों की संख्या (कलेंडर वर्ष)		
		1990	1991	1992
1.	बिहार	54,650	59,614	54,479 (अगस्त तक)
2.	पश्चिम बंगाल	3,037	2,030	807 (जून तक)
3.	दिल्ली	27	शून्य	शून्य
4.	असम	2	शून्य	शून्य
5.	महाराष्ट्र	7	1	1 (अगस्त तक)
6.	कर्नाटक	1	शून्य	शून्य
7.	तमिलनाडु	10	1	शून्य
8.	उत्तर प्रदेश	8	24	2 (जून तक)
9.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1 (अगस्त तक)

(ख) इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है : —

1. प्रभावित क्षेत्रों में दो बार डी० डी० टी० के साथ अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव करके वेक्टर नियन्त्रण के माध्यम से संचरण को रोकना।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों में सोडियम स्टीबो —ग्लूकोनेट तथा पेंटामिडीन आइसोथायोनेट जैसी औषधों के द्वारा कालाआजार का शुरू में ही पता लगाना और उपचार करना।

3. रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।

4. कालाआजार रोगियों का शुरू में ही पता लगाने और उपचार करने के लिए चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों का अभिविन्यास और प्रशिक्षण ।

(ग) राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में देशी सोडियम स्टीबो-ग्लूकोनेट और आयातित पेंटा-मिडीन आइसोथापोनेट दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) विनिर्माताओं से आग्रह किया गया है कि वे सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट के उत्पादन में वृद्धि करें और मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लिमिटेड, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने यह भी सूचित किया है कि वह आरम्भ में इस औषध की 20,000 शीशियां प्रतिमाह की दर से आपूर्ति करने का प्रयास करेगा । सरकार ने देश के विनिर्माताओं की ग्लूकोनिक एसिड और टार-टरिक एसिड, जो सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित दो महत्वपूर्ण संघटक हैं, का आयात करने की अनुमति दी है ।

सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट औषध द्वारा प्रथम उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रदान किया जा रहा है जबकि द्वितीयक स्तर पर दी जाने वाली पेंटामिडीन आइसोथायोनेट औषध जोकि सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट (प्रथम उपचार) के प्रति अप्रतिक्रियाशील है, जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों में अंतरंग रोगियों को ही दी जा रही है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

165. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री राम सागर :

श्री प्रवीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकल को विषाक्त धातुओं की सूची में शामिल किए जाने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या चाकलेटों में निकल काफी मात्रा में होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सरकार ने पहले ही विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच करवा ली है जिन्होंने निम्नलिखित परामर्श दिए हैं :—

(i) खाद्य पदार्थों में निकल के निर्धारण की विधि की समीक्षा करने तथा उपलब्ध आंकड़ों

की जांच करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद के निदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाए ।

(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को निकल के सेवन किए जाने पर उनकी विषाक्ता के वैज्ञानिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और वह खाद्य पदार्थों में निकल संघटक के लिए मानक निर्धारित करने की आवश्यकता पर सरकार को सलाह दे ।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को इस बारे में उपयुक्त सलाह दे दी गई है ।

[हिन्दी]

स्टेशन सुपरिंटेंडेंटों/स्टेशन मास्टरों के विरुद्ध शिकायतें

166. **श्री छेदी पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के अन्तर्गत आने वाले रेलवे जोनों में ऐसे स्टेशन सुपरिंटेंडेंटों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सरकार को पिछले छह महीनों में शिकायतें मिली हैं;

(ख) इनमें से कितने मामलों की जांच की गई है;

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि स्टेशन सुपरिंटेंडेंटों/स्टेशन मास्टरों द्वारा सदस्यों को उचित सम्मान दिया जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि

167. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में गत तीन महीनों में तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) देश में खाद्यान्नों तथा तेलों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) सरकार खाद्यान्नों की शुद्धता तथा प्रामाणिकता बनाए रखने में कहां तक सफल हुई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1992 के अन्तिम 3 सप्ताहों के दौरान और पिछले तीन महीनों में तदनुरूपी सप्ताहों में खाद्यान्नों और तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांकों में उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है ।

खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने के मुख्य कारण खरीफ के अनाजों की पैदावार में गिरावट होना, न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों में वृद्धि होना और इन सबसे ऊपर अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, आदि होना है।

(ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विदेशों से गेहूं और चावल का आयात करने का निर्णय किया है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक खाद्य तेलों का सम्बन्ध है, इनके मूल्यों पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें वनस्पति तेलों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देते रहना, स्टाक सीमा में कमी करना, वनस्पति तेलों के सम्मिश्रण की अनुमति देना, खाद्य तेलों को रेल भाड़े से छूट देना, जमाखोरी निरोधक उपाय करना, आदि शामिल हैं। सरकार ने तेल मौसम, 1992-93 के लिए खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय किया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की वसूली एजेंसियां, जिन्हें केन्द्रीय पूल के लिए वसूली कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, केवल विहित विनिर्दिष्टियों (उचित औसत किस्म) के अनुरूप ही खाद्यान्नों की खरीदारी करती हैं। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण में खाद्यान्नों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

विवरण

अक्तूबर, 1992 के अन्तिम 3 सप्ताहों के दौरान और पिछले तीन महीनों में तदनुरूपी सप्ताहों में खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के थोक मूल्यों के सूचकांकों में उतार चढ़ाव की प्रतिशतता

खाद्यान्न, दालें और खाद्य तेल	31-10-1992	24-10-1992	17-10-1992	26-9-1992	19-9-1992	12-9-1992	29-8 1992	22-8-1992	15-8-1992	25-7-1992	18-7-1992	11-7-1992
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खाद्यान्न	+1.1	—0.4	—2.1	—0.2	—0.5	—0.4	—0.3	—0.7	स्थिर	+0.7	+0.5	+0.2
अनाज	+1.7	—0.6	—2·4	स्थिर	—0.7	—0.4	—0.4	—0·7	+0.1	+0.6	+0.3	—0.3
चावल	+3.4	—0.4	—4.0	+0.4	—0.4	—0.1	+0.4	—0.5	+0.3	—0.2	—0.1	+0.9
गेहूं	—0.3	—0.8	+0.2	+1.2	—0.5	—0.7	+0.6	+0.7	+0.1	—2.3	+0.2	+0.8
ज्वार	—1.2	—1.0	—1.4	—4.4	स्थिर	—1.0	—3.6	—1.3	—1.2	+0.4	+3.3	+1.0
बाजरा	+0.6	+0.2	—1.6	—6.8	—7.0	—2.6	—3.7	—2.3	—2.1	—0.3	—1.5	+1.1
मक्का	—2.4	—0.8	—2.0	—4.7	—2.0	—0.3	—3.3	—2.1	+0.5	+1.7	—0.5	—0.3
जौ	+0.6	—1.3	—2.7	—0.8	—1.8	—0.4	—0.4	—1.2	स्थिर	—3.6	+0.4	—0.1
रागी	स्थिर	+0.4	स्थिर	+0.2	—0.3	स्थिर	—1.5	+1.5	+0.5	+3.3	+2.4	+0.4
दालें	—1.9	+0.2	+0.1	+0.3	+0.5	—0.6	+0.6	—0·6	—0.1	+1.4	+1.4	—0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चना	स्थिर	+0.6	+0.6	—1.3	+1.8	+0.2	—0 2	—0.9	+1.8	+2.1	+1.6	—1.4
अरहर	—2.8	—0.2	+2.1	+0.9	—0.3	—0.2	+0.8	+0.1	+0.5	+1.0	+0.4	+0.4
मूंग	—3.6	स्थिर	—1.9	—4.6	+0.3	—2.6	+2.2	—0.5	—3.7	+0.7	+2.8	+0.5
मसूर	+0.3	स्थिर	—3.9	—0.7	+0.3	—0.2	स्थिर	+0.1	—0.5	+0.6	+2.1	—0.4
उड़द	—2.9	+0.2	—1.3	—1.3	—0.1	—0.6	—0.2	—1.5	स्थिर	+1.8	+0.8	+0.6
खाद्य तेल	—0.4	+0.2	+1.0	स्थिर	—0.8	—0.5	—0.5	+0.3	+0.2	+0.7	स्थिर	—0.4
वनस्पति	स्थिर	+0.1	स्थिर	स्थिर	—1.3	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+1.6	+0.3	+0.1	स्थिर
नारियल का तेल	—1.1	+0.7	+1.6	+1.0	+0.4	—1.2	—0.2	—1.0	+0.6	+0.9	+0.7	—0.5
मूंगफली का तेल	—0.7	स्थिर	+0.9	+0.4	—0.8	—1.6	—1.2	—0.4	—0.6	+1.4	स्थिर	—2.3
सरसों का तेल	—0.1	—1.3	—1.1	—0.2	+1.4	—0.1	—0.7	+0.4	+0.7	+0.8	+0.5	+0.8

नोट—आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

शोलापुर-गडग रेल लाइन का बड़ी रेल लाइन में बदलना

168. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर-बीजापुर-गडग मीटरगेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की परियोजना की मंजूरी दे दी गई है और उसे परिवर्तन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना काम हुआ है;

(ग) उसकी कुल अनुमानित लागत, अब तक हुआ व्यय तथा 1992-93 के लिए आबंटित धनराशि क्या है; और

(घ) इसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों की एक आमान-परियोजना की योजना के चरण-I में इस खंड को शामिल किया गया है।

(ख) आगामी वर्षों में इस कार्य को शुरू किया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

(ग) लगभग 180 करोड़ रुपये, प्रति कि० मी० 60 लाख रुपये की दर से।

(घ) अभी निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनायें

169. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू किया गया था;

(ख) प्रत्येक परियोजना किस-किस तारीख को पूरी होनी थी तथा शेष परियोजनाओं पर अगस्त, 1992 तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी कुल अनुमानित लागत कितनी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले निम्नलिखित नई लाइनें बिछाने और दोहरीकरण परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 288 करोड़ रुपए है। सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इन खण्डों को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

परियोजना का नाम	खुलने का वर्ष
1	2
1. **नई लाइनें**	
(i) कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (222 कि०मी) (अंशत: राजस्थान में)	1990-91

1	2
2. **दोहरी करण**	
(i) नागदा-उज्जैन खंड पिपलोदा-बागला नैखरी के बीच दोहरीकरण (32-82 कि०मी०)	1989-90
(ii) नागदा-कोटा खंड (चरण II) नागदा-रामगंज मंडी के बीच दोहरीकरण	1986-87
(iii) इटारसी-आमला-नागपुर चरण-II (80-78 कि०मी०) (अंशतः महाराष्ट्र में)	1988-89
(iv) जुकेही-सतना-मानिकपुर-झिउकी खंड-मेहर-उचेहरा के बीच दोहरीकरण (14.17 कि०मी०) और लायरबंबा-सतना (11.60 कि०मी०)	1985-86
(v) जुकेही-सतना-मानिकपुर खंड उचेहरा-लागरगवा (9.51 कि०मी०) सतना-सागपा टिकरी (9.28 कि०मी०) और टिकोरी-जैंतवार (10.66 कि०मी०) के बीच दोहरीकरण बाई पास लाइन मानिकपुर के साथ	1985-86
(vi) इटारसी-आमला-नागपुर चरण II (32.02 कि०मी०) (अंशतः महाराष्ट्र में)	1989-90

[**अनुवाद**]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी

170. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति की जांच करने के लिए किसी केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ख) 1991-92 और 191-92 के दौरान भण्डार किए जाने वाले खाद्यान्नों की तुलना में कितने प्रतिशत खाद्यान्नों की बर्बादी हुई;

(ग) क्या नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने के लिए भण्डारित खाद्यान्नों पर कीटनाशक दवाइयों काछिड़काव किया जाता है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जा रही है कि कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के दौरान खाद्यान्न के स्टाक प्रदूषित न हों; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) **जी, नहीं ।**

(ख) भण्डारित औसत मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

वर्ष		प्रतिशतता
1990-91	—	0.17
1991-92	—	0.16

(ग) जी हां, खाद्यान्नों से भरी पटसन की बोरियों पर प्रत्येक पखवाड़े में अनुमत कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ।

(घ) जी हां, आवधिक रूप से नमूने लिए जाते हैं और पीड़कनाशीय अपशिष्ट के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है तथा केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों का स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कुश्ती को प्रोत्साहन

171. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुश्ती को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे प्रोत्साहन देने के लिए किन-किन स्थानों पर केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुश्ती को प्राथमिकता वाली विधा के रूप में पहचाना गया है । भारतीय कुश्ती संघ के दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम पर पहले ही विचार-विमर्श हो चुके हैं तथा इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 76 प्रशिक्षक नियुक्त किये गए हैं । भारतीय खेल प्राधिकरण खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस०पी०डी०ए०), सेना में बायज स्पोर्टस कम्पनियां, खेल छात्रावास योजना तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एन०एस०टी०सी०) योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी कुश्ती के संवर्धन के लिए प्रयास कर रहा है ।

(ग) कुश्ती सहित संस्पर्शी खेलों (कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स) के संवर्धन के लिए आइजोल और इम्फाल स्थित विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों को पहले ही निर्धारित कर दिया गया है ।

[अनुवाद]

एथलीटों को प्रशिक्षण देने हेतु विदेशी प्रशिक्षक

172. **श्री भरत चन्द्र पट्टनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एथलीटों तथा अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त विदेशी प्रशिक्षकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत में एथलीटों और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के पास वर्तमान में चीन, पूर्व सोवियत संघ तथा क्यूबा के बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, तैराकी, गोताखोरी, कुश्ती (ग्रीको-रोमन), साइक्लिंग, पाल नौकायन और वॉलीबाल के 14 प्रशिक्षक हैं।

(ख) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान सितम्बर, 1992 तक इन प्रशिक्षकों पर 38.50 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मिरज-लातूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

173. **श्री राम नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिरज-लातूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या अटपडी शहर (सांगली जिले) के लोगों की सुविधा के लिए इस शहर को उक्त लाइन से जोड़ने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए इस निर्माण कार्य को भारतीय रेलवे के "एक ही आमान की परियोजना" के तहत इस कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अटपाडी मौजूदा संरेखण पर नहीं है। संसाधनों की तंगी के कारण नई लाइन का निर्माण करके एक संपर्क लाइन की व्यवस्था करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युतीकृत मार्गों पर डीजल इंजन चलाना

174. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विद्युतीकृत मार्गों पर शंटिंग प्रयोजन हेतु भी डीजल इंजनों को चलने से रोकने के संबंध में कोई नीति निर्णय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अंश पाया जाना

175. **श्री नवल किशोर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में पाये जाने वाले कीटनाशकों तथा अन्य नुकसानदायक रसायनों के अंश की सहनीय मात्रा के बारे में परीक्षण सर्वे कराया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खाद्य-पदार्थों में पाये गए कीटनाशक अंश का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे खाद्य-पदार्थों को खाने के कारण बीमार हुए लोगों की राज्यवार संख्या क्या है तथा उनमें से मरने वालों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अंश निर्धारित मात्रा में अधिक न बढ़ने पाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) खाद्य पदार्थों में पेस्टनाशी अवशिष्टों की निगरानी के बारे में एक मार्गदर्शी परियोजना 1988 में आरम्भ की गई थी । ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) विश्लेषण किये गए कुल नमूनों की संख्या - 1132

(ii) सर्वेक्षण किये गए खाद्य पदार्थों के नाम—अनाज, दाल और सेम फलियां

(iii) 1039 नमूनों में बी० एच० सी०, डी० डी० टी० और डाएल्ड्रिन जैसे पेस्टनाशी दिखाई पड़े । इनमें से अधिकांश नमूनों में सहनीय सीमा में पेस्टनाशी पाये गए ।

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा इस मंत्रालय को कोई ऐसी घटना की सूचना नहीं दी गई है ।

(घ) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को खाद्य पदार्थों पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है ताकि पेस्टनाशी अवशिष्ट निर्धारित सीमा के अन्दर ही हों ।

वन भूमि का नियमन

176. **श्री पी० सी० थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** 11 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5206 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से कब्जा की गई वन भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर तक रेल लाइन का विस्तार तथा लुम्बडिंग-गिरिबम सेक्शन को मीटर लाइन में बदलना

177. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मणिपुर में गिरिबम से आगे रेल लाइन बिछाने तथा लुम्बडिंग से गिरिबम बरस्ता मिलचर की विद्यमान रेल लाइन को मीटर लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों के पास बकाया गन्नाराशि

178. **श्री राम नगीना मिश्र** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान चीनी मिलों द्वारा राज्य-वार गन्ना उत्पादकों को आज तक गन्ने के मूल्य की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और अभी भी कितनी धनराशि उनकी तरफ बकाया है; और

(ख) सरकार ने गन्ना उत्पादकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर समेकित, 31-5-92 तक भुगतान की गई गन्ना कीमत तथा बकाया राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान हेतु बाध्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां व क्षेत्रीय संगठन हैं। तथापि, केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से गन्ना कीमत के बकाया का भुगतान समय पर सुनिश्चित कराने का अनुरोध करती रही है।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर समेकित, 31-5-92 तक भुगतान की गई गन्ना कीमत तथा बकाया राशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

(रुपये करोड़)

राज्य का नाम	कुल देय गन्ना कीमत	भुगतान की गई गन्ना कीमत	गन्ना कीमत का बकाया	कुल देय कीमत पर बकाया का प्रतिशत
1	2	3	4	5
पंजाब	193.04	163.98	29.06	15.05
हरियाणा	216.19	189.62	26.57	12.29
राजस्थान	12.95	9.38	3.57	27.57
उत्तर प्रदेश	1311.48	1047.31	264.17	20.14
मध्य प्रदेश	50.91	39.04	11.87	23.31
गुजरात	210.03	200.58	9.45	4.50
महाराष्ट्र	1129.96	1104.59	25.38	2.25
आसाम	3.74	3.73	0.01	0.27
बिहार	210.92	128.34	82.59	39.15
आन्ध्र प्रदेश	229.51	221.95	7.56	3.29
कर्नाटक	333.58	305.55	28.04	8.41
तमिलनाडु	339.40	316.20	23.20	6.84
केरल	2.67	2.66	0.01	0.38
उड़ीसा	13.00	9.18	3.82	29.31
पश्चिम बंगाल	3.69	3.51	0.18	5.08
नागालैण्ड	1.24	0.62	0.62	50.00
पांडिचेरी	19.85	18.93	0.92	4.63
गोआ	6.76	5.93	0.83	12.28
समस्त भारत	4288.95	3771.10	517.85	12.24

भड़ौच और अंकलेश्वर में आरक्षण कोटा

179. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जो गुजरात के भड़ौच तथा अंकलेश्वर स्टेशनों पर रुकती हैं;

(ख) इन रेलगाड़ियों के लिए कुल कितना आरक्षण कोटा निर्धारित है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नावटी, नवजीवन, इंदौर, गांधीधाम और त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस गाड़ियों को उक्त स्टेशनों पर रोकने का है; और

(घ) क्या इन स्टेशनों पर आरक्षण के कोटे में भी वृद्धि करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अंकलेश्वर और भरूच स्टेशनों पर विभिन्न गाड़ियों में अलग-अलग दर्जों में क्रमश: 123 और 171 शायिकाओं/सीटों के कोटे की व्यवस्था की गई है।

(ग) भरूच पर 9061/9062 बम्बई-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस और अंकलेश्वर पर 2603/2604 राजकोट-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रेस, 2613/2614 गांधीधाम-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रेस और 2641/2642 नवजीवन एक्सप्रेस के ठहरावों की व्यवस्था की गई है। फिलहाल भरूच और अंकलेश्वर पर किसी अन्य ठहराव की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भरूच और अंकलेश्वर स्टेशनों पर उनके सामने दी गई तारीखों से निम्नलिखित अतिरिक्त आरक्षण कोटा की व्यवस्था की जा रही है।

गाड़ी सं०	दूसरा दर्जा शायिका/सीटें		तारीख
भरूच			
9017 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	2	—	9-12-1992
9024 फिरोजपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस	—	1	1-12-1992
अंकलेश्वर			
2713 राजकोट-सिकंदराबाद एक्सप्रेस	2	—	1-12-1992

विवरण

निम्नलिखित गाड़ियों का भरूच और अंकलेश्वर में ठहराव दिया गया है

भरूच	अंकलेश्वर
1. 9109/9110 गुजरात क्वीन एक्सप्रेस	1. 9109/9110 गुजरात क्वीन एक्सप्रेस
2. 1095/1096 अहिंसा एक्सप्रेस	2. 9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस
3. 9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस	3. 2603/9604 राजकोट-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4. 9001/9002 गुजरात मेल	4. 2731/2732 राजकोट-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
5. 9019/9520 बंबई सेंट्रल देहरादून एक्सप्रेस	5. 2637/2638 अहमदाबाद-कोचीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
6. 9023/9024 बंबई सेंट्रल-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस	6. 2613/2614 गांधीधाम-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
7. 9015/9016 सौराष्ट्र एक्सप्रेस	7. 9023/9024 बंबई सेंट्रल-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस
8. 2925/2926 पश्चिम एक्सप्रेस	8. 9015/9016 सौराष्ट्र एक्सप्रेस
9. 9055/9056 सायाजी नगरी एक्सप्रेस	8. 9055/9056 सायाजी नगरी एक्सप्रेस
10. 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	10. 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस
11. 9057/9058 बड़ोदरा-वालसाड एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)	11. 9057/9058 बड़ोदरा-वालसाड एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
12. 9031/9032 कच्छ एक्सप्रेस	12. 9007 अहमदाबाद-बंबई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस
13. 9007/9008 अहमदाबाद-बंबई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस	13. 9019/9020 बंबई सेंट्रल-देहरादून एक्सप्रेस
14. 9061/9062 अवन्तिका एक्सप्रेस	14. 2641/2642 नवजीवन एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)
15. 9005/9006 सौराष्ट्र मेल	15. 6501/6502 बेंगलौर-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
16. 9027/9028 बंबई-सेंट्रल-बड़ोदरा एक्सप्रेस	16. 99/100 पैसेंजर
17. 8033/8034 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	17. 49/50 पैसेंजर

भरूच	अंकलेश्वर
18. 99/100 पैसेंजर	18. 45/46 बंबई सेंट्रल-बड़ोदरा एक्सप्रेस
19. 49/50 पैसेंजर	19. 43/44 पैसेंजर
20. 41/42 बंबई सेंट्रल-वीरमगाम पैसेंजर	20. 39/40 पैसेंजर
21. 43/44 पैसेंजर	21. 41/42 बंबई सेंट्रल-वीरमगाम पैसेंजर
22. 39/49 पैसेंजर	22. 131/132 दूसरा दर्जा सहित पार्सल
23. 45/46 बंबई सेंट्रल-बड़ोदरा पैसेंजर	
24. 131/132 दूसरा दर्जा सहित पार्सल	

[अनुवाद]

मालदा और गुवाहाटी के बीच रेल सम्पर्क

180. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा से गुवाहटी (सीमान्त रेलवे) लाइन को दोहरा किए जाने के कार्य में प्रगति हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कार्य की प्रगति को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।

(ग) मालदा और गुवाहाटी के बीच विभिन्न खंडों पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने के कार्य को स्वीकृति दी गई है।

प्रगति इस प्रकार है :—

(i) 111 कि०मी० में कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ii) 98 कि०मी० में कार्य चल रहा है। इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30-6-94 है।

ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे की ओर बोंगाइगांव और गुवाहाटी के बीच एक अन्य लाइन बिछाने का कार्य भी चल रहा है। 1994-95 में इस कार्य के पूरा हो जाने पर इससे इन दो स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हृदय-रोग केन्द्र में मृत्यु

181. **श्री साईमन मराण्डी** :

श्री शिबू सोरेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हृदय-रोग केन्द्र में जीवाणु संक्रामक फैलाने के कारण किसी मौत का सरकार को पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच के लिए सरकार ने कोई जांच समिति बनायी है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने किन बातों का पता लगाया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृद-वक्ष केन्द्र में नवम्बर, 1992 में दो रोगियों की मृत्यु हुई। उनकी 14 सितम्बर, 1992 तथा 9 अक्तूबर, 1992 को अलग-अलग ऑपरेशन कक्षों में दो अलग-अलग शल्य चिकित्सकों द्वारा बाई-पास सर्जरी की गई है। 14-9-92 को ऑपरेशन किये गये रोगी की 50 दिन के बाद 3-11-92 को मृत्यु हो गई। 9 अक्तूबर, 1992 को ऑपरेशन किये गये दूसरे रोगी को संतोषजनक स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी लेकिन उसे गुर्दे की परेशानी के कारण जिसके परिणाम-स्वरूप उसके अधिकांश अंग निष्क्रिय हो गये थे तथा गौण संक्रमण हो गया था, 23-10-92 को पुनः अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी 4-11-92 को मृत्यु हो गई। दोनों रोगी, मधुमेह, हृद्-धमनी रोग और कम्प्रोमाइज्ड से मायोकार्डियल फंक्शन से पीड़ित थे।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ने मामले की जांच की है परन्तु अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित किए गए विसंक्रमण और धूमन संबंधी प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसरण में कर्मचारियों की ओर से किसी चूक का पता नहीं चला।

राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

182. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके क्या-क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) यह बोर्ड कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) दिनांक 28 अगस्त, 1992 के संकल्प क्र० सं० 163 द्वारा 28 अगस्त, 1992 को पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड का गठन भूमिका तथा कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड ने दिनांक 28 अगस्त, 1992 के संकल्प क०सं० 163 के जारी होने के साथ ही कार्य शुरू कर दिया है।

विवरण

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28 अगस्त, 1992

संकल्प

क०सं० 163, ग्रामीण विकास मंत्रालय में हाल ही में बंजर भूमि विकास विभाग बनाए जाने और राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को इस विभाग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड का गठन, भूमिका और कार्य नीचे पैराओं में दिए गए हैं :—

गठन

पदेन सदस्य

(1)	केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री	अध्यक्ष
(2)	अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	उपाध्यक्ष
(3)	सदस्य योजना आयोग पर्यावरण प्रभारी	सदस्य
	निम्नलिखित विभागों के सचिव, भारत सरकार	
(4)	ग्रामीण विकास	सदस्य
(5)	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	सदस्य
(6)	व्यय	सदस्य (वित्त)
(7)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	सदस्य
(8)	कृषि और सहकारिता	सदस्य
(9)	पशु पालन और दुग्ध उत्पादन	सदस्य

(10)	बंजरभूमि विकास	सदस्य
(11)	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड	सदस्य
(12)	वन महानिरीक्षक पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य
(13)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य
	नामित सदस्य	
(14-15)	संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा से एक-एक)	सदस्य
(16-22)	वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों से जुड़ी स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं, आदिवासियों आदि के प्रतिनिधि (सात से अधिक नहीं)	सदस्य
(23-27)	राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (पांच से अधिक नहीं) जो राज्य सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे	सदस्य
	सदस्य सचिव	
(28)	सचिव (पर्यावरण और वन)	सदस्य सचिव

भूमिका और कार्य

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा। अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व अन्य सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास की भूमि और पश्चिमी हिमालय, अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों के पुनरुत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास के लिए योजनायें तैयार करने में बोर्ड निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :—

(क) योजनाबद्ध आयोजना तथा कार्यान्वयन के जरिए लागत प्रभावी तरीके से अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि के पारिस्थितिकीय सुधार के लिए कार्यतंत्र तैयार करना;

(ख) पारिस्थितिकी सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों का ईंधन लकड़ी चारे तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पुनरुत्पादन अथवा समुचित उपायों से देश को वनाच्छादित करना;

(ग) ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और वनोपज की मांग को पूरा करने के लिए अवक्रमित वनों और उनके आस-पास की भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे, इमारती लकड़ी और वनोपज के वृक्ष उगाना;

(घ) अवक्रमित वन क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि के पुनरुत्पादन और विकास हेतु नई और उचित प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए अनुसंधान प्रायोजित करना और अनुसंधान नतीजों का विस्तार करना;

(ङ) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्यों की मदद से वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आम जागरूकता पैदा करना और जन-आन्दोलन तैयार करना तथा अवक्रमित वन क्षेत्रों तथा उनके आस-पास की भूमि के सहभागी और सतत् प्रबंध को बढ़ावा देना;

(च) वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास की कार्य योजनाओं का समन्वय और अनुवीक्षण करना; और

(छ) देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी सुधार तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय करना।

हस्ता०/-

(विनय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

हस्ता०/-

(विनय शंकर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली

अभिघातज केन्द्रों की स्थापना

183. श्री एन० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में दुर्घटना के मामलों की परिचर्या हेतु पर्याप्त उपकरण हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में बहुत अधिक दुर्घटनाओं को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों में अभिघातज केन्द्र खोलने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों के प्रमुख शहरों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) दिल्ली के अस्पताल दुर्घटना के मामलों से निपटाने के लिए सामान्य उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। तथापि उन जटिल मामलों को जो कुछेक अस्पतालों द्वारा नहीं निपटाए जा सकते अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते हैं जहां अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक भाग के रूप में एक दुर्घटना एवं अभिघात परिसर बनाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, दिल्ली प्रशासन के अधीन एक केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा योजना पहले से ही चल रही है जिसके अन्तर्गत दुर्घटनाओं के कारण अभिघात के शिकार व्यक्तियों को उठाने एवं उन्हें आपातकालीन अस्पताली परिचर्या के लिए ले जाने हेतु 19 एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते ऐसे केन्द्र खोलना सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है।

[अनुवाद]

सुरा त्रासदी के बारे में न्यायाधीश जगदीश चन्द्र समिति की सिफारिशें

184. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान और आयुर्वेद और यूनानी औषधि निर्माता संघ ने गत वर्ष दिल्ली में घटित सुरा त्रासदी की जांच करने वाली न्यायाधीश जगदीश चन्द समिति द्वारा की गई सिफारिशों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त निकायों ने क्या आपत्तियां उठाई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आयुर्वेदिक और यूनानी निकायों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान और आयुर्वेद और यूनानी औषधि निर्माता संघ के विचारों से युक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है।

(ख) से (घ) हाल ही में इस रिपोर्ट को उपलब्ध करा दिया गया है और अभी इसकी जांच नहीं की गई है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (पंजी)

बी-5/7-कृष्णा नगर
दिल्ली-11051 (भारत)
दिनांक 25-9-92

प्रेस विज्ञप्ति

हमारा आज का यह प्रेस सम्मेलन आयुर्वेद के आदिजनक और पांडित्य के प्रति समर्पित है।

क्या चन्द्रा कमीशन रिपोर्ट आयुर्वेद पर कुल्हाड़ी है ?

नवम्बर, 1991 की दिवाली दिल्ली के अनेक घरों में दीये बुझाने वाली सिद्ध हुई थी। सुरा नामक एक जहरीले पदार्थ को पीकर सैकड़ों लोग मर गए। इस दुर्घटना की जांच के लिए चन्द्रा कमीशन की स्थापना की गई। कमीशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं और चिकित्सकों ने रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करने के लिए इस प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया है।

यह आश्चर्य की बात है कि चन्द्रा कमीशन ने एल्कोहल और आयुर्वेदिक प्राकृतिक आसवों व अरिष्टों के निर्माण को एक ही श्रेणी में मान लिया है। इन्हें लाइसेंस-एल-1 के अन्तर्गत लाने की सिफारिश से आयुर्वेद के आसवों पर वे ही नियंत्रण लागू हो जायेंगे जो किसी भी शराब या एल्कोहल पर लागू होते हैं।

तब फिर आम रोगों की उपचार औषधियां जैसे दशमूलारिष्ट, लोहासव, कुमारी आसव साधारण लोगों को न तो मिल सकेंगी और न ही आयुर्वेद चिकित्सक उन्हें मरीजों को दे पायेंगे। इनका उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद करता आया है। यह भी चौकाने वाली बात है कि दुर्घटना की जिम्मेदार कमीशन की राय में आयुर्वेद की दवाएं हैं न कि उनका दुरुपयोग करने वाले।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कमीशन ने आयुर्वेद की सभी उन दवाओं को जिनमें प्राकृतिक एल्कोहल है—आबकारी कर कानून के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की है। ऐसा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना कठिन प्रक्रिया ही नहीं होगी इससे इनकी कीमत पर भी प्रभाव पड़ेगा जो आम आदमी को सीधा प्रभावित करेगा।

गत दो दशकों में आयुर्वेद के निर्माताओं और प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ी है किन्तु प्रशासन ने इनके नियंत्रण की मशीनरी को कहीं मजबूत नहीं किया। जिससे आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर जहरीले पदार्थ बिक्री के लिए बाजारों में आने लगे। इस मामले में दिल्ली का ही उदाहरण ले लें। जहां 1973 में औषधि निर्माण का कानून आयुर्वेद की दवाओं के निर्माण पर लागू किया गया। इसके देखभाल की जिम्मेदारी मात्र एक आयुर्वेद के इन्सपैक्टर पर डाल दी गई है। इस बीच आयुर्वेद दवाओं के निर्माताओं की संख्या भी बढ़ी है और विक्रेताओं की संख्या तो 50 हजार से

अधिक ही आंकी जा रही है। लेकिन फिर भी इन्सपैक्टर आयुर्वेद का आज भी एक ही पद स्वीकृत है।

कमीशन में आयुर्वेद की कुछ दवाओं को औषधि नियंत्रक के दायरे से निकाल कर आबकारी विभाग के सुपुर्द करने की भी सिफारिश करते हुए कहा है कि जिन फैक्टरियों में मदिरा बनती है वहीं आयुर्वेद की वे दवाएं भी बनाई जाएं जिनमें एल्कोहल की भी कोई भी मात्रा क्यों न हो। हमारी राय में ऐसा करना आयुर्वेद के सिद्धान्तों के प्रति अचानक संदेह पैदा करना होगा। यह अनैतिक भी होगा।

कमीशन ने रेडियो-टेलीविजन के माध्यम से मदिरापान की बुराइयों के प्रचार को सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर करने की सिफारिश भी की है—यह अच्छा सुझाव है—लेकिन हमारी राय में तो इन माध्यमों के उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की उन खूबियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए करना चाहिए जो उनके दुरुपयोग की सभी सम्भावनाओं से लोगों को परिचित करा दें।

हमारा सुझाव है कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों का एक अलग निदेशालय बनाया जाय और अलग औषधि नियन्त्रक (आयुर्वेद) भी नियुक्त हो।

सरकार से हम चाहेंगे कि चन्द्रा कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से पहले सिफारिशों पर गहन विचार-विमर्श के लिए आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और सम्बन्धित लोगों की राय लेनी चाहिए।

ऐसा करने से आयुर्वेद के प्रति डग-मगाई आस्था को बल मिलेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान और औषधि निर्माता संघ (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जारी।

प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज

185. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में नौ प्राईवेट इन्जीनियरिंग कालेजों को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इसकी जांच कर ली गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने 9 इन्जीनियरी कालेजों के आरम्भ किये जाने का आदेश, अब स्वयं वापिस ले लिया है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए धनराशि

186. **श्री श्रीकान्त जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय की जाने वाली धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) धनराशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) 1992-93 के दौरान उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 3196.64 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है। इसमें से 1616.15 लाख रुपये की धनराशि इस राज्य को अनुसूची के अनुसार पहले ही दो किश्तों में रिलीज कर दी गई है।

[अनुवाद]

उर्दू विश्वविद्यालय

187. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी भाषा विश्वविद्यालय की अवधारणा बनायी है;

(ग) क्या सरकार ने कोई विस्तृत योजना तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं और इसके निदेश पद क्या हैं तथा इस समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर, विस्तार से, विचार करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु, एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है :

(1) श्री अजीज कुरेशी, भूतपूर्व सांसद — अध्यक्ष

(2) श्री ए० जे० किदवई, पूर्व-कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया — सदस्य

(3) श्री सैयद हमीद, सदस्य
पूर्व-कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

(4) प्रो० जगन नाथ आज़ाद, सदस्य
(सेवामुक्त) प्रतिष्ठित प्रोफेसर,
जम्मू विश्वविद्यालय

(5) श्री मलिक राम, सदस्य
उर्दू-विद्वान, दिल्ली

(6) डा० राज बहादुर गौड़, सदस्य
उर्दू विद्वान, हैदराबाद

(7) प्रो० अली अहमद सरुर, सदस्य
प्रतिष्ठित उर्दू विद्वान, अलीगढ़

(8) श्री शांति रंजन भट्टाचार्य, सदस्य
प्रतिष्ठित-विद्वान पश्चिम बंगाल

(9) डा० शकील अहमद, सदस्य
पूर्व-कुलपति एवं प्रधानाचार्य,
मिर्जा गालिब कालेज, गया, बिहार

(10) डा० ए० यू० शेख, सदस्य
पूर्व शिक्षा सचिव,
महाराष्ट्र सरकार

(11) श्री गुलाब रसूल कार, सदस्य
पूर्व-सांसद

(12) श्री प्रियदर्शी ठाकुर, सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव (भाषा एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी)

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) विश्वविद्यालय का स्वरूप, कार्यक्षेत्र, प्रशासनिक और शैक्षिक ढांचा;

(ii) विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित वित्त और संसाधनों की दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं से सम्बद्ध अन्य मुद्दे;

(iii) विश्वविद्यालय का स्थान, और उसकी स्थापना के लिए समय-ढांचा (अवधि); और

(iv) विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बद्ध और संगत अन्य कोई मामला।

3. समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट, 6 महीने की अवधि के भीतर, जो 25 मार्च, 1993 को समाप्त होगी, प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राज्यों में चावल और गेहूं की सप्लाई

189. **श्री चित्त बसु** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं और चावल का निर्गम मूल्य बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को चावल और गेहूं की कम सप्लाई के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सितम्बर-नवम्बर, 1992 के दौरान प्रत्येक राज्य की चावल और गेहूं की कितनी मांग थी और उसे कितना चावल और गेहूं सप्लाई किया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) (क) और (ख) धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने के कारण वसूली लागत में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से निष्प्रभावी करने के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों के संचलन में समस्या होने के कारण विभिन्न राज्य सरकारों की उठान की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी-कभार गोदामों में पर्याप्त स्टाक उपलब्ध नहीं होता है । जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तब भारतीय खाद्य निगम को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में अपने स्टाक की तत्काल भरपाई करें ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें सितम्बर-नवम्बर, 1992 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं की मांग और आवंटनों की मात्राओं का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ।

पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान

188. **श्री बी. कृष्णा राव** :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1990 में पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लागू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनाज	मांग			आवंटन		
			सित० 92	अक्तू० 92	नव० 92	सित० 92	अक्तू० 92	नव० 92
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	चावल	168.25	160.00	160.00	168.25	168.25	144.00
		गेहूं	20.00	40.00	40.00	11.30	11.30	11.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	चावल	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
		गेहूं	1.00	1.00	1.00	0.70	0.70	0.70
3.	असम	चावल	64.00	64.00	64.00	38.42	38.42	38.42
		गेहूं	42.00	42.00	42.00	20.00	20.00	20.00
4.	बिहार	चावल	25.00	25.00	25.00	24.58	24.58	24.58
		गेहूं	100.00	100.00	100.00	51.58	61.58	61.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गोआ	चावल	6.00	6.00	6.00	4.54	4.54	4.09
		गेहूं	4.00		4.00	3.10	3.10	3.10
6.	गुजरात	चावल	43.00	43.00	43.00	28.00	28.00	25.20
		गेहूं	110.00	100.00	100.00	65.00	65.00	65.00
7.	हरियाणा	चावल	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.70
		गेहूं	60.00	60.00	60.00	10.25	10.25	10.25
8.	हिमाचल प्रदेश	चावल	8.00	8.00	8.00	6.50	6.50	6.50
		गेहूं	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	चावल	35.00	35.00	35.00	36.17	36.17	36.17
		गेहूं	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
10.	कर्नाटक	चावल	75.00	75.00	75.00	68.50	68.50	68.50
		गेहूं	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00
11.	केरल	चावल	236.00	236.00	236.00	170.00	150.00	137.00
		गेहूं	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	चावल	60.00	60.00	60.00	40.92	40.92	37.92
		गेहूं	100.00	100.00	100.00	46.00	46.00	46.00
13.	महाराष्ट्र	चावल	75.00	75.00	75.00	62.00	62.00	56.50
		गेहूं	150.00	150.00	150.00	102.00	102.00	102.00
14.	मणिपुर	चावल	9.30	9.30	9.30	7.67	7.67	7.67
		गेहूं	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15.	मेघालय	चावल	15.00	15.00	15.00	9.50	9.50	9.50
		गेहूं	4.60	4.60	4.60	2.00	2.00	2.00
16.	मिजोरम	चावल	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
		गेहूं	1.50	1.50	1.50	1.25	1.25	1.25
17.	नागालैण्ड	चावल	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		गेहूं	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.66
18.	उड़ीसा	चावल	35.00	35.00	35.00	38.75	30.75	36.25
		गेहूं	35.00	35.00	35.00	20.00	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	पंजाब	चावल	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.35
		गेहूं	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00
20.	राजस्थान	चावल	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.60
		गेहूं	200.00	200.00	200.00	101.50	101.50	101.50
21.	सिक्किम	चावल	5.00	5.00	5.00	4.50	4.50	4.50
		गेहूं	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60
22.	तमिलनाडु	चावल	75.00	75.00	75.00	70.83	70.83	63.83
		गेहूं	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00
23.	त्रिपुरा	चावल	16.85	16.85	16.85	16.00	16.00	16.00
		गेहूं	2.50	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00
24.	उत्तर प्रदेश	चावल	141.00	141.00	141.00	37.83	37.83	36.33
		गेहूं	185.00	185.00	185.00	57.83	57.83	57.83
25.	पश्चिमी बंगाल	चावल	150.00	150.00	95.00	80.58	80.58	73.58
		गेहूं	130.00	130.00	108.00	80.00	80.00	80.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	अ० तथा नि० द्वीप	चावल	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
	समूह	गेहूं	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00
27.	चंडीगढ़	चावल	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.27
		गेहूं	3.00	3.00	3.00	1.80	1.80	1.80
28.	दादर तथा नगर हवेली	चावल	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	0.45
		गेहूं	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
29.	दमन और द्वीव	चावल	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.45
		गेहूं	0.30	0.30	0.30	0.15	0.15	0.15
30.	दिल्ली	चावल	35.50	35.50	35.50	20.00	20.00	18.00
		गेहूं	75.00	75.00	75.00	72.00	72.00	72.00
31.	लक्षद्वीप	चावल	0.00	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00
		गेहूं	0.00	0.50	00.0	0.00	0.20	0.00
32.	पांडिचेरी	चावल	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.80
		गेहूं	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75
	जोड़ :	चावल	1313.00	1316.65	1250.85	966.84	957.64	876.66
		गेहूं	1409.40	1418.00	1397.40	758.61	770.91	768.61

दूषित ग्लूकोस

190. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

प्रो० प्रेम धूमल :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री पंकज चौधरी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1992 के टाइम्स आफ इण्डिया में "स्पूरियस ग्लूकोस फार पेशेन्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में बार-बार बिना जांच के घटिया दूषित ग्लूकोस सप्लाई किया जाता रहा;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इसके कारण हुई मौतों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे मामले न होने देने के लिए दोषी व्यक्तियों के प्रति क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

रेलवे पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव

191. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले महीनों पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण रेलवे की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है;

(ख) इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप रेलवे को प्रतिवर्ष कितना व्यय भार वहन करना पड़ेगा; और

(ग) सरकार का विचार इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को किस प्रकार पूरा करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 16-9-1992 से प्रभावी पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में लगभग 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है ।

(ग) उत्पादकता में सुधार करके इस बोझ के बड़े भाग की भरपाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

चोल कालीन कांस्य कलाकृतियां

192. **श्री गुरुदास कामत** :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में ग्यारहवीं शदी की कुछ चोल कालीन कांस्य कलाकृतियों की नीलामी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो नीलाम की गई इन दुर्लभ कलाकृतियों का ब्यौरा क्या है तथा उनका बिक्री मूल्य क्या है और क्रेताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात न की जाने वाली कलाकृतियों की नीलामी की भी अनुमति प्रदान की थी; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि दुर्लभ मूर्तियां देश से बाहर न जाएं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां । उपलब्ध सूचना के अनुसार, ग्यारहवीं सदी की चोल कालीन दो कांस्य कलाकृतियों अर्थात् सोमस्कन्द समूह और भूदेवी की मूर्ति को हाल ही में नई दिल्ली में 1,50,000/- रुपये और 2,70,000/- रुपये में क्रमशः श्री शैलेन्द्र हेमचन्द, मैंस सौथी, जी पी, 260, रिज रोड बम्बई और सुश्री अमिता चटर्जी, डी-1/43, बसन्त विहार, नई दिल्ली को नीलाम किया गया है ।

(ग) निर्यात के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है ।

(घ) जी, हां । पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अनुसार पुरा कलाकृतियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों का कार्यकरण

193. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में "प्राव इन टू सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरीज साट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को लाभभोगियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले बारह महीनों के दौरान डिस्पेंसरियों के ठीक ढंग से कार्य न करने के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(च) इनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपना सर्वेक्षण शुरु कर दिया है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के गलत कार्यप्रणाली के बारे में पिछले बारह महीनों के दौरान 78 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 18 शिकायतों की जांच की गई और उनको निपटाया गया। शेष शिकायतों की अभी जांच की जा रही है।

विवरण

सभी दवाईयों की मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा आपूर्ति की जाती है जिन्हें स्टाक की स्थिति के बारे में सूचना दी जाती है वार्षिक आवश्यकता के अनुसार तत्काल आपूर्ति करने का अनुरोध किया जाता है।

कुल मिलाकर टैबलेट एनवास, ग्लाइनाम और ग्लाइसेफेज स्टाक में उपलब्ध थीं और औषधालयों को उनकी मांग पर नियमित रूप से आपूर्ति की गई। टैब्लेट पलेक्साल फार्मूलरी में नहीं दी गई है इसलिए उसका औषधालयों में स्टाक नहीं किया जाता। तथापि, टैबलेट कम्बीपनेम औषधालयों में हमेशा उपलब्ध थी। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी को एक विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किया जाता है जो अपनी विशेषज्ञताओं में अत्यधिक अनुभवी होते हैं।

स्थानीय खरीद से मंगाई गई औषधी की आपूर्ति 24 घण्टे के अन्दर कर दी जाती है। यदि विशिष्ट मामला सामने आता है तो उसकी सुनवाई के लिए तत्काल जांच की जाती है। आपात-

कालीन दवाईयों के मामले में रोगियों को प्राधिकारी पर्चियां जारी की जाती हैं जो बिना भुगतान किए स्थानीय औषध विक्रेता से सीधे दवाईयां प्राप्त करते हैं।

एकल अंश ब्रांड उत्पादों की स्थिति छोड़कर वैकल्पिक औषधें नहीं दी जाती जिन्हें सामान्य नाम से प्राप्त किया जाता है और आपूर्ति की जाती है।

औषध की गुणवत्ता का हमेशा विश्वास दिलाया जाता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मेडिकल स्टोर संगठन से प्राप्त सभी सूचीबद्ध औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उपयोग के लिए किसी भी औषध को लेने से पूर्व वे रासायनिक रूप से पूर्वपरीक्षित होती है।

विशेषज्ञ निर्धारित दिनों में औषधालयों का नियमित रूप से दौरा करते हैं और अचानक बीमार हो जाने आदि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विशेष विशेषज्ञ के अवकाश पर होने पर वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाते हैं।

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश नीति

194. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

श्री वी० धनन्जय कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में जारी किये गये दिशा निर्देशों का 1992 में आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के दौरान पूरी तरह पालन किया गया था;

(ग) क्या सभी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की संख्या पूरी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवोदय विद्यालय समिति की दाखिला नीति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालयों में दाखिला प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक वर्ष कक्षा VI में 80 छात्र दाखिल किए जाते है। यदि पर्याप्त छात्र मानदण्ड के मुताबिक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते है तो उतनी सीटें खाली रहती हैं।

विवरण

प्रवेश नीति

प्रवेश की प्रक्रिया :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गए तथा आयोजित परीक्षा के आधार पर नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI में प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश परीक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा वह क्षेत्रीय भाषा होती है जिसके माध्यम से छात्र ने कक्षा V तक अध्ययन किया है और वह उत्तीर्ण हुआ है। परीक्षा की प्रकृति अमौखिक—कक्षा पर बहुत कम आधारित होती है तथा यह इस प्रकार से तैयार की जाती है कि नुकसान उठाए बिना ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें।

पात्रता शर्तें :

लिखित चयन परीक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालयों में दाखिला प्रदान किया जाता है तथा इस पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं :—

(क) छात्र कक्षा III, IV और V में निश्चित रूप से किसी मान्यताप्राप्त स्कूल में पढ़ा होना चाहिए।

(ख) वह Vवीं कक्षा में पूरे सत्र अवधि पढ़ा/पढ़ी हो तथा दाखिल वाले वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिस जिले में नवोदय विद्यालय स्थित है उसी जिले में स्थित किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल से Vवीं कक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(ग) जिस वर्ष में दाखिले के लिए प्रयास किया जा रहा हो उस वर्ष के 1 मई, को छात्र की आयु 9 वर्ष से कम तथा 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों पर लागू होगा।

(घ) प्रत्येक जिले में कम से कम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित छात्रों से भरी जाएंगी तथा शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाएंगी।

(ङ) ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्कूल के स्थित होने के आधार पर ही ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। वे क्षेत्र शहरी क्षेत्र हैं जिन्हें 1981 की जनगणना अथवा इसके बाद की किसी अधिसूचना में शहरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। शेष अन्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र समझा जाएगा।

(च) उस छात्र/छात्रा को ग्रामीण क्षेत्र का समझा जाएगा जिसने कक्षा III/IV (दोनों में से कोई एक) में तथा कक्षा V में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी मान्यताप्राप्त स्कूल में अध्ययन किया है।

आरक्षण :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पक्ष में संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं बशर्ते कि किसी भी जिले में यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो। यदि इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के पर्याप्त छात्र अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इन दोनों श्रेणियों में सीटों की अदला-बदली की जा सकती है। अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति के निर्धारित आरक्षण के अनुरूप नवोदय विद्यालयों में उनका दाखिला सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा तकनीक में आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

चूंकि नवोदय विद्यालय प्रथमतः ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के बच्चों का दाखिला अधिकतम एक-चौथाई तक सीमित है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक-तिहाई लड़कियों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तीव्र गति की गाड़ियों के लिए प्रौद्योगिकी

195. **श्री विजय एन० पाटील :**

श्री पाल के० एम० मंध्यू :

श्री मुख्तार कामत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) ने हाल ही में गाड़ियों और रेल बसों को तीव्र गति (160 कि०मी० प्रति घंटा) से चलाने संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तीव्र गति की गाड़ियों और रेल बसों को आरम्भ करने, इनके मार्गों सहित उनके निर्माण एवं संचालन समय का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव का अन्य संगत ब्यौरा क्या है;

(घ) आर० डी० एस० ओ० की चालू वर्ष की अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस संगठन को आठवीं योजना के लिए सौंपी गई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उसके लिए उसे कितनी राशि उपलब्ध कराई गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के पास चालू परियोजनाओं में ये कार्य शामिल हैं।

160 कि०मी० प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में रेलपथ के साथ दीवार बनाना जरूरी है ताकि अतिचार आदि को रोका जा सके। फिलहाल इन गाड़ियों को 160 कि०मी० प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं है।

परिचालन के लिए उपलब्ध होने पर रेल बस का उपयोग कम घनत्व वाली लाइनों, जहां लोको द्वारा गाड़ी का कर्षण किफायती नहीं होगा, पर किया जाएगा।

(घ) अ० अ० मा० सं० की हाल की कुछ उपलब्धियां है। 500 अश्व शक्ति के विद्युत रेल इंजनों के लिए अभिकल्प, संरक्षा और निष्पादन में सुधार के लिए इंजनों हेतु निर्मित बोगी के लिए अभिकल्प, ऊर्जा संरक्षण के लिए 1500 वोल्ट डी०सी० चापर कंट्रोल ई० एम० यू०, उच्चतर भार के लिए फिश बेली टैंक माल डिब्बों के लिए अभिकल्प और 100 कि०मी० प्रति घंटे की रफ्तार के लिए कैंट बोगी।

(ङ) अ० अ० मा० सं० को प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य सौंपा गया है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

उच्च रफ्तार पर भारी माल गाड़ियों का परिचालन, परिसम्पत्तियों के बेहतर उपयोग के जरिये थ्रू-पुट को बढ़ावा, ऊर्जा संरक्षण, दुर्घटनाओं में कमी, रेल पथ का विकास और पुल प्रबंध प्रणालियां/अ० अ० मा० सं० के लिए आठवीं योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय 25 करोड़ रुपये है।

चिकित्सकों का विदेशों में जाना

196. **डा० असीम बाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मेडिकल के कितने छात्र विदेशों में गए हैं;

(ख) उन छात्रों में से कितने छात्र स्वदेश लौटे; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इन प्रशिक्षित डॉक्टरों की प्रतिभा का उपयोग करने और प्रतिभा पलायन रोकने के प्रयोजन से इन्हें प्रोत्साहन देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित और विभिन्न देशों में पंजीकृत डाक्टरों और स्वदेश लौटे डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है :

समाप्त होने वाले वर्ष	पंजीकृत डाक्टरों की की संख्या	देश में लौटे डाक्टरों की संख्या
31-12-1989	5680	2744
31-12-1990	5813	2800
31-12-1991	5887	2835

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों को प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनमें बेहतर प्रोन्नति संबंधी लाभ और भत्ते भी शामिल हैं। तृतीय अस्पतालों में आधुनिक उपकरण और अनुसंधान संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं ताकि डाक्टरों की विशेषज्ञताओं का बेहतर उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

हिन्दी की पुस्तकें

197. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनसाधारण को हिन्दी में उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुस्तकों के चयन हेतु कोई समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसका कार्यकाल कितना है; और

(ङ) यह योजना किन-किन राज्यों में शुरू की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[**अनुवाद**]

नये बोंगाईगांव से गुवाहाटी तक रेल लाइन

198. **श्री प्रबीन डेका** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बोंगाईगांव से गुवाहटी तक रेलवे लाइन के दोहरी करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर (नदी पर पुल सहित) 444 करोड़ रुपये की लागत पर एक दूसरी लाइन निर्माणाधीन है। इस परियोजना के 30-6-94 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब यह लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो दोहरी लाइन के प्रयोजन के लिए सेवित होगी।

गन्ने का लाभकारी मूल्य

199. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव (वाड्डे)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गन्ने के राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों की घोषणा न करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हमेशा परामर्श देती रही है कि वे गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्यों की घोषणा करते समय संयम बरतें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अधीन निर्धारित करती है। यह मूल्य निर्धारित करते समय, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट, गन्ने की उत्पादन लागत, उपभोक्ताओं के लिए उचित दामों पर चीनी उपलब्ध करने और चीनी के उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है, को ध्यान में रखती है। अतः इसका उद्देश्य किसानों, उद्योग और उपभोक्ताओं की समान रूप में सुरक्षा करना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, वह आधार मूल्य होता है जिसमें कम मूल्य कोई भी चीनी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती है।

सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम हेतु धनराशि आबंटन

200. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** :

प्रो० रीता वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में ऐसा सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार हालांकि आयोग ने बार्डर राज्यों में स्थित शैक्षिक संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थिति रिपोर्ट तैयार की थी परन्तु यह संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1991-92 व 1992-93 के दौरान इसके लिए निर्धारित निधियां प्रदान नहीं कर सका। तथापि, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बोर्डर क्षेत्रों में स्थित ऐसे योग्य विश्वविद्यालय व कालेज, जिन्हें बोर्डर क्षेत्र विकास के लिए सहायता हेतु निर्धारित किया गया है, विश्व० अनु० आ० के सामान्य विकास अनुदान के अन्तर्गत विकासात्मक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलना

201. **श्री महेश कनोडिया** :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री नरेश कुमार बालियान :

श्री के० प्रधानी :

डा० कृपासिंधु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइन को दोहरा करने हेतु रेल लाइन के चयन संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दोहरा करने का कार्य चल रहा है;

(ग) इनकी अनुमानित लागत, वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान आवंटित धन-राशि, अब तक निर्माण कार्य में हुई प्रगति और प्रत्येक लाइन के कार्य को पूरा करने हेतु निश्चित किये गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शीघ्र आरंभ किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों का नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दोहरी लाइन बिछाने का काम तब शुरू किया जाता है, तब किसी इकहरी लाइन खण्ड की वहन क्षमता संतृप्त हो जाए, तथा जब माल की ढुलाई वाले खण्डों को प्राथमिकता दी जा रही है, बशर्ते कि ऐसा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो।

(ख) से (ग) 1-4-92 तक रेलवे में 68 अदद दोहरी लाइन बिछाने के कार्य प्रगति पर हैं; जिनकी कुल लम्बाई 1461 कि०मी० है। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 1937.45 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 31-3-92 तक 917.49 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और वर्ष 1992-93 में इन कार्यों के लिए 130.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इन कार्यों का पूरा होना, आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रतिवर्ष दोहरी लाइन बिछाने के कार्यों का निर्णय और इन्हें बजट में सम्मिलित करना उन लाइनों की परिचालनिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्ष 1993-94 के कार्यों को 1993-94 के बजट में शामिल किया जाएगा, जो संसद में प्रस्तुत होने वाले बजट प्रलेखों का भाग होगा।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों की आर्थिक लाभप्रदता

202. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर रेलवे स्टेशनों की आर्थिक लाभप्रदता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और अलाभप्रद रेलवे स्टेशनों के नाम क्या है; और

(ग) इन स्टेशनों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, रेलवे शाखा लाइनों तथा उन पर स्थित स्टेशनों की समग्र आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए, समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पश्चिम रेलवे पर अलाभप्रद शाखा लाइनों की 1990-91 के दौरान की गयी समीक्षा के फलस्वरूप, 23 शाखा लाइनों पर स्थित 237 स्टेशन अर्थक्षम नहीं पाये गए थे। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जो स्टेशन अर्थक्षम नहीं हैं, उन्हें पैसेंजर हाल्टों में बदला जा रहा है, ताकि खर्च को कम किया जा सके।

विवरण

मंडल	आमान	शाखा लाइनें	स्टेशन
1	2	3	4
बंबई सेंट्रल	छो० ला०	बिलीमोरा-वघई	गणदेवी, चीखली रोड, रामकुवा, घोलीकुवा, अनावल, उनाईनाद वांसदा रोड, केवडी रोड, काला अम्बा, डुंगरडा और वघई।
बडोदरा	छो० ला०	छुछापुरा-टनखाला	टनखाला, सामधीया, नसवाडी, कलेडिया, घन्टोली, भाटपुर, कनवाड गोईपुर और सनखोडा।
,,	छो० ला०	कोसम्बा-उमरपाडा	बलाछा, लीम्बाड़ा, आसरमा, सिमोदरा, कोसाडी, मोटा मिया मांगरोल, वांकल, झंखवाव, चितलदा, केवडी और उमरपाडा।
,,	छो० ला०	छगडिया-नेत्रंग	हामलाई, पडवाणिया, झाझपुर, गोराटिया, गम्भीरपुरा और नेत्रंग।
,,	छो० ला०	चोरांदा-मोतीकोरल	मोतीकोरल, नारेश्वर रोड, सणियाद, बाघर और चोरांदा।
,,	छो० ला०	सामनी-दहेज	वागरा, वशियाल, पखाजन, नांदरखा, संमेटी वार और दहेज।
,,	छो० ला०	गोधरा-लुनावडा	खांडिया, शबेरा, सींगनली, भयामर और लुनावडा।
,,	छो० ला०	चापानेर-शिवराजपुर-पानीभाईन्स	हालोल, पावागढ़, शिवराजपुर, बामनकुवा, घांटा नाथपुरा और पानीभाईन्स।
,,	छो० ला०	डभोई-टिम्बा रोड	प्रयागपुरा, करमालियासपुर, अनतोली, वाघोरिया, अजवा, व्यंकटपुर, जारोद, ममलाया जं०, करचिया, मावली, मुवाल टेंक, वामणपुरा, मेवली, सांढासल, पांडु मेवास, देसार रोड, वेजपुर, तुलसीगांव और टिम्बा रोड जं०।
,,	छो० ला०	भरूच-जम्बूसर-कावी	वेजलपोर, कंथारिया, धाम, ट्रामसमध, दयादरा, वाछनाद, सामनी, टानछा, असनेरा, नहियर, अमोड, मागनाद, जम्बूसर, जम्बूसर सिटी, कोटेश्वर, टंडज, कोरा, कानगाम और कावी।

1	2	3	4
बडोदरा	छो० ला०	छोटा उदयपुर-जम्बूसर	जम्बूसर, जम्बूसर रोड, अणाखी, मासोर रोड, कुराल, मोभा रोड, भोज (पाद्रा), रानू पिपरी, लतीपुरा, पाद्रा, भायली, अटलादरा, विश्वामित्री, प्रतापनगर, केलानपुर, कुढेला, भिलपुर, धुवावी, फरतीकुई, डभोई जं०, बढवाना, अमलपुर, संखेडा-बहादुरपुर, छुछापुरा जं०, जोजवा, बोडेली, जबुगाम, सुस्काल, पावी, तेजगढ़, पुनियावाट और छोटा उदयपुर।
,,	छो० ला०	अंकलेश्वर-राजपिपला	अंकलेश्वर, डाथल इनाम, बोरीद्रा, गुमानदेव, झगडिया, अवीधा, रजपारडी, उमाला, जुना, राजुवाडिया, अमलेथा, तरोपा और राजपिपला।
,,	छो० ला०	चांदोद-चोरांदा जं०	चांदोद, टेन तलाव, वाडाज, नड, बारीपुर, मंडाला, पारीखा, कायावरोहण, गनपतपुरा, कंदारी, मियागाम-करजण जं०, भरथाली, वेमार, तारवा, गाधनी, मांजरोल, सीनोर, मालसर और चोरांदा जं०।
,,	छो० ला०	नडियाद-कपडवंज	विणा, महुधा, नादगाम, भानेर, कथलाल, पोरदा-भाटरा, तोरना, दासलवाडा आंत्रोली रोड और कपडवंज।
,,	छो० ला०	नरियाद-भादरण	पीज, वासो, देवा, मालताज, दभान, सोजीत्रा, विरोल, विश्रामपुरा, सुन्दरना, धरमज, बोचासन, झरोला और भादरण।
जयपुर	मी० ला०	सांगनेर-टोडारायसिंह	बालावाला, चितोड़ा रनवा, माधोराजपुरा, फागी, निमेड़ा, चोसला, डिग्गी, अंबिकानगर, मालपुरा, टोरडी सागर, कुक्कड़ और टोडारायसिंह।
अजमेर	मी० ला०	गांधीधाम-न्यू कांडला	धीरवा और न्यू कांडला।
,,	मी० ला०	मावली जं०-बेडी सादडी	मावली जं०, बल्लभनगर, खेरोदा, भिण्डर, कानोर, बान्सीबोहेडा और बडी सादडी।
भावनगर	मी० ला०	सिहोर-पालीताणा	सिहोर जं०, कनाड, मढदा और पालीताणा।
राजकोट	मी० ला०	महेसाणा-तरंगा हिल	पिलदरा, रंडाला, पुदगाम गणेशपुरा, वीसनगर, गुन्जा, वडनगर, केशिम्पा, सेरालु, कादरपुर, वरेठा और तरंगा हिल।

1	2	3	4
राजकोट	मी० ला०	हिम्मतनगर खेडब्रह्मा	महादेवपुरा, जादर, सूर रोड, इडर, कडियादरा, वडाली और खेडब्रह्मा ।
वडोदरा	ब० ला०	बोरियावी-वडताल स्वामीनारायण	कणजरीबोरियावी जं० और वडताल स्वामीनारायण ।
,,	ब० ला०	आनन्द-खंभात	वल्लभ विद्यानगर, करमसद, अगास, भाटीएल, पांडोरी, नार टाउन, तारापुर, यावरपुरा, सायमा, कालीतलवाडी और खंभात ।

[अनुवाद]

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को बदलना

203. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना स्वीकृत हो गई है और उस पर कार्यारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसके पूरा होने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली रेवाड़ी और रेवाड़ी-जयपुर उप खण्डों का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड का निर्माण कार्य 92-93 में और रेवाड़ी-जयपुर का 93-94 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) इस पर लगभग 470 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना के 8वीं पंचवर्षीय योजना के भीतर पूरा हो जाने की आशा है ।

परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण हेतु सहायता

204. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राज्यों को सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण हेतु राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई;

(ख) राज्यवार कितने भवन निर्मित किये गए; और

(ग) आठवीं योजना के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए राज्यवार नियत की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० ताराकेवी सिद्धार्थ) : (क) यह सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) यह सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए चालू वित्त वर्ष में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण-I

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	सातवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए आवंटित की गई धनराशि				
		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	24.00	35.75	18.00	9.00	—
2.	अरुणाचल	—	—	—	—	—
3.	आसाम	48.00	11.63	5.00	2.50	—
4.	बिहार	45.00	27.75	13.00	6.50	—
5.	गोआ	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	24.00	13.00	6.50	3.00	—
7.	हरियाणा	24.00	4.00	2.50	1.25	—
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	9.40	5.00	2.50	—
9.	जम्मू और कश्मीर	24.00	3.00	2.00	1.00	—
10.	कर्नाटक	12.00	12.50	6.00	3.00	—
11.	केरल	18.00	20.12	10.00	5.00	—
12.	मध्य प्रदेश	5.00	4.90	5.00	2.50	—
13.	महाराष्ट्र	75.00	58.00	25.00	11.50	—
14.	मणिपुर	18.00	1.65	—	—	—
15.	मेघालय	12.00	2.65	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	12.00	1.65	—	—	—
18.	उड़ीसा	25.00	24.15	12.00	6.00	—
19.	पंजाब	45.00	14.30	7.00	3.50	—
20.	राजस्थान	12.00	7.60	10.00	4.00	—
21.	सिक्किम	6.00	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	12.00	3.20	5.00	2.50	—
23.	त्रिपुरा	8.00	1.65	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	87.00	36.00	50.00	25.00	—
25.	पश्चिम बंगाल	45.00	12.00	17.50	8.25	—

विवरण-2

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के भवनों के निर्माण की स्थिति

क्रम सं०	राज्य	1-4-1990 को जिन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	62
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	52
4.	बिहार	332
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	139
7.	हरियाणा	70
8.	हिमाचल प्रदेश	55
9.	जम्मू व कश्मीर	13

1	2	3
10.	कर्नाटक	254
11.	केरल	53
12.	मध्य प्रदेश	448
13.	महाराष्ट्र	268
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैण्ड	07
18.	उड़ीसा	275
19.	पंजाब	98
20.	राजस्थान	164
21.	सिक्किम	07
22.	तमिलनाडु	380
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	580
25.	पश्चिम बंगाल	234

[हिन्दी]

बिहार में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

205. **श्री लाल बाबू राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विदेशी सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य की प्रगति निर्धारित समय के अनुसार हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) बिहार में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी सहायता से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा उनकी कार्यान्वयन की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा

बिहार में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे है :—

क्षेत्रीय परियोजना :

विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन तथा सेवा परिदान विकास परियोजना (आई० पी० पी०-VII) बिहार में अन्य राज्यों सहित 2-1-1990 से चलाई जा रही है। बिहार के लिए परियोजना लागत 88.18 करोड़ रुपये है जिसमें पूरा राज्य शामिल है। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ जन्म दर तथा मातृ एवं नवजात शिशु एवं शिशु मृत्यु-दर एवं रुग्णता दर को कम करने की दृष्टि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने संबंधी मूल ढांचे को सुदृढ़ करने एवं परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा।

परियोजना की प्रगति आरम्भ में बहुत धीमी थी, परन्तु अब इसकी गति में तेजी आई है। राज्य में परियोजना गतिविधियों की प्रगति का अनुवीक्षण मासिक प्रगति रिपोर्ट, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकारप्राप्त समिति की बैठकों तथा मंत्रालय में पुनरीक्षा बैठकों में भागीदारी के जरिए की जा रही है।

उत्कृष्ट केन्द्र :

जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि की वित्तीय सहायता से मेडिकल कालेज, पटेल, बिहार में एक सूक्ष्म शल्यचिकित्सीय पुनर्नलिकाकरण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बन्ध्यीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुणवत्ता आश्वासन में सुधार लाना एवं जरूरतमंद दम्पतियों को पुनर्नलिकाकरण सुविधाएं प्रदान करना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के लिए डाक्टरों को तैनात नहीं किया है जोकि इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कदम है। इस मामले पर राज्य सरकार के साथ सतत कार्रवाई की जा रही है।

सूचना, शिक्षा तथा संचार प्रशिक्षण योजना :

दौरा कार्यक्रम, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और समुदाय भागीदारी तथा अनुवीक्षण और मूल्यांकन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली में सुधार लाने के लिए 214.085 लाख रुपये के परिव्यय से 17 पिछड़े जिलों में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त आई०

ई० सी० प्रशिक्षण योजना नवम्बर, 1987 में शुरु की गई थी। वर्षवार आवंटन तथा व्यय इस प्रकार है :—

(लाख रुपये)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1987-88	22.45	22.27
1988-89	27.23	16.36
1989-90	11.56	6.59
1990-91	28,93	17.94
1991-92	64.60	49.16
1992-93	59.315	—

इस योजना के अन्तर्गत प्रगति धीमी है। राज्यों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को धन रिलीज करने में विलंब करना, भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को नियमित आधार पर वजीफे का भुगतान न करना तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब होना इत्यादि इस योजना के धीमे कार्यान्वयन के मुख्य कारण हैं। राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित सम्पर्क के जरिए सतत अनुवीक्षण करना वरिष्ठ स्तर की बैठकें तथा केन्द्रीय दलों द्वारा दौरे करना इत्यादि, स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कुछेक कदम हैं।

सम्पर्क महिला योजना :

बिहार के पांच सबसे पिछड़े जिलों में, जहां अस्थायी जन्म दर प्रति हजार 39 अथवा अधिक है (1981 की जनगणना) वर्ष 1992-93 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता प्राप्त 2.05 लाख रुपये के आवंटन से एक योजना शुरु की गई है ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रमों को महिलाओं की भागीदारी के साथ एक समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाया जा सके। स्वास्थ्य परिचर्या परिदान के लिये एक संपर्क व्यक्ति के रूप में गांव में 20 पात्र दम्पत्तियों के लिए एक सम्पर्क महिला नियत की जाएगी।

अब तक इस योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय के बारे में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह हाल ही में शुरु की गई है।

शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम :

शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जो विश्व बैंक तथा यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलाया जा रहा है, का उद्देश्य मौजूदा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को एकीकृत करके,

मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा कार्यक्रमों तथा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के नियंत्रण के लिए रोगनिरोधन योजना तथा बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता के नियंत्रण द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके अलावा तीव्र श्वसनी संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम, बिहार सहित पूरे देश में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए शिशु जीवन रक्षा पहल के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

कार्यक्रम का सुरक्षित मातृत्व घटक बिहार इत्यादि जैसे राज्यों में प्रारंभिक रूप से शुरू कर दिया गया है जहां उच्च नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु दर है। इस कार्यक्रम में गहन प्रशिक्षण एवं प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर परिचर्या में दाइयों की शिरकत तथा उपकरण एवं प्रशिक्षण के संबंध में उपकेन्द्रों एवं प्रथम स्तर की यूनिटों का सुदृढ़ करना, शामिल है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियां कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।

[अनुवाद]

आपदा प्रबन्ध संगठन

206. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री आर्स्कर फर्नांडीज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निरन्तर प्राकृतिक अथवा औद्योगिक आपदाओं अर्थात् बाढ़, सूखा, भूस्खलन, गैस रिसाव और आग की घटनाओं आदि के कारण होने वाले रोगों और अन्य विकृतियों से निपटने के लिए किसी संगठन का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संगठन के कर्मियों को अत्याधुनिक सामग्री सहित उचित प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

संरक्षित क्षेत्रों के लिये विदेशी सहायता

207. **श्री डी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का संरक्षण करने हेतु कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर पैसा खर्च किया जायेगा; और

(घ) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का किस सीमा तक संरक्षण किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) जितनी सूचना उपलब्ध होगी, एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

मुक्त विश्वविद्यालय

208. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त अनुदान-राशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में कुल कितने मुक्त विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1992 के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) मुक्त अध्ययन पद्धति आठवीं योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्तर्गत आती है। इस पद्धति को संसाधन संकट को देखते हुए एक लागत प्रभावी तरीके से शिक्षा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ किया जाना है और उसका विस्तार किया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, जैसाकि 1992 में संशोधित की गई और कारंवाई योजना, 1992 में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने, और अधिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उनकी स्थापना और विकास के लिए सहयोग के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। उनमें देश के सभी भागों में माध्यमिक स्तर पर एक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय मुक्त स्कूल को सुदृढ़ करने और मुक्त अध्ययन सुविधाओं के विस्तार की भी परिकल्पना की गई है।

संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के लिए आठवीं योजना के दौरान क्रमशः 60.00 करोड़ तथा 11.00 करोड़ रुपये के प्रावधान किए हैं।

(ग) और (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इस समय देश में कार्य कर रहे मुक्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या तथा उनके नामांकन की स्थिति निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	विश्वविद्यालयों के नाम	किये गये दाखिले
1.	डा० बी० आर० अम्बेडकर, मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	32416 (1991-92)
2.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय, मुक्त विश्वविद्यालय	62375 (1991-92)
3.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	12263 (1990-91)
4.	यशवन्तराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	13052 (1991-92)

पटना, बिहार में नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

शिशु एवं मातृरक्षा कार्यक्रम

209. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु एवं मातृरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है और वर्ष 1992-93 के लिए तथा 1993-94 के लिए परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मातृत्व की रक्षा के लिए कार्यक्रम के अंग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक शिशु एवं माता की मृत्यु वाले राज्यों में हरियाणा का भी चयन किया गया; और

(ग) यदि हां, तो हरियाणा में इस संबंध में चलाई जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) 1. शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के संघटक इस प्रकार है :—

(i) अब तक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए गए रोग-प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा और रोग-निरोधन के चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखना और सुदृढ़ करना;

(ii) महिला अर्ध-चिकित्सीय कार्यकर्ताओं को मिडवाइफरी किट प्रदान करके सामुदायिक स्तर पर मातृत्व परिचर्या में सुधार करना, दाइयों को प्रति प्रसव बढ़ी हुई 10.00 रुपये की रिपोर्टिंग फीस देना, गर्भवती महिलाओं को डिस्पोजेबल डिलीवरी किट देना (साफ सुथरा प्रसव कराने के लिए प्रसव के दौरान दाई द्वारा उपयोग की जाने वाली);

(iii) 1990 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का चरणबार ढंग से विस्तार करना; और

(iv) उपकरण और प्रशिक्षण के संदर्भ में उच्च शिशु मृत्युदर वाले राज्यों अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

2. जहां सामुदायिक स्तर पर व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम मुखीय पुनर्जलपूर्ति चिकित्सा, रोग निरोधन और अनिवार्य मातृत्व परिचर्या को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा वहां 1992-93 में 51 जिलों से शुरू करके तीव्र श्वसनीय संक्रमण संघटक का चरणबार ढंग से विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने का कार्य जो प्रथमतः उच्च शिशु मृत्युदर वाले 6 राज्यों के जिलों तक सीमित किया गया है को 1992-93 में 21 जिलों में शुरू करके चरणबार ढंग से चलाया जाएगा।

3. आठवीं योजनावधि के दौरान शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के लिए निश्चित किया गया अनुमानित परिव्यय 2452.43 लाख रुपये है। 1992-93 और 1993-94 के लिए ब्यौरेवार विवरण इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	परिव्यय		
	नकद	सामग्री	योग
1992-93	314.57	77.58	392.15
1993-94	333.94	204.53	538.41

जाली रेल टिकट का धंधा

210. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में जाली रेल टिकट का धंधा करने वाले एक गिरोह का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जब एक बाहरी व्यक्ति ने 5-10-1992 को दिल्ली मेन स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक बुकिंग क्लर्क को दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक के लिए चार जाली रेल टिकटों को पुनः बेचने के लिए पेशकश की तब उसने उसे दबोच लिया और राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया।

(ग) बाहरी व्यक्ति, जो पुनः बिक्री हेतु जाली रेल टिकटें लाया था, जो राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया था और इस मामले में दिल्ली मेन स्टेशन के तीन संदिग्ध बुकिंग क्लर्कों को

भी निलम्बित कर दिया गया है। राजकीय रेलवे पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय, उत्तर रेलवे के दोषी कर्मचारी

211. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या रेल मंत्री 11 अगस्त, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय, उत्तर रेलवे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की इस सलाह पर कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उत्तर रेलवे के जन सम्पर्क (वाणिज्यिक विज्ञापन) विभाग के एक राजपत्रित और चार अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा एक सेवानिवृत्त राजपत्रित कर्मचारी को पेंशन में कटौती करने की कारंवाई शुरू करने की सलाह दी थी।

(ग) से (ङ) दोषी कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी करने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में कटौती करने के लिए कार्यवाही शुरू करने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए कारंवाई लगभग 3 महीनों में किए जाने की संभावना है।

यात्री डिब्बों का निर्माण

212. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने यात्री डिब्बे खरीदे गए/कितने यात्री डिब्बों का निर्माण किया गया;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) किन-किन एजेंसियों से ये डिब्बे खरीदे गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए सवारी डिब्बों (ई० एम० यू० को छोड़कर) की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष		सवारी डिब्बों की संख्या
1989-90	—	1497
1990-91	—	2056
1991-92	—	2306
जोड़		5859

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सवारी डिब्बों के निर्माण पर खर्च की गई कुल राशि 1485.90 करोड़ रुपये है।

(ग) जिन एजेंसियों के जरिए सवारी डिब्बो का निर्माण किया गया है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) सवारी डिब्बा कारखाना

(2) रेल सवारी डिब्बा कारखाना

(3) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

(4) जेसप एण्ड कम्पनी

(5) रेल कारखाने

देहरादून एक्सप्रेस में आरक्षण सुविधा

213. डा० सुधीर राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 97/98 (कोटा-नीमच) पैसेंजर ट्रेन से आने वाले यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए इस क्षेत्र के यात्रियों को देहरादून एक्सप्रेस में आरक्षण सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नीमच-कोटा खंड पर दिल्ली की ओर जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस में बूंदी स्टेशन पर दूसरे दर्जे में 4 शायिकाओं और मंडलगढ़ स्टेशन पर दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है। इन कोटों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है अतः इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खंड के स्टेशनों से बम्बई के लिए टिकटों की बिक्री नगण्य है और इसमे किसी कोटे के आवंटन का औचित्य नहीं बनता है।

केरल में रेल परियोजनायें

214. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री पी० सी० थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में नई रेल लाइनों के बिछाने, उन्हें दोहरा करने और वर्तमान छोटी लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : चालू वर्ष में केरल में निर्माण-कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :—

(i) अल्लेप्पी-कायनकुलम् नई लाइन 1992-93 में पूरी कर ली गई है।

(ii) त्रिचूर गुरुवायूर नई लाइन का निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1992 में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(iii) कायनकुलम्-कोल्लम दोहरीकरण— 40% प्रगति हुई है।

(iv) कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम दोहरीकरण-भूमि के अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

मांझेरहाट और प्रिंसेपघाट को परिक्रमा रेलवे से जोड़ने का प्रस्ताव

215. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मांझेरहाट तथा प्रिंसेपघाट क्षेत्रों की जनता द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों की परिक्रमा (सर्कुलर) रेल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक 5.5 कि० मी० लम्बा रेल संपर्क उपलब्ध करवाये जाने की व्यावहारिकता का अध्ययन किया गया है। इसका संरेखण कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के क्षेत्र से गुजरता है जो भूतल संरेखण के 5.5 कि० मी० दूरी के प्रावधान के लिए अपेक्षित भूमि का अभित्याग करने के लिए सहमत नहीं है ।

[हिन्दी]

उत्तर और पश्चिम रेलवे पर सिगनलों का विद्युतीकरण

216. **श्री एन० के० राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर और पश्चिम रेलवे के कुछ सेक्शनों में सिगनलों के विद्युतीकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेक्शनों के नाम क्या है और इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर और पश्चिम रेलों पर पहले ही विद्युत रोशनी वाले सेमाफोर सिगनलों के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है।

(ख) उत्तर रेलवे पर स्वीकृत सभी कार्य अब पूरे कर लिए गए हैं। पश्चिम रेलवे पर चालू कार्यों की स्थिति निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	खंड	कार्य की लागत	लक्ष्य
1.	पालमपुर-गांधीधाम	4.14 लाख रुपये	मार्च, 93
2.	अजमेर-मारवाड़	1.93 लाख रुपये	मार्च, 93
3.	साबरमती-पालमपुर	9.74 लाख रुपये	सितम्बर, 93
4.	कानालुस-ओखा	3.43 लाख रुपये	सितम्बर, 93

उड़ीसा में चीनी मिलें

217. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कुल कितनी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) इनमें से श्रेणी-वार, कितनी मिलें क्रमशः लाभ तथा घाटे में चल रही हैं;

(ग) रुग्ण मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रही चीनी मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उड़ीसा में 31-10-92 को 5 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां हैं उनमें से एक फैक्ट्री निजी क्षेत्र में तथा 4 फैक्ट्रियां सहकारी क्षेत्र में है।

(ख) सरकार चीनी मिलों को होने वाले लाभ तथा घाटे का हिसाब नहीं रखती है।

(ग) चीनी मिलों द्वारा उनके पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

(घ) और (ङ) तीन मौजूदा सहकारी चीनी मिलों अर्थात् बादम्बा सहकारी चीनी उद्योग लि०, तह० बंकी, जिला कटक, बारगढ़ सहकारी चीनी मिल लि०, डा० टोरा, जिला संबलपुर तथा सहकारी चीनी उद्योग लि०, नयागढ़, जिला पुरी, को 3 निजी क्षेत्र की पार्टियों अर्थात् मै० शक्ति

शुगर्स लि०, मै० पोन्नी शुगर्स एंड केमिकल्स लि० तथा मै० धरणी शुगर्स एंड केमिकल्स लि० द्वारा प्रबंधक संविदा के तहत ले लिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें

218. **श्री बी० कृष्णा राव :**

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

श्री जीवन शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोग निदान तथा उपचार के लिए लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ठीक से काम कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इन मशीनों की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) दिल्ली के अस्पतालों में कुछेक इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मरम्मत करने की आवश्यकता है। यह सूचित किया गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों सहित बड़े सरकारी अस्पतालों में ऐसी लगभग 40 मशीनें हैं। इन मशीनों की मरम्मत की जा रही है अथवा कुछेक मामलों में मरम्मत करने के लिए बातचीत चल रही है।

रेल डिपो पर गेहूं की निकासी न होना

219. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "ह्यूज व्हीट स्टाक लाइंग अनक्लियर्ड एट रेल डिपो" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे गेहूं की निकासी हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) रेलवे डिपो पर भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष कुल कितना गेहूं बर्बाद हो रहा है; और

(ङ) इस तरह की क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 22-8-92 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता है क्योंकि 1-8-92 से 24-8-92 की अवधि के दौरान वाडी बन्दर में उतारे गए कुल 469 माल डिब्बों में से 467 की संबंधित पार्टियों को सुपुर्दगी कर दी गई थी। शेष 2 माल डिब्बों की पार्टी के लेखे में माल शेड में रोका गया था।

(ग) वाडी बन्दर में उतारे गए गेहूं के परेषणों की तत्काल निकासी के लिए सभी सुपुर्दगी स्थलों पर अपेक्षित कर्मचारियों को तैनात किया गया था। तत्काल निकासी के प्रबंध करने के लिए वाडी बन्दर में संबंधित अधिकारियों द्वारा निकासी करने वाले एजेंटों/व्यापारियों के साथ एक विशेष बैठक भी आयोजित की गई थी।

(घ) किसी ऐसे मामले का पता नहीं चला है जहां रेलवे डिपो में भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण गेहूं के परेषणों को नुकसान पहुंचा हो। जहां तक वाडी बन्दर का संबंध है वहां 14 छतदार शेड हैं जिनमें से 8 को केवल खाद्यान्न के माल डिब्बों की उतराई के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन 8 शेडों में 300 माल डिब्बों की उतराई की क्षमता है, जो वाडी बन्दर में खाद्यान्न को रखने के लिए स्थान की दिन-प्रतिदिन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ङ) नुकसान होने से बचने के लिए मानसून के मौसम के दौरान शेडों और छतों की मरम्मत करने और खाद्यान्न सहित सभी परेषणों को ढकने के लिए तिरपाल की भी व्यवस्था करने जैसे सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत इंजन

220. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री तत्वदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उच्च अश्व शक्ति विद्युत इंजनों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत, इन इंजनों की प्रस्तावित अधिकतम गति सीमा और प्रति इंजन कुल निर्माण लागत क्या है तथा प्रतिवर्ष कितने इंजनों का निर्माण होने की आशा है, उसमें किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा और वह किस देश से ग्रहण की जाएगी; और

(ग) इस समय यह योजना किस चरण में है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चि० रे० का० ने टेपचेंजर की मौजूदा प्रौद्योगिकी की अभिकल्प संबंधी विशिष्टताओं का अधिकतम उपयोग करके 5000 अश्व शक्ति वाले एक प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजन का निर्माण किया है। इस रेल इंजन का परीक्षण किया जा रहा है।

6000 अश्व शक्ति वाले तीन फेज वाले बिजली रेल इंजनों के प्रापण और बाद में निर्माण करने का भी एक प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दिल्ली में रहस्यमय बीमारी

221. श्री गुरुदास कामत :

श्री के०वी० तंगकाबालू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल की इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि दिल्ली के कुछ लोग एक विचित्र प्रकार के बुखार जिस पर ज्ञात औषधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो मलेरिया से भी भयानक है, की चपेट में आ गए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता चला है और 1992 में अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या प्रभावित क्षेत्रों में कोई निवारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इन मामलों में वायरस की प्रकृति का पता लगाने और इसके प्रभावी उपचार के लिए कोई तत्काल जांच की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली ने 19 से 21 अक्तूबर, 1992 के दौरान दिल्ली के नजफगढ़ खंड के अंतर्गत मालिकपुर ग्राम में "रहस्यात्मक रोग" का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद यह रोग "डेंगू ज्वर" पाया गया। अक्तूबर, 1992 के दौरान 1134 लोगों की सर्वेक्षित जनसंख्या में दो मौतों सहित रोगियों की संख्या 484 थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :—

टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति की गई और प्रभावित क्षेत्रों में जल को विसंक्रमित करने के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की गई। स्थिर जल की निकासी के लिए 8 नालियां बनायी गईं।

रोग के अधिक फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने ग्रामीणों को रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने की व्यवस्था की। राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में रोगियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं और इस स्थिति के नियंत्रण में आने तक सूचित किए गए सभी मामलों को नियमित रूप से मॉनीटर किया गया।

परीक्षण की गई दवाओं के नमूने

222. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी अस्पतालों को भेजी गई दवाओं के नमूनों जिनका परीक्षण 1992 में किया गया, की संख्या क्या है, उनमें से मिलावटी/घटिया पाए गए नमूनों की संख्या क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को चिकित्सा भंडार संगठन से औषधें प्राप्त होती है शतप्रतिशत पूर्व-परीक्षित होती हैं।

चिकित्सा भंडार संगठन ने 1992 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल की आपूर्ति की गई औषधों में से 4874 नमूने जांच के लिए भेजे जिनमें से कोई भी नमूना घटिया/अपमिश्रित नहीं पाया गया।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने 454 औषधें/दवाइयां जांच के लिए भेजीं। दो दवाइयों अर्थात् मैसर्स सुपर बाजार के माध्यम से आपूर्ति किए गए मैसर्स अल्बर्ट डेविड लिमि० के ओ०पी० 946 : इंजेक्सन सापोक्रोम बैंच सं० ओ०पी० 946 को तथा मैसर्स पंचदीप शर्मा, नई दिल्ली के माध्यम से आपूर्ति किए गए राजस्थान ड्रग फार्मेस्युटिकल्स (राजस्थान सरकार का उपक्रम) के टेब्लेट रेंटिडाइन बैच सं० 003ए को घटिया पाया गया। अस्पताल ने अगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन को इस मामले में सूचित किया है।

सफदरगंज अस्पताल ने परीक्षण के लिए दवाइयों के 599 नमूने भेजे। मैसर्स एस०जी० फार्मा, बड़ोदा द्वारा आपूर्ति किए गए इंजेकशन गेसीकेन 2% को तथा मैसर्स युनिवर्सल मेडिसिंस प्राइवेट लिमि० नागपुर द्वारा आपूर्ति किए गए सापकोफिल कफ एक्सपेक्टोरेंट बैंच सं० 079 डी-201 को घटिया पाया गया।

इंजेक्शन गेसिकेन 2% के बदले दूसरे इंजेक्शन अस्पताल को प्राप्त हो गए हैं। सापकोफिल कफ एक्सपेक्टोरेंट से संबंधित मामले को औषध नियंत्रक, दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया गया है।

मार्मुगाओ पत्तन के लिए रेल संपर्क

223. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्मुगाओ पत्तन और इसके आस-पास के क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए बड़ी लाइन से इसे जोड़ने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसे कितनी समयावधि में पूरा किया जाएगा तथा अब तक कितना कार्य किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) होस्पेट-हुबली-गोवा (मारमागांव बन्दरगाह सहित) (489 कि. मी.) आमान परिवर्तन का कार्य अनुमोदित कर दिया गया है और इसे 1992-93 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है। इस कार्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर-मैसूर रेल लाइन

324. **श्री के०एच० मुनियप्पा :**

श्री वी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा बंगलौर के बीच की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के अंत में कुल कितनी लागत आई; और

(घ) इसकी मूल अनुमानित लागत कितनी थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 138 कि०मी० मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कर दिया गया है।

(ग) परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 102.56 करोड़ रु० है। बहरहाल, अंतिम लागत का आकलन नहीं किया गया है क्योंकि अवशिष्ट काम पूरे नहीं हुए हैं।

(घ) 26.02 करोड़ रु० (1979-1980)।

[हिन्दी]

कनिष्ठ शोध छात्रों के चयन हेतु परीक्षा

225. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनिष्ठ शोध छात्र और लेक्चरर के पद के चयन के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु प्रवेश परीक्षा से किस तारीख से अनिवार्य किया था;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में इस परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई थी;

(ग) क्या सरकार को 1992 में पंजीकृत शोध छात्रों की ओर से प्रवेश परीक्षा में छूट दिये जाने के संबंध में कोई अनुरोध पत्र प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने 1985 से कनिष्ठ शोध-फैलो और 1-1-1990 से लेकचररशिप के चयन के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शुरू की। कनिष्ठ शोध फैलो के रूप में चयन के लिए परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं है। जहां तक लेकचररशिप के लिए पात्रता परीक्षा का संबंध है ऐसे उम्मीदवारों को, जिन्होंने मार्च, 1991 तक एम० फिल० डिग्री हासिल की है और उन्हें, जिन्होंने दिसम्बर, 1992 तक पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त की हैं अथवा प्राप्त करेंगे, परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) कतिपय शोध अध्येता संघों सहित विभिन्न वर्गों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि उन्हें लेक्चररशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने से मुक्त रखा जाए, विशेषरूप से उन्हें जिन्होंने 1986 से पहले, अर्थात् विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन से पूर्व अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उन उम्मीदवारों को भी छूट प्रदान की जाए, जो 1993 में पी० एच० डी० डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले इस तथ्य को देखते हुए छूट दी गयी थी कि चूंकि इस प्रकार की पहली परीक्षा 1989 में आयोजित की गई थी, अतः वे उम्मीदवार, जिन्हें पहले ही एम० फिल०/पी० एच० डी० के लिए पंजीकृत किया गया था, क्रमशः मार्च, 1991 तथा दिसम्बर, 1992 तक अपनी-अपनी डिग्रियां प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अपनी डिग्रीयां प्राप्त करने के लिए एम०फिल० करने वाले उम्मीदवारों को लगभग डेढ़ वर्ष और पी० एच०डी० करने वाले उम्मीदवारों को लगभग साढ़े तीन वर्ष का समय दिया गया था। तथापि और छूट देने का औचित्य नहीं हैं क्योंकि इससे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का एकमात्र उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा जिसका इरादा योग्यता के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर शिक्षकों का चयन करना है जो संशोधित वेतनमान ढांचे (1986) के पैकेज का एक भाग है।

[अनुवाद]

"प्वाइंटों" और "क्रासिंगों" की सप्लाई हेतु ठेके

226\. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री अमल दत्ता :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कुछ फर्मों को "प्वाइंटों" और "क्रासिंगों" के निर्माण एवं उनको सप्लाई के ठेके दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिए गए इन ठेकों का स्वरूप और मात्रा सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) के विशेषज्ञों ने इन फर्मों को इन ठेकों को पूरा करने की क्षमता पर संदेह प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्वाइंटों और क्रासिंगों की सप्लाई के लिए ठेके के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :—

सात फर्मों, जो इन मदों के प्रमाणित सप्लायर हैं, को प्वाइंटों और क्रासिंगों के निर्माण और सप्लाई के लिए निविदागत मात्रा के लिए नियमित आर्डर दिये जा रहे हैं। इसके अलावा, इन मदों की सप्लाई के नये स्रोतों तथा प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, निविदागत मात्रा से अलग 13 फर्मों के लिए 100 अदद प्वाइंटों और क्रासिंगों के लिए विकासात्मक आर्डर अनुमोदित कर दिये गए हैं और उन्हें आर्डर देने की कार्यवाही शुरू की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्वाइंट और क्रासिंग विशिष्टियो के अनुरूप हों, नियमित निर्माण शुरू करने से पहले, 13 फर्मों, जिन्हें अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा निरीक्षित और स्वीकृत प्रोटोटाइप प्राप्त करने होंगे, को विकासात्मक आर्डर दिये जा रहे हैं।

प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्रीय संग्रहालय

227. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से भोपाल में प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्रीय संग्रहालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल में राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया है कि लम्बी अवधि तक कर्मचारियों के वेतन तथा रख-रखाव की लागत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी। राज्य सरकार ने संग्रहालय के लिए भूमि दे दी है तथा मंत्रालय ने एक विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है।

महाराष्ट्र में मैरीन पार्क परियोजना

228. **श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के मालवां में मैरीन पार्क परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मालवां

मैरीन अभयारण्य 1987 से विद्यमान है। उसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने के लिए कानूनी तौर पर महाराष्ट्र सरकार सक्षम है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भाप के इंजनों को बदलना

229. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के कुल कितने भाप के इंजन हैं और भाप के सभी इंजनों को डीजल के इंजनों से बदलने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या स्टीम लोको शेडों को डीजल लोको शेडों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो स्टीम लोको शेडों में कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे के अन्य क्षेत्रों में किस तरह खपाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय भारतीय रेलों पर लगभग 2150 भाप इंजन हैं। रेलों ने डीजल/बिजली रेल इंजनों द्वारा इन इंजनों को वर्ष 2000 तक चरणबद्ध आधार पर बदलने की योजना बनाई है। बहरहाल, यह कार्य धन की उपलब्धता तथा डीजल/बिजली रेल इंजनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

(ख) नये डीजल शेड के स्थान का निर्धारण मुख्यतः परिचालनिक दृष्टिकोण तथा अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, डीजल लोको शेड के परिचालन का क्षेत्र भाप लोको शेडों के परिचालन क्षेत्र से अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। अतः मौजूदा भाप शेडों की तुलना में डीजल लोको शेडों की बहुत कम संख्या में जरूरत है। इसे देखते हुए, उन सभी स्थानों में जहां भाप शेड हैं, डीजल शेड के निर्माण की कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं है।

(ग) भाप रेल इंजनों के शेडों को बंद कर दिये जाने के कारण फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा रही है बल्कि उन्हें जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त प्रशिक्षण देकर अन्य गतिविधियों में पुनः तैनात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना

230. **श्री मनोरंजन सूर** :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

12.06 म० प०

स्थगन-प्रस्ताव के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यह प्रश्न यहां आया उस पर सदन कितना आन्दोलित है यह बहुत स्पष्ट है। मेरी मान्यता है कि इस मामले पर सरकार की बहुत भारी विफलता है, जिसके कारण देश के किसान बहुत ही उत्तेजित हैं। मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं चाहूंगा कि आज ही उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो। यह कोई हाफ एन आवर की बात नहीं है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने का, इसलिए गेहूं के मामले में जो घपला हुआ है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : यह पूरी कृषि नीति से सम्बन्धित है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एक जनवरी को क्या बयान दिया गया सरकार की तरफ से कि गेहूं बहुत है और हम निर्यात करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते है कि इस पर सभा में बहस हो तो हम ऐसा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कृपया हमें अनुमति दें।

12.02 म० प०

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप लोगों की भावनाओं को समझ लिया है। मैं स्थगन प्रस्ताव को पढ़ूंगा और उसे उचित तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। मुझे माननीय सदस्यों को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक लेखा समिति (1986-87) की इकसठवीं रिपोर्ट से सम्बन्धित दीवानी रिट याचिका संख्या 3323, 1990 के संदर्भ में दायर दीवानी प्रकीर्णन याचिका संख्या 4794, 1992 के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय से 7 सितम्बर, 1992 को एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें लोकसभा के महा सचिव को उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकृत

रिट याचिका के विरुद्ध कारण बताने के लिए निजी तौर पर या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सभा की सुस्थापित प्रथा एवं परम्परा को ध्यान में रखते हुए लोक सभा के महासचिव को नोटिस का पालन करने से मना कर दिया गया था। मैंने सम्बन्धित कागजात विधि और न्याय मन्त्री को सौंप दिये थे जिससे कि वह सही संवैधानिक स्थिति एवं सभा की सुस्थापित परम्पराओं से उच्च न्यायालय को अवगत कराने की दिशा में जैसा उचित समझें कार्यवाही कर सकें।

12.04 म० प०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में बहस-जारी

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) सर फर्टिलाइजर का जो प्राईस बढ़ा है, उस पर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। आपने कहा है कि उसपर तुरन्त बहस करायी जाये।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय, जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसका क्या हुआ ?

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पिछले तीन महीने पहले गेहूं के इम्पोर्ट के बारे में बात हो रही है, मुझे इस बारे में अभी तक जवाब नहीं दिया है। पिछली एक जनवरी को इन्होंने बयान दिया था कि हमारे पास गेहूं बहुत है, हम पहली बार हिन्दुस्तान से गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 दिन के बाद कहा कि गेहूं नहीं है और फिर पिछली बार यह कहा—और जैसा श्री वी०पी० सिंह ने कहा है—कि हम केवल दस लाख टन के लगभग गेहूं मंगवायेंगे। यह लिखकर दिया है। उसके बाद यहां कहा गया कि 30 लाख टन गेहूं मंगायेंगे और फिर कहा कि दो साल तक नहीं मंगायेंगे, फिर यह कहा कि दो साल तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे परन्तु उसके बाद से इम्पोर्ट कर रहे है। तो मेरा कहना यह है कि बड़ा भारी घोटाला है। हिन्दुस्तान के किसान को तो ये देना नहीं चाहते हैं। यदि हिन्दुस्तान के किसान को दिया होता तो आज देश की यह हालत नहीं होती। इसलिए इस पर बहस होनी चाहिये।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, उस पर आपका क्या निर्णय है ? फर्टिलाइजर की कीमतों में वृद्धि से किसान परेशान हैं। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बालिया) : अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल ने अभी एक सुझाव रखा। यह मामला अत्यंत गम्भीर है। किसानों का सवाल, गेहूं का सवाल और खाद का सवाल। इस पर देश में किसानों में बेचैनी है और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव की चर्चा की है। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि सदन और सब काम बन्द करके इस प्रस्ताव पर विचार करे क्योंकि देश की स्थिति

अत्यंत भयावह है और मैं समझता हूं कि अगर किसानों के दिल टूट गये जो सरकार कर रही है विदेशी गेहूं से इस देश का पेट भरने की कोशिश करना—इससे लज्जाजनक बात इस सदन और इस राष्ट्र के लिए और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, और कोई अन्य महत्वपूर्ण काम नहीं है सिवाय इस सवाल के कि इस सदन में बहस हो और आप अपनी अनुमति दीजिए कि इस सवाल पर हम लोग चर्चा कर सकें। **व्यवधान**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जेल गये थे। बन्दरगाह का घेराव किया है···यदि ऐसा रहा तो फिर करेंगे······

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलामनबी आजाद) : महोदय, जहां तक सरकार के रुख का सम्बन्ध है, हम इस पर बहस के लिए तैयार हैं। बहस के सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे पता है कि स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं और वे मेरे पास हैं। एक चीज मैं स्पष्टतौर पर कहना चाहूंगा कि नियमानुसार स्थिति कुछ भिन्न है, फिर भी अगर सरकार इच्छुक है तो मुझे इस पर बहस करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझसे मेरे प्रकोष्ठ में शीघ्र मिलें। हम सब मिलकर इस मुद्दे पर बहस के लिये समय निर्धारित करेंगे, अगर आज ऐसी आवश्यकता पड़ी। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो सुनेंगे क्या ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, केवल चर्चा नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है कि चर्चा किस रूप में हो ?

अध्यक्ष महोदय : वह भी करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर यह स्थगन प्रस्ताव लेते हैं तो सरकार की निन्दा होगी। अगर चर्चा होगी तो बातचीत···

अध्यक्ष महोदय : वह सारी बात की चर्चा करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तय करेंगे ?

———

[**अनुवाद**]

तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और देश के अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में

12.08 **म० प०**

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान तमिलनाडु में गंभीर बाढ़ स्थिति के संबंध में कांग्रेस सरकार के कठोर रवैया के प्रति आकर्षित करना

चाहता हूं तमिलनाडु के वी० ओ० चिदम्बरनार, नलाई केट्टावोम्मन, कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, मदुरई, कामराजर, डिंदीगुल-अन्ना, पेरियार, नीलगिरि, तंजौर और क्वे-डी-मिलथ जिलों में हाल ही में आये चक्रवात से काफी तबाही हुई है। 230 लोग की जाने गई और 1,43,000 घर नष्ट हो गए। 50,000 हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। 151 मुख्य सड़कें और बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भू-स्खलन से 61 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 530 करोड़ की क्षति का अनुमान है।

तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्यमंत्री—डा० पुरटची थलाइवी ने तमिलनाडु के पीड़ित लोगों का पूरा साथ दिया और राहत-कार्यों का निजी रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने राहत-कार्यों के लिए तुरन्त ही 45 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। चक्रवात अभूतपूर्व था। ऐसी विभीषिका की तुलना 1923 में आई विभीषिका से की जा सकती है। तो भी कांग्रेस सरकार ने महज एक तुच्छ राशि ही मंजूर की है। इससे कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमिलनाडु के लोगों के विरुद्ध पक्षपात एवं उपेक्षा का पता चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु के सभी सांसदों को आल इंडिया अन्नाद्रमुक मुन्नेत्र कषगम के माध्यम से तमिलनाडु के लोगों का समर्थन मिला हुआ है, केन्द्रीय सरकार को बाढ़ राहत-कार्यों के लिए 530 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तपुजा) : महोदय, केरल में भी काफी क्षति हुई है। वहां की स्थिति भी काफी गंभीर है। हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अन्बारासु इरा को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के बहुत सारे भाग बाढ़ और वर्षा से तबाह हो गए हैं जिसमें धन-जन का काफी विनाश हुआ है। मद्रास शहर में खास-कर मध्य मद्रास की झुग्गी-झोंपणी (स्लम) बस्तियां बाढ़ में डूबी हुई हैं और हजारों झोंपड़ियां बाढ़ में बह गई हैं।

और हजारों झोंपड़ियां बाढ़ में बह गयी। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार ने तत्काल माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ के योग्य नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। वास्तव में राज्य सरकार ने समिति को कोई सम्मान नहीं किया और उसका अनादर किया। (व्यवधान)

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : यह बात सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : प्रधानमंत्री जी ने तत्काल राहत के रूप में 21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अन्बारासु से अनुरोध करता हूं कि कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप उनको बोलने से क्यों रोक रहे हैं गुलाम नबी जी ? आप उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, केरल में लगातार तीन बार बाढ़ आई है। सैकड़ों लोगों की जान चली गयी है। लगभग 1,900 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई है। हजारों घर तबाह हो गये हैं। केरल में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी अभी तक भी केन्द्र सरकार ने पर्याप्त राहत सहायता प्रदान नहीं की है। श्री बलराम जाखड़ ने हमारे राज्य का दौरा किया। एक बार तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और दूसरी बार वह राज्य को देखने तक नहीं गए। सरकार ने केवल राहत के रूप में ही सहायता दी है। और यह सहायता 32 करोड़ रुपये की राशि की है। इसमें से 10 करोड़ रुपये की सहायता तो पहले से ही मिल चुकी है। शेष राशि केवल 22 करोड़ रुपये की है जोकि अग्रिम राशि के तौर पर दी गयी है। इसका यह अर्थ हुआ कि केरल में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो सकेगा।

महोदय, यह एक राष्ट्रीय तबाही है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में लगभग 1500 करोड़ रुपये मूल्य का सामान तबाह हो गया है। किसी भी राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति से अकेले निपट सके। इसलिए पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नवें वित्त आयोग ने विशेष तौर पर यह टिप्पणी की थी कि यदि किसी भी क्षेत्र में इतनी बड़ी और इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर उस स्थिति से निपटा जाना चाहिए। हमें यकीन है कि केन्द्र इस मामले में उचित कार्यवाही करेगा क्योंकि इस स्थिति में सुधार के लिए धनराशि खर्च किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

हम यह चाहते हैं कि पर्याप्त राहत दी जानी चाहिए—जोकि अतिरिक्त सहायता के रूप में हो—और यह सहायता एक सामान्य अग्रिम राशि के रूप में न हो। यदि अग्रिम राशि के रूप में सहायता दी जाए तो इससे राज्य का समूचा विकास कुप्रभावित होगा। हम यह चाहते है कि केन्द्र द्वारा केरल राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, अक्तूबर और नवम्बर माह में तमिलनाडु और केरल में बड़े पैमाने पर बाढ़ आयी जिससे इन दोनों राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परन्तु अभी तक भी इन राज्यों को केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिली है। बाढ़ के दौरान एक सौ से अधिक लोगों की जान चली गयी और संपत्ति भी काफी बड़े पैमाने पर नष्ट हो गयी है। इसलिए केन्द्र सरकार से हमारा यह अनुरोध है कि केरल और तमिलनाडु को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। श्री बलराम जाखड़ जी ने दोनों राज्यों का दौरा किया है और उन्हें वहां की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी है। (**व्यवधान**)

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय, इन राज्यों की स्थिति काफी गम्भीर है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके दल के सदस्य को बोलने दिया है। अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही बोलेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, सितम्बर माह के पहले सप्ताह से ही उड़ीसा में बहुत से इलाकों में, खासकर राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिणी उड़ीसा में कुछेक स्थानों पर वर्षा नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप फसलों की स्थिति पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा है और राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति होने जा रही है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वहां की राज्य सरकार स्थिति के प्रति सचेत नहीं है। मैं भारत सरकार और कृषि मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल वहां पर भेजा जाये जो कि वहां पर स्थिति का उचित आकलन कर सके और इस दिशा में आवश्यक उपाय किये जायें। वहां पर स्थिति दिन-प्रति दिन बिगड़ रही है और यहां तक कि पीने के पानी की कमी भी जल्दी ही समस्या का रूप धारण कर लेगी। इसलिए मैं कृषि मंत्री से, जोकि यहां पर उपस्थित हैं, अनुरोध करूंगा कि स्थिति को ध्यान में रखकर एक दल वहां भेजें जोकि स्थिति का अध्ययन कर सभी आवश्यक उपायों के संबंध में अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत करे। (**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिए। (**व्यवधान**) केरल और तमिलनाडु की बाढ़ की स्थिति पर भी सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सूखे की स्थिति के कारण आंध्र प्रदेश के तेलंगना और रायलसीमा क्षेत्रों में 13 जिलों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां पर पीने के पानी और पशु-चारे की भी विकट समस्या पैदा हो गयी थी।

12.18. म०प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

सूखे के परिणामस्वरूप खरीफ की फसल में उत्पादन में भी भारी कमी आयी है।

नवम्बर, 1992 के दूसरे सप्ताह में प्राकृतिक आपदा ने तटवर्तीय आंध्र को फिर से बुरी तरह से प्रभावित किया और श्रीकाकुलम विशाखापटनम, कृष्णा, नेल्लोर, गन्टूर तटवर्तीय जिलों में तथा पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में 10 लाख एकड़ भूमि पर उगी फसल विनाशक चक्रवात के कारण नष्ट हो गयी। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बाढ़ की स्थिति पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलेगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सूखे और बाढ़ के कारण हुए विनाश पर बोलने के लिए प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलेगा।

(**व्यवधान**)

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अकेले पूर्वी गोदावरी जिले में ही लगभग 3 लाख एकड़ भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गयी। नेल्लोर जिले में केले और अन्य फलों की खेती पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है। वहां पर रबी की फसल पूर्णतया विफल रही है। तमिलनाडु राज्य की भी ऐसी ही स्थिति है।

परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने अभी तक भी वहां हुई क्षति का आकलन नहीं कराया है और किसानों को राहत सहायता की घोषणा नहीं की है।

मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को तत्काल ही अधिकारियों का एक दल आन्ध्र-प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में हुई फसलों की कुल क्षति के आकलन के लिए वहां पर भेजना चाहिए और आंध्र-प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों को 250 करोड़ रुपये की तत्काल राहत भी स्वीकृत करनी चाहिए।

मैं प्रधान मंत्री जी से भी अपील करता हूं कि भारतीय खाद्य निगम को भी अनुदेश जारी करें कि वे आन्ध्र-प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के किसानों से बिना किसी पूर्व-शर्त के क्षतिग्रस्त धान की खरीद करें। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : हम गये थे। वहां पर चार-चार किसानों को मार दिया गया। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं; एक तो बाढ़ से हुए विनाश के बारे में है और दूसरी बात सूखा की स्थिति के सम्बन्ध में है। इसलिए जो सदस्य बाढ़ से हुए विनाश और सूखे की स्थिति के बारे में बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। इनके बारे में हम एक-एक करके सभी के विचार सुनेंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र-प्रदेश और कर्नाटक का सम्बन्ध है, वहां पर तो बाढ़ से विनाश हुआ है और जहां तक बिहार और उत्तर-प्रदेश राज्यों का सम्बन्ध है, वहां सूखे की गंभीर स्थिति हुई है। इस प्रकार आप सभी अपनी बात कह सकते हैं। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी सभा के बीच कहते हैं, वह सत्र कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा; सम्बन्धित मंत्री उस वृतान्त को सुनेंगे और केवल तभी वह कुछ राहत देने की स्थिति में हो सकेंगे। यदि चार अथवा पांच सदस्य एक साथ बोलते हैं, तो रिपोर्टर उनकी बातों को किस तरह से नोट कर सकेंगे और फिर सम्बन्धित मंत्री उन्हें कैसे सुन सकेंगे और उस पर उचित उत्तर किस तरह से दे सकेंगे? इसलिए प्रभावित निर्वाचन-क्षेत्रों से तीन अथवा चार सदस्य ही अपनी बात को रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के एक सदस्य श्री हरिन पाठक के ऊपर अहमदाबाद मे पुलिस द्वारा हमला किया गया गया; यह विशेषाधिकार का मामला है, आप हमें इसे उठाने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को श्री हरिन पाठक पर पुलिस ने हमला किया। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ सांसद हैं। आंध्र-प्रदेश में हुए बाढ़-विनाश पर बोलने के लिए श्री दत्तात्रेय को बुलाया गया था। इस बीच बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों अथवा राज्यों के बारे में अपनी शिकायतें रखनी चाहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि श्री दत्तात्रेय ने जो कुछ भी कहा, वह सुनाई नहीं दिया। इसलिए मैं श्री दत्तात्रेय से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात को पूरा करें। उसके बाद में श्री शोभनाद्रीश्वर राव को बोलने की अनुमति दूंगा और तत्पश्चात् मैं केरल के कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा। इसके बाद बिहार राज्य को लेंगे चूंकि बिहार भी सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस प्रकार हम इन दोनों बातों को उठा सकेंगे; एक तो बाढ़ से हुए विनाश के बारे में और दूसरी बात सूखे की स्थिति के बारे में। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, यदि समय बचता है तो हम उन बातों पर भी चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस सभा में कुछ निर्धारित नियमों का अनुकरण करना होगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारी पार्टी के एक सदस्य श्री हरिन पाठक के ऊपर शाम को पुलिस ने हमला किया। (**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष जी, यह विशेषाधिकार का मामला है। सदन के एक सदस्य को सदन में आने से रोका गया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप भलीभांति जानते हैं कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्षपीठ से नीचे उतरने को थे, उन्होंने श्री दत्तात्रेय का नाम पुकारा था और फिर श्री दत्तात्रेय जी खड़े हुए थे। अभी तक भी इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। उसके पश्चात् श्री शोभनाद्रीश्वर राव की बारी है। इसके बाद केरल के सदस्यों को अवसर दिया जाएगा और कर्नाटक से भी यदि कोई सदस्य बोलना चाहे, तो वह भी अपने विचार रख सकता है।

इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा हुई सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। यदि समय बचा तो हम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया से तो हमारा समय व्यर्थ बीतता जा रहा है। एक बजे म० प० हमने किसी अन्य विषय पर भी चर्चा करनी है। हम शून्यकाल को किन्हीं भी परिस्थितियों में एक घण्टा से ज्यादा नहीं रख सकते। जैसे ही 12-00 बजे प्रश्नकाल समाप्त होता है, शून्यकाल भी 1-00 बजे म०प्र० समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप माननीय सदस्यों ने ही यह देखना है कि आपके पास जो समय है, उसका सदुपयोग किस तरह से किया जा सकता है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आन्ध्र-प्रदेश में वर्षा ऋतु में भी कम वर्षा होती है और तेलंगाना और रायलसीमा जिलों में सूखे की स्थिति बनी रहती है। नवम्बर के दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु से आया चक्रवात आन्ध्र-प्रदेश में प्रवेश कर गया और उससे वहां के कई जिले विशेषकर श्री काकुलम, विशाखापटनम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गन्टूर जिले प्रभावित हुए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, जो स्वयं आन्ध्र-प्रदेश से ही सम्बन्ध रखते हैं, ने आंध्र-प्रदेश में जिस तरह बार-बार चक्रवात और बार-बार सूखे की स्थिति से क्षति हुई है, उसके आक्कुलन के लिए कोई भी सरकारी दल दौरे पर नहीं भेजा।

इसलिए मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि स्थिति का आक्कुलन करने के लिए एक सरकारी दल वहां पर भेजा जाये।

मैं कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि चूंकि दस लाख रुपए के मूल्य के बराबर फसल पानी में नष्ट हो गई है। वहां 'डीक्लरड' धान की फसल खेतों में खड़ी है। किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं। भारत के खाद्य निगम को आगे आकर बिना शर्त खेतों में पड़ी इस 'डीक्लरड' फसल को खरीदना चाहिए।

मैं प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं क्योंकि पिछली बार भी वे आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि नहीं दे सके थे। इस समय प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 250 करोड़ रुपए आन्ध्र प्रदेश को दिए जाएं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री शंकर सिंह बाघेला : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रीविलेज का मामला है। (**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : हमारे एक साथी श्री हरि पाठक को पुलिस ने पीटा है।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शोभनाद्रीश्वर राव को पुकारा है। जो कुछ भी श्री शोभनाद्रीश्वर राव बोलेंगे केवल वही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हमारे द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के मामले में आपका क्या निर्णय है ? (**व्यवधान**)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में विशेषकर महबूबनगर, निजामाबाद, कुदापाह, चित्तूर जिले तथा कृष्णा और गुंटूर के कुछ हिस्सों में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि मानसून के न आने से फसलें नष्ट हो गई हैं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार, उड़ीसा हम इन सभी के मामलों को लेंगे ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : फसल के नष्ट होने के कारण तीन कपास उगाने वाले किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उनमें से एक अनुसूचित जनजाति का है जो महबूबनगर जिले का रहने वाला है उन्होंने आत्महत्या इसलिए की कि क्योंकि रूई फसल उगाने में उन्होंने जो भी पूंजी लगाई थी वह पूरी की पूरी नष्ट हो गई । मैं माननीय कृषि मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । आन्ध्र प्रदेश की यही दुर्दशा है । कुछ समय पूर्व मैं उनसे मिला था तथा माननीय बलराम जाखड़ साहब से मैंने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राहत व पुनर्वास उपायों को अपनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार की सभी प्रकार से सहायता करने के लिए अनुरोध किया था । इस महीने के पहले सप्ताह में आए चक्रवाती बवंडर के कारण विभिन्न जिले जैसे पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा तथा अन्य तटीय जिले प्रभावित हुए तथा काटी गई लाखों एकड़ धान की क्षति हुई तथा सारी फसल डिक्लरड हो गई है । (**व्यवधान**)

आज चावल मिल मालिक इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं । अनुमान है कि उन्होंने एक गुट बना लिया है, वे धान नहीं खरीद रहे हैं तथा बहुत कम कीमत लगा रहे हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम को शीघ्र आदेश जारी करें कि वे तत्काल खरीद केन्द्र खोलें ।

मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, श्री हरिन पाठक को पुलिस के अधिकारियों ने मारा, अपमानित किया और सदन में आने से रोका । यह सदन की गरिमा का सवाल है। यह सीधा प्रिवलेज का मामला बनता है । इसे सबसे पहले लिया जाना चाहिए ।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय कल लिया जा सकता है ।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में गोलियां चलायी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 4 - 4 आदमी मार दिये गये हैं। उस कारण हमें बोलने का समय दिया जाये। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में भी बाढ़ की तबाही के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। आन्ध्र प्रदेश से एक माननीय एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं। केरल के एक माननीय सदस्य भी बोल चुके हैं।

(**व्यवधान**)

12.35 म० म०

(**तत्पश्चात् श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन के बाहर चले गए।**)

(**व्यवधान**)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपके द्वारा मैं सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि खरीद केन्द्रों को खोलने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी करें। (**व्यवधान**)

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाढ से प्रभावित हुआ है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय खाद्य निगम को धान के खरीद केन्द्रों को खोलने के लिए अनुदेश जारी करें तथा मार्गनिर्देश दें जैसाकि इससे पूर्व भी ऐसी परिस्थितियों में लागू किए गए हैं।

मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के किसानों की सहायता के लिए कुछ सूखाग्रस्त जिलों तथा कुछ अन्य बाढ़-ग्रस्त जिलों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय टीम को भेजें। इस कारण सेभी कुछ लोगों की जान गई है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकट को समाप्त करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाएं। (**व्यवधान**)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : केरल में बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है। हजारों घर बर्बाद हो गये हैं, हजारों घर ध्वस्त हो गये हैं। कृषि फसल नष्ट हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समस्त हिस्से में संचार सुविधाएं भी अस्त-व्यस्त हुई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़े व छोटे पुल ढह गये हैं, सड़क माध्यम से भी सम्पर्क टूट गया है। हजारों लोग अब राहत केन्द्रों में रह रहे हैं। आजकल मेरे निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दारुण है। अतः माननीय कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आपदा राहत कोष में अधिकतम धनराशि स्वीकृत कर पीड़ितों की सहायता करें। (**व्यवधान**)

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं इसी मामले की बात कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने बाढ़ का मामला उठाया। यह केवल केरल का ही मामला नहीं है बल्कि सम्पूर्ण दक्षिणी राज्य चक्रवात व बाढ़ से तबाह हो गये हैं। यह एक अप्रत्याशित स्थिति है। हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। हम इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। ··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बाढ़ व सूखे से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि दो अथवा तीन सदस्य बोलेंगे तो रिपोर्टर आप लोगों के भाषणों को कैसे लिख पायेंगे? सरकार भी इसको कैसे सुन सकेगी? बाढ़ विध्वंस के सम्बन्ध में कुछ सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। उन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेने दें। दूसरे, हमारे देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति विद्यमान है। उन क्षेत्रों के माननीय सदस्य भी अपनी शिकायतें सुना सकते हैं। उसके पश्चात् आप सरकार से इस सम्बन्ध में प्रत्युत्तर के लिए अनुरोध कर सकते है। जब दो अथवा तीन सदस्य एक साथ बोलेंगे तो रिपोर्टरों के लिए यह एक उलझनपूर्ण स्थिति होगी। वे वक्तव्य को नहीं लिख सकेंगे। दूसरे, सरकार भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकेगी, आप सरकार से सटीक व सुस्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करते हैं। जब तक आप उन्हें ठीक से सुनने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे तब तक यह कैसे सम्भव है? उत्तर देना बहुत कठिन हो जाता है। अब हमने सूखे व बाढ़-विध्वंस का मामला ले लिया है तथा सम्बन्धित सदस्य बोल सकते हैं मैं अब श्री ए० चार्ल्स से बोलने का अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : हम इस मामले पर पूर्ण चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री ए० चार्ल्स से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार उत्तर नहीं दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर पूर्ण चर्चा के लिए तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, यह इस मामले पर सरकार के उत्तर का प्रश्न नहीं है। अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो अपने प्रांत तथा अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में भी अपनी शिकायतों को सुनना चाहते है। जब तक वे सबको पूरी तरह से सुन नहीं लेते, सरकार इस पर उत्तर कैसे दे सकती है? उदाहरणतः श्री कृष्णा राव बोलना चाहते हैं, श्री जनार्दन बोलना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं भी सूखे पर बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य भी सूखे पर बोलना चाहते हैं। अतः हम सदस्यों को सुनें। अब श्री चार्ल्स बोलेंगे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में लगातार तीन बार बाढ़ आ गई है— एक बार वर्ष 1991 में तथा इसी प्रकार की दो घटनाएं अगस्त माह तथा नवम्बर 1992 में हुई। कई हजार लोग मारे गये थे, कई घायल हुए थे। 50,000 से अधिक घर बह गये थे। लोगों की दुर्दशा तथा यंत्रणा का विवरण देना अत्यन्त कठिन है। केरल सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य आरम्भ किया है। परन्तु सीमित निधि के कारण उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हम माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने दो बार केरल का दौरा किया। मेरा चुनाव क्षेत्र - त्रिवेन्द्रम भी सबसे ज्यादा प्रभावित चुनाव-क्षेत्रों में से एक है। मैं नवें वित्त आयोग की एक सिफारिश पर मंत्री जी तथा इस सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सामान्यतः सूखे तथा बाढ़ के लिए कुछ धनराशि निर्धारित होती है। यह एक अप्रत्याशित स्थिति है। मैं नवें वित्त आयोग की पहले प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि और भी कुछ लोग हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : यह मात्र एक पंक्ति है। लिखा है : "यदि कोई क्षेत्र इस सीमा तक तथा ऐसी प्रचंडता से आपदा का सामना करता है कि उसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है तो हमें विश्वास है कि केन्द्र परिस्थिति के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगा तथा आवश्यक खर्च करेगा।"

इस प्रकार की स्थिति सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। यह एक अप्रत्याशित स्थिति है। मैं अनुरोध करता हूं कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार को केरल तथा दक्षिणी भारत के कुछ अन्य हिस्सों को बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए तथा ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए।

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे निवेदन है कि आज अलग-अलग प्रान्तों के लोग खड़े हो करके अपने यहां की बाढ़ की स्थिति या सूखे की स्थिति का वर्णन करें उसकी बजाए नेचुरल कैलेमिटी जो देश के अलग-अलग भागों में हुई है जिसमें तीन प्रान्त दक्षिण के हैं—तामिलनाडु, केरल और कुछ मात्रा में कर्नाटक और आन्ध्रा भी है। आन्ध्रा में तो कुछ भागों में सूखा पड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई है, उड़ीसा में भी स्थिति खराब है तो मेरा कहना यह है कि नेचुरल कैलेमिटी के सन्दर्भ में एक पूरी चर्चा हो जाए और उस पर सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है, किस प्रकार से उसका इलाज कर रही है इसकी चर्चा हो जाए।

इस प्रकार से अगर चार-चार, छ-छ लोग कहेंगे तो पूरी बात भी उभर कर नहीं आएगी और सरकार की ओर से भी उत्तर नहीं होगा और हमारे यहां पर जब अध्यक्ष जी के साथ नेताओं की चर्चा हुई थी तो उस समय स्वीकार हुआ था कि हम नेचुरल कैलेमिटी से प्रभावित देश के जितने भाग हैं उनकी चर्चा जरूर करेंगे तो इसके बारे में एक दिन तय करना चाहिए, यदि जरूरत

पड़े तो दो दिन भी तय कर सकते हैं। लेकिन सभी भागों में जहां-जहां पर भी विपत्ति आई हुई है, सूखे की हो या बाढ़ की हो, उसकी चर्चा करके हम उसका उपाय करें।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात अभी मेरे साथियों ने उठाई एक माननीय सांसद हमारे अहमदाबाद के प्रतिनिधि हरिन पाठक के साथ जिस प्रकार से पुलिस ने ज्यादती की है और पुलिस ने मारा है। (व्यवधान) यहां पर नहीं अहमदाबाद में। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वे कल यहां पर आ जाएं, अभी तक वे वहां पर हैं और कल उनका प्रत्यक्ष वर्णन सुन करके जरूरत पड़े तो विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी और खासकर दक्षिणी राज्यों के माननीय सदस्य जो सीधे ही प्रभावित हैं और हाल ही की बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं वह स्वभाविक रूप से इस बात से उत्तेजित है, और इस बात को उठाने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने यह बात उठाई है। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से एक विशेष अनुरोध किया था कि जब माननीय सदस्य इस बात पर उचित रूप से ही उत्तेजित हैं और स्थिति बहुत ही नाजुक हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि सरकार यहां बैठी रहने के बजाय आगे आए और प्रतिक्रिया व्यक्त करे। हरेक व्यक्ति इस प्रश्न को उठा रहा है और परस्पर यह बातें हो रही हैं कि सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं करती है और यह क्यों नहीं कहती है कि वह यह करने जा रही है और वह इस पर कल या परसों चर्चा करने के लिए तैयार है ? इससे यह स्थिति टल सकेगी और जो लोग धैर्यपूर्वक कुछ राहत और सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें यह संदेश मिल सकेगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है। उन्हें यह भी मालूम होगा कि संसद इसे बहुत गम्भीरता से ले रही है और जब ऐसे महत्व-पूर्ण मुद्दे शामिल हों तो भारत सरकार उन पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। माननीय कृषि मंत्री और वित्त मन्त्री यहां मौजूद हैं। हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वह तत्काल कार्रवाई करने जा रही है और वह यह कदम उठाने जा रही है। सरकार को इस पर पूर्ण बहस का स्वागत करना चाहिए। यदि हम इस तरह से कार्य करें तो सरकार का बहुत सा समय बचाया जा सकता है और सदस्य भी यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ कार्रवाई की जा रही है। देश इस बात को महसूस करेगा और प्रभावित हुए लोग भी यह महसूस करेंगे कि इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर उठाया जा रहा है जैसा कि उठाया जाता रहा है।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस तत्काल प्रतिक्रया व्यक्त की जाए। यह पूर्ण प्रतिक्रिया न हो परन्तु इसमें यह संकेत मिले कि क्या किया जाने वाला है।

मुझे मालूम है कि श्री बलराम जी यहां पर मौजूद हैं। वह आपने कुछ सहयोगियों की तरह चुप नहीं बैठेंगे।

———

12.45 म०प०

अयोध्या की स्थिति के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अब दूसरा मामला यह है कि मैं राष्ट्रीय एकता परिषद को उसके कल के निर्णय के लिए बधाई देना चाहता हूं। उनने सर्वसम्मति से एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय लिया है। हम सब इस देश की एकता और अखण्डता के बारे में चिंतित थे और राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वसम्मति से एक आग्रह किया और हरेक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया है।

हम महसूस करते हैं कि कानून के शासन और न्यायिक निर्णय का सम्मान किया जाता रहना चाहिए। हम सभी सम्बन्धितों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न की जाए जिससे देश की एकता और अखण्डता प्रभावित हो, जिससे इस देश के लोगों के बीच सौहार्द को नुकसान पहुंचे ताकि यदि इस मामले को न्यायिक निर्णय से नहीं किया जा सके तो इसे बातचीत के माध्यम से हल किया जा सके। यह स्थिति सब को स्वीकार होनी चाहिए और इस दृष्टि से मैं राष्ट्रीय एकता परिषद को बधाई देता हूं।

हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते है कि कानून का शासन बनाए रखने और उस पवित्र स्थल की ऐसी सुरक्षा बनाए रखने के लिए और हमारे संवैधानिक आधार को भी बनाए रखने के लिए इस दिशा में प्रधानमंत्री के निर्णय को लागू करना होगा। यदि उस दिशा में कार्रवाई की गई तो हम सब उसको अपना पूर्ण समर्थन देंगे। इस बात पर आश्वासन दे सकता हूं। परन्तु इस देश में सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखने के लिए हमें साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। कृपया देश को दो टुकड़ों में न बांटे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्याय महोदय, मेरे मित्र और श्रद्धेय सहयोगी, श्री सोमनाथ जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद की कल की बैठक का उल्लेख किया है। यदि उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मुझे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी पड़ती।

कुछ सप्ताह पहले जब प्रधान मंत्री ने मुझ से यह जिक्र किया कि अयोध्या की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने की मांग की जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि अयोध्या एक विवादास्पद मुद्दा है, जैसाकि अब यह बन गया है और इसे बातचीत से और चर्चा करके निपटाया जाना चाहिए। यह चौथा मौका होगा जबकि राष्ट्रीय एकता परिषद इस मामले पर चर्चा करेगी। राष्ट्रीय एकता परिषद एक बड़ी समिति है। यह मंच ऐसी प्रकृति का है कि जहां पर बातचीत नहीं होती है, बल्कि भाषणबाजी होती है। (**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : संकल्प भी पारित किए जाते है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि जो संकल्प कल पारित करवाना चाहते थे, वह पारित नहीं हुआ।

श्री पी० सी० थामस : पहले कुछ निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया परन्तु कुछ लोगों ने उनका उल्लंघन किया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं कल की कार्यवाहियों के बारे में बहुत प्रसन्न हूं यद्यपि हम कल उपस्थित नहीं थे । प्रधान मंत्री ने हम से कहा कि यदि हम इसमें दूर रहें तो बैठक करने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा । तीन या चार सप्ताह पहले उन्होंने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसके बावजूद भी मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री या किसी भी सरकार को संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद से कोई विशेष प्राधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है । संविधान की रक्षा करना उसका दायित्व है । जैसे कानून का शासन बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है वैसे ही इसे बनाए रखना राष्ट्रीय एकता का भी दायित्व है ।

अतः मेरी पार्टी कानून के शासक के प्रति वचनबद्ध है । हमारे दल की हमेशा यही स्थिति है । परन्तु साथ ही मैं यह बात कहना चाहता हूं, जोकि किसी ने कही है जिसका हमारे दल से कोई भी लेना देना नहीं है जिसका कई वर्षों से आपके साथ गठबंधन है, कुमारी जयललिता ने कल कहा । यह एक जोरदार भाषण था । मैंने इस भाषण के पाठ को पढ़ा जिसमें उन्होंने मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत का जिक्र किया था, और कहा था कि—श्री इन्द्रजीत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है क्योंकि उसे भय था कि उसे अलग-अलग कर दिया जायेगा—भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक में अलग-अलग किया जा सकता है परन्तु यदि आप बाहर जाकर देखना चाहें तो अधिकांश लोग अयोध्या में मंदिर निर्मित करना चाहते हैं । उन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर निर्माण करने की इच्छा से राष्ट्र की आकांक्षाओं का पता चलता है । इसके अलावा उन्होंने बहुत सी मान्य बातें भी कहीं थीं परन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्होंने यह भी कहा कि "मस्जिद मत तोड़ो" ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे मालूम है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप उनकी बात उद्धृत कर रहे हैं तो ईमानदारी से उद्धृत करें । उन्होंने यह कहा था कि यदि आप मस्जिद तोड़े बगैर मंदिर निर्माण करना चाहते हैं तो करें । (**व्यवधान**)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं मस्जिद को गिराए जाने के पक्ष में नहीं हूं । मैं हिन्दू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं का सम्मान किए जाने के पक्ष में हूं । कुछ समय पहले मेरे मित्र श्री सुलेमान सेठ यहां पर मौजूद थे । पिछले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था जिसका प्रधानमंत्री ने उत्तर नहीं दिया था । यहां पर बैठे कोई मंत्री उसका उत्तर देना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि जब आप यह कहते हैं कि हम मस्जिद की रक्षा कर रहे हैं तो आप केवल ढांचे की रक्षा कर रहे हैं । उन्होंने कहा था, "मेरा विश्वास है कि मस्जिद की सुरक्षा करने का मतलब है उस स्थान से मूर्तियों को हटाना ।" सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या वह उस स्थान से मूर्तियां हटाना चाहती है । सरकार को यह बताना चाहिए क्योंकि यही मांग उठाई गई है ।

मेरा कहना यह है कि मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों की भावनाओं का सम्मान किया जाए । हिन्दू इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं क्योंकि ऐसा विश्वास है कि वह भगवान राम का जन्म स्थान है । मुसलमान इस मुद्दे से वहां पर स्थित ढांचे के कारण जुड़े हुए हैं ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : 1949 से पहले क्या स्थिति थी ? आप 1949 की स्थिति को ध्यान में रखिए ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यह एक मुद्दा है और जिसके साथ ढांचे की समस्या और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहित की गई 2.77 एकड़ भूमि जहां कारसेवा शुरू होने वाली है की समस्या को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए । यदि आप इन दोनों बातों को अलग-अलग नहीं करते हैं तो इसका समाधान बहुत कठिन हो जाएगा । अतः मैं सरकार से इन दोनों बातों को अलग-अलग करने का आग्रह करता हूं जिससे 6 दिसम्बर से कारसेवा आरंभ हो सके । मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि उसके बाद चर्चा और बातचीत से या कानूनी तरीके से ढांचे की समस्या को हल किया जाए ।

(**व्यवधान**)

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं वही बात कह रहा हूं जो अभी-अभी विपक्ष के माननीय नेता ने कही है । वह चाहते हैं कि 2.77 एकड़ भूमि और विवादित ढांचे को पूरी तरह से अलग किया जाय । मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अन्ततः यह उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार पर आता है, कि क्या वह जिस भवन का निर्माण करने की योजना है उसका प्रमाणिक नक्शा हमें देने को तैयार हैं ।

[**हिन्दी**]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं यू० पी० गवर्नमेंट नहीं हूं ।

[**अनुवाद**]

...(**व्यवधान**)...यह ठीक वैसा ही है जैसाकि सरकार पिछले डेढ़ वर्ष से करती आ रही है । केन्द्र सरकार को केवल दो ही बातों की चिन्ता होनी चाहिए थी पहली ढांचे के संरक्षण और सुरक्षा की और दूसरी साम्प्रदायिक सौहार्द की । इसके बजाय वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनादेश को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हरेक कदम के बारे में चिन्तित है । उत्तर प्रदेश सरकार कानून के शासन के प्रति बचनबद्ध है । उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है । उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के प्रति बचनबद्ध है, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार उस जनादेश के प्रति भी सजग है जो राज्य के लोगों से उसे मिला है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आडवाणी जी ने एक उस बात का उल्लेख किया जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह बात मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद की कल हुई बैठक में कही थी । उन्होंने कहा था कि मैंने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैठक में इसलिए भाग नहीं ले रही है क्योंकि उसे यह भय है कि उसे अलग-थलग कर दिया जाएगा । परन्तु उन्होंने उसी बात के दूसरे भाग का उल्लेख नहीं किया जिसमें मैंने उनके एक वरिष्ठ नेता के समाचार पत्र में प्रकाशित हुए, वक्तव्य का हवाला दिया है । उन्होंने कहा था कि यह बैठक हमें अलग-थलग करने के लिए बुलाई गई है । यह बात उन्होंने कही थी, "हमें मालूम है कि यह बैठक क्यों बुलाई गई है । इसमें कोई समाधान नहीं ढूढा जाएगा । यह बैठक केवल हमें अलग-थलग करने के लिए बुलाई जा रही है इसलिए हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं ।" मैंने इसी वक्तव्य का उल्लेख किया था ।

और उनके मामले पर उनकी नई मित्र और सहयोगी सुश्री जयललिता ने काफी बहस की थी और उन्होंने भी कहा था कि 2.77 एकड़ भूमि पर निर्माण होने दें।···(**व्यवधान**)···यह कार्यवाही वृत्तांत में है आप यहां पर तर्क नहीं कर सकते हैं, कृपया देखें कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : आप वरिष्ठ अनुभवी नेता है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप कल बैठक में मौजूद थे ?

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मैं बैठक में नहीं आ सका, परन्तु संसदीय शिष्टाचार भी कोई चीज है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, यद्यपि श्री आडवाणी वहां पर नहीं थे परन्तु आडवाणी जी के लिए यह अच्छी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर था जिसने उनकी ओर से ये बातें उठाईं। मैं यही कह रहा हूं। लेकिन संदर्भ से इतर बात भा० ज० पा० नेता के वक्तव्य से उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि मैंने उसका उल्लेख किया है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, हमारे प्रिय मित्र श्री आडवाणी जी कल उपस्थित नहीं थे। अब उनका कहना यह है कि संकल्प सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने ऐसा नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

दो पेज का एक प्रपोजल था जो गवर्नमेंट लाई थी और वह स्वीकार नहीं हुआ। बार लाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर को कांस्टीच्युशन को डिफेंड करने के लिए अथाराइज किया गया। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : रेजोल्युशन वही था जिसमें प्रधानमंत्री को अथाराइज किया गया। ······(**व्यवधान**) अभी होम मिनिस्टर साहब ने पूछा कि आप कोई अधिकृत नक्शा मंदिर बनाने का पेश करेंगे। आज तक इन्होंने पेश नहीं किया है। तब आडवाणी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। जब मुख्य मंत्रीजी की तरफ से कुछ कहने की बात होती है तब आडवाणी जी मुख्यमंत्री जी का भी काम करते हैं और बी० जे० पी० के लीडर का भी काम करते है, दोनों काम करते हैं। आडवाणी जी के आदेश पर कोई बी०जे०पी० का मुख्यमंत्री एन०आई०सी० में शामिल नहीं हुआ और हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस देना पड़ा है। उनको समय दिया गया कि आप बताइए कि इसकी रक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, लेकिन उस पर भी बराबर टालते जाते हैं। आज तक उसका जवाब नहीं दिया···(**व्यवधान**) सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2.77 एकड़ पर भी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी ने अन्य संगठनों के साथ इसका आह्वान किया है कि छह दिसम्बर से उसी जगह पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, उसी पर कहा है कि कार-सेवक आए और उसी पर बनाएं। क्या वह गैर-कानूनी नहीं है। क्या यह शांति भंग करने का तरीका नहीं है। क्या यह साम्प्रदायिक सद्भावना को तोड़ने का तरीका नहीं है। न्यायालय की बात को नहीं मानना, देश की बात को नहीं मानना और राष्ट्रीय एकता की बात को नहीं मानना और हर चीज को तोड़ने की आज

बी० जे० पी० ने कसम खा ली है। सारा देश इकट्ठा है बी० जे० पी० की इस दलील के खिलाफ… (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सूखे के विषय में श्री फातमी जी कुछ कहेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, आडवाणी जी ने सवाल उठाया कि स्ट्रक्चर जो है…… (व्यवधान) मुझे यह कहना है कि ये दोनों चीजें डिस्प्युटेड हैं, यह डिस्कंटेन्मेंट आपस में बातचीत से हल हो सकता है। … (व्यवधान) ऐसी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी मानने को तैयार नहीं है, ऐसी सरकार जो हिन्दुस्तान के अन्दर साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाने वाली है, उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार के ऊपर भारत की सरकार एक्शन ले और अगर जरूरत पड़े तो इसको हटाने का काम करे…… (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सूखे के बारे में ही बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पटनायक जी बोलेंगे। उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मुद्दा रखना चाहता हूं। अब वह बिल्कुल स्पष्ट है…… (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना जी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मैं गृह मंत्री महोदय से केवल एक बात जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। श्री पटनायक जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, बोलंगीर में असामयिक वर्षा के बावजूद भी, बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष सूखे की काली छाया व्यापक रूप से मंडरा रही है।

01.00 म० प०

सभी खण्ड सूखे से बुरी तरह प्रभावित है, जिसकी वजह से भूमिहीन, सीमान्त और लघु किसान भारी-संख्या में पलायन करने को मजबूर हो गये हैं। खाद्यान्न घटिया किस्म के हैं। वास्तव में यह शर्मनाक बात है कि हम मस्जिद-मंदिर विवाद पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जब कि केन्द्र-सरकार की असंगत खाद्यान (खरीद-फरोख्त, नियंत्रण और वितरण) व्यवस्था के कारण, भारत की

जनता, विशेषकर उड़ीसा के पश्चिमी-हिस्सों अर्थात् बोलंगीर, कालाहांडी, कोरापुट, फूलबनी और सम्बलपुर एवं धनकेनाल के कुछ खण्डों के लोग भूखों मर रहे हैं। खाद्यानों की उपलब्धता गरीब लोगों की पहुंच से बाहर है। मानव-जीवन का व्यापार प्रचलित है। स्थिति पर काबू पाने तथा लोगों की रहन-सहन की परिस्थितियों को सुधारने में राज्य सरकार का राहत-तंत्र बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से हजारों लोग पड़ौसी-राज्यों में पलायन कर रहे हैं और राज्य-सरकार कुछ नहीं कर रही है। यही उपयुक्त समय है जबकि सरकार को प्रभावित-क्षेत्रों में आवश्यक राहत-उपाय करने चाहिएं और इन अपेक्षित लोगों को तुरन्त इस बुरे समय में सहायता करनी चाहिए। अन्यथा, बोलंगीर में 1964 जैसा ही अकाल पड़ जायेगा।

श्री मृत्युञ्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, सामान्यतः सारे उड़ीसा में और विशेषकर इसके फूलबनी और बोलंगीर जिलों में सूखा की भारी स्थिति व्यापत है। गुडुवेल्ला, देवगाम, सोनपुर, कोंवामल, हरामंगा, बौध और बेलुमुंडा खण्ड सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप कृषि मंत्री महोदय को यह आवश्यक निदेश दें कि वह उड़ीसा के उल्लिखित खंडों और जिलों का सूखे की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ-दल भेजें।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : क्योंकि यहां श्री आडवाणी जी ने एक बयान दिया है, अतः मैं आपके सम्मुख एक मुद्दा रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, वह उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं हैं। अतः, वह उत्तर नहीं दे सकते।" लेकिन वह इस सभा में विपक्ष के नेता हैं और इस देश को आगे ले जाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। गृह मंत्री श्री चह्वान, ने एक अहम् प्रश्न पूछा था और उस पर उन्होंने यह कहा था। क्या आडवाणी जी इस प्रस्ताव से सहमत होंगे कि इस ढांचे — यह बाबरी मस्जिद ढांचे के नाम से जाना जाता है — के बारे में न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह न्यायालय के उस निर्णय का पालन करेंगे क्योंकि यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं लिया जाना है। वह कहते हैं कि वह संविधान की मर्यादा बनाये हुए हैं। वह कानून के शासन में विश्वास रखते हैं। मेरे विचार से, न्यायिक-निर्णय कानून के शासन को बनाये रखने का एक अंग है।

क्या आडवाणी जी और भा० ज० पा० सुस्पष्ट रूप से यह आश्वासन देने को तैयार है कि यदि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि ढांचे के विषय में न्यायालय का निर्णय होता है, तो वे इस निर्णय की पालना करेंगे और जब तक उस प्रश्न पर न्यायालय का निर्णय लागू है, वे कुछ नहीं करेंगे ?

मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री आडवाणी जी ने एक ऐसा बयान दिया है, जोकि, मैं समझता हूं, सही दिशा में था। (**व्यवधान**) मैं उपाध्यक्ष महोदय और श्री आडवाणी जी से बातचीत कर रहा हूं, न कि हरेक से।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : हम भी यहां बैठे हुए हैं।

श्री चन्द्र शेखर : सही है। जब आपको बोलना है, आप बोलिए। (**व्यवधान**) अब आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। (**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, वह यहां सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जब उनकी बारी आयेगी, तभी उन्हें बोलना चाहिए। मैं बोल रहा हूं। अतः, उन्हें सुनना चाहिए।

मैंने आज श्री आडवाणी का एक बयान पढ़ा है कि 2.77 और बाबरी मस्जिद ढांचा—इन दो मुद्दों को अलग-अलग किया जाना चाहिये। मगर वह योजना-प्रारूप देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वह उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या वह आश्वासन देने को तैयार है कि वह न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेंगे और तब तक वे इस ढांचे में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इससे एक उम्मीद पैदा होती है, जहां हम इस समस्या को सौहार्दपूर्ण एवं शान्तिपूर्वक ढंग से सुलझा सकते हैं क्योंकि इसमें अनेक बड़ी अड़चनें हैं? मैं श्री आडवाणी जी और भा० जा० पा० को अंधेरे में रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बल्कि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री आडवाणी जी से अति विनम्र निवेदन करूंगा कि यह मुद्दा बहुत गम्भीर है और हमें इस समस्या को एक हद से ज्यादा उलझाना नहीं चाहिये। अन्यथा भा० ज० पा०, सी० पी० आई० अथवा सी० पी० आई० (एम०) के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के रूप में हमें इसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा क्योंकि एक सीमा ऐसी है, जहां से हमें इतिहास को दोबारा-लिखे जाने की कोशिश को बंद कर देना चाहिए क्योंकि जब इतिहास हमसे बदला लेता है, तो कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि अगर आडवाणी जी वह दृष्टिकोण अपना लेते हैं, तो इस समस्या का हल ढूंढने की कुछ उम्मीद हो सकती है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनुरोध कि दो मुद्दों को पृथक-पृथक किया जाय, के आधार पर इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और एक ऐसे व्यक्ति जिसका कि मैं अत्यन्त सम्मान करता हूं, श्री चन्द्रशेखर जी ने एक बहुत ही अहम् प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है कि यदि भा० ज० पा० यह वायदा करने के लिये राजी है कि जहां तक ढांचे का सम्बन्ध है, अगर ढांचा संरक्षित रखा जायेगा और ढांचे के बारे में कुछ नहीं किया जायेगा, उनके अनुसार, जब तक कि न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है; तो फिर ये दो मुद्दे अलग-अलग किए जा सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि उन्होंने उन रिपोर्टों का अनुसरण किया है अथवा नहीं जिसमें मैंने यह कहा था कि एक केबिनेट मंत्री ने मुझे एक लिखित प्रस्ताव दिया था जिसमें यह सुझाया गया था कि कार-सेवा सम्भवतः शुरू की जा सकती है, यदि कार-सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति ही यह वायदा करें कि ढांचे की सुरक्षा उस समय तक की जाएगी, जब तक कि बात-चीत द्वारा अथवा न्यायिक-निर्णय द्वारा इस बारे में एक समझौता नहीं हो जाता है। उस पर मेरी प्रतिक्रिया यह थी कि 'न्यायिक-निर्णय' की बजाय, मैं चाहूंगा कि 'कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा' शब्द हों। मैंने यह कहा था और संकेत किया था कि इस सभा ने धार्मिक-स्थल सम्बन्धी विधेयक पारित कर दिया है, यद्यपि यह मांग है कि वाराणसी और मथुरा को पुनः मन्दिरों में परिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि मौलिक रूप में वहां मन्दिर ही थे। लेकिन इस सभा ने, अपने विवेक से यह निर्णय लिया कि अयोध्या के सिवाय, देश में अन्य धार्मिक-स्थलों का उसी तरह अनुरक्षण किया जाता रहेगा जैसे कि उनका अनुरक्षण 15 अगस्त के समय किया जाता था, इस प्रकार मथुरा और वाराणसी के मुद्दों को विधान बना कर बन्द कर दिया गया। विधान बनाना भी एक कानूनी प्रक्रिया है। यह एक न्यायिक निर्णय नहीं है। अतः जब मुझे यह सुझाव दिया गया कि कभी अयोध्या का ढांचा एक मन्दिर था अथवा नहीं, पर क्या हम एक न्यायिक निर्णय पसन्द करते है, तो मैंने कहा था, "अगर आप ऐसा करते हैं, पहले तो आप एक बुरा-उदाहरण स्थापित कर रहे हैं और दूसरे, मैं यहां पर देश में स्थित हजारों स्थलों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, बल्कि तीन-स्थानों के बारे में उल्लेख कर रहा हूं जिनके बारे में मैं अभी तक बोला नहीं हूं।

अगर आप उन तीनों ही स्थानों के लिए न्यायिक-अभिनिर्णय का उल्लेख करते हैं, तो जो कुछ भी निर्णय होंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा।" ··· (व्यवधान) ···महोदय, अतः मैं कह रहा हूं कि सिद्धान्त न्यायोचित होने चाहिएं और उनमें दोहरे मापदण्ड नहीं होने चाहिएं। इस मामले में, मैंने प्रधान मंत्री जी को भी यही बात कही थी। इसके बाद, एक केबिनेट-मंत्री, जोकि इन दो से तीन महीनों की अवधि में छह बार मुझे मिले हैं, ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। बाद में मुझे बताया गया था कि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे और यह कि वह प्रस्ताव सरकार का प्रस्ताव नहीं था। मैं यह नहीं मानता था। यह छल-कपट है; यह ऐसा था वैसा था। मैंने समझा, "सही है। तो फिर मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है क्योंकि मुझे इसी सुझाव पर मैंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ था कि इन दो मुद्दों को अलग-अलग करने का यह एक अत्यन्त ठोस तरीका है।"

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री चन्द्रशेखर जी सहमत होंगे कि जब मैंने पिछली बार प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था, तो मैंने उन्हें यह अनुरोध किया था कि वह बात को वहीं से शुरू करें, जहां से उन्होंने इसे अधूरा छोड़ा था। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। उत्तर-प्रदेश सरकार को वास्तव में इसके बारे में जानकारी थी। जब इसने भूमि अधिग्रहण की, तो इसने ढांचे के बाहर 2.77 एकड़ भूमि ही अधिग्रहण की, अर्थात् दो मुद्दों को पृथक-पृथक किया। इसने जैसे वी० पी० सिंह जी ने सारी भूमि को अधिगृहित कर लिया था, वैसे भूमि अधिगृहित नहीं की। पिछले तीन-चार महीनों में इस सरकार ने दोनों मुद्दों को मिश्रित कर दिया है और इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें एक विवाद उठता दृष्टिगोचर होता है। यह विवाद, जिसके बारे में मैं श्री चन्द्रशेखर जी से सहमत हूं, देश के हित में नहीं होगा। शायद इससे मेरे दल को राजनैतिक-लाभ हो सकता है··· (व्यवधान) मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि यह देश के हित में नहीं है। अगर आप मन्दिर-मुद्दे पर उत्तर-प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे··· (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : क्या आप न्यायालय निर्णय की पालना करेंगे ? आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते ? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी बात मैं समझ नहीं रहा। मैं श्री चन्द्रशेखर जी के एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

अभी भी, इन अन्तिम क्षण में सरकार से अपील करता हूं कि इन दो मुद्दों को आपस में न जोड़ने का तरीका ढूंढे और इस समस्या का समाधान हो जायेगा। महोदय, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्री महोदय का नाम।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, भा० ज० पा० इस समस्या का समाधान ढूंढने में रुचि नहीं रखती है। न ही वे किसी न्यायालय-निदेश अथवा न्यायिक-निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हैं। महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है ······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : ये जिस चीज को कहना चाहते हैं कि यू० पी० गवर्नमेंट को डिसमिस कर दो तो आप कर दो न। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : कृपया मुद्दे को टालिए मत। यह बहुत गंभीर मामला है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना, यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था। आप अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। आप जो मुद्दा उठाना चाहते थे उसे पहले ही उठा चुके हैं। भूतपूर्व माननीय प्रधान मंत्री भी इसी विषय पर बोले। यह कोई वार्तालाप नहीं है और न यह लंबे समय के लिए चर्चा हो सकती है। सूखे और बाढ़ की स्थिति से संबंधित मामले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत से सदस्यों को सूखे और बाढ़ की स्थिति पर बोलने का मौका नहीं मिला। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री इस संबंध में किये गए प्रश्नों का उत्तर दें··· (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, गृह मंत्री चुप हैं और वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री को उत्तर देना चाहिए··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप उनसे कहलवाइए कि डिसमिस कर दें।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : ये कोई तरीका नहीं है। आप बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : स्पष्ट उत्तर क्या है? वह एक वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदस्य इस तरीके से उत्तेजित होते रहे, तो मैं यह समझूंगा कि वे कृषि मंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। कृपया बैठ जाइए। मैं माननीय कृषि मंत्री को बुलाता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उन्होंने श्री चन्द्रशेखर के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है कि क्या वह न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। उन्हें श्री चन्द्रशेखर के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यह बात पहले भी आई थी। हम इस पर यहां डिसकशन के लिए तैयार हैं। अगर सदस्य करने दें। जब डिसकशन होगा तो सारी बातें सामने आ जाएंगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे गए पत्र, श्री अर्जुन सिंह

1.14 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री अर्जुन सिंह की तरफ से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :-

(1) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2683/92]

पर्यावरण (संरक्षण) पाँचवा संशोधन नियम, 1992 तथा पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 1992

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री कमलनाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 1992, जो 24 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 688(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 1992, जो 24 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०-2685/92]

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1992, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1992 इत्यादि, इत्यादि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 12)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2686/92]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 13)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2687/92]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 14)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2687/92]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 23 सितम्बर, 1992 को प्रख्यापित लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 15)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2689/92]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर, 1992 को प्रख्यापित दिल्ली विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 16)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2690/92]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्तूबर, 1992 को प्रख्यापित औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 17)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2691/92]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 1992 को प्रख्यापित माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 18)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2692/92]

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 1992 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 19)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2693/92]

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 1992 को प्रख्यापित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1992 (1992 की संख्या 20)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2694/92]

(2) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं) संशोधन नियम, 1992, जो 27 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 745(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2695/92]

रेल रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1992 और भारतीय रेल विनिर्माण कम्पनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन इत्यादि

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत रेल रेड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1992, जो 6 जून, 1992, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 275 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2696/92]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय रेल विनिर्माण कम्पनी लिमिटेड और रेल मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2697/92]

(दो) "राइट्स" और रेल मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2698/92]

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला का वर्ष 1990-91
वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा कार्यकरण
की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर
रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने
वाला एक विवरण, इत्यादि

राज्य सभा द्वारा यथापारित

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी, शिमला के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्ती तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2699/92]

(3) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2700/92[

———

1.115 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेश उपबंध) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[**अनुवाद**]

महा-सचिव : महोदय, मैं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयम, 1992 राज्य सभा द्वारा यथापारित, सभा पटल पर रखता हूं।

———

1.15½ म० प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.16 म० प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.16½ म० प०

रेल अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक) : भारतीय रेलवे द्वारा मैसर्स ए० बी० बी०, स्विटजरलैंड से विद्युत इंजनों की खरीद' के बारे में रेल अभिसमय समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.17 म० प०

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमयि दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

1.17½ म०प०

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० ए० संगमा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

* दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःथापित।

1.18 म० प०

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री अर्जुनसिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं कि सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करने तथा अध्यापक शिक्षा पद्धति में मानकों और स्तरमानों के विनियमन और उन्हें सुचारु रूप से बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास करने तथा अध्यापक शिक्षा पद्धति में मानकों और स्तरमानों के विनियमन और उन्हें सुचारु रूप से बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कुमारी शैलजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमालुद्दीन अहमद—अगला विषय लें ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : पिछली बार यह मामला एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न के रूप में आया था कि अध्यादेश से संबंधित वक्तव्य पहले पढ़ा जाए और फिर विधेयक पुरःस्थापित होना चाहिए या इसके विपरीत करना चाहिए । यह निर्णय लिया गया कि विधेयक के पुरःस्थापन के बाद वक्तव्य देने की परम्परा ऐसी है जिससे यह नियम कुछ गैरकानूनी हो जाता है । हमने सामान्य रूप से उस पर गौर नहीं किया और एक प्रथा के तहत यह कार्यालय विगत में पुनःस्थापना पहले और वक्तव्य बाद में रखता रहा है । पिछली बार सचिवालय के ध्यान में लाया गया कि पहले वक्तव्य देना चाहिए और फिर पुरःस्थापना । मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम भविष्य में इसको इस प्रकार करना चाहिए, वरना वह गैरकानूनी हो जाएगा । इस मामले में अध्यक्ष का विनिर्णय है ।

---

* दिनांक 24-11-1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

1.20 म० प०

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2701/92]

1.20½ म० प0

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम 1981 में और संशोधन करने के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 24-11-92 के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

1.21 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों में किसानों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। सूखा-प्रवण फूलबनी, कालाहान्डी ओर बोलांगीर जिलों के अतिरिक्त, अन्य जिले, कोरापुट, सम्बलपुर, धेनकनाल, सुन्दरगढ़ और क्योंझर अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहे हैं। कोरापुट और कालाहांडी जिले सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। इनमें से ज्यादातार जिलों में, कृषकों की फसलों को 50 से 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है इसमें सिंचित भूमि शामिल नहीं है। हालांकि बुआई के समय शुरू में अच्छी वर्षा से बेहतर फसल की संभावना थी पर कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की वजह से बाढ़ आ गई जिससे फसलों को हानि हुई। इसी प्रकार कुछ जिलों में वर्षा बहुत कम हुई और खड़ी हुई फसल भी सूख गई और पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई। इन सभी कारणों से इन जिलों में भीषण अकाल उत्पन्न हो गया है।

अगर किसानों को उदार तरीके से मदद करने के लिए तुरन्त कोई कदम न उठाए गए वे इस वर्ष हुई हानि को वहन नहीं कर पाएंगे। युद्ध स्तर पर राहत देने और कृषकों के पुनर्वास के लिए तुरंत कदम उठाने के अलावा, उनके अल्प अवधि ऋण को दीर्घ अवधि ऋण में परिवर्तन कर देना चाहिए।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उड़ीसा में केन्द्रीय अध्ययन दल भेजें जो खरीफ मौसम के दौरान फसल को हुई क्षति का मूल्यांकन करे और फिर सरकार से सिफारिश करे कि वह कृषकों को तुरन्त आवश्यक केन्द्रीय सहायता दें।

(दो) चक्रवात से प्रभावित लोगो को राहत प्रदान करने के लिए केरल सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : केरल में हाल में आए चक्रावत और बाढ़ ने जीवन और सम्पत्ति को अत्यधिक हानि पहुंचाई है। कुल हानि अनुमानतः पांच सौ करोड़ रुपये हुई है। सड़कों और पुलों को व्यापक रूप से क्षति पहुंची। राज्य के बहुत से हिस्सों में यातायात सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं और उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है।

पलक्कड़ केरल का चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। चित्तूर तीन मुख्य तालुक में से है जहां धान उगाया जाता है। उस जिले में जो अचानक तेज बाढ़ आई, उसमें मुतंरा बांध जो कृषि के लिए जल का वितरण करता था, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा अनुमान है कि इस बांध की मरम्मत करने के लिए, कम से कम 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। अगर युद्ध स्तर पर इसकी मरम्मत नहीं हुई, तो उस जिले के कृषक अगली फसल नहीं उपजा सकेंगे। केरल जैसे राज्य के लिए इसका नतीजा असहनीय होगा जोकि खाद्यान्न की कमी वाला राज्य है। इससे बहुत सी भुखमरी की मौत होंगी।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सम्पत्ति की हानि के अलावा, जीवन की क्षति भी बहुत अधिक रही है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, 42 व्यक्तियों ने अपना जीवन गंवा दिया है। बहुत से लोग घायल हुए या लापता हैं।

इस आपदा के कारण आम व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है केवल केन्द्र सरकार की उदार मदद से ही जीवन सामान्य बहाल किया जा सकता है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि केरल की मदद करने के लिए आपदा राहत कोष से तुरन्त विशेष सहायता जारी की जाए।

(तीन) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में बीरमित्रपुर में खनन कार्यों में लगे आदिवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और आवास, चिकित्सा सहायता आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के बिरमित्रपुर में कामगारों की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूंगी। हजारों कामगार बी० एस० एल० में और बिरमित्रपुर में अन्य खानों में लगे हुए हैं। वास्तव में, खानों में, उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत बी०एस०एल० ही है। परन्तु यह खेदजनक है कि मजदूरों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। प्रत्येक मजदूर को एक दिन में केवल 10 रुपये मिल रहे हैं। खान के मालिक और ठेकेदार, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं ज्यादातर मजदूर आदिवासी समुदाय के हैं। कम्पनी अथवा खान के मालिक उन्हें घर या उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा इत्यादि नहीं दे रहे। उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। इसके कारणवश, वह विभिन्न बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। ज्यादातर मजदूर तपेदिक, कैंसर और अन्य भयंकर रोगों से पीड़ित हैं। कम्पनी द्वारा बीमार लोगों को किसी प्रकार की चिकित्सा देने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बी० एस० एल० और बिरमित्रपुर की अन्य खानों में लगे हुए मजदूरों को न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाएं दें।

[हिन्दी]

(चार) बरेली, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर है। बरेली में दस हजार लाइन का इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। परन्तु अभी तक उपयुक्त निर्देश इस संबंध में संचार मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। बरेली टेलीफोन उपभोक्ता वर्तमान संचार प्रणाली से अत्यधिक क्षुब्ध हैं तथा अधिकांश टेलीफोन निरंतर खराब रहते हैं तथा स्वयं कई जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायतें भी की गई हैं। इस कारण बरेली संचार विभाग का राजस्व भी नहीं बढ़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बरेली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरेली में दस हजार लाइन के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की घोषणा शीघ्र की जाए।

(पांच) बिहार में कैमूर पहाड़ी क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र से अलग रखे जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) महोदय, बिहार राज्य के रोहतास जिले में एक कैमूर पहाड़ी का रेंज फैला हुआ है जो राष्ट्रीय उच्च पथ (शेरशाह सूरी) के समानान्तर पूरब से पश्चिम की और करीब 40 (चालीस) कि० मी० लम्बा है। यह एक मृत पहाड़ी है। इस पहाड़ी में मात्र पहाड़ी पत्थर ही हैं। वृक्षों का नामोनिशान नहीं है। 1911 के सर्वे में ये भू-भाग वन क्षेत्र में नहीं था। 1953 के वन क्षेत्र के अधिसूचना के अन्तर्गत यह भाग वन क्षेत्र में नहीं था। सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र के उद्यमियों ने इस पहाड़ी पर व्यवसाय (पत्थर का) खड़ा कर लिया है। इस क्षेत्र में पत्थर काटने और स्टोन चिप्स बनाने की कम से कम 1000 (एक हजार) क्रेसर मशीन स्थापित कर चुके हैं। इस व्यवसाय में लगभग 40,000 (चालीस हजार) मजदूर कार्यरत हैं। यहां के पत्थर बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में स्टोन मेटल और स्टोन चिप्स की आपूर्ति करते हैं। यही व्यवसाय इन लोगों की जीविका का एकमात्र साधन है। 1970 के सर्वे में इस क्षेत्र को वन घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण का सम्बन्ध इस क्षेत्र से जोड़कर सेकड़ों वर्षों से लगे पत्थर व्यवसायियों के रोज गार बन्द होने की नौबत आ गयी है। साथ ही इस व्यवसाय में लगे 40,000 (चालीस हजार) मजदूरों की रोटी बंद होने की नौबत आ गई है। अतः मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र को वन क्षेत्र से अलग घोषित किया जाए और साथ ही 40,000 (चालीस हजार) मजदूरों की जान की रक्षा की जाए।

(छः) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में खाना बनाने की गैस की और अधिक एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैट्रोलियम मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्नाव जनपद में कुकिंग गैस एजेन्सियों की भारी कमी होने के कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव जनपद के बागर-भाऊ टाउन एरिया जोकि प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी है, की अबादी 60 - 70 हजार के आसपास है, लेकिन उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए 60 किलोमीटर दूर उन्नाव जाना होता है जिससे कि कई-कई दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार सफीपुर तहसील में कोई गैस एजेन्सी नहीं है। यहां की आबादी करीब 30-35 हजार के आसपास है लेकिन उपभोक्ताओं को गैस एजेन्सी की सुविधा नहीं है। उन्नाव जनपद के शुक्लागंज में भी एक ही गैस एजेन्सी है जबकि उपभोक्ताओं की संख्या करीब 60-70 हजार है।

अतएव मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्नाव जनपद में कुकिंग गैस एजेन्सियों की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि इस जिले के लोगों को कोई असुविधा न हो।

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घकालिक योजना आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य भयंकर सूखे की चपेट में आया हुआ है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट भयावह हो गया है। जितने

कुएं और चापाकल हैं, वे सभी के सभी सूख चुके हैं जिसके कारण जहानाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बाहर से लोग पानी ला-लाकर जान बचा रहे हैं—जैसे मखदूमपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम कोहरा, ग्राम मखदूमपुर बाजार, ग्राम रेहटा, ग्राम मदारीचक, ग्राम महादेव विगहा, ग्राम लोहगढ़, ग्राम अकबरपुर, ग्राम भकपा, काको प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम नोनही, ग्राम दौलतपुर, ग्राम नारायणपुर। पटना जिला के धनरूआ प्रखण्ड के ग्राम रेड़विगहा नसरतपुर, ग्राम पभेड़ा, ग्राम पभेड़ी इत्यादि गांव।

राज्य सरकार इन सब गांवों को पेयजल की उपलब्धता कराने में असमर्थ है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पेयजल उपलब्ध कराने की दीर्घकालिक योजना तैयार करवा कर उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कराये।

———

[**अनुवाद**]

1.31 **म० प०**

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोकसभा 2.35 **म०प० पर पुनः समवेत हुई।**

(**उपाध्यक्ष महोदय पीनसीन हुए**)

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब विचार हेतु तथा पारित करने के लिए विधेयक। श्री बलराम जाखड़।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास का और सहबद्ध विज्ञान सम्बन्धी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किये जाये।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और मिजोरम में उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नहीं है। यह उनकी बहुत समय से यह इच्छा थी और एक व्यवहारिक आवश्यकता थी कि एक कृषि व्यवस्था हो, ताकि वह उस क्षेत्र के सामान्यतः कृषकों तक आवश्यक जानकारी पहुंचा सके। आगामी वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में, जनशक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। मैं इस बारे में आंकड़े देता हूं कि 500 कृषि स्नातक और बाकी विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे बागवानी, वानिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन, कृषि इन्जीनियरिंग और गृह विज्ञान में प्रत्येक में 300 की जरूरत होंगी। इस प्रकार उस क्षेत्र की भी यह काफी अर्से से इच्छा थी।

देश को दूसरे राज्यों को उनका हिस्सा मिला है, उनके पास कृषि विश्वविद्यालय है। कुछ राज्यों में दो हैं। दूसरी व्यवस्था भी है, एक छोटे विश्व विद्यालय की तरह संस्थाएं हैं, प्रसार सेवा है। परन्तु देश को यह नहीं मिला··· (**व्यवधान**)

*राष्ट्रपति की सिफारिस से प्रस्तुत।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : क्यों ?

श्री बलराम जाखड़ : यह राज्य के छोटे आकार की वजह से था। उसके लिए कोई और प्रावधान नहीं थे। इसलिए मैं उसे पूरा कर रहा हूं। हमें असंतुलन समाप्त करना होगा। हमें ऐसा वातावरण बनाना है, जिससे वह देश के दूसरे विकसित क्षेत्रों के साथ-साथ चल सके और हम इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते ··· (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सद्‌बुद्धि आपको बहुत देर से आई।

श्री बलराम जाखड़ : देर आए दुरुस्त आए। यह करना आवश्यक है। मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। मुझे बहुत से कार्य करने पड़े, उसके लिए आधार बनाया और सब कार्य किए। मेरे विचार में, यह दिशा में सही कदम है। हमने इसके साथ कुछ और कालेजों को सम्बद्ध भी करवाया है। हरेक राज्य में कालेज स्थापित किए हैं, मणिपुर में कृषि कालेज, मिजोरम में पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, त्रिपुरा में मत्स्यपालन, विज्ञान कालेज, अरुणाचल प्रदेश में बागवानी और वानिकी कालेज, मेघालय में गृह विज्ञान कालेज, सिक्किम में कृषि इन्जीनियरी और फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कालेज और मेघालय में बारापानी में आइ०सी०ए०आर० अनुसंधान के अन्तर्गत स्नातकोत्तर कालेज। यह सब एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग करेंगे। छात्रों को पढ़ाने के लिए हमारी सेवाओं के विकास के लिए बुनियादि ढांचा होगा। अगर आप जानते नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते। जिन लोगों ने यह ज्ञान अर्जित किया है, तरक्की की है, उनकी आय ज्यादा हुई है, और वह समाज के कल्याण की दिशा में पूरे देश की समृद्धि में बहुत योगदान दे रहे हैं।

स्वाभाविक रूप से यह इस क्षेत्र की बहुत समय से इच्छा थी। मेरे विचार में इस समय हमने इसे पूरा कर दिया है और हालांकि इसमें देरी हुई है लेकिन मैं समझता हूं कि हम इसकी क्षतिपूर्ति कर कर लेंगे। हम तेजी से कार्य करेंगे और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे जिस पर हमें गर्व होगा। मेरे विचार में, इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। हम सब चाहते थे कि यह क्षेत्र विकास करे और हमारे स्तर तक पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास का और कृषि सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या के अभिवर्धन और अनुसन्धान को अग्रसर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार विचार किया जाए।"

इस विधेयक के लिए निर्धारित समय दो घंटे है। प्रत्येक राजनीतिक दल को निम्नलिखित समय आबंटित किया गया है :—

कांग्रेस (आई)	—	52 मिनट
बी० जे० पी०	—	25 मिनट
जनता दल	—	12 मिनट
सी० पी० आई० (एम)	—	7 मिनट

सी० पी० आई०	—	3 मिनट
ए० आई० ए० डी० एम० के०—	—	2 मिनट और अन्य राजनैतिक दल—प्रत्येक को एक मिनट ।

श्री तागजीभाई वेकारिया ।

[हिन्दी]

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में प्रस्तुत विधेयक पर आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

हमारे देश में कृषि के बारे में सही जानकारी और वैज्ञानिक ढंग से कैसे कृषि की जाए, इस बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने की अभी पूरी व्यवस्था नहीं है । पूर्वांचल क्षेत्र में इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह कदम जो उठाया गया है यह बहुत आवश्यक था, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आज तक का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि आजादी के 46 वर्ष बाद भी हम लोग कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और जितनी उन्नति हमको कृषि क्षेत्र में करनी चाहिए थी, उतनी हम नहीं कर पाए हैं । इस क्षेत्र में ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं । इतने समय के बाद पूर्वांचल के लिए जो कदम उठाया गया है, यह अच्छी बात है । दुनिया में जिन देशों में कम बारिश होती है, वहां पर भी बहुत उन्नति हुई है । आस्ट्रेलिया जहां बहुत कम बारिश होती है, वह भी पूरे विश्व में बागवानी के फलों का उत्पादन करके निर्यात करता है और हमारे यहां इतनी भूमि और इतनी बारिश तथा बाकी की सुविधा होने के बाद भी गेहूं तथा अन्य चीजें आयात करते हैं, यह हमारी कमनसीबी है । इतनी सुविधाओं के बाद तो हमको खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है । हमारा कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन कृषि की यहां पर अवहेलना होती रही है, यही कारण है कि हम खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर नहीं है और खाद्यान्न आयात करने पर मजबूर है ।

यह विधेयक जो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में है, आशा है इसके उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन इसके उद्देश्यों में और भी बातों को जोड़ने की आवश्यकता है । क्योंकि देश के अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग चीजों की पैदावार होती है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर होने वाली पैदावार से सम्बन्धित जानकारी वहां के लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । हर प्रान्त के हर जिले में इस तरह की सुविधाएं पहुंचाने की अगर केन्द्र की योजना है तो इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इस संस्थान के वरिष्ठ कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति जी है, लेकिन इसमें ऐसे लोगों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए जिनको वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जानकारी है, जैसाकि मन्त्री महोदय ने भी कहा है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । हमारी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जानकारी भी देश के प्रत्येक स्थान पर पहुंचाई जानी चाहिए और पूरे देश को उन उपलब्धियों का लाभ मिलना चाहिए, इन सारी बातों का समावेश इस विधेयक में किया जाना चाहिए ।

समय कम है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और भारत सरकार विशेषकर अपने माननीय कृषि मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं कि वह इस सदन में इस वर्तमान विधेयक के साथ आये हैं।

इस विधेयक का स्वागत है। माननीय मंत्री जी ने अपने पहले की टिप्पणी में कहा है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालय न होने के कारण, वहां किसी प्रकार का असन्तुलन होना स्वाभाविक था और यह विधेयक इस असन्तुलन को दूर करने के उद्देश्य से ही लाया गया है।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि ही हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है और कृषि के विकास के लिए प्रयास करने चाहिएं, जिसका तात्पर्य है उत्पादन को बढ़ाना चाहिए और इसके साथ, हमें उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर देना चाहिए।

हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पन्तनगर में खुला और तब से सरकार कृषि विश्वविद्यालयों की हरेक राज्य में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है—और अब तक लगभग सभी राज्यों में आठ छोटे राज्यों को छोड़कर, ऐसे विश्व-विद्यालय खोले जा चुके हैं।

जैसाकि कहा गया है, जनसंख्या, आकार आदि की वजह से, पहले यह संभव नहीं था, कि हरेक उत्तर-पूर्व राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। अब भारत सरकार एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाली है। जैसाकि आप जानते हैं, कृषि संविधान के समवर्ती सूची में है और संसद के इस अधिनियम से, हम भारत सरकार को अधिकार देंगे कि वह ऐसा स्वागतपूर्ण कदम उठाएं। इस वजह से, इस मामले में कोई प्रतिवाद नहीं है। उसी समय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे पास कई कृषि विश्वविद्यालय हैं और इनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है अर्थात् हमारे नौजवान पढ़े-लिखे लोगों को, नौजवान शिक्षित स्नातकों को कृषि शिक्षा प्रदान करना। जो अपने आपको कृषि सम्बन्धी रोजगार के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। उनको यह प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें कृषि की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, कृषि से सम्बन्धित मामलों पर उन्हें, व्यावहारिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उनको खेती की समस्याओं से परिचय होगा।

तीसरा यह भी अति आवश्यक है कि इस अनुसन्धान ज्ञान को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समथ बनाने के लिए, इन चीजों का संयोजना करने के लिए, प्रशिक्षण के फल को खेतों तक ले जाने के लिए, जोकि एक विस्तारण है, कृषि अनुसन्धान कार्य और उसके विस्तारण में जिसको खेतों तक ले जाना चाहिए, सुखद समाकलन होना आवश्यक है। लेकिन जो दुखद बात तो यह है कि हम कृषि क्षेत्र में ऐसी बात नहीं देखते। वहां विश्वविद्यालय हैं। वहां पर कुछ हो रहा है। इसमें कोई आशंका नहीं है। इस क्षेत्र में किये गए अनुसन्धान कार्य में सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, में अधिक समन्वय की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में कुछ करें। वह एक "कृषि पंडित" हैं। वह उन समस्याओं को हमसे अधिक अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें भी उन समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए।

पूर्व भारत में, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों में धान ही मुख्य फसल है। वहां पर उत्पादन, अथवा प्रति एकड़ उपज पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों से कम है। उत्तर-पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिंचाई पर्याप्त नहीं है। यहां सिंचाई की कुछ सुविधा तो है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। सिंचाई की सुविधाओं के विषय यह राष्ट्रीय औसत के बहुत नीचे है। वहां उत्पादकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि हालांकि यह विधेयक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित है जिसे उन सुदूरवर्ती इलाकों में कृषि के विकास पर समर्पित किया जाएगा। जिनकी स्थिति की पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश की स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती। उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है। ये विशेष समस्याएं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उत्पादकता के बारे में कुछ करें।

यह भी एक चुनौती है, क्योंकि कुछ भागों में आप बेहतर उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक डालते हैं। हम इससे सहमत हैं कि उर्वरक जरूरी है। हम मानते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु यह जानकारी होनी चाहिए कि एक कृषक विभिन्न क्षेत्रों में कितना व्यय कर सकता है, जोकि क्षेत्र पर निर्भर करता है। आदान लागत, कृषि लागत से उत्पादन और उपज प्रभावित होगी।

इसलिए, अनुसन्धान होना आवश्यक है। तभी हमारे गरीब कृषकों को विभिन्न पिछड़े हुए इलाकों में काफी हद तक लाभ होगा। पुनः फसल पद्धति में शुष्क खेती आदि के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होना आवश्यक है। आज हम गेहूं के आयात पर चर्चा कर रहे हैं। कतिपय क्षेत्रों में, वर्तमान क्षेत्रों में अगर कृषक सम्पूर्ण क्षेत्र में धान की उपज पैदा करे, उसकी उपज शायद ज्यादा न हो। इसके बावजूद धान उगाने की ऐसी विधियां है जिनसे कुछ क्षेत्र में 60 प्रतिशत भाग में अच्छी फसल पैदा हो तो, कुछ में 25 प्रतिशत और कहीं-कहीं इससे कम। लेकिन विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा समुचित विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं समन्वय के अभाव में यह हासिल नहीं हो पाता और प्रत्येक अच्छी फसल उगाना चाहता है। और जब गर्मी में शुष्कता बढ़ती है, तो पानी की कमी होती है, और खेतों में फसल सूख जाती है। दूसरी तरफ, अगर वह धान के बजाए गेहूं उपजाएं, तो फसल को कोई नुकसान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। जब हम विश्वविद्यालय के विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो महोदय, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में एक दूसरा उत्साहवर्धक आयाम आता है कि जब विश्वविद्यालय किसी एक जगह खुलने वाला हो तो उसके सभी संबद्ध कालेज, उसके सभी अवयव एक ही स्थान पर केन्द्रित नहीं हो पाएंगे। इस मामले में, मुख्यालय इम्फाल, मणिपुर की राजधानी में होगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विभिन्न कालेज होंगे। मणिपुर में कृषि महाविद्यालय होगा, जैसाकि मंत्री जी भी कह रहे थे और पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज मिजोरम में होगा। इस तरह से, सब राज्यों में हमारे कुछ कालेज होंगे। यह एक बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है।

बड़े राज्यों के सम्बन्ध में, जब राज्यों की विभिन्न राजधानियों में हमारा विश्वविद्यालय मुख्यालय होता है, जैसाकि उदाहरण के तौर पर, भुवनेश्वर में है, उसी तरीके से विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों पर विभिन्न संकाय खुलने चाहिए। यह एक बहुत अच्छी बात है। परन्तु कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में, महोदय, भारत के राष्ट्रपति विजिटर होंगे और वह उपकुलपति को नियुक्त करेंगे। उप-कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में, आप जानते हैं, जब हम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध मे बात करते हैं तो स्वाभाविक ही है कि हमारे मन में स्वायत्ता का विचार आ जाता है। परन्तु इस क्षेत्र में वास्तविक स्वायत्ता नही है। महोदय, पहले प्रसिद्ध शिक्षाविद् और ख्यातिप्राप्त लोगों को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त किया जाता था। परन्तु आज विभिन्न राज्यों में केवल इस वजह से कि कोई किसी मन्त्री अथवा नौकरशाह के कितने नजदीक है, मध्यस्थ लोगों की नियुक्ति हो रही है, जिसके कारणवश विश्वविद्यालय को हानि होती है और विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का महान कार्य—उनको स्वायत्ता देना और अनुसन्धान कार्य भी करना—आदि को अनदेखा कर दिया जाता है और विश्वविद्यालय बहुत-सी जगह, गन्दी राजनीति का क्षेत्र बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत-से सदस्यों को बोलना है, कृपा कर अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, सही प्रकार के लोगों का चयन होना चाहिए और कृषि विद्यालय में, इस क्षेत्र में जो लोग योग्य हैं, उनकी ही नियुक्ति होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में मैं देखता हूं कि क्षेत्र से अन्य लोगों की नियुक्ति हो रही है, जबकि कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति कृषि विश्व-विद्यालयों को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के पद पर की जा रही है, ऐसा भी हो रहा है।

इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस विश्वविद्यालय में योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हो। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। कृषि क्षेत्र में सुधार की काफी गुंजाइश है। कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी इस उपाय का स्वागत है। इस प्रकार मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह सुविचार उनके मन-मस्तिष्क में पैदा हुआ कि सुदूर पूर्वी हिन्दुस्तान में कृषि के विकास और उन्नयन के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये, इस सम्बन्ध में उन्होंने सदन में एक अच्छा विधेयक रखा है।

मैं सुझाव के तौर पर इतना कहना चाहता हूं कि कुल 64 करोड़ रुपया आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्तावित परिव्यय के लिए रखा है। मैं समझता हूं कि यह उस विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। जब उसके कैम्पस 6 अन्य राज्यों में भी स्थापित करने हैं तो 64 करोड़ रुपये का परिव्यय अत्यन्त अल्प है, उसको बढ़ाया जादा चाहिए।

3.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए परन्तु हम यह देखते हैं कि उत्तरी और पूर्वी हिन्दुस्तान के राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले के लिए दूसरे राज्यों से नाम भेजे जाते है तो जिन राज्यों में पहले से ही ये तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित हैं, उन राज्यों के ही छात्र वहां जाकर गलत निवास का प्रमाणपत्र दाखिल कर दाखिला ले लेते हैं जिससे एक असन्तोष की लहर उन राज्यों में पैदा होती है। इसके बारे में सरकार को गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए क्योंकि जो दस्तावेज यहां रखा है, उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय से केवल 600 कृषि स्नातक, 300 विशेषज्ञ हर साल पैदा करने की आपने सम्भावना व्यक्त की है। जब इतने सीमित स्तर पर कृषि विशेषज्ञ आप पैदा कर रहे हैं तो इस बात की पूरी गारंटी होनी चाहिए कि वहां पर दाखिला लेने वाले छात्र उन राज्यों से सम्बन्धित हों जो वहां के स्थायी निवासी है। परम्परागत रूप से जो उन राज्यों के रहने वाले हैं तो मैं समझता हूं कि बढ़ने वाला असन्तोष है, उसको आसानी से रोक सकते है।

सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के संस्थान के गठन का प्रारूप है, वह हू-ब-हू नकल करके केन्द्रीय विद्यालय के ढांचे की तरह है और आपने उसे ही स्वीकार किया है। आप चांसलर की नियुक्ति के बारे में कहते हैं कि :

"कुलाधिपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और उसकी इस पद पर दुबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी।"

यहां यह बात दुरुस्त लगती है कि उसका पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। पांच साल तक कुलपति का मनोनयन होगा। उसके आगे कहा गया है—

"बशर्ते अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद कुलाधिपति अपने उत्तराधिकारी को अपना कार्यभार सौंपने तक कार्य करता रहेगा।"

यानि उसके बाद उसको छूट है जबकि आने वाले एक-दूसरे पूर्वाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, चांसलर अपने पद पर बना रहेगा। इस तरह का आपने एक स्कोप छोड़ दिया कि एक चांसलर पांच साल से अधिक रह सकता है लेकिन कितने दिन, इसका कोई उल्लेख आपने इस नियमावली में या जो दस्तावेज आपने रखा है, उसमें निर्धारित नहीं किया गया है। उसी तरह से उप-कुलपति के बारे में है···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है। श्री मोहनसिंह जी हमारी पार्टी में हैं लेकिन बी० जे० पी० के कुछ लोग बाहर लॉबी में चले गए हैं···

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यदि हमारे मित्र हमें भगाना भी चाहेंगे तो हम भागने वाले नहीं हैं और उन लोगों में से नही हैं।

श्रीमन्, उपकुलपति के बारे में शुरू में प्रावधान है और इसमें आप कहते हैं :

"उपकुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।"

किसी भी विश्वविद्यालय में उप-कुलपति के मनोनयन या नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। मेरी जानकारी के अनुसार तीन वर्ष का टर्म काफी होता है उसके कार्यकाल को प्रभावित करने के लिए लेकिन आपने पांच साल नहीं रखा है। आगे पुनः कहते हैं :

"उप-कुलपति उक्त 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यकाल का कार्यभार ग्रहण न कर ले।"

जब तक उसके पूर्वाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाएगी, पांच साल के बाद वह उप-कुलपति का काम करता रहेगा और फिर अन्दर लिखते हैं :

"विजिटर उप-कुलपति को उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात् एक ऐसी अवधि तक, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, कार्य करने का निर्देश दे सकता है।"

यानि एक साल और उप-कुलपति का टर्म बढ़ा दिया अर्थात् एक उप-कुलपति छः वर्षों तक उस विश्वविद्यालय में दाखिल रहेगा, ऐसा आपने प्रावधान किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह परम्परा के विपरीत है। पूरे देश में जो प्रचलित पद्धति है, उसके भी प्रतिकूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि किसी भी हालत में यह तीन साल से अधिक नहीं होना चाहिए यदि उसका कार्यकाल बड़ा ही सराहनीय है और आपकी दृष्टि से अच्छा है तो फिर उसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। यदि आप एक टर्म के लिए इस तरह का प्रावधान करते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी उपादेयता होगी। इसलिए 6 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय के लिए किसी कुलपति की नियुक्ति कर दें तो मैं समझता हूं कि पांच वर्ष और एक वर्ष का आगे जोड़ना यह परम्परा के अनुकूल है।

सभापति महोदय, इन सुझावों के साथ, जो विधेयक आया है, मोटे तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

यह कदम स्वागत योग्य है कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों की बहुत लंबे समय से यह मांग थी। आप सब जानते हैं कि सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि के ऊपर निर्भर है और व्यावहारिक रूप से यहां पर कोई उद्योग नहीं है। जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा कि उस क्षेत्र के लोग अलग-अलग राष्ट्रीयता के हैं और विकास के अलग-अलग स्तर पर हैं। साथ ही उस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता भी बहुत कम हैं। असम, जोकि उस क्षेत्र का निकटवर्ती राज्य है में उत्पादन और उत्पादकता बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है कि असम जो कि उस क्षेत्र के निकट है, को सात सौ करोड़ रुपये वार्षिकी से अधिक मछलीपालन, बागवानी, मुर्गीपालन, पर व्यय करना पड़ता है। यह सभी मदें बाहर से लाए जाती हैं। इस वजह से, इस विश्वविद्यालय की स्थापना से स्थानीय क्षेत्रों को पर्याप्त अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा का सही रूप में उपयोग हो सकेगा। विश्वविद्यालय उनकी आकांक्षा को पूर्ण करने में बहुत कुछ कर सकता है। परन्तु मेरे विचार में, केवल विश्वविद्यालय की स्थापना से ही उस क्षेत्र के लोगों की सभी उम्मीदों और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं कह चुका हूं

कि पूरे क्षेत्र में उपज और उत्पादकता कम है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से कोई भी सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। इस क्षेत्र में उर्वरक का भी कम उपयोग किया जाता है और ज्यादातर इसका उपयोग चाय बागानों में होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं होता है। असम में भी सिंचाई आठ से दस प्रतिशत क्षेत्र में होती थी। केवल विश्वविद्यालय की स्थापना से ही लोगों की उम्मीदें और आकांक्षा पूर्ण नहीं होंगी, जब तक कि विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान के कार्य के लाभ को इस क्षेत्र की स्थानीय स्थितियों के अनुरूप उपयोग नहीं किया जाता है।

हमने यह देखा है कि आठवीं योजना के अन्तर्गत कुल 64.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा और इसके अलावा अन्य व्यय अनुवर्ती योजना से किया जाएगा, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री इस पर विचार करेंगे। हमने यह देखा कि कुछ कृषि विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने के लिए निधि की कमी है मेरे विचार में, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ केन्द्र सरकार को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करना चाहिए, ताकि अनुसंधान के लिए पर्याप्त निधि दी जाए और कार्य ठीक प्रकार से हो जाए। अलग-अलग प्रदेशों का पूरा क्षेत्र बागबानी, मछलीपालन, पशुपालन, वन उपज आदि पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि कृषि और दूसरे संबद्ध विषयों को अलग से लिया जाए और उनसे संबंधी अनुसंधान कार्य अलग से किया जाए।

मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक केवल इस विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं करेगा बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को भी पूर्ण करेगा क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी भावना है कि केन्द्र उस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है और वहां अत्यंत असंतोष व्याप्त है क्योंकि उस क्षेत्र में कृषि, शिक्षा और औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और इन सभी कारणों से अलगाववादी और आतंकवादी शक्तियां बहुत सक्रिय हुई हैं और वहां हर बहुत सी हिंसा हो रही है। यह पहले भी कहा गया है कि दिल्ली में राजनीतिक नेता उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है और ऐसी भावना वहां बढ़ रही है और लोग अलगाववादी हो रहे हैं।

इस वजह से नये विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी ताकि उस क्षेत्र की दूसरी समस्याओं को सुलझाने के लिए तरीके ढूंढें जाएं और उन्हें ठीक प्रकार से तत्काल सुलझाया जाए और उस क्षेत्र के लोगों के असंतोष को मिटाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में यह सहायक होगा।

डा० सी० सिलवेरा (मिजोरम) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं माननीय मंत्री और भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की बहुत लंबे समय से लंबित आवश्यकता थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग अपने को उपेक्षित समझते हैं क्योंकि उनके पास अपर्याप्त सामग्री और सुविधाएं हैं ताकि हमारे लोगों को शिक्षित किया जा सके और पूर्वोत्तर भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

जैसाकि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र हैं। संचार प्रणाली बहुत खराब है और इसकी स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के कारण यह शेष देश के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में रह रहे बहुत से लोग जनजातीय क्षेत्र से हैं और इस उपेक्षा की भावना की वजह से विभिन्न राज्यों में बगावत की भावना आ गयी है।

मैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना की बहुत लम्बे समय से आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकार का आभारी हूं।

जैसाकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोग कृषक हैं और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि देश के अन्य दूसरे भागों में उपलब्ध हैं।

इस विधेयक के अनुसार भारत के लगभग सभी राज्यों में, आठ राज्यों के अलावा, कृषि विश्वविद्यालय हैं और यह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में इम्फाल में स्थापित किया जाएगा और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के छह राज्यों के लिए होगा।

मेरे विचारे में, सरकार को इस विश्वविद्यालय के साथ व्यवहार में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व अनुभव से हमने पाया है कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहले पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय नाम का एक विश्वविद्यालय था जोकि चार राज्यों के लिए था, और उसके बन जाने के बाद, लगभग सभी राज्यों का अपना विश्वविद्यालय है।

यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के लिए है। निश्चित रूप से, अरुणाचल प्रदेश में उनका अपना विश्वविद्यालय है। अब, नागालैंड में उसका अपना विश्वविद्यालय होगा। अब यह एन०इ०एच०ई०यू० केवल दो राज्यों मेघालय और मिजोरम के लिए है। मिजोरम विभिन्न कारणों से अपना एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मुझे आशंका है कि इस केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसे इम्फाल में स्थापित किया जाएगा का हाल एन०ई०एच०यू० जैसा न हो। जब विश्वविद्यालय पर बहुत से राज्यों का अधिकार होता है तो तीव्र प्रतिस्पर्धा हो जाती है। मेरा यह भी कहना है कि विभिन्न राज्यों में ईर्ष्या की भावना पनप जाती है क्योंकि ज्यादातर इसका बहुत बड़ा हिस्सा उस राज्य के अधिकार में होता है, जिसमें यह विश्वविद्यालय स्थित है। एन०ई०एच०यू० में भी यही हुआ था। मिजोरम जैसे राज्य में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इसमें कोई तकनीकी कालेज भी नहीं है, किसी मेडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेज की बात तो छोड़ दीजिए। इसका अपना विश्वविद्यालय नहीं है। इसमें कोई तकनीकी कालेज नहीं है।

मुझे हैरानी है कि जब बाकी राज्यों में उनकी अपने विश्वविद्यालय और तकनीकी कालेज हैं, जैसाकि मणिपुर में है, जहां पर उनके पास क्षेत्रीय मेडिकल कालेज हैं, एक विश्वविद्यालय छह राज्यों के लिए स्थापित करना आश्चर्यजनक बात है, और मुझे महसूस होता है कि कुछ राज्यों के साथ अन्याय हुआ है। मैं केन्द्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार को इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।

निश्चित रूप से, यह एक स्वागत योग्य कदम है। कुछ भी न होने से, कुछ होना अच्छा है। परन्तु मेरे विचार में केन्द्र सरकार को इसके सुचारु रूप से चलने की तरफ ध्यान देना होगा।

मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय नहीं आएगा जब हरेक राज्य अपना कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग करेगा। यह केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस विश्वविद्यालय के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाएगी।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य उपेक्षित है और इसी कारण से वहां विद्रोह की भावना पनपी है। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग इससे संतुष्ट होंगे और वह इस विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र में हैं। निश्चित रूप से, इनकी क्षमता बहुत अधिक है। समस्या केवल यह है कि हमारे पास कोई तकनीकी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं तो मेरे विचार से उनसे बहुत कुछ की उम्मीद की जा सकती है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार को इस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के चयन में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसाकि हमने कहा है कि यह विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जैसे पिछड़े राज्यों के लिए है। कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में बहुत प्रतिस्पर्धा होगी। निश्चित रूप से योग्यता को देखना होगा परन्तु योग्यता को देखते हुए, राज्यों के बीच स्थानों के आवंटन कार्य पर गंभीरता से विचार करना होगा। विश्वविद्यालय और कालेजों के स्थानों के आवंटन के मुद्दे पर भी बहुत सावधानी से सोचना होगा।

महोदय, इस विधेयक के मुताबिक, इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय मणिपुर राज्य में इम्फाल में होगा और यह ऐसे कुछ और स्थानों पर इसकी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत परिसरों की स्थापना कर सकता है जिसे यह ठीक समझे। कैम्पस विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार इसे किस रूप से लेगी। ऐसा सुनने में आया है कि मिजोरम में एक कृषि कालेज स्थापित किया जाएगा।

और इसके साथ-साथ यहां के लोग इस कृषि कालेज की स्थापना के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। जब तक इस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती, विभिन्न राज्यों में कैम्पस की स्थापना करना सम्भव नहीं होगा। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाए।

स्टाफ के सदस्यों के बारे में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलग होने की वजह से मैदानी इलाकों के कुछ लोग, यह सोचते हुए कि यह जोखिम का कार्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं जाना चाहते। केवल एक बात कहना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने "सूटकेस अफसर" नाम का एक लेख पढ़ा है। उसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जिन आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों की नियुक्ति होती है, वे केवल सूटकेसों के साथ वहां पर जाते हैं और दिल्ली में मिले सरकारी मकानों को अपने कब्जे में रखकर वे अपने परिवारों को दिल्ली में ही रखते हैं और जैसे ही वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते है, तो दिल्ली में या किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की कोशिश में रहते हैं। अगर वे वहां पर भी हों, तो भी वे वहां पर कुछ दिनों के लिए रहते हैं और किसी भी बहाने, दिल्ली वापस आने का प्रयास करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग विश्वविद्यालय और कालेज में आएंगे, वे उन सूटकेस अफसरों की तरह नहीं होंगे, जोकि नियुक्ति के उद्देश्य से वहां पर जाना चाहते है और ज्यादातर अन्य स्थानों पर रहते हैं।

मुझे बहुत कुछ कहना है। परन्तु मुझे इस मौके पर यह कहना है कि मिजोरम राज्य द्वारा विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है और केन्द्र सरकार तथा एम०एन०एफ० के बीच हुए समझौता ज्ञापन में भी इसका उल्लेख किया गया है। समझौता ज्ञापन के खंड 12(11) में केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना का वायदा किया हुआ है और परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना पर गंभीरता से विचार करेगी, जैसाकि केन्द्र सरकार और एम० एन० एफ० के बीच हुए समझौता ज्ञापन में इस आशय का वायदा किया गया है।

मैं बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और मुझे यकीन है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग केन्द्र सरकार का धन्यवाद करने में मेरा साथ देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि और प्रार्थना करता हूं कि इस सभा के सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना एक स्वागत योग्य कदम है, जिसमें कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान है। इस नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास का स्वागत करते हुए मैं यह उम्मीद करूंगा कि यह एक साधारण कृषि विश्वविद्यालय ही नहीं होगा, जैसाकि हमने पूरे देश में बहुत से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का विशेष रूप से सुन्दर भाग है। यहां की भूमि उपजाऊ है। जल संसाधन पर्याप्त में हैं। वास्तव में, जैसाकि जिक्र किया गया, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कृषि के व्यवसाय को पूरी तरह से नहीं अपनाया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नए विश्वविद्यालय के कार्यों को संबंधित कार्यों में जैसे कि फसल उत्पादन, जल व्यवस्था तथा बिमारियों, कीटाणुओं व वनस्पति पर नियंत्रण करना, में अधिकाधिक विभाजित करना होगा। बागवानी और फूलों के उत्पादन संबंधी कार्यों के विकास की दिशा में और अधिक ध्यान देना होगा और इसके साथ-साथ पशु-पालन, मछलीपालन वानिकी आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आज हम देख रहे है कि इन विश्वविद्यालयों में से बहुत से छात्र निकल रहे हैं, जिनके पास बहुत सी उपाधियां हैं और जिनको कृषि विज्ञान में बी० ए० की उपाधि मिली है। परन्तु यह बहुत खेद-जनक बात है कि ऐसे बहुत से स्नातक या तो नौकरियों की तलाश में भटकते हैं या वे कृषि कार्यों में रोजगार न पाकर कभी बैंकों में और कभी अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों में रोजगार पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ज्यादा ध्यान विस्तार शिक्षा प्रदान करने पर दिया जाना चाहिए, जैसाकि विधेयक में भी उल्लेख किया गया है। खेतों का विकास भूमि प्रबन्धन, जल प्रबन्धन, कृषि नियन्त्रण, कृषि का विकास और बागवानी आदि कार्यों के लिए अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और विपणन को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इसलिए बहुत से छात्रों को दाखिल करने की दिशा में अधिक ध्यान देने और अंत में उनको डिग्रियां देने की बजाए विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के ऐसे स्वस्थ लोगों चयन करने, उनको ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देने और उन्हें कृषि विकास कार्य करने योग्य बनाने का प्रयास करेगा। उपलब्ध साधनों

का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए और उस तरीके से इसको एक आधुनिक विश्वविद्यालय रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

जहां तक इस विश्वविद्यालय में प्रवेश और शिक्षा देने और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है, जैसाकि कुछ समय पहले उल्लेख किया जा रहा था, विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या इस विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल इसी क्षेत्र के छात्रों के लिए ही सीमित है अथवा सबके लिए है। जैसाकि इस विधेयक के प्रावधानों से देखा जा सकता है, ऐसा कहा गया है कि यह सबके लिए है। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तथा उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जोकि देश के इस भाग में विकास कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें तो इस मामले में एक सतर्क जांच की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस विधेयक में और अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान बनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए। तभी शायद इस विश्वविद्यालय की स्थापना से जो लाभ होगा, विशेषकर उस क्षेत्र को जो लाभ होगा, वह इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध हो सकेगा अथवा उसका इस क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

शेष सभी प्रावधान आम बातें हैं और उनमें से ज्यादातर का सम्बन्ध विश्वविद्यालय के प्रबंधन नियुक्ति व शिक्षा देने का तरीका आदि बातों से है। अनुभव के आधार पर हम इन सब बातों को नवीनतम तरीके से अपना सकते हैं और अगर जरूरी हो तो कुछ परिवर्तन और संशोधन भी किए जा सकते हैं। अब, जब भारत सरकार 65 करोड़ से अधिक राशि का निवेश कर रही है, जिसका अधिकांश भाग भारत सरकार द्वारा स्वयं व्यय किया जाएगा, हमें यह देखने में सावधान रहना चाहिए कि धन का ठीक ढंग से उपयोग हो सके और मूलभूत अवसंरचना प्रारम्भ में ही उपलब्ध हो जाए। सामान्य रूप से हम ऐसे मामलों में यह देखते हैं कि ज्यादातर निधि का उपयोग इमारतों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों और दूसरे लोगों के आवासों के निर्माण के लिए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से अब शुरू में, देश के अन्य भागों से लोगों को इस विश्वविद्यालय में काम करने के लिए लाना होगा। लेकिन इस बारे में सावधानी बरती जानी चाहिए कि केवल न्यूनतम आवश्यकता की ही पूर्ति हो और आबंटित निधि का एक अधिकांश हिस्सा, अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने के लिए मौलिक अवसंरचना को प्राप्त करने, शोध कार्यों और विकासात्मक व गतिविधियों पर व्यय किया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि इस निधि का अधिकांश भाग आठवीं पंचवर्षीय योजना विधि में ही व्यय होने की संभावना है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की जल्दी से जल्दी स्थापना की जानी चाहिए। और आठवीं योजना के पूरे समय के लिए इंतजार किए बिना इस मूल कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लगभग सभी माननीय सदस्य जिन्होंने मुझसे पूर्व अपने विचार रखे हैं, ने इस विधेयक का समर्थन किया है और उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इसलिए मुझे इस बारे में और अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

यह विधेयक ज्ञान को बढ़ावा देने और कृषि तथा संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान कार्य करने के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है। इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता बहुत देर से अनुभव की जा रही है और यह उस क्षेत्र के लोगों की बहुत देर से चली आ रही मांग है। जैसाकि आप जानते हैं और जैसाकि सदन के लगभग सभी माननीय सदस्य जानते है, उस क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि वे सभी तरह से उपेक्षित हैं। जब यहां के नौजवान लोग, विशेषकर छात्र, दूर के इलाकों में अपनी पढ़ाई समाप्त करके वापस आकर यह देखते हैं कि उनके पास दूसरे राज्यों की तुलना में पर्याप्त अवसर नहीं हैं तो वे निराश हो जाते हैं। इस कुंठा की वजह से वे हथियार उठा लेते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। उनमें से कुछ तो भूमिगत हो गए हैं और उन्होने बगावत भी की है।

इस प्रकार वहां यह अशांति मच रही है। राजनीतिक रूप से यह राष्ट्र के हित में होगा, कि वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इससे उन नौजवानों को संतोष होगा जो निराश हैं, हताश हैं। इस संदर्भ में मेरा विचार है कि केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु उस क्षेत्र की अशांति को खत्म करने के दृष्टिकोण से भी ऐसा करना अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

हम क्षेत्र के उस पार के लोग अकृतज्ञ नहीं होना चाहते। हम केन्द्र सरकार विशेषकर कृषि मंत्रालय के प्रभारी माननीय कृषि मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। हम इसे एक उपहार ही समझते हैं। यह उस क्षेत्र के लोगों को एक उपहार स्वरूप है, क्योंकि हमारे विचार में, इस विश्वविद्यालय की स्थापना उस क्षेत्र के लोगों की प्रगति को बढ़ाएगी। यह कहना सही है। कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात् इन राज्यों की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वहां बड़े उद्योग नहीं हैं, परन्तु छोटे पैमाने के उद्योग हैं। इसलिए वहां के लोगों के सफल जीवनयापन के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम केन्द्र सरकार विशेषकर कृषि के प्रभारी मंत्री के बहुत आभारी हैं।

यह कहना सही है कि वास्तव में यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। जब भी किसी समस्या पर चर्चा हुई या इस पर विचार हुआ, उस क्षेत्र का जिक्र नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए जब हम बाढ़ और सूखे से हुई क्षति पर चर्चा करते है तो इस क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसाकि यहां कोई सूखा नहीं पड़ा हो और कोई बाढ़ नहीं आई हो। वास्तव में, मणिपुर में बाढ़ आई है। उस क्षेत्र में सूखा पड़ा है और इस वजह से लोगों ने बहुत दुख उठाया है। हमने केन्द्र सरकार से राहत मांगी है, परन्तु इन राज्यों की समस्याओं की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कई बड़े राज्य है, जिनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यदि बड़े राज्यों में बाढ़ आती है, यदि इन राज्यों में सूखा पड़ता है तो केन्द्र सरकार का ध्यान उनकी तरफ दिलाया जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे-छोटे राज्य हैं और लोग इतने जुझारू नहीं है क्योंकि इस सभा में बहुत कम प्रतिनिधि हैं। मैं यहां पर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरी आवाज एक अकेली आवाज है, इसलिए मैं इस सभा पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता। जब मैंने इस पर सुबह चर्चा की थी, उस दौरान भी उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य बड़े राज्यों का उल्लेख किया। उन्होंने मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया। वास्तव में, वहां सूखा पड़ा है, बाढ़ भी आई है। जिसके परिणामस्वरूप काफी क्षति हुई है, परन्तु किसी ने परवाह नहीं की। उस क्षेत्र के लोग ज्यादातर युवा और वृद्ध लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं, वे निराश और दुखी हो गए हैं।

इस प्रकार माननीय कृषि मंत्री जी के इस उपहार स्वरूप भेंट का अत्यन्त स्वागत किया जाएगा।

मैं बहुत लंबा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी और इसे पारित करेगी। मैं केवल कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

जहां तक आवश्यकता का प्रश्न है, इसका जिक्र हो चुका है। हमारे माननीय मंत्री ने विस्तार से कहा है कि यहां इसकी आवश्यकता है। एक समय था जब विशेषकर मणिपुर क्षेत्र देश का पूर्वी अन्न भंडार माना जाता था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने उक्त क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् यह बात कही थी। जब उन्होंने वहां धान के खेत देखे, उन्होंने आश्चर्य से कहा कि यह तो देश का पूर्वी अन्न भंडार है। अब यह अनाज के मामले में पिछड़ गया है। हमें केन्द्र और कई अन्य जगहों से खाद्यान्न मांगना पड़ता है। इस प्रकार यह एक अभावग्रस्त क्षेत्र बन गया है।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने से जिसका मुख्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होगा, मेरे विचार में इस पूर्वोत्तर क्षेत्र का बहुत विकास होगा।

मैं अपने दूसरे माननीय सदस्यों के साथ मिलकर, सरकार को उप-कुलपति की नियुक्ति करते समय सावधानी बरतने के लिए सचेत करना चाहूंगा। मैं भी उनसे सहमत हूं। हम चाहते हैं कि उप-कुलपति के पद पर या जिम्मेवार अधिकारी के पद ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो विश्व-विद्यालय के प्रति अपना पूरा दायित्व समझे। अभी, जैसाकि मेरे सहयोगी ने जिक्र किया है, जो अधिकारी दिल्ली से आते हैं, वह बस ब्रीफकेस या सूटकेस धारी अधिकारी होते हैं। यदि ऐसे अधि-कारियों की नियुक्ति की जाती है तो वे कार्यालय न जाने के लिए बहाने बनाएंगे अथवा वह बार-बार छुट्टी लेंगे। यह एक अनुभव की बात है। उनके विरुद्ध बहुधा ऐसी टिप्पणी की जाती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है नियुक्तियां करते समय इस बात पर गौर करें।

अन्त में मैं इसके कार्यान्वयन संबंधी भाग पर आता हूं। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह तुरन्त ऐसे कदम उठाएं कि जल्दी से जल्दी एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो ताकि लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो।

डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय कृषि मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा कि वह इस विधेयक को लाए। मुझे उम्मीद है कि इस सभा के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे क्योंकि यह एक लोकप्रिय विधेयक है।

सबसे पहले माननीय मंत्री ने इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है। दक्षिण पूर्वी राज्यों में, आठ राज्यों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय वहां पर नहीं था। मंत्री जी ने इस बात पर गौर किया है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस विश्वविद्यालय को उस क्षेत्र में स्थापित करने पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार भी 64.30 करोड़ व्यय करने जा रही है। इसी वजह से इस सभा के सभी सदस्यों को मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए।

वहां एक बात और है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत समिति द्वारा गहन विचार करने के बाद, उन्होंने यह प्रकट किया था कि इन आठ राज्यों में, उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की काफी गुंजाइश है। यदि उक्त क्षमता का सदुपयोग हो, तो यह देश के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। महोदय, आप जानते हो कि यद्यपि अब हमारी जनसंख्या 84 करोड़ से अधिक हो गई है, हमारी स्थिति फिर भी रूस और विश्व के दूसरे विशाल देशों से बेहतर है, क्योंकि कृषि के

अनुसंधान के द्वारा, कृषि का उत्पादन बढ़ाकर हम अपने खाद्यान्न के प्रति आश्वस्त है। इसी वजह से हमारा देश विश्व के कुछ अन्य देशों से अधिक सुरक्षित है।

गेहूं के आयात के बारे में, आपने कहा है कि हमारे देश में गेहूं उपलब्ध है। हम बाहर से गेहूं की खरीद का समर्थन नहीं करेंगे। यह अब सभापटल पर वाद-विवाद का विषय है। विश्व के दूसरे देशों की तुलना में, हम कृषि के उत्पादन में पीछे नहीं है।

आपने इम्फाल, मणिपुर का स्थल के रूप में चयन किया है। मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। हालांकि वे अपने राज्य के लिए दबाव डाल रहे थे लेकिन वे एक मुद्दे पर सहमत थे कि एक विश्वविद्यालय आयोग होना चाहिए। समिति ने इस स्थान को चुना है क्योंकि यह केन्द्रीय स्थल हो सकता है जो अन्य सभी आठ राज्यों के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का कैम्पस होगा। इसलिए दूसरे राज्यों के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का कैम्पस होगा। इसलिए दूसरे राज्यों के लिए अधिक मुश्किल नहीं होगी। खंड 6 में कहा गया है :

"शिक्षण, अनुसंधान और कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार और उत्तरदायित्व अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यों तक विस्तृत होगा।"

मेरे विचार में एक बात की कमी है। विधेयक में आठ राज्यों के लिए सीटों के आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। भविष्य में स्थिति अव्यवस्थित हो जाएगी और हरेक राज्य अपनी सीटों के आरक्षण के लिए लड़ेगा। यही कारण है कि सभा को शुरू में ही सिफारिश करनी चाहिए कि आठ राज्यों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। प्रत्येक संकाय में सीटों की क्षमता का भी उल्लेख करना आवश्यक है। खंड 23 में कहा गया है :—

"विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जैसा सांविधि द्वारा निर्धारित किया जाए।"

यह विधेयक अन्य केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक के रूप में ही तैयार किया गया है जिन्हें सभा की स्वीकृति के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, इस विधेयक में नए-नए संकाय शामिल किए जाएं, महोदय, कृषि विश्वविद्यालय और के०वी०आई०सी० केन्द्र जोकि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश में विज्ञान अनुसंधान के रूप में तथा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मुझे इस विधेयक के खिलाफ कुछ नहीं कहना है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम अत्यधिक प्रयास कर रहे है, ताकि हमारा कृषि का विकास विश्व के कृषि विकास के बराबर हो और हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे तरक्की कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मिजोरम में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए यह विश्वविद्यालय मिजोरम में स्थापित किया जाए। महोदय, मिजोरम में एक विश्वविद्यालय है। वहां पर एक कृषि कालेज भी है। मैं तो केवल यह सुझाव दूंगा कि उस कालेज के पास एक परिसर भी होना चाहिए, ताकि कृषि के विकास, अनुसंधान कार्य के मामले में कोई कठिनाई न हो।

उप-कुलपति और दूसरे अधिकारी जो रोजाना कार्य देखते हैं और जो प्रशासन के प्रभारी होंगे, के कार्यकाल के विषय पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक मुद्दा है। मैं यहां पर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि उपलब्ध राशि का विशेष रूप से निर्धारण किया जाए

और यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि कितने वर्ष में यह कार्य पूर्ण होगा और इसे इस अवधि में पूर्ण कर लेना चाहिए और यह कार्यान्वित होकर कार्य करने लगे। यहां पर इस बारे में कहा जाए वरना अगर इन मुद्दों पर विलम्ब होगा तो इस विधेयक को लाने और पारित करने पर जोर देने का कोई फायदा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में सभापति को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, पहले तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पूर्वांचल राज्य की जनता की मांग को पूरी करने जा रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम बराबर यह कहते हैं कि हमारी जनता 70-75 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। कृषि पर जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी हम नहीं कर सके हैं। इसका उदाहरण भी है। हमारे बाद चीन स्वतन्त्र हुआ था। उसने कृषि पर इतनी तरक्की की है कि वह दुनिया में सबसे आगे हो गया। उसके सामने हमारा अनुपात कम है। हमारी जमीन बहुत ही उन्नत किस्म की है। उनसे हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पैदावार में बहुत कमी है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितनी कृषि विशेषज्ञों द्वारा पैदा करनी चाहिए थी, उतना नहीं कर पाए हैं और कर पाए हैं तो उसको गांवों तक नहीं ले जा सकते है। गांवों के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण देना है कि हम कैसे खेती में उन्नति करें। हमारे देश के पंजाब जैसे राज्य में बहुत पैदावार होती है लेकिन सबसे बड़ी कमी रही है कि हमको उन्नत बीज की आवश्यकता है। उतना हम आवश्यकता के अनुरूप उन्नत बीज पैदा नहीं कर सके। जिससे हम समूचे भारत के किसानों की मांग को पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद यह गलती होती है कि उस मांग को पूरा करने के लिए घटिया बीज अधिकारी खरीद लेते हैं और ब्लाक स्तर पर भेज देते हैं। उसमें उत्पादन का रेशो 30 प्रतिशत भी नहीं रहता। जो पैदावार होती है वह घटिया और कम होती है। इससे किसानों की लागत नहीं लौटती। यह सब मंत्रीजी को देखना चाहिए। क्योंकि ये बार-बार कहते हैं कि मैं तो एक किसान हूं चाहे मंत्री पद पर रहूं या अन्य जगह पर।

इस बिल में आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो पैसा रखा है वह बहुत कम है। इसलिए इस काम को करते-करते बरसों हो जायेंगे। अतः आपको पैसा पूरा देना चाहिए जिससे काम को शुरू करके समय पर पूरा कर दिया जाये।

हमारे किसानों की पैदावार में कई किस्म की बीमारियां लगती है जिससे हमारी पैदावार 20 प्रतिशत कम होती है। इसलिए जहां कृषि विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं वहां के लोगों को गांव-गांव में जाकर बताना चाहिए। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें और रोग को पकड़कर उसका इलाज कर सकें। मंत्री जी को भी जानकारी है लेकिन इनके बूते से बाहर है कि जितनी दवाएं बन रही हैं वे अधिकांश नकली हैं। उससे कीड़े मरने के बजाय ढीठ हो जाते हैं। दवायें बनाने वाले लोग आपके अधिकारियों से मिलकर नकली दवायें बाजार में पहुंचा देते हैं तो आप सोचिये कि कृषि को उन्नत कैसे करेंगे, कैसे किसान को खुशहाल करेंगे। इन बातों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तो कृषि में उन्नति नहीं होगी। आज 40-50 साल हो गये हैं हमें आजाद हुए, अगर हम पहले से ही ध्यान देते तो विश्व में सबसे ज्यादा कृषि की पैदावार करने वाले हम होते, क्योंकि हमारे यहां दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि है। इसलिए जो ये कमियां हैं जिससे हम कृषि को उन्नत नहीं कर पा रहे हैं इनको दूर किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक कृषि विशेषज्ञ तैयार करने चाहिए।

चाहे कोई बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो वहां कृषि सम्बन्धी लोग हो तो वहां कृषि विद्यालय या विश्वविद्यालय जिससे पढ़े-लिखे लोग आपको मिलेंगे और कृषि में उन्नति के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको समय दिया। सदन में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1992 प्रस्तुत किया गया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि यह विधेयक एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है जो वस्तुतः एक किसान है। उन्हें किसानों के बारे में, खेती के बारे में काफी अच्छी जानकारी है।

4.00 म०प०

अच्छा होता कि यह विधेयक जो उन्होंने तैयार किया है और यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, उस विश्वविद्यालय का प्रासपैक्टस खुद तैयार करते।

सभापति महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और प्रायः 4 आदमियों में से 3 कृषि आदमी कृषि पर निर्भर है। देश के अधिकांश राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय बने हुए हैं किन्तु खेद की बात है कि पूर्वी सीमान्त प्रान्तों में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। यदि वहां की जलवायु, भौगोलिक स्थिति, उत्पादन को देखा जाये तो इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर अलग से अपने ढंग का एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए था अब वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस कमी को पूरा कर दिया जा रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं किन्तु हम इस अवसर पर अपने माननीय कृषि मन्त्री जी से कहेंगे कि वहां के तकनीकी ज्ञान, व्यवहारिक प्रशिक्षण के बारे में विशेष रूप से ध्यान देकर अपने ढंग की वहां से मिलती-जुलती व्यवस्था की जाये। जैसाकि हमारे अन्य मित्रों ने भी कहा कि उसका स्वरूप व्यापक होना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि पूर्वोत्तर सीमा प्रान्तों के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इसका स्वरूप व्यापक होना चाहिये जिसमें हार्टीकल्चर, एनीमल हस्बैंड्री और वन्य-जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

4.02 म०प०

[श्री ताराचन्द्र पीठासीन हुए]

सभापति जी, इस विश्वविद्यालय के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस विधेयक में लिखा है कि सन् 2000 तक या इसमें 500 स्नातक पैदा होंगे लेकिन मेरे ख्याल में सन् 2000 तक या उसके बाद भी यह संख्या बहुत कम होगी और इसका और भी विकास होना चाहिये। इसलिए इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र और भी बढ़ना चाहिये। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 64 करोड़ 30 लाख रुपया अनुमानित व्यय के लिए आपने बताया है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी थी जो अम्बेडकर के नाम से थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० राजीव गांधी ने कहा था कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय न केवल हिन्दुस्तान बल्कि विश्व का एक अद्भुत और अच्छा विश्वविद्यालय होगा। इसका दायरा बहुत बड़ा होगा जिसमें सभी प्रमुख विषयों की पढ़ायी होगी। इस विश्वविद्यालय में उस समय सम्भवतः 25 करोड़ रुपया निर्धारित भी किया गया था। आरम्भ में तो अच्छी बातें कही गयीं लेकिन कुछ ही दिन में इस विश्वविद्यालय के लिए यह धनराशि घटा दी गयी। उसका बजट साढे नौ करोड़ किया गया, बाद में

यह पांच करोड़ पर आ गया और इसके बाद उसका बजट ढाई करोड़ तक पहुंचा दिया गया और अब विश्वविद्यालय का आस्तित्व भी खटाई में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह मांग की जा रही है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्र ले ले और आज 6-7 साल हो गये हैं, इस विश्वविद्यालय की कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि कोई कालेज नहीं खुल पाया है और न पढ़ाई ही जारी हुई है। कहीं ऐसा ही हाल इस विश्वविद्यालय का न हो और इसकी अनुमानित राशि 64 करोड़ 30 लाख से घटाकर अस्तित्व की खटाई में न डाल दिया जाये। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको सावधान रहना चाहिये।

डा० रमेश तोमर (हापुड़) : उत्तर प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़ दिया है……

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कब दिया है ?

आप कहते हैं कि 300 करोड़ रुपया दिया है। हमको यह मालूम नहीं है लेकिन हमने अभी सुना है कि कल्याण सिंह सरकार ने एक पत्र लिखा है, जिसकी प्रमाणिक कापी हमारे पास है। उस विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा है कि हम इसे चला सकने में असमर्थ हैं और इस विश्व विद्यालय को केन्द्र सरकार ले ले। केन्द्र सरकार उसे चलाए। वह तो एक महीने की बात है। इसके बाद यदि 300 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने उसके लिए दिया है जैसा आप कह रहे हैं, तो मान लें कि रुपया दिया है और आपके बात में कुछ सच्चाई भी है, तो हम केन्द्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कल्याण सिंह सरकार को, जो हरिजनों की बड़ी हिमायती बनती है, उनको सहायता दी है और उस विश्वविद्यालय को चलाने में योगदान दिया है।

सभापति जी, मैं इस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाउंगा। मैं तो मन्त्री जी से सिर्फ यह अनुरोध करूंगा कि कहीं इसकी भी स्थिति अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरह न हो जाए, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, मैं अपनी अन्तिम बात यह कहूंगा कि आपने विधेयक के पृष्ठ 15 धारा 4 में कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया है। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा भी है कि पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, उसकी आपने इस विधेयक में चर्चा की है। देश में बहुत से विश्वविद्यालय हैं और हम सब लोग भी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है कि वहां के कुलपति का कार्यकाल एक साथ पांच वर्ष के लिए हो। अमूमन तीन-तीन साल के लिए कुलपति का कार्यकाल होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर भी आप ध्यान दें कि कहीं ऐसा न हो कि कुलपति का कार्यकाल आप छह वर्ष या पांच वर्ष कर दें और उसमें कोई गतिरोध पैदा हो जाए।

मान्यवर, इसमें साफ लिखा है कि पांच वर्ष की अवधि हो या 65 वर्ष की आयु हो। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आपने इसमें पृष्ठ 17 पर धारा 5 के अन्तर्गत एक शिक्षा निदेशक के पद पर सृजन किया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस शिक्षा निदेशक का इस विश्वविद्यालय में क्या औचित्य है जबकि उद्यान कृषि, वन विज्ञान, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि अनेक विभाग हैं, इसलिए शिक्षा निदेशक की अलग से पोस्ट क्रिएट करने का औचित्य मुझे जान नहीं पड़ता। हर विभाग का एक हैड आफ द डिपार्टमेंट ही पर्याप्त है। मान्यवर, विधेयक में और भी बातें वर्णित हैं जो वस्तुतः प्रशंसनीय हैं। विधेयक में आपने छात्रों में अनुशासन बनाए रखने की भी चर्चा की है और

हम पढ़ रहे थे कि अनुशासन की निश्चित रूप से आवश्यकता भी है। वर्तमान विश्वविद्यालयों का जो माहौल देश में देखा जा रहा है, इसके मूल में अनुशासन एक बहुत बड़ी कड़ी है। हमारे विश्वविद्यालयों का अनुशासन ठीक हो जाए तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आपने इसमें अनुशासन कैसे होगा, और उसका क्या स्वरूप होगा, इस ओर इंगित नहीं किया है। हो सकता है कि आप अलग से इसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें लेकिन इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपने इसी में आगे छात्र संगठन की कल्पना की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छात्र संगठन का चुनाव होगा ? आप इसका चुनाव करायेंगे ? छात्र परिषद को भी आपने व्याख्या की है। छात्र परिषद के बारे में आपने लिखा है कि छात्र को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी विषय को छात्र परिषद के समक्ष लाने का अधिकार होगा। यह बात समझ में नहीं आती कि एसोसिएशन द्वारा अधिकार होगा, क्या चुने हुए छात्र संगठन के द्वारा अधिकार होगा या यह जो अधिकार होगा इसका क्या स्वरूप होगा, किन-किन विषयों में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अधिकार के विश्वविद्यालय के अन्दर कोई आन्दोलन या अनेक अन्य बातें पैदा हो जाएं ?

एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि इस केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक में आपने शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं की है। आपने इस विधेयक में कुलपति, अनुसंधान निदेशक, संकाय अध्यक्ष, कुलसचिव, विभागाध्यक्ष आदि सबकी पोस्ट्स तो क्रिएट की है और देश भर में जितने कृषि विश्वविद्यालय है, हर विश्वविद्यालय में ये पोस्ट्स क्रिएट की गयी हैं लेकिन सीमाप्रान्त में होने के कारण, अमूमन देखा जाता है कि शैड्यूल ट्राइब्स की आबादी बहुत ज्यादा है और शैड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी उसके बाद आती है, इसलिये वहां जो भी विश्वविद्यालय हो, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि आप स्पष्ट तौर पर इस विधेयक में इसकी व्यवस्था करें कि उनकी जनसंख्या के मुताबिक उचित परसेंटेज में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, जिस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय खुल रहा है, वहां के जनसंख्या के मुताबिक, लेक्चरार, प्रोफैसर या जितने दूसरे प्राधिकारी हैं, टीचिंग एण्ड नोन टीचिंग स्टाफ है, सभी में शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स को उचित परसेंटेज में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं कि आपने सीमाप्रान्त की तरक्की के लिये एक अच्छा विधेयक सदन में लाया है, वहां के कृषि प्रसार के लिए, इस सत्र के पहले दिन ही इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है, इसका स्वागत करते हुए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : सर्वप्रथम मैं श्री बलराम जाखड़ को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

मैं इस विधेयक पर चर्चा के लिए बहुत समय नहीं लूंगा। परन्तु मैं कृषि के कुछ और क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। एक क्षेत्र मत्स्य पालन है।

मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना मत्स्य प्रसंस्करण और निर्यात हैं। भारत में इससे संबंधित बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे कि केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान (सी०आई०एफ० टी०) केन्द्रीय मत्स्य पालन नाटिकल तथा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य पालन

अनुसंधान संस्था (सी०एम०एफ०आर०आई०) और समन्वित मत्स्य पालन परियोजना (आई०एफ० पी०), यह संस्थाएं अलग से कार्यरत हैं।

माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि क्या इन सब संस्थाओं को एक संगठन के तहत लाया जा सकता है और एक केन्द्रीय मत्स्य पालन विश्वविद्यालय अथवा संस्था स्थापित हो ताकि यह सभी संस्थाएं एक संस्था के अंतर्गत कार्यरत हों।

एक और सुझाव है, केरल में, जब मत्स्य पालन विद्यालयों में प्रवेश होता है, तो मछुआरों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार क्या कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय किसानों के बच्चों को कुछ आरक्षण अथवा प्राथमिकता देना संभव है।

महोदय, बहुत से कृषि विश्वविद्यालय जैसे कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय अत्यंत श्रेष्ठ संस्थाएं हैं। परन्तु हम इन विश्वविद्यालयों में अत्यधिक कार्य कर रहे प्रोफेसर और अध्यापकों को, मान्यता नहीं देते। इन विश्वविद्यालयों में बहुत से विख्यात प्रोफेसर, अध्यापक हुए हैं और उनके अनुसंधान कार्य को विश्व भर में मान्यता मिली है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ऐसे कदम उठाए कि इन विख्यात प्रोफेसरों को सही समय पर मान्यता मिले।

इस विधेयक को लें, विश्वविद्यालयों के कुलपति और उपकुलपति का मनोनयन होता है। जब ऐसे मनोनयन होते हैं तो राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर सके, क्योंकि उप-कुलपति राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर चुने जाते हैं। इसलिए कम से कम इन कृषि विश्वविद्यालय के लिए जब कुलपति और उपकुलपति की नियुक्ति हो तो वह केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, जो मेरे ही प्रदेश से, मेरे पड़ौसी निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने बहुत पुरानी मांग, केन्द्रीय कृषि विद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोलने की मानी है और ये इस सम्बन्ध में एक बिल लाए है। उन्होंने कहा है कि इससे 500 स्नातक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मेरा यहां आपसे निवेदन करना यह है कि जिस बिल को आप यहां पर लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जो इसमें नहीं हैं। बन बातों के बिल में आ जाने से इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित होगा, राज्यों में कृषि अनुसन्धान का कार्य होगा, कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान में नयी जानकारी प्राप्त होगी और यह जानकारी कृषकों तक उस एरिया में पहुंचेगी।

सभापति महोदय, कृषि में प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान की व्यापक सुविधाएं जो इस क्षेत्र में नहीं थीं, वे भी प्राप्त होंगी, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसका हैड ऑफिस कहां पर होगा ? इस संबंध में, इस बिल में कहीं पर भी जानकारी नहीं दी है। प्रयोगशालाएं कितनी खुलेंगी, फैकलटीज कितनी खुलेंगी, इस सम्बन्ध में भी आपने कुछ नहीं कहा है। मेरा यहां पर एक निवेदन करना और है जोकि हमारा अनुभव भी है कि प्रयोगशाला के लिए लाखों रुपए के विदेशी उपकरण मंगाए जाते हैं और ऊर्जा के बिना वे बेकार पड़े रहते हैं, यह बात इस कृषि विश्वविद्यालय में दोहराई जाएगी, इस बात का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मेरा एक निवेदन और है कि इस यूनिवर्सिटी में यदि आप बाहर के व्यक्ति

को उपकुलपति बनाएंगे, तो जो अन्य यूनिवर्सिटीज में परिणाम हुए हैं, वैसे ही परिणाम होंगे। इसलिए इस बात को भी सुनिश्चित कीजिए कि आप इसी क्षेत्र के व्यक्ति को उप-कुलपति बनाएंगे। जहां तक उसके समय की बात है कि वह कार्यकाल 5 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, यह आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन जो व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, उसको न हटाया जाए, इसके लिए भी आप कितनी ही सीमा-रेखा समय की रखें, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

सभापति महोदय, अब इसमें खर्चा कहां से होगा, इस बात को भी देखा जाए। होता यह है कि दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एक गैर-योजना खर्च, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते एवं प्रयोगशाला एवं अन्य संसाधनों के रख-रखाव की योजना होती है और दूसरा होता है जो राशि योजना राशि के आधार पर खर्च होती है। यह यूनिवर्सिटी भी अपना विकास कार्य कर सके इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास एजेंसी, इन दोनों से भी इस यूनिवर्सिटी को सहायता मिले, इस प्रकार का इंतजाम आप कर सकें, तो बेहतर होगा। हमारे देश में 50 साल पुरानी पूसा इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और दूसरी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्य कर रही है जिसके अन्तर्गत हमारे देश के 15 से 20 कृषि विश्वविद्यालय हैं। मेरा यहां पर आपसे निवेदन करना यह है कि भारत में कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण मिले, अनुसन्धान की व्यापक सुविधाएं प्राप्त हों और विदेशी कृषि अनुसंधान संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं से भी इस विश्वविद्यालय का तालमेल हो, यह मैं आशा करता हूं क्योंकि हमारा पिछला अनुभव बताता है कि भारत में जो कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं उन्होंने विगत वर्षों में अनुसंधान कार्य करके, चावल, कपास, आलू तथा गेहूं की फसलों के बारे में जानकारी देने में एक ऐसा काम किया है जिससे भारत में एक विश्वास पैदा हुआ है।

मेरा कहना यह है कि भारत में हरित क्रांति डा० एम०एस०स्वामीनाथन और उनके सहयोगियों की नीतियों के परिणामस्वरूप ही हुई जिसके कारण,हमारा कृषि उत्पादन 200 लाख टन से भी अधिक जा पहुंचा है।

मेरा निवेदन है कि नई कृषि नीति आज जो आप बना रहे हैं, उसका किसानों को पूरा-पूरा लाभ इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि तकनीकी अनुसन्धान के बारे में जो प्रचार-प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। प्रसार के माध्यम कम हैं, पब्लिसिटी कम हो पाती है और हर व्यक्ति से वे लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते हैं।

आज खाद्य एवं कृषि संगठन ने दो बातें कही हैं। इन यूनीवर्सिटीज को चलाने में जो वित्तीय कठिनाईयां आती हैं उनके कारण ये फेल हो जाती हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उनकी वित्तीय कठिनाईयों को दूर करेंगे। इन यूनीवर्सिटीज में निर्धारित संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। ये दो कमियां हैं। ये दो कमियां दूर हो जाएं और ठीक प्रकार के कुशल वैज्ञानिक और कर्मचारी नियुक्त हों तो मैं समझता हूं कि ये विश्वविद्यालय, जो अपने पूर्वोत्तर भारत की मांग को पूरा करने के लिए खोला है, वर्षों बाद इस ओर आपने जो ध्यान दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं।

पुनः मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी रचनात्मक सुझाव इस संबंध में दिए हैं, अपना उत्तर देते समय आप उनका विवरण और जिक्र भी करेंगे।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय की संकल्पना अमेरिका से लाई गई है और अमेरिकी परिस्थितियों की तुलना में, हमारे देश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका के विशेषज्ञ हमारे देश में बहुत बार आए और उन्होंने यह भिन्न राय दी थी कि यह संकल्पना हमारे कृषि वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां पर मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि आजादी के तत्काल बाद नेहरू जी ने कहा था कि सब कुछ रुक सकता है, परन्तु कृषि नहीं। महात्मा गांधी ने भी अपने कुछ भाषणों में कहा था कि प्रतिभा और भूमि दोनों में सहयोग होना आवश्यक है, वरना देश का विकास नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से कृषि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया बहुत उपयोगी है।

सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अलग-अलग रूप थे। जिसकी शुरुआत भूमि, पशुधन को उन लोगों को देकर हुई जिनके पास सम्पत्ति का कोई आधार नहीं था।

योजना युग के शुरू में भूमि सुधार के कार्यक्रमों में जमींदारी और मध्यस्था अवधि समाप्त करना शामिल था। बाद में काश्तकारी सुधार बटाईदार की सुरक्षा, भूमि कर अधिकतम सीमा निर्धारण और भूमि-चकबंदी के कदम उठाए गए। आजादी के 45 साल भी देश में कोई उचित प्रकार का भूमि सुधार नहीं है।

इम्फाल में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है। यह एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो यह लाभदायक नहीं होगा। विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों को विभिन्न क्षेत्रीय प्रणालियां भूमि सुधार और हमारे देश की सामाजिक प्रणाली जानना भी जरूरी है। इस समय जो पाठ्यक्रम सिखाया जा रहा है, वह मौजूदा वातावरण के अनुकूल नहीं है। इस वजह से, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करे।

एक और मुद्दा है :—विश्वविद्यालय के नाम के बारे में। उसका यहां पर ज़िक्र हुआ है। यह विधेयक कहता है :—

"कृषि से तात्पर्य है मूल और व्यवहारिक खाद्य मिट्टी और जल प्रबन्धन, फसल उत्पादन, जिसमें सभी बागान फसलों का उत्पादन शामिल हैं का मूल और व्यावहारिक विज्ञान पौधे कीड़ों और रोगों पर नियंत्रण बागवानी, फूल उगाना, पशुपालन, पशुचिकित्सा, डेरी विज्ञान, मत्स्य पालन और वानिकी तथा फार्मवानिकी शामिल है······।

दो प्रकार के विश्वविद्यालय होने चाहिए। एक विश्वविद्यालय केवल कृषि से संबद्ध हो। मैंने इस नाम का उल्लेख किया है और पशु चिकित्सा विज्ञान अथवा अथवा पशु-विज्ञान और डेरी विज्ञान, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे दूसरे कृषि उत्पादों का एक अलग विश्वविद्यालय होना चाहिए। विश्वविद्यालय को छात्र में इस पाठ्यक्रम द्वारा कुछ ऐसी भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि उनको गांव में काम करना है।

इसके अलावा खेलों और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जोकि छात्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारे हजारों छात्र बेरोजगार हैं उन्हें अपने पाठ्यक्रम के खत्म होने के पश्चात् कोई नौकरी मिलनी चाहिए और पाठ्यक्रम रोजगार उन्मुख होना चाहिए।

मेरे राज्य में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है और वह विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी बहुत सी समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय धनराशि के अभाव से प्रभावित है और कभी-कभी धनराशि का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए होता है। यह दूसरे विश्वविद्यालयों में भी हुआ है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले की जांच करेंगे, ताकि कृषि विश्वविद्यालयों का विकास हो।

अंत में, मैं डंकल प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह कृषि के क्षेत्र में ही संबद्ध है। कीटनाशक, उर्वरक और दूसरे कृषि आदान का कृषि के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो सकता। डंकल प्रस्ताव से हमारे देश की सम्पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था को क्षति होगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले पर गौर करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

]हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, मैं बिल लाने के लिये कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और पूर्वोत्तर भारत के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद मैं इनको इसलिए देना चाहता हूं कि इन्होंने वह काम किया जिसको वी० पी० सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था। पूर्वोत्तर भारत में एक यूनिवर्सिटी बने, यह विचार उस समय आया और उसके लिए काम भी शुरू हुआ। आज उसको मूर्त रूप देने का श्रेय इनको मिलता है। इसके लिए हम इनको धन्यवाद दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए एक बड़ी चीज हो रही है, वहां के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति होगी, इसके लिये वहां के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं।

इसमें एक-दो बातें सिर्फ सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं। जो सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी वहां बनेगी, उसका मुख्यालय मणिपुर में इम्फाल में होगा। लेकिन इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम छोड़कर पांच राज्य और भी हैं। चूंकि मुख्यालय इम्फाल में होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य भर के विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थिति है इसलिए विश्वविद्यालय के संचालन में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होगी। जो पांच राज्य बच जाते हैं, सेण्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के मातहत, निश्चित रूप से उन राज्यों में आवश्यकता के अनुरूप रिसर्च सैण्टर स्थापित करने चाहिएं, जो वहां की जरूरत के मुताबिक हों। वहां जो रिसर्च वर्क हो। वह वहां की जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

जब नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां बनेगी तो वहां पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी और दिल्ली में बैठे लोगों को यह लोभ होगा कि हम अपने लोगों की भर्ती करा दें, आखड़ साहब बैठे हुए हैं, कृषि मंत्रालय में बहुत से लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि एक तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, इसके राज में जो एम्पलायड लोग हैं, वह अनएम्पलायड किये जा रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकालने की कई तरह की स्कीमें निकाली गई हैं, वैसी परिस्थिति में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर वहां पर पैदा होने जा रहे है, इनको लगेगा कि हम यहां पर हैं तो अपने लोगों को भर्ती करा दें। यह लालच शुरू से रहा है और उसी लालच के चलते पब्लिक सैक्टर का बुरा हाल हुआ है, वह भिन्न विषय है, मैं विषयान्तर नहीं करना चाहूंगा लेकिन नोर्थ ईस्ट में यह बनेगी तो कई चीजों के नाम पर कि वहां एक्सपर्ट नहीं है, यह कहकर कि वहां पर साइण्टिस्ट नहीं हैं, कई तरह के बहाने बना कर हर स्तर पर दूसरी जगह के लोगों की भर्ती की जा सकती है, इस बात

का अंदेशा है। हम लोगों ने यहां तक देखा है कि जहां का नियुक्ति करने वाला कोई पदाधिकारी होता है तो वह अपने इलाके के लोगों को भर देता है, क्लास तीन और क्लास फोर पर भी। तो हम इनको जरूर सचेत करना चाहेंगे कि इस प्रकार का लालच जरूर मन में आयेगा, मनुष्य से मन में लालच होता ही है लेकिन इस लालच से जरूर परहेज करें और नोर्थ ईस्ट के लोगों को ही उसमें बहाल करने की कृपा करें, वरना यूनिवर्सिटी तो वहां के लोगों की इच्छापूर्ति के लिए बन रही है लेकिन अगर बहाली में कोई गड़बड़ी इनकी तरफ से हुई तो वहां इसके खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है।

दूसरी बात एडमिशन के मामले में है। एडमीशन के मामले में नोर्थ ईस्ट में चूंकि यूनिवर्सिटी नहीं थी तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए नोर्थ ईस्ट के विद्यार्थी आई०सी०ए०आर० के कोटे से और दूसरी तरह से दूसरी जगह पढ़ाई के लिए भेजे जाते थे, यह सेण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिससिंटी है तो स्वाभाविक है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर चाहेगा कि देश भर के लोगों का वहां पर एडमीशन हो, लेकिन चूंकि विशेष इलाके में वह यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है और विशेष परिस्थिति में हो रही है इसलिए वहां कम से कम 90 फीसदी जगहें दाखिले के लिए आरक्षित कर देना चाहिए, उस इलाके के लिए। ऑल इण्डिया बेसिस पर अगर वहां पर खुली भर्ती हम लोग कर दें, दाखिले में तो शायद वहां के लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। फिर वहां कई लोग बाहर से नौकरी करने के नाम पर जाते हैं, वह अपने वार्ड्स का एडमीशन कराते हैं तो इससे असंतोष फैल सकता है।

दो बातें मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष जरूर रख देना चाहता हूं कि आगे जो खतरा नामांकन को लेकर है, एडमीशन को लेकर है, एपाइण्टमैण्ट को लेकर है तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आगे की कारंवाई करेंगे।

कृषि विज्ञान केन्द्र कई जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के अन्दर, कई जगहों पर विश्वविद्यालयों के अन्दर स्थापित होते हैं। जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप लगाएंगे, उसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर भर में इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़कर कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना जरूर बड़े पैमाने पर होनी चाहिए ताकि साथ-साथ कृषकों को नये और उन्नत किस्म की खेती का प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ-साथ एलाइड सैक्टर में भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके, इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें तीन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, फोरेस्ट्री, डेयरी और हार्टीकल्चर पर यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वहां की जरूरतों के मुताबिक रिसर्च हो सके और वहां के इलाके की तरक्की भी हो सके। कृषि के क्षेत्र में हम यह सुझाव देना चाहते हैं।

इस विधेयक में कई प्रावधानों पर एतराज किया जा सकता है···और ऐतराज के लायक भी कई प्रावधान हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत परिश्रम नहीं किया गया है वह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक माडल बिल है उसी से इसमें सब कुछ ले लिया गया है इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है।

इस बिल में कई जगह पर सुधार की जरूरत है जिसके बारे में माननीय जार्ज फर्नाण्डीज साहब अपनी बात रखेंगे उस क्षेत्र में मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं। इस बिल में कई जगह पर सुधार की जरूरत है ताकि इसको और चुस्त-दुरुस्त और बढ़िया बनाया जा सके और मूल रूप से यह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय और उसके लिए जो बिल लाया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं।

हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है और जिस काम को हम लोगों ने प्रारम्भ किया उस काम को आज मूर्त रूप मिलने का अवसर आया है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देते हैं और इस बिल का स्वागत करते हैं और मोटे तौर पर इसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं भी अपने सभी मित्रों का समर्थन करता हूं जिन्होंने माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ को इस विधेयक के प्रस्तुत करने पर बधाई दी है। एक लम्बे समय से इस विधेयक की प्रतीक्षा की जा रही थी। वास्तव में जब हम इस विधेयक पर चर्चा करते हैं तब हम स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्मरण करते हैं, क्योंकि उन दिनों से ही इस बात पर चर्चा हुआ करती थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।

इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने सम्बन्धी साहसिक कदम उठाने पर कांग्रेस सरकार को बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के कार्य में, कृषि के अनुसंधान के कार्य में और कृषि के शिक्षण में लगे हुए लोगों की उच्चाकांक्षा को पूरा करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, हमने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सम्पूर्ण भारत में भेजा और जब वे वापस आये तब हमने महसूस किया कि उन्होंने उन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा विशेषकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की वह पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यवहार्य नहीं है। अत: इम्फाल में स्थित यह विश्वविद्यालय उन उच्चाकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। यह विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थापित किया जा रहा है हालांकि मैं माननीय मंत्री से इसे शिलांग में स्थापित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि शिलांग में हमारे पास भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का एक बहुत बड़ा परिसर है जोकि 15-20 वर्षों से वहां पर ही है। भा० कृ० अ० प० पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपजाने वाले विभिन्न फसलों का अनुसन्धान कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहा है जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनको और लाभदायक कैसे बनाया जाये। हालांकि इम्फाल को मुख्य परिसर के रूप में रखा गया है, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को ध्यान रखें कि इस विश्वविद्यालय का एक कैम्पस शिलांग में होना चाहिए। वहां पर उस परिसर में एक बड़ा भवन, उनके अपने फार्म और सब कुछ है। यह एक बहुत बड़ा परिसर है जो शिलांग हवाई अड्डे के निकट स्थित है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मेघालय में व्याप्त पौधों के विभिन्न रोगों को जानने में सहायता मिलेगी।

कुछ वर्ष पहले इस माननीय सभा में मैंने मेघालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकरानाट—सुपारी के पौधों में व्याप्त रोग का मामला उठाया था। उस रोग से सुपारी के लगभग तीन लाख पौधे नष्ट हो गए थे। इस समस्या पर ध्यान देने, इस रोग का पता लगाने और इस पर काबू पाने हेतु उपायों को खोजने की आवश्यकता है।

तीन वर्ष पहले सन्तरों के वृक्ष रोगग्रस्त हो गए थे। आज तक इस रोग का कोई उपचार नहीं ढूंढा जा सका। चार बहुत महत्वपूर्ण पेड़ हैं। मैं समझता हूं कि मेघालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई भागों में यदि विस्तृत अनुसन्धान किया जाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कृषकों की सहायता कर सकेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विधेयक में सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों को

उच्च शिक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु एक विशेष प्रावधान रखा गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई लोग, कई बी० एससी० (कृषि) स्नातक हैं जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है और मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि कृषि से सम्बन्धित स्नातकों को आगे भी शिक्षण और प्रशिक्षण देने सम्बन्धी इस आवश्यक पहलू की ओर ध्यान दें।

महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस सरकार को बधाई देता हूं और श्री बलराम जाखड़ को भी बधाई देता हूं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति और विकास का सदा खयाल रखते हैं।

मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू (तेनाली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को केवल बधाई ही नहीं अपितु धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कदम उठाया है।

महोदय, इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता की—उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाने, अनुसन्धान का अनुशीलन, तथा उस क्षेत्र में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान सम्बन्धी विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने की जोकि अब तक उस क्षेत्र में नहीं था—बरसों की कामना पूरी होगी। महोदय, इससे क्षेत्रीय असमानता दूर होगी और कृषि विस्तार, अनुसन्धान एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। यह कदम केवल मानव शक्ति के सृजन में ही नहीं बल्कि उस आवश्यक तकनीकी ज्ञान को उत्पन्न करने में भी लाभदायक सिद्ध होगा जिससे अन्ततः कृषि उत्पाद एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा बल्कि एक विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय के बीच व्याप्त विभेदता को दर्शाते हुए देश के उन तीन-चार क्षेत्रों के बारे में सुझाव प्रस्तुत करूंगा जहां पर कई कृषि विश्वविद्यालय प्रभावित हुए हैं। पाठ्य-क्रम, प्रवेश अथवा वित्त उपलब्ध कराने और कुछ उच्च अधिकारियों के कार्यकाल सम्बन्धी मामलों में एकरूपता नहीं है। इनमें से कई विश्वविद्यालयो में जब अधिकारियों की नियुक्ति उप-कुलपति, संकाय अध्यक्ष और अन्य स्तर पर हुई है तब उनमें से कुछ विश्वविद्यालयों में इन अधिकारियों का कार्यकाल कहीं पर तीन वर्ष और कहीं पर पांच वर्ष रखा गया है। महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए माननीय मंत्री जी के सामने यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में 5 वर्ष का समान कार्यकाल रखा जाये चाहे वह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालय हो। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष है जबकि डीनस् और निर्देशकों का कार्यकाल पांच वर्ष हैं। अतः मेरा सुझाव है कि उप-कुलपति, रजिस्ट्रार, संकायाध्यक्ष एवं निदेशक के पद के लिए सभी विश्वविद्यालयों में 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए और ये सब लोग विशेषज्ञ हों। कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ नौकरशाह रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किये जा रहे हैं जोकि कृषि शिक्षा, अनुसन्धान एवं विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है।

कुछ विश्वविद्यालयों में किसानों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है और कुछ विश्वविद्यालयों में यह आरक्षण उपलब्ध नहीं है। अतः इसका ध्यान रखना होगा और कृषकों के

बच्चों एवं कृषक परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करनी होगी ताकि इससे ग्रामीण उद्धार और ग्रामीण विकास हो सके।

आन्ध्र प्रदेश कृषि विद्यालय में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम—आयुर्विज्ञान में इन्टर्नशिप की तरह—आरम्भ किया गया और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। यह सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से हो। कृषि छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाय—जिसे ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम कहते है—जोकि आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में सफलतापूर्वक चल रहा है।

दूसरी बात यह है कि कृषि वैज्ञानिक को विस्तार कर्मचारी भी होना चाहिए। कई विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान वैज्ञानिकों और विस्तार कर्मचारियों के बीच समन्वय की कमी है। यह दो-तरफा प्रक्रिया है। विस्तार कर्मचारी को चाहिए कि वह क्षेत्र स्तर की समस्या को प्रयोगशाला स्तर तक अथवा वैज्ञानिकों के ध्यान में लाकर इन वैज्ञानिकों को उन समस्याओं से अवगत कराये। और इसी तरह से अनुसन्धान परियोजनाओं को प्रयोगशाला से क्षेत्र स्तर तक लाकर विस्तार कर्मचारियों को शिक्षित करना चाहिए। यहां, अधिकांश मामलों में यह प्रतिसंभरण उस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक आवश्यक है। वास्तव में क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंचाया गया है।

महोदय, मैं लगभग तीन दशकों तक कृषि विश्वविद्यालय में काम करने के अनुभव के आधार पर एक सुझाव दूंगा। वैज्ञानिक को हमेशा यह कार्य सौंपना चाहिए कि उसके पास क्षेत्र स्तर का अपना प्रदर्शन फार्म हो। इसके साथ-साथ वह एक विस्तार कर्मचारी भी हो। इसलिए, वैज्ञानिकों को केवल प्रयोगशाला की चारदिवारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे कृषि कार्य की जानकारी भी देनी चाहिए। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस बारे में एकरूप नीति हो कि प्रत्येक वैज्ञानिक का अपने प्रकार्य क्षेत्र अथवा विशेषज्ञता क्षेत्र में निजी प्रदर्शन प्लाट अथवा प्रदर्शन फार्म होना चाहिए ताकि उसे आवश्यक प्रतिसंभरण मिल सके। यह संचारण केवल प्रयोगशाला से भूमि की ओर ही नहीं अपितु भूमि से प्रयोगशाला तक भी होना चाहिए।

अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों में यह बात सुनने में आ रही है कि वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है जिसके वे पात्र है। पदोन्नति के मामले में भी एकरूप नीति नहीं अपनाई जा रही है। कई विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार समय पर अनुदान उपलब्ध नहीं करा रही है। विशेषकर, योग्यता पर आधारित पदोन्नति योजना और 'कैरियर एडवांसमेंट' योजना के सम्बन्ध में एक विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय के बीच बहुत विसंगति है और इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, पदोन्नति नीति को अन्तिम रूप देने और उसके लिए वित्त उपलब्ध कराने में सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। अतः मेरा यह सुझाव है कि सभी कृषि विश्वविद्यालयों के लिए समान पदोन्नति नीति होनी चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यह केन्द्रीय कृषि अनुसन्धान विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री जी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और विचार-विमर्श किया, बहुत आभारी हूं और उनको हृदय से

धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस बिल की सराहना की है उसके लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार से मैं उनका अभिवादन या धन्यवाद करूं। क्योंकि यह एक ऐसा विषय था और ऐसा बिल है कि इसमें दो राय हो ही नहीं सकती थी और सबने उसी प्रकार से इसका समर्थन किया है।

यह आवश्यकता थी कि हम इसको नार्थ इस्टर्न रीजन में जल्दी से जल्दी स्थापित करें। यह यह बहुत पुराना विषय है। काफी समय से इस पर विचार हो रहा था, लेकिन विचार, विचार ही था। उसका क्रियान्वयन करने के लिए ठोस कदम उठाया है और मैं प्रधान मन्त्री जी का और प्लानिंग कमीशन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने साथ दिया है और मैंने इसको बहुत तन-देही से सींचा है। मन में विचार था कि नार्थ ईस्टर्न रीजन को भी उसी प्रकार से सब सुविधाएं प्राप्त हों जो उनका हक है और उनके छपे हुए खजाने को सामने लाना है और उन लोगों के साथ भागीदार बनाना है। वह आवश्यक था और आज हो रहा है। मुझे इसके लिए अटल प्रसन्नता हो रही है। मैं तहेदिल से माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल का पूरा समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने इसके लिए सुझाव दिए हैं। सुझाव दिया करते हैं तो और ज्यादा अच्छा होता है और इन सुझावों से प्रक्रिया निखरती है। कुछ कमियां होती हैं तो उनको पूरा किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें ठीक ढंग से सबसे अच्छा काम किया गया ताकि इसमें त्रुटि न हो। एक्स-स्पीकर साहब यहां से चले गये हैं, वे कह रहे थे कि शिलांग में भी हो। कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सी जगहों पर नहीं है और किसी एक जगह पर है, ऐसा नहीं है, चार प्रदेशों में इसका अस्तित्व बनाने का विचार है जैसे—मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा का है। त्रिपुरा भी विदड्रा कर गया और नागालैंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से सोच रहा था कि उनको वहीं मिलेगी।

[अनुवाद]

मेघालय के पास बहुत से केन्द्रीय संस्थानों ने अंततः में इसके पक्ष में अपनी सहमति की। स्वभाविक रूप से यह एक सर्वसम्मति थी।

[हिन्दी]

सब मिलकर उन्होंने भाईचारे से तय किया और कोई विवाद इस प्रश्न पर नहीं है। हरेक जगह हमारा इन्स्टीट्यूशन बाकी है। हमने देखा है कि --

[अनुवाद]

प्रत्येक कालेज ने एक बात का प्रस्ताव किया है। इस परिषद् ने विशिष्ट व्यवस्थिति आधार पर क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों की पहले ही स्थापना कर दी है।

[हिन्दी]

अलैहदा जो हमारे प्रदेश हैं वहां अलैहदा तरीके से खेती करनी है। जैसे किसी में फिशरीज है, किसी में डवलपमेंट आफ मेडीसिनल प्लांट्स हैं, किसी में डेरी है और कहीं पर राइस है। मणिपुर में राइस के लिए समतल भूमि है और सिंचाई के साधन हैं। इस प्रकार से हरेक क्षेत्र को अलैहदा उसकी उपयोगिता के मुताबिक दिया है। इसमें किसी को कोई कष्ट न हो और न किसी के मन में

क्लेष हो, देखकर करेंगे । ऐसा कहा गया कि स्टूडेंट्स की बाहर से भर्ती न हो जाए । ऐसी बात नहीं है । यह देश एक है और इसकी गरीमा एक है । नार्थ इस्टर्न रीजन को वहां प्रमुत्व मिलेगा और कुछ इंटीग्रेशन के हिसाब से है और उनको कुछ अधिक मात्रा में दिया जायेगा । बोर्ड बनाया जायेगा और प्रणाली बनेगी कि किस तरह से भर्ती करनी है, किस प्रकार से करना है और किसको लेना है । उसमें कोई अनर्गल बात नहीं होने दी जायेगी जिसमें नार्थ इस्टर्न रीजन का कोई नुकसान न हो । हमारे साथी कह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि नियुक्ति के समय अपना आदमी है और पराया आदमी हो । सभी अपने आदमी हैं । ऐसा दृष्टिकोण नहीं है । जो विशेषज्ञ उपयोगी होगा उसको वहां नियुक्त किया जायेगा । वहां पर दृढ़ निश्चय वाले इन्सान को लाना चाहते हैं । नया बीज लगेगा उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी और उसमें से फल-फूल निकलेंगे और फलों का रसास्वादन सारे क्षेत्र का होगा ।

ऐसा नहीं, यह मामूली बात नहीं है । माननीय सदस्यों ने कहा कि पैसा थोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, थोड़े पैसे की बात नहीं छोड़ी जायेगी । इसको पूर्णरूपेण पूरा किया जायेगा । इस बात को कतई करके दिखाना है । अंग्रेजी में कहावत है ।

[अनुवाद]

हमेशा के लिए बनी कोई चीज वह चीज है जो वास्तव में बनी है ।

[हिन्दी]

उसमें कभी रुकावट नहीं आयेगी, मैं यह आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करके दिखायेंगे और बाकायदा चलाकर दिखायेंगे कि गाड़ी किस प्रकार से चलती है । क्योंकि क्षेत्रों में जहां पिछड़ापन है उसको दूर करना है और उनको भी अन्य राज्यों के साथ कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ाना है, यह हमको करके दिखाना है । आज देश की स्थिति ऐसी है कि यदि हमने क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं किया तो वही बात आ जाएगी जो सुबह भी आई थी । आखिर तीन प्रदेश सारे देश को अनाज दे नहीं सकते । हम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं, आये वर्ष दो करोड़ बढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही आपको सारे का सारा अनाज देते रहें, कितने दिन तक गुजारा करेंगे । हमें सारे प्रदेशों को अपने पैरों पर खड़ा करना है । क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करना है । उनको दिखाना है, दिखाना है यह बताना है कि क्या करना है । हमारे साथी अभी यही कह रहे थे । वे कृषि विश्वविद्यालय में रहे हुए हैं, उनका अनुभव है, मैं उसकी ताईद करता हूं । जब तक हम प्रेक्टिकल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी··· ।

[अनुवाद]

विस्तार सेवा सर्वोत्तम है ।

[हिन्दी]

जब तक हम डेमोंस्ट्रेशन प्लाट नहीं बनायेंगे और गांव-गांव में यह नहीं दिखायेंगे कि एक गांव के प्राणी को यह करना है और दूसरे प्राणी को भी यह करना है, क्यों नहीं वह कर सकता यह बताना है । क्योंकि सब मेहनत कर सकते हैं । इसलिए उसको हमें जाकर बताना, है उसको हौसला देना है । मैं सारे देश में एक्सटेंशन सर्विसेज का जाल बिछा देना चाहता हूं, उसी में कृषि विज्ञान की बात आती है ।

आज मेरे साथी कह रहे थे जब वे मेरे पास आये कि कृषि विज्ञान केन्द्र की भी बात करें। मैं आपसे भी ज्यादा इसमें इच्छुक हूं। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी बात की है। मैंने कहा कि रूरल डवलपमेंट करना चाहते हैं तो किस बात पर विकास करेंगे। जब तक लोगों को ज्ञान नहीं होगा उनको क्या बतायेंगे। हम स्कूल जाते हैं तो किसलिए जाते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए तो इसी तरह से यह भी ज्ञान अर्जन करने का तरीका है अगर हम कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना चाहते हैं तो यह केन्द्र बनाने पड़ेंगे। जिसमें हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को हफ्ते की, किसी को महीने की तो किसी को 6 महीने की ट्रेनिंग दें, कोर्स पूरा करायें तो फिर यह काम हो सकेगा। मेरे साथी ने कहा कि जो लोग वहां पढ़ें, दाखिल हों तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। यह बड़ी ही विडम्बना है कि ऐसी बात कही जाये। मुझे समझ में नहीं आता कि यह क्या तरीका है। मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की वह बात याद आ रही है एक मां ने कहा—घेरो न लला को हमार—नौकरी करनी नहीं इस पर मैथिली जी ने अपने तरीके से कहा कि "हे शिक्षा तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित में नहीं" क्या हम इनको नौकरी के लिए शिक्षा दे रहे हैं। क्या कृषि विज्ञान केन्द्र में इसलिए विशेषज्ञ बन रहे हैं कि वे पतलून पहनकर दफ्तरों में काम करें। मैं आपका समर्थन चाहता हूं और चाहता हूं कि कम से कम इन लोगों से लिखवा लिया जाये कि पचास फीसदी ऐसे आदमी हों जो खेत में काम कर सकें और बतायें कि हम यह काम कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे विशेषज्ञों को पैदा करना चाहता हूं जो अपने पैरों पर खड़े होकर बता सकें कि हम भी कुछ कम नहीं।

अगर दुनिया ने पैदा किए हैं तो क्या हम नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। आज दुनिया में खेती में कायाकल्प हो गई है, हम क्यों पीछे रहें। तीन प्रदेश क्यों आगे बढ़ गये इसलिए कि उनको रास्ता दिखाने वाले थे, जबकि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति सब में होती है। इसलिए हमको, हमारे नेतागणों को रास्ता दिखाना है, साधन जुटाने हैं और उनको कहना है कि आप भी कुछ करके दिखा सकते हो। खेतों में लेजाकर दिखाना है, अगर चह्वाण साहब अपने खेत में कर सकते हैं तो दूसरे दिन मुझे पता लगे तो मैं सोचूं कि मैं क्यों नहीं कर सकता, इस तरह की एक जलन या ईर्ष्या पैदा होनी चाहिए। यह ईर्ष्या स्वास्थ्यवर्द्धक होगी, इसमें स्वास्थ्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मारने की या नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं होगी, आगे बढ़ने की होगी। मैं चाहता हूं कि कृषि केन्द्रों में जो विशेषज्ञ तैयार हों तो वे जाकर खेतों में काम करें और दिखायें कि दो, पांच या दस एकड़ में हम यह पैदा करके दिखा सकते है। इसी तरह से वे कृषि आधारित उद्योग लगायें तब बात बनेगी। मैं ऐसे विशे-षज्ञ पैदा करना चाहता हूं, मैं एक नया विकल्प ढूंढना चाहता हूं, मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

पूरा दृष्टिकोण ही गलत है।

[हिन्दी]

इस चीज को बदल देना चाहता हूं। नीतीश जी चले गये, वह बता रहे थे कि हमने सपना लिया था, तुमने अधूरा लिया, मैंने पूरा किया।

जो निकम्मे तौर पर उल्टी रीति से चलते रहे हैं, उनको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ था, उसको रेल पर लाने में लगे हैं। कृषि पर आधारित जो पैसा किसानों का है, वह उनके पास जाये, वह काम कर सकते हैं। हम तो बनाने की बात करते है और मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं।

सभापति जी, माननीय सदस्यों को यह संदेह था कि पांचवीं योजना में आगे नहीं बढ़ पायेंगे तो मेरा कहना यह है कि वॉर लेवल पर पूरा करने की चेष्टा करेंगे और किस प्रकार से हमारी मन की इच्छा है, वह जल्द से जल्द पूर्ण हो। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जनवरी में हम नींव का पत्थर लगायेंगे। यह केवल 64 करोड़ 30 लाख रुपये की बात नहीं है। यह तो अभी दिया है, आगे और पैसा आ जायेगा। अभी इसको देखकर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। जो कमियां आयेंगी तो उनको देख लूंगा फिर भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो योग्य सुझाव दिये हैं, उस पर विचार करूंगा। जहां तक आपने कार्यकाल की 5 या 3 साल की बात की है तो यह आम-तौर पर पांच साल है लेकिन महाराष्ट्र और यू० पी० में यह 3-3 साल है, बाकी स्टेट्स में यह पांच साल ही है। पांच साल के लिए भी कोई अच्छा आदमी लगाया जायेगा, और उससे ही बात बनेगी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी निकम्मे को नहीं लगायेंगे। ऐसी बात नहीं करनी होगी फिर भी ठीक ढंग से चलने की चेष्टा करेंगे। आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरे पास लिखे हुए हैं, कमी नजर आएगी तो पूरा कर दिया जायेगा और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस बिल को पास करके नार्थ ईस्ट सूबों के भाइयों को मुबारकबाद दें कि यह यूनिवर्सिटी लीजिए, आप इसके हकदार हैं, सारे देश से कन्धे से कन्धा मिलाकर सब सूबों के साथ मिलकर चलें तो यह अच्छी बात होगी कि यह केवल छोटे-बड़े स्टेट की बात नहीं है। यह एक एटम है, एटम बनाकर देखेंगे।

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके निगमन का तथा उस क्षेत्र में कृषि के विकास का और कृषि और सम्बद्ध विज्ञान सम्बन्धी विद्या के अभिवर्धन और अनुसंधान को अग्रसर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 43 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 43 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, **अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, अच्छा होता अगर मुझे पहले मौका देते लेकिन आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे इस बिल में एक धारा पर आपत्ति है जो मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं इस उम्मीद से कि बिल पारित होने के बाद इसको सुधारने का काम हो पायेगा।

[अनुवाद]

खण्ड 31 (1) : "विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी एक लिखित संविदे के अन्तर्गत नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रहेगा और जिसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।"

31 (2) : "समझौते से विश्वविद्यालय और किसी भी कर्मचारी के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर कर्मचारी के अनुरोध पर, उसे मध्यस्तता निर्णय के लिए एक अधिकरण को भेजा जाएगा जिसका एक सदस्य बोर्ड द्वारा, एक सदस्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा और एक निर्णायक आगन्तुक द्वारा मनोनीत किया जाएगा।"

31 (3) : "अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों के सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा सिविल न्यायालय में लंबित नहीं रहेगा।"

[हिन्दी]

सभापति जी, मेरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक में यूनिवर्सिटी जिस भी कर्मचारी को नौकरी पर रखेगी, उसको अपना गुलाम बनाने का काम करेगी। उसको कर्मचारी के नाते किसी भी प्रकार का अधिकार जोकि हिन्दुस्तान के संविधान में दिए गए हैं, उन अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। हो सकता है कि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि शिक्षा संस्थाओं में हिन्दुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद यह सारे अधिकार वैसे तो नहीं रहे हैं मगर अधिकार न रहना अपनी जगह पर एक चीज है चूंकि अधिकार न होते हुए भी दिल्ली विश्वविद्यालय या देश के अन्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारी अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं और अपनी समस्याओं को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तक पहुंचाते हैं। इस सदन में या अन्य जगहों पर उन्हें उठाने का काम भी लोग किया करते हैं लेकिन यहां जो क्लाज आपने जोड़ी है वह हर कर्मचारी को यह बताती है कि अगर आप हमारे यहां आएंगे। तो एक कान्ट्रैक्ट करके आएंगे। जिस देश में करोड़ों की तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अच्छी नौकरी पर जाने वाले हों अथवा माली और चपरासी की नौकरी पर जाने वाले हों जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हैं तो जो कान्ट्रैक्ट आप कहोगे उस पर वह अंगूठा लगाने या दस्तखत करने का काम करेंगे और अपनी नौकरी

करने के जो अधिकार है, मैं फिर दोहराता हूं कि जो संविधान में दिए हुए अधिकार हैं, उन अधिकारों को आपके सुपुर्द करने का काम करेंगे। इसमें जो 31[2] है, यह उनके साथ "ऐडिंग इन्सल्ट टु इन्ज्युरी" वाली बात है। आप संपूर्ण अधिकार रखते हो उसे निकाल बाहर करने का। किसी दिन आपने यह तय किया कि उसने जिस तरह से आपको नमस्कार करना चाहिए था, वैसे नहीं किया या किसी ने कल शिकायत की तो आपने उस कर्मचारी को हटाने का फैसला कर लिया। तो हटाने के बाद अगर हटाया हुआ व्यक्ति आपके आकर प्रार्थना करे कि मेरे सामने को आर्बिटरेशन में पहुंचा दीजिए, तो क्या आर्बिटरेशन है? एक नुमाइंदा बोर्ड का यानि जो निकालने वाले लोग हैं, उनका, दूसरा नुमाइन्दा विजिटर का जोकि भारत के राष्ट्रपति हैं, यानि फिर उसी बोर्ड का, और कर्मचारी जिस किसी भी व्यक्ति को कहेगा कि यह मेरी तरफ से बैठेगा और जो फैसला बोर्ड ने ले लिया उसे हटाने का कांट्रैक्ट के द्वारा, जिस फैसले पर राष्ट्रपति की मुहर आपने पहले ही लगवा दी है तो फिर उसकी अपील का क्या मतलब है, उसके साथ यह मजाक क्यों है? अगर आप उसे गुलाम के तौर पर ही वहां रखना चाहते हो तो 31(2) उसके साथ "ऐडिंग इन्सल्ट टु इंज्युरी" वाला मामला है। इसलिए इसको डिलीट करने का काम आपको करना चाहिए। चूंकि नम्बर तीन में आपने कहा है कि ट्राइब्यूनल का फैसला अन्तिम होगा, उसमें किसी भी प्रकार की अपील नहीं होगी। सभापति जी, मैं इस क्लॉज 31 का सख्त विरोध करना चाहता हूं।

कल दिल्ली में सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग अपने अधिकारों की बात को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं और यहां सदन में पूर्वांचल में निर्माण होने वाली नयी संस्था में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा, न संगठन का और उनके साथ नाइंसाफी हो गई तो इंसाफ मांगने का अधिकार भी नहीं रहेगा, ऐसा लिखकर आप इस विधेयक को पास करना चाहते हैं। सभापति जी, मेरा इस विधेयक के लिए सख्त विरोध है इस बात को लेकर। अगर मंत्री जी इस बात पर आश्वासन देंगे तो मेरे लिए इस विधेयक का समर्थन करना और स्वागत करना हर्ष की बात होगी चूंकि पूर्वांचल के पिछड़ेपन को, उसकी लाचारी को दूर करते हुए पूर्वांचल में विकास के ढांचे में कुछ और मजबूती लाने का काम इस विधेयक से हो रहा है। मगर इतनी बढ़िया चीज में, आप मुझे एक शब्द कहने के लिए माफ करिएगा, "कलंक" लगाने वाली क्लॉज इसमें से हटा दी जाए। इस बारे में मंत्री जी कोई निवेदन करें।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने माननीय जार्ज साहब की बात सुनी। इसमें अपील और आर्बिटरेशन का मसला तो है ही लेकिन इसको देखना पड़ेगा। इस पर विचार कर लिया जाएगा। मैं देखता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में है या नहीं। यह किस प्रकार से होगा। इस पर मैं फिर बात करूंगा। अभी मैं इस बात पर पूरा आश्वासन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि गलत बात करना ठीक नहीं होगा। मैं इस पर देखकर और पूरा शोध करके आपसे बात करूंगा।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : यह जनहित में सुझाव है तो आप उसको मान लीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने कहा है कि मैं इसको देखूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.11 म० प०

[अनुवाद]

नागरिकता (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सरकार का नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4(1) में संशोधन करने का प्रस्ताव है। महिलाओं के साथ सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने वाले समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1980 के संकल्प संख्या 34 द्वारा स्वीकार किया था। भारत उस कार्यकारी समूह का अध्यक्ष था जिसने इस समझौते का मसौदा तैयार किया था। समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी देशों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक सभी तरह के अधिकारों के उपयोग के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करें। "महिलाओं के साथ भेदभाव" शब्द को जिस तरह से परिभाषित किया गया है उसका मतलब यह है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना या ऐसा ही कोई प्रतिबन्ध उन पर लगाना जिससे कि उनको मिली हुई मान्यता या अधिकार उनके वैवाहिक स्तर के बावजूद बेअसर रहें या पुरुष या महिला को मिले समान मानव अधिकारों के आधार पर भेदभाव करना तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में मिले मूलभूत अधिकारों में भेदभाव करना है। तथापि, इस सम्मेलन के अनुच्छेद 9(2) और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4(1) के बीच विवाद होने के कारण भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का अनुसमर्थन नहीं किया जा सका है। इस सम्मेलन का अनुच्छेद 9(2) इस प्रकार है :

"कि राष्ट्र उनके बच्चों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करेंगे।"

नागरिकता अधिनियम, 1955 की मौजूदा धारा 4(1) से यह विवादित है जिसमें यह व्यवस्था है कि 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्मे कोई भी व्यक्ति, वंश से भारतीय नागरिक होगा यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। सम्मेलन का अनुसमर्थन करने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को उनके बच्चों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जा सकें।

इसके लिए भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

तदनुसार नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1992 अधिनियमित करने का प्रस्ताव है। नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके प्रस्तावित विधान में यह चाहा गया है कि भविष्य में विदेश में जन्मा कोई बच्चा भारत का नागरिक बन सके चाहे उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से केवल कोई एक ही भारत का नागरिक क्यों न हो और नागरिकता अधिनियम में आवश्यक परिणामवाची संशोधन भी किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1992 को सदन के विचार करने के लिए सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री प्रेमकुमार धूमल बोलेंगे ।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, इस नागरिकता (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित-सा है कि लिंग के भेद के कारण, स्त्रीलिंग के साथ जो अन्याय है, उसको दूर करने का प्रयत्न इस बिल के माध्यम से किया गया है। इसलिए जहा तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जिसमें कहा गया है कि किसी देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता उस देश के बच्चों को लिए जो भेदभाव है, वह सैक्स के आधार पर या लिंग के आधार पर नहीं होनी चाहिए, उस सीमित उद्देश्य को देखते हुए तो हम इस बिल का समर्थन करते हैं, क्योंकि पहले इसमें जो प्रावधान था, उसमें मेल परसन की बात का गयी थी, पुल्लिंग की बात की गयी थी, अब जो संशोधन आया है, उसमें कहा गया है कि कोई बच्चा जो 26 जनवरी, 1950 के बाद या इस विधेयक के लागू होने के बाद, आउट साइड इण्डिया बोर्न हुआ है और यदि उसके मां या बाप, आईदर आफ हिज पेरेंट्स, कोई भी एक, यदि भारतीय नागरिक है या थे, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यहां तक तो हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

लेकिन सभापति जी, जिस तीव्र गति से भारत की आबादी बढ़ रही है और हर वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है और इतना ही नहीं विदेशी घुसपैठिए बंगलादेश से करोड़ों की संख्या में घुसपैठ कर गए हैं और यह सरकार बंगला देशी घुसपैठियों को निकालने के लिए जिस प्रकार से नाटक कर रही है, उसको देखते हुए एक चिन्ता पैदा होना स्वाभाविक है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बंगलादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, वे डिपोर्ट कर दिए गए, बंगलादेश भेज दिए गए या वे लोग यहीं, इनके आश्रय में, झुग्गी-झोंपड़ियों में पल रहे हैं, ताकि आगे चुनावों में उनका वोटों के रूप में इस्तेमाल कर सकें, इस बारे में भी मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डालें।

माननीय सभापति जी, हम आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री जी को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इस बिल के माध्यम में यदि घुसपैठ को बढ़ावा मिलता है, तो यह ठीक नहीं है और यदि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो भेदभाव पहले था, उसको दूर करना चाहते हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस संशोधन की आड़ में, विदेशी घुसपैठ ज्यादा न बढ़े और इस संशोधन का उपयोग करके विदेशी लोगों को घुसपैठ के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने में सफलता न मिले, इसके लिए सरकार को स्पष्ट तौर पर आश्वासन देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो विदेशी लोग यहां आए हैं, उनको रिपोर्ट किया जाएगा, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा और सचमुच में जो इस देश की नागरिकता के पात्र हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था आप करते हैं, तो इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं। आपने इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के अनुच्छेद 9(2) में यह अपेक्षित है कि राष्ट्र महिलाओं को उनके बच्चों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करेंगे।

इस प्रकार से बच्चों के बारे में जो संशोधन लाया गया है जिसमें यह है कि जो बच्चा भारत से बाहर पैदा होता है और उसके माता या पिता भारतीय हैं और उनका रजिस्ट्रेशन एक वर्ष के अंदर-अंदर भारतवर्ष में हो जाता है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए, यहां तक इस बिल की जो मंशा है, वह तो ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग विदेशी लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए किया जाता है, तो हम इसका विरोध करते हैं।

महोदय, जो इस बिल के मूल भाग में भेदभाव वाली बात थी, और अब इस संशोधन के माध्यम से इस भेदभाव को दूर किया जा रहा है, तो यह स्वागतयोग्य है, लेकिन अगर गृह मंत्री महोदय इसकी आड़ में बंगलादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता देने का प्रयास करेंगे, तो हम इसके घोर विरोधी हैं। अभी कुछ समय पहले 125-126 लोगों को पकड़कर बंगलादेश भेजने का जो नाटक रचा गया, उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि उनका क्या हुआ, क्या वे वास्तव में डिपोर्ट कर दिए गए?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

5.18 म० प०

अन्त में, मेरा निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम दलगत राजनीतिक हितों को पूरा न कर के, वास्तव में जो पात्र व्यक्ति हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और जो विदेशी लोग कई प्रान्तों में घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और जो लिंग के आधार पर पहले भेदभाव था, उसको दूर किये जाने के लिए यह संशोधन लाया गया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नागरिकता (संशोधन) विधेयक में केवल दो बातें ऐसी हैं जिनमें हमारा मुख्य रूप से सम्बन्ध है। अब चूंकि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया है और सभी देशों ने बजाये केवल पुरुषों के जिनके बच्चों को नागरिकता दी जाती है, पुरुषों और महिलाओं को समान मान्यता और जिम्मेदारी देना स्वीकार कर लिया है, इससे अब महिलाओं को भी मान्यता दी गई है। यह एक अच्छा विचार है; यह एक बहुत ही अच्छी बात है।

जहां तक रिपोर्ट करने के लिए केवल एक ही वर्ष देने का प्रश्न है, यह बहुत ही कम अवधि है। इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ताकि लोगों को इसके बाद भी रिपोर्ट करने का अधिकार मिल सके। जहां तक बच्चों को विकल्प देने की बात है, वयस्क होने के बाद उन्हें यह निर्णय करने का अधिकार है कि वे किसी भी ओर जा सकते हैं। लेकिन काफी देरी के बाद हमारे अप्रवासी भारतीयों ने सुझाव दिया है कि इस देश के विकास के लिए उनकी सेवाओं के उपयोग के लिए क्या उन्हें दोहरी नागरिकता देने की बात पर विचार किया जा सकता है। दूसरे देशों में भी ऐसा हो रहा है। हमारे देश में भी दोहरी नागरिकता के रूप में किया जा सकता है और हमारे देश में इससे लोगों को मदद मिलेगी। उनके पास अनुभव है, उचित प्रौद्योगिकी है, ज्ञान है और संसाधन है। बहुत से अन्य

देशों में—विकसित देशों में यह एक आम बात बन गयी है। हम इनमें से कुछेक बातों का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि हमें उन लोगों के ज्ञान-विज्ञान से लाभ होगा जो इस देश की मदद करना चाहेंगे। इस दोहरी नागरिकता से मुक्त कराधान जैसे अनेकों लाभ भी मिल सकेंगे। अन्य भी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। हम इस बात पर विचार-विमर्श कर सकते हैं और यह हमारे लिए काफी सहायक रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री द्वारा सभा में लाये गए इस विधेयक का सच्चे मन से समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही सरल विधेयक है और मैं नहीं समझता कि इस विधेयक पर इस सभा में कोई मतभेद हो सकता है।

वर्तमान कानून में यह प्रावधान है कि केवल उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी, जिनका पिता भारत का नागरिक होगा। अब हम यह प्रावधान कर रहे हैं कि यदि माता अथवा पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो तब भारत से बाहर जन्म लेने वाला बच्चा इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। गृह मन्त्री ने सभा में इस विधेयक को लाने के कारणों के बारे में पहले भी बताया है; और सरकार को इस बात का पूरा यकीन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो 'महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह का भेदभाव दूर करने के बारे में कन्वेन्शन' आयोजित किया गया है, भारत द्वारा भी इस पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 9 के उदाहरण रखे गए हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के भेदभाव को मान्यता न देने का यह सिद्धान्त हमने अपने संविधान को तैयार करते समय ही अपनाया है। भारत के संविधान के अध्याय दो, जोकि नागरिकता के बारे में है, में सदैव इन्हीं शब्दों का ही प्रयोग किया गया है 'माता अथवा पिता में से कोई भी'। यदि संविधान के अनुच्छेद 5 को देखा जाए जोकि 'नागरिकता' विषय पर है तो संविधान के प्रारम्भ में ही इसके अन्तर्गत यह कह दिया गया है :

> "इस संविधान के प्रारम्भ होने के साथ ही भारतीय भू-भाग में अधिवास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और—
>
> (क) जो भारतीय भू-भाग पर जन्मा है; अथवा
>
> (ख) जिसके माता अथवा पिता में से कोई भी भारतीय भू-भाग में जन्मा है; अथवा···"

वास्तव में, यह जो सिद्धान्त है कि जहां तक पुरुषों अथवा महिलाओं का सम्बन्ध है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमने अपने संविधान को तैयार करते समय से ही अपनाया हुआ है। केवल यही ही नहीं हमने संविधान के अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत सामान्य सिद्धान्तों में भी यह उल्लेख किया हुआ है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 स्पष्ट है; और हम अपने देश में कानून बनाने के लिए इसी सिद्धान्त का अनुकरण करते रहे हैं।

इसलिए हमें केवल संयुक्त राष्ट्र की कन्वेन्शन पर अपने हस्ताक्षर करने की बात पर ही विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश ने आरम्भ से ही यह स्वीकार किया है कि जहां तक इस देश के कानूनों का सम्बन्ध है, उनमें महिलाओं और पुरुषों में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब से हमने स्वाधीनता प्राप्त की है और हमने जो सिद्धान्त अपनाये हैं, उनमें सदैव इन्हीं सिद्धान्तों को अपनाया गया है कि महिलाओं के साथ किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह मैं नहीं जानता कि जिस समय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था, तभी से ही इस सिद्धान्त को क्यों नहीं अपनाया गया। हमें संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी अथवा इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए था। यह तो उत्तर नहीं बनता।

कानून को लागू करने में जो समय लगा है अथवा देरी हुई है, उसके बारे में गृह मन्त्री ने बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अनुच्छेदों में विसंगतियां थीं और इसलिए हमें इन्तजार करना पड़ा। मेरा निवेदन यह है कि जब हमने शुरू में ही इस सिद्धान्त को अपना लिया था, तो हम इससे पूर्व भी ऐसा कर सकते थे। अब इस अवस्था में भी हम उसी सिद्धान्त पर विधेयक प्रस्तुत रहे हैं। मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अब, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जहां तक नागरिकता का प्रश्न है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है : (क) और (ख) और जिनका जन्म 26 जनवरी, 1950 के बाद परन्तु इस संशोधन विधेयक के आरम्भ होने से पूर्व हुआ है, उन्हें केवल तभी नागरिकता मिलेगी, जबकि उसका पिता भारत का नागरिक होगा और जिनका जन्म इस विधेयक को लाने के दिन अथवा उसके बाद होगा, उन्हें तभी नागरिकता मिलेगी, जबकि उसके माता अथवा पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा। मैं यह बात ठीक तरह से नहीं समझ सका कि इस भाग को भूतलक्षी प्रभाव क्यों नहीं दिया गया और यह भावी उपाय क्यों किया गया है और दो भाग क्यों बनाये गए हैं। जिनका जन्म इस संशोधन विधेयक को लाने से पूर्व हुआ है और जिनका जन्म इस विधेयक को लाने के दिन अथवा उसके बाद का होगा, उन्हें भी अलग-अलग आधार पर लिखा जाएगा। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, पक्षतात उन महिलाओं के साथ बनता है जिनका जन्म 26 जनवरी, 1950 और इस विधेयक को लाने की बीच की अवधि में हुआ है। मैं गृह मंत्री से यह अपेक्षा करता हूं कि इस अन्तर को स्पष्ट करें अथवा इसका औचित्य बताएं और सभा को बताएं कि जहां तक नागरिकों का प्रश्न है, उनमें यह अन्तर करने का क्या प्रयोजन है और इसकी आवश्यकता क्या है।

इसलिए, इन शब्दों के साथ मैं सच्चे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं गृह मन्त्री से केवल यह अनुरोध करता हूं कि जहां तक इस छोटे से भेदभाव का सम्बन्ध है, इस अन्तर को सभा में स्पष्ट किया जाए।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के बारे में बधाई देना चाहूंगा, चूंकि सरकार ने इससे स्थिति में सुधार किया है और सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1980 में बनाई गयी इस अवधारणा की समर्थक है। सरकार को काफी समय पहले यह विधेयक लाना चाहिए था। लेकिन अब प्रस्ताव किया गया है कि महिलाओं के प्रति सभी लिंग भेद सम्बन्धी पूर्वाग्रह समाप्त कर दिये जाएं और तब तक भारतीय अभिभावकों को उनके लिंग पर विचार किए बिना, भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

अब हजारों महिलाएं अपनी जीविका कमाने विदेश जा रही हैं। अतः यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मैं शरद दिघे जी की बात का भी समर्थन करूंगा कि यह समानता का अधिकार सर्वप्रथम भारतीय संविधान द्वारा ही दिया गया था। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून की नजरों में समानता होनी चाहिए। महोदय, भारतीय संविधान में पहले ही अनुच्छेद 15 के जरिये यह गारंटी दी गयी है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन दिघे जी ने ठीक ही कहा है कि 1955 के अधिनियम में यह भेदभाव किया गया है, अब यह भेदभाव मिटा देना चाहिए। यही ठीक है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि करोड़ों विदेशों में रहने वाले भारतीय अब भारतीय नागरिकता का दावा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को उनके मामलों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि पहले ही तीन लाख भारतीयों ने आवेदन दिए हैं और वे प्रधानमंत्री के पास पड़े हैं। ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि पर बहुत गर्व है। वे हमेशा नियमों के प्रति सजग रहते हैं और वे हमारे देश के आर्थिक विकास में काफी सहयोग कर सकते हैं। यह खेद की बात है कि जब कभी वे भारत आते हैं तो उन्हें पुलिस प्रताड़ित करती है। सम्पत्ति खरीदते हुए या घर का निर्माण करते वक्त सभी प्रकार की आपत्तियां की जाती हैं और वे बहुत प्रताड़ित महसूस करते हैं। लेकिन इन विदेश में रहने वाले भारतीयों में कई शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और व्यापारी हैं, जो यहां आकर भारत की सहायता करना चाहते हैं। वे यहां बस जाना चाहते हैं। अतः सरकार को उनके सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। यह बिल तो बहुत पूर्व आ जाना चाहिए था लेकिन बड़े विलम्ब से आया है।

इसमें एक और उदार कानून बनाना चाहिए कि माता या पिता कोई बाहर है और उनसे पैदा हुई सन्तान को हम नागरिकता दे सकते हैं, जैसे आपने बिल में प्रावधान किया है, लेकिन अगर माता पिता दोनों विदेशी हों और बच्चा यहां रहते हुए बालिग हो चुका हो और यह हिन्दुस्तान का नागरिक बनना चाहता हो तो वैसा प्रावधान भी होना चाहिए और उनकी मानसिकता के अनुसार उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, आज नहीं तो कल यह कानून आपको बनाना ही पड़ेगा, चूंकि ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, हम हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे माता पिता विदेश के हों और हम बालिग हैं, हिन्दुस्तान की हवा में विचरण करना चाहते हैं, यहां की नागरिकता चाहते हैं तो फिर कानून में प्रावधान नहीं है इसलिए इसको भी उसमें रखा जाय। चूंकि संसार के बेसिस पर आपका कानून बनता है, उसे तो अमल आप करते हैं लेकिन इसके अलग भी ऐसा कानून बनाने का काम करें, जिस कानून से आम लोगों कठिनाइयों को हल करने का काम हम कर सकें।

मैं तो यह भी कहूंगा कि थोड़ा हटकर काम करें, आप हिन्दू धर्म न बनायें, जिस धर्म में छुआ-छूत है, जाति-पाति है, ऊंच-नीच है···(व्यवधान)···मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म हैं, उसमें लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, उठते-बैठते हैं, एक ढंग से विचरण करते हैं लेकिन हिन्दू धर्म में ऐसी चीजों की कोई कमी नहीं है, नतीजा यह होता है कि यह धर्म बढ़ने के बजाय संकुचित हो गया है, उसी तरह से किसी कानून को बनाने में आप गम्भीरता से विचार करिये, जिस कानून को बनाने की जरूरत पड़ गई, जब माता पिता दोनों में से कोई भारत का हो तो उसे नागरिकता मिल जानी चाहिए यह अच्छी बात है। उसी तरह से विदेश में रहने वाला भी कोई, मैं इस पर पुनः जोर डालता हूं, विदेशी माता-पिता भी हों और वे बालिग बच्चे यहां पर रह कर

अगर हिन्दुस्तान का नागरिक होना चाहता हो तो उन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए । इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए । इसी के साथ मैं आपके बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इस बिल को तो पहले आना चाहिए था लेकिन देर से आया, दुरुस्त आया । इस बिल से देश के प्रति लोगों की ममता बढ़ेगी और जो यह सोचता था कि भारत के ही हमारे माता-पिता हैं लेकिन अगर विदेश में रहते हैं और वहां अगर बच्चे ने जन्म लिया तो सोचना था कि हम तो दूसरे देश के नागरिक हो गए तो उसकी भावना अब यह होगी कि नहीं, भले ही हमार माता-पिता दूसरी जगह रोजगार करने या व्यापार करने का काम करते हैं लेकिन हम भारत के हैं और इस भावना से देश के प्रति उनकी ममता बढ़ेगी । अगर देश के प्रति ममता बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा । देश की एकता और अखण्डता के लिए वह आदमी हमेशा सोचेगा और जब तक देश की एकता और अखण्डता के लिए नहीं सोचेगा तब तक हमेशा देश संकट में रहेगा ।

इसलिए इस बिल से देश की एकता और अखण्डता की रक्षा होगी । मैं समझता हूं कि जो देश में कुछ दहशत आ गई है उसको भी इस बिल से संभलने का मौका मिलेगा और इस बिल का जो औब्जेक्ट और रीजन दिया गया है उससे भी मैं सहमत हूं । संविधान के मुताबिक जो नागरिकता का प्रावधान है वह सही है मैं समझता हूं कि 6 महीने तक अगर कोई आदमी रहता है तो संविधान के तहत उसे नागरिकता प्राप्त होनी है । अगर कोई भारत में रहना ही चाहता है, अगर भारत के संविधान को मानता है, नियम और कायदे को मानता है तो क्या उससे देश पर संकट हो जाता है मैं इस बात को नहीं समझता हूं । बहुत तरह की बातें कही जाती हैं, अगर 6 महीने तक कोई रहता है तो वह देशद्रोही हो जाता है लेकिन हमारा संविधान इस बात को नहीं कहता है इसलिए अगर संविधान को छोड़ दिया जाएगा तो देश पर दूसरी तरह का संकट आ जाएगा । इसलिए संविधान की रक्षा होनी चाहिए और इस अमेंडमेंट बिल से संविधान की भी रक्षा होती है इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । नागरिकता के विषय में लिंग के आधार पर जो भेदभाव समाप्त करने की बात कही है मेरा कहना है कि यह अच्छी शुरूआत है । अन्य क्षेत्रों के अन्दर भी जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिएं ।

उपाध्यक्ष जी, मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता हूं वहां तो महिलाएं जागरूक हैं लेकिन अभी भी गांवों के अन्दर, कस्बों के अन्दर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे हीन भावना से देखने का क्षेत्र हो अभी भी देश के अन्दर महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, समझा जाता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अन्य क्षेत्रों के अन्दर भी महिलाओं को ऊपर उठाने की दृष्टि से बराबरी पर लाने की दृष्टि से, यू०एन०ओ० ने कहा है इसलिए नहीं, उसने तो ठीक ही कहा है लेकिन संविधान के अन्दर जो समान अधिकार की बात कही गई है उसको हम अन्य क्षेत्रों में ले जाएं इसके बारे में भी विचार करना चाहिए और हमारे होम मिनिस्टर साहब को घोषणा करनी चाहिए ।

इससे दूसरा लाभ यह होगा कि भारतीय बच्चों को भारतीय नागरिक बनने में जो कठिनाइयां आती थीं, वे दूर होंगी और उस बच्चे की बुद्धि और योग्यता का उपयोग भारत के निर्माण में किया जा सकेगा। इस तरह से अन्य देश से उसको भारत में लाकर उसकी बुद्धि और योग्यता का उपयोग करने का आपका जो यह प्रयास है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

इसके साथ-साथ जैसाकि मेरे मित्र ने शंका प्रकट की है, मैं भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश को लोग धर्मशाला न समझ लें कि चाहे जब आ गए, और जब चले गए, इस तरह की छूट नागरिकता के बारे में नहीं दी जानी चाहिए, यह मैं गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने स्वयं चिंता प्रकट की है कि देश के अन्दर 50 लाख से ज्यादा और सिर्फ दिल्ली के अन्दर डेढ़ लाख से ज्यादा घुसपैठिए हैं, जिससे देश के अन्दर आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं और सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही हैं, ला एण्ड आर्डर की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने उत्तर में मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इस तरह की स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चाहे देश का नागरिक बन जाए, उसका राशनकार्ड बन जाए, वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, तो जिन स्थितियों की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है, उन पर आप कैसे नियंत्रण रखेंगे, इसके बारे में बताएं। नागरिक बनाने से पहले सारी शर्तों को पूरा किया जाएगा, इस संबंध में सदन को आश्वासन दिया जाना चाहिए, ताकि इस संशोधन का दुरुपयोग न हो सके, घुसपैठिए अनधिकृत रूप से इस देश में न आएं, इसका ध्यान रखा जाए और इसके लिए क्या प्रिकाशनरी मेसर्ज लिए जाएंगे, यह बताया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं, जिसे सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक बहुत सीमित है और इसमें उस भेदभाव को मिटाने की बात की गयी है, जोकि उन बच्चों की नागरिकता के सम्बन्ध में है जिनके माता-पिता भारतीय राष्ट्रीयता लिये हैं। मैं श्री शरद दिघे द्वारा व्यक्त किये विचारों से पूरी से सहमत हूं।

मैं समझता हूं, कि इन तीन संशोधनों के बगैर भी यह विधेयक ठीक है। इस संबंध में हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। अनुच्छेद 14, 15 और 16 कानूनी रूप से समानता प्रदान करते हैं। अकेले सैक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि इन संशोधनों के बगैर भी इस देश का प्रत्येक नागरिक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उन्हें समानता का अधिकार है लेकिन दुर्भाग्य से नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ भेदभाव किया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अधिनियम मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के हस्ताक्षर किये जाने के बाद संशोधित किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मैं सभा के ध्यान में कुछ अन्य तथ्य लाना चाहूंगा। नागरिकता अधिनियम 1955 को समय की मांग के मुताबिक विगत में कई बार संशोधित किया गया है।

वर्ष 1986 एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार को और अधिक कठोर कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि कुछ मित्रों ने कहा है असम में और देश के उत्तर पूर्वी भागों में घुसपैठ बढ़ी है। अतः हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि वहां और घुसपैठ न हो पाये। हमें इसे रोकना है। हमें अब यह देखना है कि क्या तरीका अपनाया जाये, जिससे कोई घुसपैठ न हो।

हमारे यहां श्रीलंका के आतंकवादियों की समस्या है। यह अब शुरू हो गयी है। यह दक्षिण भारत में चल रही है। जब तक चुनाव सुधारों की बात करते हैं तो सम्भवतः फोटो पहचान पत्र देने का प्रस्ताव था। लेकिन मैं समझता हूं कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में यह प्रावधान होना चाहिए कि एक निश्चित समय में देश के प्रत्येक नागरिक को एक पहचान पत्र दे दिया जायेगा। यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। जब हमने अपने नागरिकों को राशन कार्ड दिये हैं तो इसी तरह हमें कुछ पहचान पत्र देने चाहिए। यह एक वास्तविक आवश्यकता हो गयी है। आपको पता ही है कि संसद सदस्यों को दिये गये पहचान पत्र काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। आप जानते है कि ये पहचान पत्र कितने फायदेमंद हैं। जब हम कठिनाइयों में हो पहचान पत्र दिखाने से हमारी समस्या हल हो जाता है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को ये पहचान पत्र दिये जाने चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सुझाव पर गौर करें और एक उपयुक्त कानून पारित करें, ताकि तीन या चार वर्षों में इसे कार्यान्वित किया जा सके। इससे चुनावों के सम्बन्ध में हमारी बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

केवल भौतिक रूप से ही सम्बन्ध नहीं होना चाहिए उदाहरणार्थ विदेश में जाने के लिए और आने के लिए एक पहचान पत्र या पारगमन पत्र रखना ही काफी नही है बल्कि देश के साथ भावा-नात्मक और आध्यात्मिक सम्बन्ध भी होने चाहिए।

पिछले 40 वर्षों के दौरान कर्तव्यों को ताक पर रख कर नागरिकता के अधिकार के बारे में कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि नागरिकता अधिनियम में ही कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि देश के प्रत्येक नागरिक के देश के प्रति कुछ कर्तव्य हों, ताकि साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या और अनावश्यक बन्ध, हड़ताल जो देश के भविष्य को बरबाद करते हैं, उन्हें खत्म किया जाये।

मैं पुनः माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह दो बातों पर ध्यान दें, उदाहरण के लिए पहचान पत्र देना और यह प्रावधान करना कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करे देश के प्रति और नागरिकों के प्रति कर्तव्यों को निर्वहन करे।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि इस विधेयक को पारित करने में कोई मतभेद नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरे विचार से इससे एक गलत बात में सुधार होगा लेकिन साथ ही मेरा यह भी कहना है कि बहुत बड़ी गलती हुई है और इससे उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। मैं इसका समर्थन और स्वागत करती हूं क्योंकि यह एक सही कदम है। माननीय श्री दिघे ने कहा है कि यह एक विसंगति है क्योंकि हमारे संविधान ने पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिये हैं उसके बावजूद भी इस नागरिकता अधिनियम में यह विसंगति है। मेरे विचार से यह बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि जबकि समानता की कुछ संवैधानिक गारंटी है लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है।

संरक्षण सम्बन्धी कानून महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण है। आज जो संरक्षण सम्बन्धी कानून लागू हैं उनके अनुसार पिता 6 वर्ष से बड़े बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक है। चाहे स्कूल में प्रवेश की बात हो, अथवा राशन कार्ड बनवाने की बात हो, हर जगह पिता का ही नाम चाहिए। मेरे विचार से संरक्षण सम्बन्धी नियम में यह भेदभाव ही इस अधिनियम विशेष में कथित विसंगति का कारण है। दूसरे शब्दों में यह अपवाद नहीं है बल्कि हमारी विधिक प्रणाली में प्रचलित भेदभावपूर्ण नीति का एक लक्षण है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

यहां जो संशोधन किया जा रहा है वह वंशानुगत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के बारे में है। यदि व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसके माता-पिता में से कोई नागरिक है तब उसे नागरिकता का अधिकार दे दिया जाता है। यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। मेरे विचार से श्री शरद दिघे ने पूर्ववर्ती मामलों में जो कहा है कि भेदभावपूर्ण नीति रही है अथवा जिन व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया गया है उनके बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा।

मैं और एक मुद्दा खण्ड 8(2) में किए जा रहे संशोधन के बारे में भी उठाना चाहती हूं खण्ड 8(2) का पाठ निम्न प्रकार से है :

> "कोई भी पुरुष जो उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत का नागरिक है उसका प्रत्येक नाबालिक बच्चा भारत का नागरिक होगा"

संशोधन में 'पुरुष' शब्द को हटाया जाना है। इस संशोधन के बारे में कोई गलतफहमी हो सकती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसके विधिक दृष्टिकोण की जांच करें।

आप भारतीय माता-पिता के बच्चों का मामला ले लीजिए। यदि माता-पिता अलग हो जाते हैं और पिता भारत की नागरिकता छोड़ देता है तथा माता भारत में रहती है और यहां की नागरिक भी बनी रहती है तब ऐसे बच्चों का क्या होगा ? संशोधित खण्ड में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहता है तो उसका बच्चा स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। इसमें माता-पिता दोनों शामिल हैं। यदि माता-पिता में से एक व्यक्ति नागरिक रहता है तो बच्चे को भी नागरिकता का अधिकार है। मेरे विचार से संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्यथा इस खण्ड का उपयोग भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के बजाय महिलाओं के विरुद्ध किया जाएगा। जो महिलाएं अपने पति से अलग हो गयी हैं, जिनके पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और वह स्वयं भारत की नागरिक बनी रहती है तब उसके बच्चे को उससे अलग करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है। अतः मेरा माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि वह इसके विधिक दृष्टिकोण की तरफ ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि इस मुद्दे की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की जाए।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे भा०ज०पा० के सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं मैं उनका विरोध करती हूं। श्री मदन लाल खुराना दूसरे वक्ताओं से अलग बात कहते हुए अधिक दूरदर्शी प्रतीत होते हैं। उन्होंने किसी देश विशेष का नाम नहीं लिया लेकिन देश का नाम तो पहले ही बताया जा चुका था। बंगलादेश का नाम पहले ही बताया जा चुका है। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अवैध अप्रवास को रोका जाना चाहिए। गृह मंत्रालय और सरकार को यह कार्य करना चाहिए। आप नागरिकता के संभावित आवेदकों पर विशेष प्रतिषेधात्मक दंड लागू नहीं

कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी देश विशेष का है अथवा वह किसी धर्म विशेष के मानने वाले हैं तब आप उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने में नहीं रोक सकते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि चूंकि कानून भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि उसे समाप्त करने के लिए है। अत: किसी भी कीमत पर अवैध अप्रवास को रोकते हुए आप नागरिकता के लिए संभावित आवेदकों के साथ भेद-भाव नहीं कर सकते हैं चाहे वे किसी भी देश के हों अथवा किसी भी धर्म के मानने वाले हों।

उपाध्यक्ष महोदय : दो और वक्ता हैं। उससे पहले मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी को कार्य मंत्रणा समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं।

5.56 म० प०

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूं।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक-जारी

डा० खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 में यह संशोधन पेश किया है लेकिन इसका अवसर सीमित ही है। ऐसा लगता है कि काफी समय के बाद सरकार ने उचित ही सोचा कि इस अधिनियम में निहित कुछ खामियों को ठीक किया जाए। इससे महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव से बचा जा सकेगा क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने संविधान के द्वारा आबद्ध हैं। कभी नहीं की बजाय विलम्ब से होना अच्छा है।

हम महिलाओं को समान अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ मामलों में तो विशेष अधिकार भी दे रहे हैं, भारतीय महिलाएं हमारी आबादी का 48 प्रतिशत से अधिक भाग हैं। लेकिन हम इतने लम्बे समय से इस तथ्य को कैसे भूले हुए हैं।

मैं पुन: इस संशोधन का स्वागत करता हूं। लेकिन इस खण्ड के साथ ही मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। धारा 4 के तुरन्त बाद धारा 5 है और यह पंजीकरण द्वारा नागरिकता से सम्बद्ध है। मैं इस मामले को स्पष्ट करने के लिए अपने तर्क देता हूं। यह धारा 4 के मुताबिक है। यदि हम धारा 4 को और प्रभावी बनाना चाहते हैं और बाहर गए भारतीय मूल के लोगों को कुछ विश्वास देना चाहते हैं तो हमें धारा 5(2) में उचित व्यवस्था करनी होगी और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे इस संशोधन में शामिल करें।

हम इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन अधिक समय बाद कर रहे हैं और इसलिए हमें थोड़ा और संशोधन करना चाहिए। मौजूदा धारा 5, खण्ड 1 में कहा गया है :

"(क) भारतीय मूल के व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में रहते हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय से तत्काल पूर्व पांच वर्ष तक निवासी रहे है।"

सामान्य प्रक्रिया के तहत एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में लगभग पांच वर्ष लगते हैं। कुछ मामलों में तो बहुत अधिक समय लगता है मेरी चिन्ता पाकिस्तान में रह रहे भारत मूल के व्यक्तियों के बारे में है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : हम विधेयक के पारित होने तक सभा का समय बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मैं इस विषय पर संसद में पहले ही सितम्बर, 1991 में बोल चुका हूं और मैंने कहा था कि पाकिस्तान में खराब राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के कारण अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के अनेक लोग भारत में स्थाई निवास के लिए आ रहे हैं। मेरी चिन्ता पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू लोगों के प्रति है और मेरी चिन्ता का मुद्दा 8 अप्रैल, 1950 के नेहरू लियाकत के समझौते पर आधारित है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस घटना को याद करें और मैं भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू और श्री लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते से उद्धत करता हूं। उन्होंने 8 अप्रैल, 1950 को एक समझौता किया था। मैं उद्धत करता हूं :

"भारत और पाकिस्तान की सरकारें सहमत हैं कि प्रत्येक सरकार कानून और नैतिकता के तहत अल्पसंख्यकों को उनके क्षेत्र में धर्म को ध्यान में न रखकर पूर्णतः समान नागरिकता मिलेगी, जीवन, संस्कृति, सम्पत्ति और निजी सम्मान की पूर्ण सुरक्षा की भावना होगी, देश के अन्दर आवागमन की स्वतन्त्रता होगी और व्यवसाय, भाषण और पूजा करने की स्वतन्त्रता होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को बहुसंख्यकों के साथ अपने देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और राजनैतिक या अन्य पद प्राप्त करने और अपने देश के असैन्य और सशस्त्र बलों में कार्य करने के लिए बराबर अवसर प्राप्त होंगे। दोनों सरकारें घोषित करती है कि ये अधिकार मौलिक हैं और वे इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करेंगी। भारत के प्रधान मन्त्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत में सभी अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों की संविधान में गारन्टी है। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने कहा कि ऐसा ही प्रावधान पाकिस्तान एसेम्बली द्वारा स्वीकृत उद्देश्य संकल्प में मौजूद है। दोनों सरकारों की यह नीति है कि बगैर भेदभाव किए उनके सभी देशवासियों को ये लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित होंगे।"

वास्तव में कहा जाए तो ये स्थिति हमारे पड़ौसी देश में व्याप्त नहीं है, वहां पर भारतीय मूल के अनेक लोग रह रहे हैं। उनमें अनेक डाक्टर हैं। अभी तक लगभग 50 डाक्टर और 200 परिवार

आए हैं। मैंने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है। मौजूदा नियमों के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में लगभग पांच वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है भारतीय मूल के लोगों विशेषकर डाक्टर, फार्मासिस्ट और वैज्ञानिकों को बहुत कठिनाई है।

मेरे समझाने पर स्वास्थ्य और गृह मन्त्रालय ने डाक्टरों को नागरिकता मिलने से पूर्व पंजीकरण देने की अनुमति दे दी है। तब भी मौजूदा नियमों के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर भी स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय में संशोधित खण्डों में क्रियान्वयन पर मतभेद है।

मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र इस विसंगति को दूर करें ताकि सरकार को स्वीकृति हेतु प्रतीक्षा कर रहे अनेक डाक्टर भारत में अपने रहने का पूरा आनन्द ले सकें।

इन शब्दों के साथ और इस अनुरोध के साथ कि इस विधेयक में खंड 4 को जोड़ा जाए और नागरिकता अधिनियम में धारा 5(क) को संशोधित किया जाए, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन सर्वप्रथम मैं विधेयक के खंड 2, पृष्ठ 2 पर पंक्ति 11 में मुद्रण सम्बन्धी गलती की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"(ख) उसके माता-पिता में से कोई, उसके जन्म के समय भारत की एक सरकार के तहत सेवा में हो";

महोदय, भारत में कई सरकारें हो सकती हैं। लेकिन भारत सरकार केवल एक ही हो सकती है। मैं समझता हूं इन शब्दों को भारत में सरकार के अन्तर्गत होना चाहिए।

महोदय, हमारे समाज में लिंग भेद को समाप्त करने के प्रति यह एक अच्छा विधेयक है। जैसाकि माननीय सदस्या श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने भी कहा है कि हमारे समाज में लिंग भेद की जड़ें बड़ी गहरी हैं। महोदय, मुझे आश्चर्य है कि क्यों मैंने अपने जीवन में हमेशा फार्म। प्रपत्र इस प्रकार से भरे—नागरिकों को क्यों हमेशा कई जगह कई स्थानों पर अपने प्रपत्र इस प्रकार से भरना पड़ता है—मैं हमेशा अपने फार्म पर पिता का नाम लिखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने कहा है कि पिता एक विश्वास है और माता एक सच्चाई है। मैं समझता हूं कि पिता के नाम के बजाय माता का नाम लिखना अधिक तर्कसंगत होगा··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दोनों नाम लिखने चाहिए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : यदि आप एक समता कायम रखना चाहते हो तो आप दोनों नाम लिख सकते हो। लेकिन निश्चित रूप से आप पिता के नाम से हमारे समाज में अन्तर्निहित लिंग भेद का प्रतिबिम्ब ही पाएंगे। मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री और माननीय गृह मंत्री समूचे कानूनी ढांचे में जाकर यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं लिंग भेद विद्यमान है, कभी-कभी यह स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे समाप्त कर दिया जाय।

जब मैं विदेश सेवा में था तो एक बार एक ऐसा प्रतीकात्मक कानून आया कि इस सेवा का पुरुष सदस्य विदेशी महिला से विवाह कर सकता है और विदेशी पत्नी को कुछ समय पश्चात् भारतीय नागरिकता हासिल हो सकती है। लेकि इस सेवा की महिला सदस्य सामान्य रूप से विवाह नहीं कर सकती ··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : उसे इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कानून ही ऐसा था। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह तो बहुत बुरा हुआ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : लेकिन मैं आपको यह बताने में प्रसन्नता है कि अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है।

इसी प्रकार मैं देखता हूं कि इसी अधिनियम में विदेशी पत्नी और विदेशी पति के बीच शुरू से ही विभेद भरने के लिए हाल में 1987 में संशोधन किया गया है। अब इसे इस प्रकार पारिभाषित किया है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होने के पश्चात् भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यह कानून विदेशी पत्नी और विदेशी पति दोनों पर समान रूप से लागू होता है। पहले यह सुविधा केवल विदेशी पत्नी को ही प्राप्त थी। विदेशी पति पर यह प्रावधान लागू नहीं होता था।

महोदय, मैं इस अधिनियम की धारा 8, 10 और 14 के लागू होने से उत्पन्न असंख्य मामलों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये धाराएं मुख्यतः उन अवयस्क बच्चों से सम्बन्धित है जिन्हें मजबूरन भारतीय भू-भाग छोड़ना पड़ा, जो पाकिस्तान में बड़े हुए और अब वे अपने नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु वापस भारत आना चाहते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत आने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लिया था। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मन्त्री जी के पास ऐसे कई मामले आए होंगे। यह समस्या इसलिए पैदा होती है कि प्रत्येक सरकार इस बात पर बल देती है कि आप यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने से पहले नागरिकता प्राप्त करने या छोड़ने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र दें। और यदि प्रत्येक सरकार इस बात पर बल देती रहे तो यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि हमें एक ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए जो भारतीय मूल के लोगों पर, चाहे वह कहीं भी हो। समान रूप से लागू हो। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल कई हिन्दू बल्कि कई मुसलमान भी अपनी मातृभूमि को लौटना चाहते है। मैं इस बात को जानता हूं। उदाहरण के लिए मुहजरीन हैं। उनकी जड़ें अभी कहीं नहीं है। ऐसे कई कवि और लेखक हैं जो अपनी मातृभूमि की ही बात करते हैं। लेखकों का अपना एक खुला वातावरण होता है। वे किसी प्रकार का नियन्त्रण स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान में भी ये इतना तक कह देते हैं कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे स्वतन्त्रता की सांस लेने अपनी मातृभूमि वापस चले जाएं। महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे समाज में अन्तर्विष्ठ भेदभाव जो हम मानसिक रूप से एक देश के और दूसरे देश के भारतीय लोगों के बीच, एक धर्म और दूसरे धर्म के लोगों के बीच करते हैं, इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं श्री मदन लाल खुराना के वक्तव्य का भरपूर स्वागत करता हूं। भारत एक धर्मशाला नहीं है। कोई भी देश धर्मशाला नहीं है। कोई भी देश अपने दरवाजे खुले रखने की अनुमति नहीं दे सकता

कि कोई भी वहां चला आए और वहां बस जाय । ठीक है । लेकिन हमें आशंका तो इस बात की है कि सरकार के इस अधिकार पर कोई नियन्त्रण न हो, कोई रोक-टोक न हो, कोई काट-छांट न हो तो इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है । इस उप-महाद्वीप में हमारी यह स्थिति है कि इसकी सीमाएं हमारी प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं । इसलिए घुसपैठ की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता । लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए । सचेत रहना चाहिए और यदि कोई घुसपैठ होती है तो ऐसे मामलों का पता लगाने का दायित्व सरकार का होना चाहिए । लेकिन ऐसे मामलों का पता लगाने की प्रक्रिया न्यायिक होनी चाहिए । यह कार्यवाही एकतरफा नहीं होनी चाहिए । मनमाने ढंग से हम किसी को विदेशी नहीं ठहरा सकते और उसे निकाल बाहर नहीं कर सकते । लोकतान्त्रिक प्रणाली में हम सम्भवतः कार्यपालिका को ऐसा अधिकार नहीं दे सकते । ऐसे अधिकार को उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया को नियमित किया जाना चाहिए । यद्यपि यह विषय इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता, यह विषय विदेशी नागरिक अधिनियम से सम्बन्धित हैं । मैं समझता हूं कि इस दायित्व का निर्वाह कार्यपालिका को बड़ी दृढ़ता से लेकिन बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए—मेरा कहना है कि आम नागरिक को, जो अशिक्षित है, जो सभी नियमों को नहीं जानता, जिसे उत्पीड़ित किया जा सकता है, जिसे भारी कठिनाइयों में डाला जा सकता है, जिसे अधिकारियों की मेहरबानी पर इस कार्यालय से उस कार्यालय भटकना पड़ता है, जिसका जीवन असम्भव बना दिया जाता है, इस तरह की परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए । इसलिए इस प्रावधान से मैं समझता हूं समूचा देश सहमत होगा कि यदि किसी स्थिति में किसी नागरिक विदेशी होने का शक जाता है, यदि प्रथम दृष्टि में ही उक्त नागरिक विदेशी होने के शक के दायरे में आ जाता है तो कार्यपालिका को आवश्यक छानबीन करनी चाहिए और यह छानबीन न्यायिक प्रक्रिया से होनी चाहिए—चाहे यह न्यायाधिकरण हो या न्यायालय । और यदि एक बार वह नागरिक विदेशी साबित हो जाता है तो उसके बाद कानून को अपना कार्य करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर देश में सभी सहमत होंगे, इस पर कोई मतभेद नहीं होगा ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कम-से-कम 35 साल तो इसमें लग ही जाएंगे ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : उसमें चाहे कितना भी समय लगे; 80 करोड़ का यह देश है, उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इस काम को करना है ।

[अनुवाद]

मेरा कहने का अर्थ है कि इस कार्य को करने में बड़ी सावधानी, सहानुभूति और नागरिकों के अधिकार के प्रति सम्मान व्यक्त करने की आवश्यकता है ताकि बेगुनाह लोग इस प्रक्रिया के भुक्त-भोगी न बनें, क्योंकि विशेषकर कई बार कुछ लोग ऐसा देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर महज राजनैतिक स्वार्थ के लिए करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, तो मैं उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक का

हृदय से समर्थन किया। लेकिन, विधेयक का समर्थन करते हुए, कुछेक मुद्दे भी उठाये गये हैं। एक मुद्दा, जोकि वास्तव में बड़ा प्रासंगिक है और जिसे मेरे माननीय मित्र श्री शरद दिघे ने उठाया है, वह यह है कि हम इसे पूर्वकाल से प्रभावी करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। 26 जनवरी, 1950 से लेकर इस विधेयक में संशोधन किये जाने तक और उसके बाद की अवधि के दौरान लोगों का एक वर्ग रहा है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसमें कुछ दम तो है, लेकिन सत्य यही है कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले रहे हैं, जिन पर पहले निर्णय लिया जा चुका है। अगर अब इसे पिछले समय से प्रभावी किया जाता है, तो फिर इसका अर्थ यह होगा कि हमें उन सभी मामलों को पुनः खोलना पड़ेगा, जोकि एक अत्याधिक विपुल कार्य हो जायेगा। इसी कारण, इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए, सरकार ने सूझबूझ से यह निर्णय लिया है कि यह विधेयक बाद कीतारीख से प्रभावी होगा। अतः, जहां तक प्रश्न के उस पहलू का सम्बन्ध है, मैं यही स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं उनकी बात से पूर्णतया सहमत तो हूं, लेकिन, इसके साथ ही, मैं उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने धारा 8 के बारे में एक बड़ा ही संगत मुद्दा उठाया था। अगर सुसंगत-व्याख्या का मुद्दा धारा 4क के साथ पढ़ा जाता है, तो सारी बातें पूर्णतया सुस्पष्ट हो जाती हैं। इसके व्याख्या वाले भाग के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूं कि दो अभिभावकों में से अगर एक अभिभावक अपने आप ही नागरिकता का अधिकार पाने का पात्र हो जाता है क्योंकि, आखिरकार, पीढ़ी-दर पीढ़ी की वजह से ही नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः जहां एक अभिभावक अपनी नागरिकता खो देता है या यह कहता है कि वह भारतीय नागरिकता नहीं पाना चाहता तो दूसरा अभिभावक स्वतः ही तो भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं हो जाता।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : धारा 4(क) भारत के बाहर पैदा हुए लोगों से सम्बन्धित है, लेकिन धारा 8 में उन लोगों के बारे में उल्लेख है, जो चाहे वह भारत के बाहर पैदा हुए हों अथवा चाहे भारतीय के रूप में पैदा हुए हों, लेकिन जो बाद में अपनी नागरिकता इस कारण खो बैठे हों क्योंकि उनके माता-पिता ने भारतीय-नागरिकता का परित्याग करने का विकल्प अपनाया है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने इस विषय पर ध्यानपूर्वक गौर किया है। आखिरकार, यह विधेयक पुरुष अथवा महिला तथा लिंग और नागरिकता, जोकि पैत्रिक-आधार पर दी जाती है, आधार पर, लिंग व पुरुषों में भेद को समाप्त करने की दृष्टि से लाया गया है। पूर्णतया लक्ष्य यही है। अतः, मेरे विचार से इस प्रकार की व्याख्या करना सही नहीं है। यही कारण है कि यदि आप इन दोनों बातों को एक साथ पढ़ते हैं, तो सारी बातें सुस्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा सकता हूं कि दोनों अभिभावकों में से एक द्वारा नागरिकता त्यागे जाने पर दूसरे अभिभावक या बच्चे की नागरिकता प्रभावी नहीं होती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अवैध अप्रवासियों और अन्य बातों के बारे में मुद्दे आगे है, यद्यपि वे इस विधेयक के उद्देश्यों से ज्यादा सम्बन्धित नहीं हैं। अवैध-अप्रवासियों के लिए अलग से एक प्रावधान है। हमने सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और उन सभी अवैध-आप्रवासियों के बारे में, जोकि भारत में ठहरने के पात्र नहीं हैं, एक निर्णय लिया गया था। ऐसे लोगों की भी बहुत सी श्रेणियां हैं, जोकि छह माह के लिए वैध दस्ता-

वेजों सहित आते हैं, लेकिन दो वर्ष तक वे यहां रह जाते हैं। इस प्रकार वे अवैध-अप्रवासी बन जाते हैं। अन्य अनेक ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज हैं ही नहीं और फिर भी वे सीमा पार कर यहां आ जाते हैं। वे भी अवैध-आप्रवासी हैं। वे किसी प्रकार की नागरिकता पाने के पात्र नहीं हैं। मैं सम्भवतः कोई ऐसा उपबन्ध नहीं कर सकता कि मात्र बंगलादेश से आये लोगों को ही इस विधेयक के उपबन्धों का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं नहीं समझता कि हम शायद अवैध-आप्रवासियों और उन सभी लोगों जोकि भारत आने का प्रयत्न कर रहे हैं, की नागरिकता को स्वीकार कर लें। सुरक्षा की दृष्टि से अनेकों बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर वे नागरिकता पाने के वास्तव में ही पात्र हैं, तो मैं सम्भवतः यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य ने नागरिकता अधिनियम की धारा 9 और पांच वर्षों के उपबन्ध के बारे में मुद्दा उठाया था। जब तक आप पांच वर्षों का समय पूर्ण नहीं कर लेते, आप नागरिकता पाने के हकदार नहीं होते। कुछ डॉक्टर और अन्य लोग सीमा पार कर भारत में आ गए हैं। मुद्दा यह होगा कि हम एक व्यक्ति और अन्य में कोई विभेद करते हैं। यदि मैं इन व्यक्तियों के मामले में कोई ढील देता हूं तो मैं किस आधार पर यह कह सकता हूं कि इन लोगों के लिए मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं, लेकिन अन्य लोगों के लिए, मैं यह स्थिति स्वीकार नहीं करूंगा? और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान के मामले में तो मुझे इन उपबन्धों में किसी प्रकार की ढील देते समय और अधिक सचेत रहना होगा। यद्यपि कुछ मामलों में सरकार को ढील देने के अधिकार प्राप्त हैं और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह हमें प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर देखना होगा। यह कहकर कि सभी नागरिक जो पाकिस्तान से सीमा पार करके आए हैं, यदि वे एक धर्म विशेष से सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें हम अपने-आप ही हम नागरिकता देने का विचार रखते हैं, मैं सीधे-सीधे कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता। यह एक बहुत ही अनुचित बात होगी और एक ऐसी बात जिसे सरकार कभी भी नहीं करना चाहेगी यानि कि किसी एक अथवा दूसरे धर्म के बीच विभेद नहीं करेगी तथा यह भी नहीं करेगी कि किसी एक को तो नागरिकता प्रदान कर दे मगर किसी दूसरे को इसे प्रदान करने से इन्कार कर दे। मुझे पूर्व विश्वास है कि माननीय सदस्य सरकार से इस ढंग से कार्य करने की अपेक्षा पसन्द नहीं करेंगे। मुझे श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा उठाया गया मुद्दा कि हमें सभी विदेशियों के बारे में अत्यन्त सतर्क रहना होगा, सही प्रतीत होता है। यद्यपि इसका हमारे द्वारा यहां पेश किए विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मुझे यह मुद्दा बिलकुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन सभी लोगों के मामलों, जोकि भारत आना चाहते हैं, उचित जांच एवं संवीक्षा करनी पड़ेगी। इससे पूर्व कि वे यहां किसी प्रकार की नागरिकता पाने के पात्र हों, उन्हें समुचित शर्तें पूरी करनी होंगी। मेरा विश्वास है कि हम अभी उनके इस सुझाव को मान सकते हैं कि कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार के उद्देश्य हेतु दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए एक न्यायधिकरण अथवा किसी अन्य तन्त्र का सृजन करना होगा, जोकि इस प्रयोजन हेतु सारे दस्तावेजों को देखेंगे और स्वयंमेव अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें नागरिकता दिए जाने की जरूरत है, अथवा नहीं।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने यही मुद्दे उठाये हैं। माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उन सभी को स्पष्ट करने का मैंने हर सम्भव प्रयास किया है। अब मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित कर दे।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैंने जो छपाई की जो गलती प्रकट की थी, उसके बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह टाइप करने में हुई एक गलती है। उसे ठीक कर लिया जायेगा आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम में आगे संशोधन करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

06.22 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 नवम्बर, 1992/अग्रहायण 4, 1914 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चौहान प्रिंटिंग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53